चतुर्दश माला, खंड 25, अंक 3

मंगलवार, 27 फरवरी, 2007
8 फाल्गुन, 1928 (शक)

लोक सभा वाद-विवाद

(हिन्दी संस्करण)

दसवां सत्र

(चौदहवीं लोक सभा)

सत्यमेव जयते

Gazettes & Debates Unit
Parliament Library Building
Room No. FB-025
Block 'G'
Acc. No.......62..............
Dated.....30-Oct-2007

(खण्ड 25 में अंक 1 से 10 तक हैं)

लोक सभा सचिवालय
नई दिल्ली

मूल्य : अस्सी रुपये

सम्पादक मण्डल

पी.डी.टी. आचारी
महासचिव
लोक सभा

ए.के. सिंह
संयुक्त सचिव

हरनाम दास टक्कर
निदेशक

प्रतिमा श्रीवास्तव
संयुक्त निदेशक-I

सरिता नागपाल
संयुक्त निदेशक-II

अरुणा वशिष्ठ
सम्पादक

(अंग्रेजी संस्करण में सम्मिलित मूल अंग्रेजी कार्यवाही और हिन्दी संस्करण में सम्मिलित मूल हिन्दी कार्यवाही ही प्रामाणिक मानी जाएगी। उनका अनुवाद प्रामाणिक नहीं माना जाएगा।)

विषय-सूची

[चतुर्दश माला, खंड 25, दसवां सत्र, 2007/1928 (शक)]

अंक 3, मंगलवार, 27 फरवरी, 2007/8 फाल्गुन, 1928 (शक)

विषय	कॉलम
प्रश्नों के लिखित उत्तर	
तारांकित प्रश्न संख्या 21 से 40	2-65
अतारांकित प्रश्न संख्या 126 से 263	65-276
सभा पटल पर रखे गए पत्र	276-277
रसायन और उर्वरक संबंधी स्थायी समिति	
पन्द्रहवां प्रतिवेदन	277-278
गृह कार्य संबंधी स्थायी समिति	
123वां प्रतिवेदन	278
मंत्रियों द्वारा वक्तव्य	
(एक) सूक्ष्म और लघु उद्यमों के संवर्धन के लिए पैकेज	
श्री महावीर प्रसाद	278-285
(दो) ओत्ताविओ क्वात्रोची की अर्जेन्टीना में निवारक नजरबंदी	
श्री सुरेश पचौरी	285-288
अनुबंध-I	
तारांकित प्रश्नों की सदस्य-वार अनुक्रमणिका	289-290
अतारांकित प्रश्नों की सदस्य-वार अनुक्रमणिका	289-294
अनुबंध-II	
तारांकित प्रश्नों की मंत्रालय-वार अनुक्रमणिका	295-296
अतारांकित प्रश्नों की मंत्रालय-वार अनुक्रमणिका	295-296

लोक सभा के पदाधिकारी

अध्यक्ष

श्री सोमनाथ चटर्जी

उपाध्यक्ष

श्री चरणजीत सिंह अटवाल

सभापति तालिका

श्री गिरिधर गमांग

डा. सत्यनारायण जटिया

श्रीमती सुमित्रा महाजन

डा. लक्ष्मीनारायण पाण्डेय

श्री बालासाहिब विखे पाटील

श्री वरकला राधाकृष्णन

श्री अर्जुन सेठी

श्री मोहन सिंह

श्रीमती कृष्णा तीरथ

श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव

महासचिव

श्री पी.डी.टी. आचारी

लोक सभा

मंगलवार, 27 फरवरी, 2007/8 फाल्गुन, 1928 (शक)

लोक सभा पूर्वाह्न ग्यारह बजे समवेत हुई।

[**अध्यक्ष महोदय** *पीठासीन हुए*]

[अनुवाद]

श्री बसुदेव आचार्य (बांकुरा) : महोदय, मैंने प्रश्नकाल स्थगित किये जाने हेतु नोटिस दिया है *(व्यवधान)* हमें मंहगाई का मुद्दा उठाने की अनुमति दी जाए *(व्यवधान)*

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : हम बताने की कोशिश कर रहे हैं, कृपा करके हमें थोड़ा मौका दीजिए।

(व्यवधान)

संसदीय कार्य मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री प्रियरंजन दासमुंशी) : हमारा मूड छुट्टी वाला नहीं है। हमारा जो प्रस्ताव है उसे हम रखेंगे *(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : मेरे द्वारा अनुमत्य मुद्दे के अलावा कार्यवाही वृत्तान्त में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

*(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : मुझे संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री का एक नोटिस प्राप्त हुआ है, वे क्वात्रोची के मुद्दे पर वक्तव्य देना चाहते हैं।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैं मध्याह्न 12.00 बजे, इसी मुद्दे पर वक्तव्य दिए जाने की अनुमति दूंगा।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : प्रश्नकाल के दौरान हर बात की अनुमति नहीं दी जा सकती। मैं 'प्रश्नकाल' के स्थगन की अनुमति नहीं दे रहा हूं।

(व्यवधान)

---

*कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

[हिन्दी]

खनिजों को निकालना

*21. **श्री पुन्नूलाल मोहले** :
श्री कैलाश मेघवाल :

क्या खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार विभिन्न प्रकार के खनिजों को निकालने के लिए पट्टा देने से पूर्व खुली निविदाएं आमंत्रित करने संबंधी कानून में कोई संशोधन करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

खान मंत्री (श्री शीश राम ओला) : (क) वर्तमान में खनिज रियायतें तीन स्तरों पर दी जाती है अर्थात टोही परमिट, पूर्वेक्षण लाइसेंस और खनन पट्टा। उच्चस्तरीय समिति ने इन खनिज रियायतों में परिवर्तन की अनुशंसा की है जिस पर राज्य सरकारों से विस्तार से चर्चा की गयी है। मामला अभी सरकार के विचाराधीन है।

(ख) और (ग) उच्च स्तरीय समिति की सिफारिशें, सरकार के विचाराधीन हैं।

आतंकवादी गतिविधियों संबंधी घटनाएं

*22. **श्री हेमलाल मुर्मू** :
श्री प्रहलाद जोशी :

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में आतंकवादी गतिविधियों में वृद्धि हुई है;

(ख) यदि हां, तो वर्ष 2006 और 2007 के दौरान आज तक हुई ऐसी घटनाओं का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) ऐसे प्रत्येक घटना में राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार कितने नागरिक, सुरक्षाकर्मी मारे गए/घायल हुए;

(घ) ऐसी घटनाओं में पुलिस मुठभेड़ों में राज्य-वार कितने आतंकवादी गिरफ्तार किए गए/मारे गए;

(ङ) ऐसे आतंकवादियों से प्राप्त हथियारों और गोला-बारूद का ब्यौरा क्या है;

(च) ऐसी गतिविधियों को रोकने के लिए प्रभावित राज्यों को प्रदान की गई सहायता का ब्यौरा क्या है; और

(छ) देश में आतंकवादी गतिविधियों को रोकने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीप्रकाश जायसवाल) : (क) 2006 में भी जम्मू और कश्मीर में सुरक्षा की स्थिति में निरन्तर सुधार देखा गया है। राज्य में सिविलियनों और सुरक्षा बलों की घटनाओं और हताहतों दोनों के संदर्भ में महत्वपूर्ण कमी आई है। उत्तर-पूर्व में हालांकि 2006 में हिंसा की घटनाओं की संख्या में आंशिक वृद्धि देखी गई है, फिर भी सिविलियनों के हताहतों की संख्या में महत्वपूर्ण कमी आई है। नक्सली दृष्टि से हालांकि नक्सली हिंसा की घटनाओं की संख्या में आंशिक कमी आई है, सिविलियनों और सुरक्षा कार्मिकों के हताहतों की संख्या 2005 की तरह उसी स्तर पर बनी हुई है।

(ख) से (घ) वर्ष 2006 और 2007 (31 जनवरी तक) के दौरान जम्मू और कश्मीर, पूर्वोत्तर राज्यों और नक्सल प्रभावित राज्यों में घटनाओं, मारे गए सुरक्षा बल कार्मिकों, सिविलियनों और आतंकवादियों तथा गिरफ्तार आतंकवादियों की संख्या के ब्यौरे नीचे दिए गए हैं :—

वर्ष 2006 और 2007 (31.01.2007 तक) के दौरान जम्मू और कश्मीर तथा पूर्वोत्तर राज्यों में हिंसा

राज्य	2006					2007 (31.01.2007 तक)				
	घटनायें	मारे गए सुरक्षा बल कार्मिक	मारे गए सिविलियन	मारे गए आतंकवादी/ अतिवादी	गिरफ्तार आतंकवादी/ अतिवादी	घटनायें	मारे गए सुरक्षा बल कार्मिक	मारे गए सिविलियन	मारे गए आतंकवादी/ अतिवादी	गिरफ्तार आतंकवादी/ अतिवादी
जम्मू और कश्मीर	1667	151	389	593	429	74	11	11	25	14
असम	413	32	164	46	321	88	05	86	15	17
मणिपुर	498	28	96	187	890	49	01	05	10	46
नागालैंड	309	02	29	116	80	21	00	03	06	18
त्रिपुरा	87	14	14	22	46	11	00	02	00	11
मेघालय	38	00	06	20	51	00	00	00	00	09
अरूणाचल प्रदेश	16	00	00	04	17	00	00	00	00	03
मिजोरम	05	00	00	00	01	00	00	00	00	00

वर्ष 2006 और 2007 (31.01.2007 तक) के दौरान नक्सल प्रभावित राज्यों में हिंसा

राज्य	2006					2007 (31.01.2007 तक)				
	घटनायें	मारे गए पुलिस कार्मिक	मारे गए सिविलियन	मारे गए नक्सलवादी	गिरफ्तार नक्सलवादी	घटनायें	मारे गए पुलिस कार्मिक	मारे गए सिविलियन	मारे गए नक्सलवादी	गिरफ्तार नक्सलवादी
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
छत्तीसगढ़	715	84	304	74	286	41	08	12	14	11
झारखंड	310	43	81	20	254	37	00	05	00	11
आन्ध्र प्रदेश	183	10	37	133	316	12	00	05	07	23

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
बिहार	107	05	40	06	257	14	01	03	00	15
उड़ीसा	44	04	05	14	29	06	01	00	00	07
महाराष्ट्र	98	03	39	19	46	08	00	01	00	07
मध्य प्रदेश	06	00	01	00	08	01	00	00	00	05
उत्तर प्रदेश	11	00	05	04	25	00	00	00	00	01
पश्चिम बंगाल	23	08	09	02	32	02	00	01	00	00

(ङ) उपलब्ध सूचना के अनुसार 2006 और 2007 (31 जनवरी तक) के दौरान देश के विभिन्न भागों से 2910 शस्त्र/हथियार और 108330 गोला बारुद बरामद किए गए। बरामद हथियारों में पिस्तौल/रिवाल्वर, ए के-47/56/74 राइफल, एल०एम०जी०, एस०एल०आर०, राकेट बूस्टर, .303 राइफलें, स्निपर राइफलें, कारबाइन आदि शामिल हैं।

(च) आवश्यकता के आधार पर केन्द्रीय पुलिस बल उपलब्ध करवा कर, आई०आर० बटालियनों की मंजूरी करके, आसूचना का आदान-प्रदान करके, राज्य पुलिस बलों के आधुनिकीकरण की स्कीम (एम०पी०एफ०) के अन्तर्गत आधुनिक हथियारों, नवीनतम दूरसंचार उपकरण, विशेष शाखाओं और अन्य आधारभूत ढांचे के सुदृढ़ीकरण के संदर्भ में राज्य पुलिस बलों के आधुनिकीकरण के लिए धन उपलब्ध करवा कर तथा जम्मू और कश्मीर, पूर्वोत्तर और नक्सल प्रभावित राज्यों को सुरक्षा संबंधी व्यय स्कीम (एस०आर०ई०) की क्षतिपूर्ति करके सरकार, राज्यों को सहायता उपलब्ध करवाती है। एम०पी०एफ० स्कीम के अंतर्गत 8 राज्यों अर्थात् जम्मू और कश्मीर तथा 7 पूर्वोत्तर राज्यों को सरकार द्वारा पूरी सहायता उपलब्ध करवायी जाती है तथा बाकी राज्यों को 75% बजटीय सहायता प्रदान की जाती है। 2006-07 के दौरान, एम०पी०एफ० स्कीम के अंतर्गत 31.1.2007 तक विभिन्न राज्यों को 775 करोड़ रुपए की राशि जारी की गई है।

(छ) सरकार आतंकवादी गतिविधियों से निपटने के लिए बहु-आयामी दृष्टिकोण अपनाती है। सरकार द्वारा किए गए उपायों में शामिल हैं :– घुसपैठ की रोकथाम के लिए सीमा प्रबंधन को सुदृढ़ करना, आसूचना तंत्र को प्रेरित करना, केन्द्र और राज्यों दोनों में सुरक्षाबलों के लिए उन्नत प्रौद्योगिकी, हथियार और उपकरण सुनिश्चित करना, आसूचना आधारित सुसमन्वित आतंकवाद विरोधी अभियान चलाना। इसके अलावा आतंकवाद के सार्वभौमिक परिप्रेक्ष्य को हल करने के लिए द्विपक्षीय और बहुपक्षीय सहयोग को प्राप्त करने के लिए भी कदम उठाए गए हैं।

[अनुवाद]

नक्सलवादी गतिविधियां

***23. श्री रायापति सांबासिवा राव :**
श्री हंसराज ग. अहीर :

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश भर में नक्सलवादी हिंसा में वृद्धि हो रही है;

(ख) यदि हां, तो वर्ष 2006 और 2007 के दौरान आज तक दर्ज की गई ऐसी घटनाओं का राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) ऐसे प्रत्येक आक्रमण में कितने सुरक्षा कर्मियों, आम नागरिकों और नक्सलवादियों की मृत्यु हुई/घायल हुए;

(घ) क्या नक्सलवादियों के पास नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में तैनात सुरक्षा बलों की तुलना में अधिक अत्याधुनिक हथियार हैं;

(ङ) यदि हां, तो विभिन्न राज्यों से जब्त किए गए सामान का ब्यौरा क्या है;

(च) क्या सरकार ने नक्सलवादियों की ऐसी गतिविधियों पर अंकुश लगाने के लिए तंत्र विकसित करने के लिए एक अधिकार प्राप्त मंत्री समूह का गठन किया है;

(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ज) विभिन्न नक्सलवादी संगठनों के साथ अभी तक हुई बात-चीत का ब्यौरा क्या है; और

(झ) देश में नक्सलवादी गतिविधियों पर अंकुश लगाने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाए हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीप्रकाश जायसवाल) : (क) कुल मिलाकर, घटनाओं के संबंध में नक्सली हिंसा की मात्रा में वर्ष

2005 की तुलना में 2006 में 6.15% की कमी हुई है। वर्ष 2003 से 2006 तक और 31.1.2007 तक के दौरान राज्य-वार नक्सली हिंसा का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ख) और (ग) वर्ष 2006 और 2007 (31 जनवरी तक) के दौरान राज्य-वार घटनाओं के ब्यौरे तथा मारे गए सुरक्षा कार्मिक, सिविलियन और नक्सलवादियों की संख्या निम्नानुसार है :—

राज्य	2006				2007 (31.01.2007 तक)			
	घटनायें	मारे गए सुरक्षा कार्मिक	मारे गए सिविलियन	मारे गए नक्सलवादी	घटनायें	मारे गए सुरक्षा कार्मिक	मारे गए सिविलियन	मारे गए नक्सलवादी
आन्ध्र प्रदेश	183	10	37	133	12	—	5	7
बिहार	107	5	40	6	14	1	3	—
छत्तीसगढ़	715	84	304	74	41	8	12	14
झारखंड	310	43	81	20	37	—	5	—
उड़ीसा	44	4	5	14	6	1	—	—
महाराष्ट्र	98	3	39	19	8	—	1	—
मध्य प्रदेश	6	—	1	—	1	—	—	—
पश्चिम बंगाल	23	8	9	2	2	—	1	—
उत्तर प्रदेश	11	—	5	4	—	—	—	—
कर्नाटक	10	—	—	—	—	—	—	—
केरल	2	—	—	—	—	—	—	—

(घ) जी, नहीं।

(ङ) 2006 के दौरान, 584 सशस्त्र/हथियार जैसे कि एस०एल०आर०, स्टेनगन, .303 राइफल्स, डी०बी०बी०एल० गन, ग्रेनेड, बारुदी सुरंगे और डेटोनेटर नक्सलवादी गुटों से बरामद किए गए थे।

(च) और (छ) नक्सलवादी स्थिति की गहन निगरानी करने और समस्या के समाधान हेतु रणनीति तैयार करने के लिए एक अधिकार प्राप्त मंत्रियों के समूह (ई०जी०ओ०एम०) का गठन किया गया है। केन्द्रीय गृह मंत्री इसके अध्यक्ष हैं और इसमें वित्त, जनजातीय मामले, विधि एवं न्याय, ग्रामीण विकास, पंचायती राज और पर्यावरण एवं वन के केन्द्रीय मंत्रियों को शामिल किया गया है। योजना आयोग के उपाध्यक्ष को स्थाई आमंत्रिति और आंध्र प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड, महाराष्ट्र, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल राज्यों के मुख्यमंत्री विशेष आमंत्रिति हैं।

(ज) आन्ध्र प्रदेश सरकार और सी०पी०आई० (माओवादी) एवं सी०पी०एम०एल०-जे०एस०के०आर० एक शांति प्रक्रिया में सम्मिलित हुए और उन्होंने अक्तूबर, 2004 के दौरान वार्ता का एक दौर शुरू किया। इसके पश्चात्, नक्सलवादी नेतृत्व शांति वार्ता से एकतरफा पीछे हट गया। आन्ध्र प्रदेश में नक्सली गुटों से इसी तरह की शांति वार्ता के प्रयास 1995 और 2002 में भी किए गए थे।

(झ) राज्य के प्रयासों में सहायता करने के लिए, केन्द्रीय सरकार ने नक्सलवाद-रोधी ड्यूटी के लिए केन्द्रीय अर्ध सैनिक बलों की 33 बटालियनें तैनात की हैं, इंडिया रिजर्व की 29 बटालियने तैनात की हैं तथा आधुनिक हथियार, अद्यतन दूर संचार उपस्कर और अन्य आधारभूत संरचना के संबंध में वर्ष 2003-04 में 296 करोड़ रु०, 2004-05 में 459 करोड़ रु० 2005-06 में 506 करोड़ रु० और 2006-07 के दौरान 371 करोड़ रु० जारी किए हैं तथा नक्सल प्रभावित क्षेत्रों के लिए सुरक्षा संबंधी व्यय की स्कीम के अंतर्गत अब 219 करोड़ रु० की प्रतिपूर्ति भी की है।

विकास के पक्ष में, केन्द्र सरकार ने, नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में भौतिक एवं सामाजिक विकासों में जटिल समस्याओं को दूर करने के लिए पिछड़े जिलों की पहल (बी०डी०आई०) के तहत 2475 करोड़ रुपए प्रदान किए हैं। अब वह धन पिछड़ा क्षेत्र अनुदान राशि (बी०आर०जी०एफ०), स्कीम के तहत दिया जा रहा है।

विवरण

वर्ष 2003 से 2006 तक और वर्ष 2007 के दौरान (31 जनवरी तक) नक्सली हिंसा का राज्य-वार ब्यौरा

राज्य का नाम	2003		2004		2005		2006		2007 के दौरान 31.1.2007 तक (31.1.2006)*	
	घटनाएं	मृत्यु	घटनाएं	मृत्यु	घटनाएं	मृत्यु	घटनाएं	मृत्यु	घटनाएं	मृत्यु
आन्ध्र प्रदेश	577	577	310	74	535	208	183	47	12(11)	5(5)
बिहार	250	250	323	171	186	96	107	45	14(17)	4(3)
छत्तीसगढ़	256	256	352	83	385	168	715	388	41(46)	20(15)
झारखंड	342	342	379	169	312	119	310	124	37(32)	5(4)
मध्य प्रदेश	13	13	13	4	20	3	6	1	1(2)	–(-)
महाराष्ट्र	75	75	84	15	94	53	98	42	8(16)	1(3)
उड़ीसा	49	49	35	8	42	14	44	9	6(6)	1(-)
उत्तर प्रदेश	13	13	15	26	10	1	11	5	–	–
पश्चिम बंगाल	6	6	11	15	14	7	23	17	2(1)	1(-)
केरल	12	12	5	–	–	–	2	–	–(1)	–
कर्नाटक	4	4	6	1	8	8	10	–	–	–
हरियाणा	–	–	–	–	2	–	–	–	–	–
कुल	1597	1597	1533	566	1608	677	1509	678	121(132)	37(30)

*कोष्ठक में दिए गए आंकड़े 2006 की तदनुरुपी अवधि का ब्यौरा दर्शाते हैं।

यात्रा सम्बन्धी जाली दस्तावेज

*24. **श्री चंद्रकांत खैरे :** क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष देश के विभिन्न अन्तर्राष्ट्रीय विमान पत्तनों पर विमान पत्तन-वार कितने व्यक्तियों को नकली पासपोर्ट और अन्य जाली दस्तावेजों के आधार पर विदेश जाने का प्रयास करते हुए पकड़ा गया;

(ख) जाली दस्तावेजों के आधार पर इन व्यक्तियों को विदेश भेजने में कितने एजेंट संलिप्त पाए गए;

(ग) क्या सरकार ने ऐसे एजेंटों/व्यक्तियों के विरूद्ध कोई कार्यवाही की है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) देश में ऐसी गतिविधियों पर अंकुश लगाने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाए हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीप्रकाश जायसवाल) : (क) से (ङ) उपलब्ध सूचना के अनुसार, वर्ष 2004, 2005 और 2006 के दौरान मुख्य अंतर्राष्ट्रीय विमान पत्तनों पर नकली/जाली यात्रा दस्तावेजों के आधार पर विदेश जाने का प्रयास करते हुए पकड़े गए भारतीयों की संख्या क्रमशः 1702, 1608 और 1492 है।

उपलब्ध सूचनाओं के अनुसार विगत तीन वर्षों के दौरान नकल यात्रा दस्तावेजों के आधार पर 404 एजेंट शामिल पाए गए थे। जालसाजी/नकली यात्रा दस्तावेजों के सभी मामले संबंधित क्षेत्राधिकारिकता

वाली स्थानीय पुलिस को सूचित कर दिए है। ऐसे मामलों में संलिप्त पाए गए एजेंटों सहित सभी व्यक्तियों के खिलाफ आपराधिक मामले दर्ज किए गए हैं और कानून की संगत धाराओं के तहत कार्रवाई की गई है।

ऐसी गतिविधियों को रोकने हेतु सरकार द्वारा विभिन्न कदम उठाए गए है जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित शामिल है।

(i) सभी अंतर्राष्ट्रीय विमान पतनों पर मैगनिफाइंग ग्लासिस और अल्ट्रा वाइलिट लैम्प का प्रयोग; (ii) ज्यादा सुरक्षित मशीनी जांच के लिए सुलभ पासपोर्ट जारी करना; (iii) सभी प्रमुख अन्तर्राष्ट्रीय विमानपतनों में पासपोर्ट रीडिंग मशीने (पी०आर०एम०) और क्वेसचनेबल डॉक्यूमेंट एग्जामिनर (क्यू डी एक्स) स्थापित करना; और (iv) जाली/नकली यात्रा दस्तावेजों का पता लगाने के लिए आप्रवासन अधिकारियों को विशेष प्रशिक्षण देना।

पुनर्वास नीति

*25. **श्री प्रबोध पाण्डा :**
श्री रामदास आठवले :

क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार और अधिक विशेष आर्थिक क्षेत्रों (एस०ई०जेड०) की स्थापना करने का है;

(ख) यदि हां, तो चालू वर्ष के दौरान प्राप्त प्रस्तावों का राज्य-वार और क्षेत्र-ववार बयौरा क्या है;

(ग) क्या देश में विशेष आर्थिक क्षेत्रों (एस०ई०जेड०) की स्थापना के लिए कृषि भूमि के अधिग्रहण के विरूद्ध विरोध प्रकट किए गए हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या सरकार ने एस०ई०जेड० अधिनियम और एस०ई०जेड० नियमावली, 2005 के क्रियान्वयन से जुड़े मुद्दों पर विचार करने के लिए विशेष आर्थिक क्षेत्रों के बारे में मंत्रियों के एक अधिकार प्राप्त समूह का गठन किया है;

(च) यदि हां, तो समूह द्वारा की गई प्रमुख टिप्पणियों/सिफारिशों का ब्यौरा क्या है;

(छ) क्या सरकार ने उन किसानों के लिए नई पुनर्वास नीति के संबंध में कोई निर्णय लिया है जिनकी भूमि का विशेष आर्थिक क्षेत्रों और अन्य औद्योगिक परियोजनाओं के लिए अधिग्रहण किया जा रहा है;

(ज) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(झ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं और किसनों के हितों का संरक्षण करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

वाणिज्य और उद्योग मंत्री (श्री कमल नाथ) : (क) और (ख) विशेष आर्थिक जोनों (एस०ई०जेड०) की स्थापना हेतु प्रस्ताव राज्य सरकारों, राज्य सरकार के उद्यमों, निजी उद्यमियों तथा संयुक्त उद्यमों से प्राप्त होते हैं। 10 फरवरी, 2006 (जब विशेष आर्थिक जोन अधिनियम, 2005 तथा विशेष आर्थिक जोन नियम, 2006 लागू किए गए थे) के बाद एस०ई०जेडों० की स्थापना हेतु प्राप्त हुए प्रस्तावों का राज्य-वार ब्यौरा निम्नानुसार है :—

क्र० सं०	राज्य/संघ शासित क्षेत्र का नाम	एसईजेड अधिनियम, 2005 के अंतर्गत अधिसूचित एसईजेड	औपचारिक अनुमोदन जिन्हें अभी अधिसूचित किया जाना है	सिद्धान्ततः अनुमोदन	अनुमोदन हेतु लम्बित प्रस्तावों की संख्या
1	2	3	4	5	6
1.	आंध्र प्रदेश	15	29	09	22
2.	असम	—	—	—	01
3.	बिहार	—	—	—	01
4.	चंडीगढ़	1	01	—	—
5.	छत्तीसगढ़	—	—	02	02
6.	दादरा एवं नागर हवेली	—	—	01	—
7.	दिल्ली	—	01	—	04
8.	गोआ	—	04	—	12
9.	गुजरात	6	13	10	24
10.	हरियाणा	2	17	27	25
11.	हिमाचल प्रदेश	—	—	03	02
12.	झारखण्ड	1	—	—	02
13.	कर्नाटक	10	17	17	41
14.	केरल	5	05	02	07
15.	मध्य प्रदेश	2	02	06	10

1	2	3	4	5	6
16.	महाराष्ट्र	7	40	25	64
17.	उड़ीसा	—	05	08	05
18.	पुड्डुचेरी	—	01	—	—
19.	पंजाब	1	03	07	04
20.	राजस्थान	—	03	08	07
21.	तमिलनाडु	9	16	12	38
22.	उत्तरांचल	—	03	01	01
23.	उत्तर प्रदेश	3	05	10	24
24.	पश्चिम बंगाल	1	06	14	26
	कुल	63	171	162	322

(ग) और (घ) उपलब्ध सूचना के अनुसार पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र में राज्य सरकार द्वारा एस०ई०जेडों० की स्थापना हेतु भूमि के अधिग्रहण के खिलाफ किसानों द्वारा विरोध किए जाने के कुछ मामलों की सूचना दी गई है। अन्य राज्यों से किसी विरोध की सूचना नहीं मिली है।

(ङ) और (च) एस०ई०जेडों० से संबंधित ऐसे मुद्दों, जिन पर अनुमोदन बोर्ड में सर्वसम्मति नहीं बनी है, पर विचार करने और ऐसे नीतिगत निर्देशों, जिन्हें एस०ई०जेड० अधिनियम और उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों के कारगर कार्यान्वयन हेतु आवश्यक समझा जाए, को अंतिम रूप प्रदान करने के लिए एक अधिकार प्राप्त मंत्रि समूह (ई०जी०ओ०एम०) का गठन किया गया था। ई०जी०ओ०एम० के निर्देशों के आधार पर विशेष आर्थिक जोन (संशोधन) नियम, 2006 को सा० का० नि० संख्या 470 (अ) के तहत 10 अगस्त, 2006 को भारत के राजपत्र, असाधारण में अधिसूचित किया गया था। इन्हें 28 नवम्बर, 2006 को लोक सभा के पटल पर रख दिया गया था। वामपंथी दलों, भाजपा तथा कांग्रेस द्वारा उठाए गए अन्य मुद्दों को ई०जी०ओ०एम० के समक्ष रखा गया है।

(छ) और (ज) ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा न्यूनतम विस्थापन तथा जहां तक संभव हो, अविस्थापन अथवा अल्पतम विस्थापन संबंधी विकल्पों का संवर्धन करने, विस्थापित व्यक्तियों की सक्रिय भागीदारी से उचित पुनर्वास पैकेज एवं पुनर्वास प्रक्रिया का शीघ्र कार्यान्वयन सुनिश्चित करने की दृष्टि से एक संशोधित राष्ट्रीय पुनर्वास नीति इस समय तैयार की जा रही है। जैसे ही नई नीति कार्यान्वित हो जाएगी, यह एस०ई०जेडों० सहित औद्योगिक परियोजनाओं के लिए भूमि के अधिग्रहण पर लागू हो जाएगी।

[हिन्दी]

विदेशी प्रत्यक्ष निवेश

***26. प्रो० महादेवराव शिवनकर :**
डा० राजेश मिश्रा :

क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार देश में विदेशी शिक्षण संस्थाओं की स्थापना करने के लिए शत-प्रतिशत विदेशी प्रत्यक्ष निवेश (एफ०डी०आई०) की स्वीकृति देने के लिए कोई योजना तैयार करने का है;

(ख) यदि हां, तो विदेशी प्रत्यक्ष निवेश की सहायता से आरम्भ किए गए उच्च शिक्षण संस्थाओं का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या उक्त संस्थाओं ने अपने आवेदन सरकार को प्रस्तुत कर दिये हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या उक्त संस्थाओं द्वारा प्रदान की जा रही शिक्षा की गुणवत्ता का अनुवीक्षण किया जा रहा है जैसाकि दिनांक 07 फरवरी, 2007 के 'दैनिक जागरण' में समाचार प्रकाशित हुआ है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री अर्जुन सिंह) : (क) से (च) शिक्षा क्षेत्र के लिए कोई अलग क्षेत्रीय नीति अधिसूचित नहीं की गई है। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के दिनांक 11 फरवरी, 2000 के प्रेस नोट 2 (2000 श्रृंखला) के आधार पर सरकार ने शिक्षा के क्षेत्र में स्वाचालित मार्ग से शत-प्रतिशत तक के विदेशी प्रत्यक्ष निवेश की अनुमति दे दी है। उच्चतर शिक्षा संस्थाओं की स्थापना के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अथवा अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद द्वारा कोई अनुमति प्रदान नहीं की गई है, और विदेशी प्रत्यक्ष निवेश की सहायता से ऐसी संस्थाएं शुरू करने के लिए कोई आवेदन प्राप्त नहीं हुए हैं।

अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद ने "भारत में तकनीकी शिक्षा प्रदान कर रहे विदेशी विश्वविद्यालयों/संस्थाओं के प्रवेश और संचालन के विनियम" जारी किए हैं।

[अनुवाद]

प्राकृतिक आपदाओं के समय भोजन संबंधी आवश्यकताएं

***27. श्री सर्वे सत्यनारायण :** क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार प्राकृतिक आपदाओं जैसे बाढ़ एवं सुनामी जैसी परिस्थितियों में भोजन सम्बन्धी आवश्यकताओं तथा अन्य प्रबंधन संबंधी व्यवस्थाओं को पूरा कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) ऐसे समय में किन दिशा-निर्देशों का पालन किया जाता है;

(घ) क्या स्थानीय प्रशासन अल्प अवधि में अपनी इन आवश्यकताओं को प्राय: आकलन नहीं कर पाता है;

(ङ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(च) ऐसी परिस्थितियों से निपटने के लिए स्थानीय प्रशासन को प्रशिक्षित करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस० रघुपति) : (क) से (च) बाढ़ और सुनामी सहित कोई भी प्राकृतिक आपदा आने पर राहत और पुनर्वास के उपाय करने की मुख्य जिम्मेदारी राज्य सरकारों की है। स्थल पर राहत वितरित करने की जिम्मेदारी संबंधित राज्य सरकार की है। भारत सरकार, आवश्यक संभारकी और वित्तीय सहायता प्रदान करने में राज्य सरकारों के प्रयासों को पूरा करती है जिसमें, जहां कहीं आवश्यक हो वहां मुख्य रूप से आपदा राहत निधि (सी०आर०एफ०) और राष्ट्रीय आपदा आकस्मिकता निधि (एन०सी० सी०एफ०) के तहत अतिरिक्त खाद्यान्नों का प्रावधान करना भी शामिल है।

2. बड़ी आपदा आने पर भारत सरकार द्वारा राज्य सरकारों को प्रदान की गई संभारकी सहायता में अन्य बातों के साथ-साथ ये शामिल हैं :— (i) बचाव और राहत अभियानों में प्रभावित राज्यों की सहायता करने के लिए वायु सेना के हेलीकाप्टरों, सेना और नौ सेना की नावों और सेना की टुकड़ियों और अर्द्ध-सैनिक बलों की तैनाती, (ii) जल-जनित बीमारियों और महामारी को फैलने से रोकने के लिए दवाईयों और औषधियों, ब्लीचिंग पावडर, क्लोरीन की गोलियों, ओ.आर.एस. पैकेटों आदि के अपेक्षित स्टॉकों की आपूर्ति, (iii) खाद्यान्नों और पैट्रोलियम उत्पादों सहित आवश्यक वस्तुओं के अतिरिक्त स्टॉकों का प्रावधान और (iv) प्रभावित क्षेत्रों में राहत पहुंचाने के लिए संबंधित मंत्रालयों/विभागों/एजेंसियों द्वारा प्राथमिकता के आधार पर क्षतिग्रस्त आधारभूति ढांचे की तत्काल मरम्मत और बहाली करना।

3. प्राकृतिक आपदायें आने पर आपदा राहत नीधि (सी०आर०एफ०) और राष्ट्रीय आपदा आकस्मिकता निधि (एन०सी०सी०एफ०) योजनाओं के तहत वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। भारत सरकार द्वारा अनुमोदित मदों और मानदंडों के अनुसार इन योजनाओं के तहत सहायता प्रदान की जाती है।

4. प्रत्येक राज्य के लिए एक आपदा राहत निधि (सी०आर०एफ०) का गठन किया गया है जिसमें 75:25 के अनुपात में केन्द्र सरकार और राज्य सरकार द्वारा योगदान किया जाता है। केन्द्र का योगदान दो समान किस्तों में जारी किया जाता है — पहली किस्त जून में और दूसरी दिसम्बर में जारी की जाती है। भारत सरकार द्वारा अनुमोदित मदों और मानदंडों के अनुसार मुख्य सचिव की अध्यक्षता वाली राज्य स्तरीय समिति को सी०आर०एफ० के व्यय करने का पूर्ण अधिकार प्राप्त है। भयानक प्राकृतिक आपदा आने पर राज्य के सी०आर०एफ० खाते में उपलब्ध शेष राशि से अधिक राशि की जरूरत होने पर स्थापित प्रक्रिया का पालन करने के बाद राष्ट्रीय आपदा आकस्मिकता निधि (एन०सी०सी०एफ०) से अतिरिक्त वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।

5. वर्तमान मदों और मानदंडों में नकदी और खाद्यान्न के रूप में सहायता प्रदान की जाती है जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ ये शामिल हैं : (i) मृतक व्यक्ति के परिवारों, शारीरिक अंग या आंखों को नुकसान होने या घायल होने पर अनुग्रह राशि का भुगतान करना (ii) वृद्ध, अशक्त, गरीब व्यक्तियों और बच्चों को राहत प्रदान करना, (iii) आपदा के बाद तत्काल निर्वाह के लिए जिन परिवारों को अत्यधिक जरूरत हो और जिन परिवारों के पास तत्काल सहायता का कोई अन्य साधन न हो उन्हें अनुग्रह राहत प्रदान करना, (iv) प्रभावित बच्चों को अनुपूरक पोषाहार के लिए सहायता (v) गाद और मलवा हटाने के लिए प्रभावित किसानों को सहायता प्रदान करना, क्षतिग्रस्त फसलों, कृषि योग्य जमीन को नुकसान पहुंचने पर कृषि निविष्टि आर्थिक सहायता प्रदान करना, (vi) राहत रोजगार उत्पन्न करना, (vii) दुधारु/दूध न देने वाले मवेशियों को बदलने, मवेशी शिविरों में चारे और जल आपूर्ति की व्यवस्था करना, पशु चिकित्सा का प्रावधान करने के लिए किसानों/कृषि मजदूरों की सहायता करना, (viii) क्षतिग्रस्त मकानों की मरम्मत/बहाली करना, (ix) प्रभावित/हटाए गए लोगों को अस्थाई आवास, भोजन, कपड़े, चिकित्सा सुविधा आदि प्रदान करना (x) महामारी रोकने के लिए दवाइयों, संक्रमण रोधी दवाइयों और कीटनाशकों का प्रावधान करना और (xi) तात्कालिक स्वरूप के क्षतिग्रस्त आधारभूत ढांचे की मरम्मत/बहाली करना।

6. राज्यों को मुख्य रूप से निम्नलिखित के लिए खाद्यान्नों की जरूरत होती है : (i) तत्काल निर्वाह के लिए अत्यधिक जरूरत वाले परिवारों को राहत प्रदान करना, (ii) राहत शिविर चलाना और (iii) राहत रोजगार उत्पन्न करने के तहत मजदूरी संघटक का एक भाग। राज्य सरकारों को पहली दो श्रेणियों के लिए यथास्थिति सी०आर०एफ० या एन०सी०सी०एफ० में से स्वंय ही खाद्यान्नों की व्यवस्था करनी होगी जब कि राहत रोजगार उत्पन्न करने के लिए भारत सरकार द्वारा संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना (एस०जी०आर०वाई०) के विशेष संघटक से अतिरिक्त खाद्यान्न आवंटित किए जाते हैं।

7. वर्ष 2006-07 के दौरान सी०आर०एफ० से आवंटन और जारी राशियां तथा एन०सी०सी०एफ० से जारी राशियों को दर्शाने वाला एक ब्यौरा संलग्न विवरण-I में दिया गया है।

8. प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित क्षेत्रों में राहत रोजगार के लिए वर्ष 2006-07 के दौरान एस०जी०आर०वाई० के विशेष संघटक के तहत खाद्यान्नों के आवंटन को दर्शाने वाला एक ब्यौरा संलग्न विवरण-II में दिया गया है।

9. सी०आर०एफ०/एन०सी०सी०एफ० योजनाओं में केवल प्राकृतिक आपदाओं के शिकार लोगों को तत्काल राहत प्रदान करने और तात्कालिक स्वरूप के क्षतिग्रस्त आधारभूत ढांचे की मरम्मत करने/बहाली के व्यय का प्रावधान है। सुनामी आने पर, जिसके कारण आधारभूत ढांचे को अत्यधिक नुकसान हुआ था, योजना आयोग ने दीर्घकालीन पुर्नवास और पुनर्निर्माण के लिए प्रभावित राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों की जरूरतों का आकलन करने के लिए एक कोर ग्रुप का गठन किया था। कोर ग्रुप की सिफारिशों के आधार पर सरकार ने 4 वर्ष की अवधि में कार्यान्वित किए जाने के लिए (2005-2009) 9870.25 करोड़ रुपए के कुल परिव्यय के साथ सुनामी पुनर्निर्माण कार्यक्रम (टी०आर०पी०) का अनुमोदन किया है। कोर ग्रुप के आधार पर भारत सरकार ने उपाध्यक्ष, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (एन०डी०एम०ए०) की अध्यक्षता में 2006 में एक अंतर-मंत्रालयी समिति (आई०एम०सी०) का गठन किया है ताकि गंभीर आपदाओं में क्षतिग्रस्त आधारभूत ढांचे के दीर्घकीन पुर्नवास और पुनर्निर्माण के लिए राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों को प्रदान की जाने वाली वित्तीय सहायता का आकलन किया जा सके। उच्च स्तरीय समिति ने आई०एम०सी० द्वारा की गई सिफारिशों पर विचार किया है और केन्द्रीय मंत्रिमंडल के अनुमोदन के लिए सहायता की मात्रा की सिफारिश की है।

10. प्राकृतिक आपदायें आने पर विभिन्न सेक्टरों के तहत क्षति और अपेक्षित सहायता का आकलन, मूल स्तर पर सर्वेक्षण करने के बाद, संबंधित राज्य सरकारों के संबंधित विभागों/संगठनों द्वारा किया जाता है। राज्य सरकारें, ज्ञापन के रूप में क्षति का मद-वार आकलन और आवश्यक निधियां प्रस्तुत करती हैं जिसमें केन्द्रीय सहायता मांगी जाती है।

11. राज्यों की आवश्यकताओं का आकलन करने के लिए उनकी क्षमता में कमी होने के संबंध में कोई रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई है।

12. राज्य सरकारें, राहत कार्यों से जुड़े कर्मचारियों सहित अपने प्रशासनिक तंत्र के कर्मचारियों को अपने प्रशासनिक प्रशिक्षण संस्थानों में प्रशिक्षण प्रदान करती हैं। इसके अतिरिक्त, राज्य सरकारों द्वारा नामित अधिकारियों को राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान द्वारा भी प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है। भारत सरकार, आपदा प्रबंधन के विभिन्न पहलुओं में सरकारी पदाधिकारियों को प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए राज्य प्रशासनिक प्रशिक्षण संस्थानों को वित्तीय सहायता प्रदान करती है।

विवरण-I

वर्ष 2006-07 के दौरान सी०आर०एफ० और एन०सी० सी०एफ० से जारी की गई राज्य-वार राशियों का ब्यौरा

(करोड़ रुपए)

क्रम संख्या	राज्य	सी.आर.एफ. के तहत आवंटन	जारी की गई सी.आर.एफ. की राशि में केन्द्र का हिस्सा	एन.सी.सी.एफ. के तहत जारी की गई राशि
1	2	3	4	5
1.	आन्ध्र प्रदेश	361.28	335.48	203.06
2.	अरूणाचल प्रदेश	29.12	21.84	44.38
3.	असम	198.62	221.37	0.00
4.	बिहार	153.23	0.00*	0.00
5.	छत्तीसगढ़	114.98	150.33	0.00
6.	गोवा	2.21	1.62	0.00
7.	गुजरात	258.30	246.87	545.69
8.	हरियाणा	130.60	107.28	0.00
9.	हिमाचल प्रदेश	103.60	77.70	25.14
10.	जम्मू और कश्मीर	88.96	33.36	0.00
11.	झारखंड	129.71	48.64	0.00
12.	कर्नाटक	120.39	113.98	384.97
13.	केरल	89.77	67.33	0.00
14.	मध्य प्रदेश	261.58	246.67	30.85
15.	महाराष्ट्र	234.05	220.00	589.90
16.	मणिपुर	5.72	0.00*	0.00
17.	मेघालय	11.61	12.95	0.00
18.	मिजोरम	6.77	5.01	0.00
19.	नागालैंड	3.94	0.00*	0.81
20.	उड़ीसा	310.24	291.34	25.00
21.	पंजाब	153.33	112.26	0.00

1	2	3	4	5
22.	राजस्थान	436.42	413.66	100.00
23.	सिक्किम	18.04	0.00*	5.20
24.	तमिलनाडु	219.53	0.00*	0.00
25.	त्रिपुरा	13.22	14.60#	0.00
26.	उत्तर प्रदेश	304.48	228.36	0.00
27.	उत्तरांचल	96.59	36.22	7.06
28.	पश्चिम बंगाल	241.50	0.00*	0.00
	कुल	4097.79	3006.86@	1962.06

*पहले जारी की गई निधियों को जमा करने, उपयोग प्रमाण पत्र से संबंधित सूचना और वार्षिक रिपोर्ट न मिलने के कारण सी०आर०एफ० में केन्द्र का हिस्सा जारी नहीं किया गया।

#इसमें वर्ष 2005-06 के लिए 9.64 करोड़ रुपए की 1 और 2 किस्तें शामिल हैं।

@इसमें 403.495 करोड़ रुपए की राशि शामिल है (वर्ष 2007-08 के लिए 2006-07 के दौरान केन्द्र का लगभग 25% हिस्सा पहले ही जारी किया गया है)।

विवरण-II

बाढ़/ओलावृष्टि/सूखा आदि में राहत रोजगार के लिए एस०जी०आर०वाई० के विशेष संघटक के तहत 2006-07 के दौरान खाद्यान्नों के अनुमोदित आवंटन

क्रम संख्या	राज्य का नाम		खाद्यान्न की मात्रा
1	2		3
चक्रवात/बाढ़/भूस्खलन आदि			
(क)	आन्ध्र प्रदेश	:	35504 मी०टन खाद्यान्न
(ख)	छत्तीसगढ़		3511 मी०टन खाद्यान्न
(ग)	कर्नाटक		17100 मी०टन खाद्यान्न
(घ)	मध्य प्रदेश	:	15000 मी०टन खाद्यान्न
(ङ)	महाराष्ट्र	:	39310 मी०टन खाद्यान्न
(च)	उड़ीसा	:	1.87 लाख मी०टन खाद्यान्न
(छ)	राजस्थान	:	60400 मी०टन खाद्यान्न
ओला वृष्टि			
	मध्य प्रदेश	:	45000 मी०टन खाद्यान्न
सूखा			
(क)	कर्नाटक	:	1.00 लाख मी०टन खाद्यान्न*
(ख)	राजस्थान		2.00 लाख मी०टन खाद्यान्न
(ग)	उत्तराखंड	:	10000 मी०टन खाद्यान्न

*एच०एल०सी० ने एस०जी०आर०वाई० के विशेष संघटक के तहत 1.00 लाख मी० टन चावल जारी करने का अनुमोदन किया है जिसमें राज्य को पहले ही जारी किया गया 50,000 मी० टन खाद्यान्न शामिल है।

रुग्ण उद्योग

*28. **श्री जी० करुणाकर रेड्डी :** क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में औद्योगिक रुग्णता का वर्तमान स्तर कितना है;

(ख) औद्योगिक रुग्णता के कारणों का पता लगाने तथा समयबद्ध तरीके से उनके पुनरुद्धार हेतु क्या कदम उठाए जा रहे हैं/उठाए जाने का प्रस्ताव है;

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान प्रतिवर्ष औद्योगिक एवं वित्तीय पुनर्गठन बोर्ड (बी०आई०एफ०आर०) को कितने मामले सौंपे गए हैं तथा औद्योगिक एवं वित्तीय पुनर्गठन बोर्ड द्वारा पुनरुद्धार हेतु राज्य-वार कितने उद्योगों की सिफारिश की गई है; और

(घ) गत तीन वर्षों के दौरान प्रतिवर्ष राज्य-वार कितने रुग्ण उद्योगों का पुनरुद्धार किया गया?

वाणिज्य और उद्योग मंत्री (श्री कमल नाथ) : (क) और (ख) औद्योगिक तथा वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड (बी०आई०एफ०आर०) सार्वजनिक तथा निजी क्षेत्रों के उद्योगों का रिकार्ड रखता है जो रुग्ण औद्योगिक कंपनी (विशिष्ट उपबंध) अधिनियम, 1985 (एस०आई०सी०ए०) के उपबंधों के तहत बी०आई०एफ०आर० के पास अपने आपको पंजीकृत करवाते हैं। बी०आई०एफ०आर० से प्राप्त सूचना के अनुसार पिछले तीन वर्षों के दौरान उनके पास 697 मामले दर्ज किये गये थे। इसके अलावा, बी०आई०एफ०आर० के अनुसार रुग्ण औद्योगिक कंपनियां सरकारी नीतियों में परिवर्तन, प्रबंधकीय समस्याओं, उत्पादन तथा तकनीकी समस्याओं, विपणन समस्याओं, वित्तीय समस्याओं,

पर्याप्त अवसंरचनात्मक सुविधाओं की कमी, वित्तीय संस्थानों तथा बैंकों द्वारा आवधिक ऋण की मंजूरी तथा वितरण में विलंब तथा उच्च ब्याज लागत बोर्ड के पास पंजीकरण के समय औद्योगिक रुग्णता/बन्द होने के कारणों के रूप में उत्तरदायी हैं।

उद्योगों के विकास को सुविधाजनक बनाने तथा तेजी लाने के लिए नीतिगत व्यवस्था प्रदान करने के अलावा रुग्ण औद्योगिक इकाइयों के पुनरुज्जीवन के लिए किये गये उपायों में अन्य बातों के साथ-साथ औद्योगिक तथा वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड (बी०आई०एफ०आर०) की स्थापना करना तथा भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा बैंकों को वित्तीय सहायता के लिए दिशा-निर्देश जारी करना; रुग्ण इकाइयों का स्वस्थ इकाइयों के साथ समामेलन करना शामिल है। बी०आई०एफ०आर० के पास पंजीकृत इकाइयों के पुनरुज्जीवन के लिए जहां कहीं संभव होता है पुनर्वास योजनाएं स्वीकृत की जाती हैं जिनमें अन्य बातों के साथ-साथ पूंजी का पुनःनिर्माण, प्रवर्तकों द्वारा नयी निधियों को लगाना, सार्वजनिक क्षेत्र के एककों के लिए सरकारी सहायता, अन्य कंपनियों के साथ विलय, वित्तीय संस्थानों, बैंकों तथा सरकार द्वारा बकाया देनकारी का पुनः निर्धारण करके छूट तथा रियायतों को प्रदान करना तथा प्रबंधन में परिवर्तन सम्मिलित है।

(ग) और (घ) बी०आई०एफ०आर० से प्राप्त सूचना के अनुसार वर्ष 2004, 2005 तथा 2006 के दौरान उनके पास पंजीकृत किये गये मामलों की संख्या क्रमशः 399, 180 तथा 118 है। उसी अवधि के दौरान 129 मामले पुनरुज्जीवन के लिए संस्तुतित किये गये थे। पुनरुज्जीवन के लिए संस्तुलित किये गये मामलों की राज्यवार सूची विवरण-I के रूप में दी गई है पिछले तीन वर्ष के दौरान 228 रुग्ण औद्योगिक इकाइयों को पुनरुज्जीवित किया गया था। पुनरुज्जीवित की गई औद्योगिक इकाइयों की राज्यवार सूची विवरण-II के रूप में दी गई हैं।

विवरण-I

01 जनवरी, 2004 से 31 दिसम्बर, 2006 तक के दौरान बी०आई०एफ०आर० द्वारा संस्तुतित मामलों की राज्य-वार सूची

क्र० सं०	राज्य/संघ शासित प्रदेश	एककों की संख्या		
		2004	2005	2006
1	2	3	4	5
1.	आंध्र प्रदेश	2	1	3
2.	दिल्ली	6	1	5
3.	गुजरात	3	6	3
4.	हरियाणा	–	1	–
5.	हिमाचल प्रदेश	–	–	1
6.	जम्मू तथा कश्मीर	–	1	–
7.	झारखण्ड	2	–	–
8.	कर्नाटक	–	5	5
9.	केरल	1	4	–
10.	मध्य प्रदेश	–	2	5
11.	महाराष्ट्र	13	3	9
12.	उड़ीसा	–	1	–
13.	पंजाब	2	1	2
14.	राजस्थान	–	3	2
15.	तमिलनाडु	1	7	5
16.	उत्तर प्रदेश	5	6	2
17.	पश्चिम बंगाल	3	2	5
	कुल	38	44	47

विवरण-II

01 जनवरी, 2004 से 31 दिसम्बर, 2006 तक के दौरान बी०आई०एफ०आर० द्वारा संस्तुतित मामलों की राज्य-वार सूची

क्र० सं०	राज्य/संघ शासित प्रदेश	एककों की संख्या		
		2004	2005	2006
1	2	3	4	5
1.	आंध्र प्रदेश	3	6	11
2.	असम	–	–	1
3.	छत्तीसगढ़	1	1	–
4.	दिल्ली	–	6	10
5.	गोवा	1	–	2
6.	गुजरात	3	6	11
7.	हरियाणा	3	1	3

1	2	3	4	5
8.	हिमाचल प्रदेश	—	—	2
9.	झारखण्ड	—	—	1
10.	कर्नाटक	2	5	9
11.	केरल	1	3	3
12.	मध्य प्रदेश	1	2	—
13.	महाराष्ट्र	5	21	22
14.	उड़ीसा	—	1	2
15.	पांडिचेरी	1	1	—
16.	पंजाब	1	4	7
17.	राजस्थान	2	4	3
18.	तमिलनाडु	2	6	19
19.	उत्तरांचल	1	—	3
20.	उत्तर प्रदेश	—	5	4
21.	पश्चिम बंगाल	2	4	10
	कुल	27	76	123

पारंपरिक उद्योगों का पुनरुद्धार कार्यक्रम

*29. **श्री एन०एस०वी० चित्तन : क्या कृषि एवं ग्रामीण उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्ष 1999-2000 के दौरान राष्ट्रीय ग्रामीण औद्योगिकरण कार्यक्रम (एन०पी०आर०आई०) हेतु एक योजना बनाई गई थी;

(ख) यदि हां, तो इस योजना की प्रमुख विशेषताएं क्या हैं;

(ग) क्या उक्त योजना अब हाल ही में शुरू की गई "पारंपरिक उद्योगों के पुनरुद्धार हेतु निधि संबंधी योजना (एस०एफ०यू०आर०टी०आई०)" में समाहित कर ली गई है;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ङ) राज्यों में, विशेषकर तमिलनाडु में एस०एफ०यू०आर०टी०आई० के तहत ग्रामीण उद्योगों के विकास के लिए ग्रामीण बस्तियों के अन्तर्गत चिन्हित परियोजनाओं का राज्य-वार ब्यौरा और उनकी वर्तमान स्थिति क्या है; और

(च) गत तीन वर्षों में से प्रत्येक वर्ष के दौरान प्रत्येक परियोजना के लिए मंजूर/आवंटित और व्यय की गई धनराशि का राज्य-वार एवं परियोजना-वार ब्यौरा क्या है?

लघु उद्योग मंत्री तथा कृषि एवं ग्रामीण उद्योग मंत्री (श्री महावीर प्रसाद) : (क) और (ख) जी, हां। तत्कालीन वित्त मंत्री द्वारा वर्ष 1999-2000 के अपने बजट भाषण में की गई घोषणा के अनुसार ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए देश में प्रत्येक वर्ष 100 ग्रामीण औद्योगिक क्लस्टर की स्थापना हेतु राष्ट्रीय ग्रामीण औद्योगीकरण कार्यक्रम वर्ष 2001-02 में प्रारंभ किया गया था। इस कार्यक्रम में डाइग्नोस्टिक स्टडी, आधुनिक औजारों और किट तथा अन्य तकनीकी निविष्टियों के प्रदर्शन और विकास, गैर-सरकारी संगठन/क्लस्टर एजेन्ट के प्रशिक्षण और सुदृढ़ीकरण, साझा सुविधा केन्द्रों की स्थापना, चयनित क्लस्टरों के विकास के लिए सेमिनार, कार्यशालाएं, प्रशिक्षण कार्यक्रम आदि आयोजित करने के लिए प्रति ग्रामीण औद्योगिक क्लस्टर को 5.00 लाख रुपये तक की सहायता प्रदान करने की व्यवस्था है।

(ग) और (घ) जी, हां। "पारंपरिक उद्योगों के पुनरुद्धार हेतु निधि संबंधी योजना (स्फूर्ति)" तैयार करते समय वित्त मंत्रालय और योजना आयोग ने भी सुझाव दिया था कि "प्रयासों, संसाधनों और उत्तरदायित्व की पुनरावृत्ति से बचने के लिए समान उद्देश्यों वाली योजनाओं का नई योजनाओं के साथ विलय करने का प्रस्ताव किया जाना चाहिए"। पारंपरिक उद्योगों को अधिक उत्पादक और प्रति-स्पर्धी बनाने तथा देश के ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अवसर बढ़ाने की दृष्टि से क्लस्टरों के विकास के लिए स्फूर्ति के व्यापक, संपूर्ण तथा सफल संचालन पर विचार करते हुए तथा वित्त मंत्रालय और योजना आयोग द्वारा दिए गए सुझाव के अनुसार वर्ष 2005 में राष्ट्रीय ग्रामीण औद्योगीकरण कार्यक्रम योजना का स्फूर्ति में विलय कर दिया गया।

(ङ) देश के सभी राज्यों को शामिल करते हुए, स्फूर्ति के अधीन खादी, ग्रामोद्योग और कयर के 104 क्लस्टर अनुमोदित किए गए हैं। तमिलनाडु राज्य सहित स्फूर्ति के अधीन अनुमोदित क्लस्टरों का राज्यवार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(च) कृषि एवं ग्रामीण उद्योग मंत्रालय स्फूर्ति के अधीन राज्यों अथवा परियोजनाओं को सीधे निधियां जारी नहीं करता है। मंत्रालय खादी और ग्रामोद्योग आयोग और कयर बोर्ड को निधियां जारी करता है जो स्फूर्ति के कार्यान्वयन के लिए नोडल एजेन्सियां हैं और निधियां धारित करने और संवितरित करने के लिए उत्तरदायी हैं तथा पिछले तीन वर्षों के दौरान मंत्रालय द्वारा के०वी०आई०सी० और कयर बोर्ड को स्वीकृत की गई निधियां निम्नानुसार हैं :—

(करोड़ रु०)

वर्ष	केवीआईसी	कयर बोर्ड	कुल
2004-05*	—	—	—
2005-06	1.12	0.38	1.50
2006-07 (31.12.2006 तक)	7.97	3.56	11.53

*स्फूर्ति कार्यक्रम की शुरूआत अक्तूबर, 2005 में हुई।

यह परियोजना पांच वर्ष की अवधि के लिए अनुसूचित है। इस पहल में क्लस्टरों तथा कार्यान्वयन एजेन्सियों, क्लस्टर विकास एजेंसियों और तकनीकी एजेन्सियों की पहचान तथा नोडल एजेन्सियों, तकनीकी एजेन्सियों, क्लस्टर विकास एजेन्टों का प्रशिक्षण, विस्तृत परियोजना रिपोर्टों की तैयारी, डाइग्नोस्टिक रिपोर्ट, सामान्य सुविधा केन्द्र के प्रावधान, आदि शामिल हैं।

अभी तक जारी निधियां नोडल एजेन्सियों, कार्यान्वयन एजेन्सियों, तकनीकी एजेन्सियों के कर्मचारियों और क्लस्टर विकास एजेन्टों के प्रशिक्षण के लिए है। डाइग्नोस्टिक रिपोर्ट और कार्रवाई योजनाओं की तैयारी के बाद वास्तविक कार्यान्वयन आरंभ होगा। इस प्रकार परियोजनाओं की प्रगति उचित समय पर चरणबद्ध रूप से होना सुनिश्चित है।

विवरण

स्फूर्ति के अधीन राज्यवार अनुमोदित क्लस्टर

क्र० सं०	राज्य	खादी	ग्रामोद्योग	कयर	कुल
1	2	3	4	5	6
1.	हरियाणा	1	2	—	3
2.	हिमाचल प्रदेश	1	1	—	2
3.	जम्मू और कश्मीर	2	1	—	3
4.	पंजाब	1	2	—	3
5.	राजस्थान	2	2	—	4
6.	चंडीगढ़	—	—	—	0
7.	दिल्ली	—	—	—	0
8.	असम	1	3	1	5
9.	मणिपुर	—	1	—	1
10.	मेघालय	—	1	—	1
11.	नगालैंड	1	1	—	2
12.	त्रिपुरा	—	2	—	2
13.	अरूणाचल प्रदेश	—	1	—	1
14.	मिजोरम	—	1	—	1
15.	सिक्किम	—	1	—	1
16.	बिहार	1	2	—	3
17.	झारखंड	1	1	—	2
18.	उड़ीसा	—	2	2	4
19.	पश्चिम बंगाल	2	2	1	5
20.	अंडमान एवं निकोबार	—	—	1	1
21.	मध्य प्रदेश	1	2	—	3
22.	छत्तीसगढ़	—	1	—	1
23.	उत्तर प्रदेश	3	5	—	8
24.	उत्तरांचल	1	1	—	2
25.	गुजरात	1	1	1	3
26.	महाराष्ट्र	1	2	—	3
27.	दमन और द्वीव	—	—	—	0
28.	गोवा	—	1	1	2
29.	दादरा और नगर हवेली	—	—	—	0
30.	आन्ध्र प्रदेश	2	4	2	8
31.	कर्नाटक	2	2	4	8
32.	केरल	2	2	4	8
33.	तमिलनाडु	2	3	6	11
34.	लक्षद्वीप	—	—	1	1
35.	पांडिचेरी	1	—	1	2
	कुल	29	50	25	104

'फेडरल क्राइम'

*30. श्री जसुभाई धानाभाई बारड :
श्री निखिल कुमार :

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार ने अंतराष्ट्रीय आतंकवाद और संगठित अपराधों से संबंधित कतिपय अपराधों को 'फेडरल क्राइम' के रूप में वर्गीकृत करने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या कुछ राज्य सरकारों ने केन्द्र सरकार से इस संबंध में तत्काल कार्रवाई करने का अनुरोध किया है; और

(घ) यदि हां, तो सरकार का विचार पूरे देश में ऐसे अपराधों से निपटने के लिए क्या कदम उठाने का है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री माणिकराव होडल्या गावित) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता है।

(ग) जी नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता है।

[हिन्दी]

सर्वशिक्षा अभियान हेतु विदेशी सहायता

*31. श्री शिशुपाल एन० पटले : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार चालू वर्ष के दौरान सर्वशिक्षा अभियान (एस०एस०ए०) हेतु विदेशी सहायता प्राप्त करती रही है जैसाकि दिनांक 19 जनवरी, 2007 के 'दैनिक जागरण' में समाचार प्रकाशित हुआ है;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान सर्वशिक्षा अभियान और जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम (डी०पी०ई०पी०) हेतु विदेशी सहायता के रूप में कार्यक्रम-वार कुल कितनी धनराशि प्राप्त की गई है;

(ग) क्या उक्त धनराशि सर्वशिक्षा अभियान और जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम पर व्यय की जा रही है; और

(घ) उक्त कार्यक्रमों पर अब तक विदेशी सहायता के रूप में प्राप्त कुल कितनी धनराशि व्यय की गई है और शेष कितनी धनराशि को अभी व्यय किया जाना बाकी है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी) : (क) से (घ) भारत सरकार ने सर्व शिक्षा अभियान तथा जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम के लिए विदेशी सहायता हेतु करार किया है, जिसमें से पिछले तीन वर्षों के दौरान किया गया उपयोग इस प्रकार है :–

(रु० करोड़ में)

वर्ष	सर्व शिक्षा अभियान	जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम
2004-05	1047.65	604.76
2005-06	2341.98	553.97
2006-07	1091.61	126.31

सर्व शिक्षा अभियान के लिए उपलब्ध संपूर्ण विदेशी निधियन के लिए प्रतिपूर्ति का दावा कर दिया गया है।

जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम अब केवल उड़ीसा के 8 जिलों और राजस्थान के 9 जिलों में चल रहा है जो क्रमश: 30.11.2008 और 31.3.2007 तक चलेगा जिसके लिए 305.10 करोड़ रु० का विदेशी निधियन अब भी उपलब्ध है।

[अनुवाद]

पुलिस सुधार

*32. श्री आनंदराव विठोबा अडसूल :
श्री गुरूदास दासगुप्त :

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उच्चतम न्यायालय ने पुलिस प्रणाली में व्यापक सुधार करने एवं 145 वर्ष पुराने भारतीय पुलिस अधिनियम, 1861 में संशोधन करने की आसन्न आवश्यकता के संबंध में राज्यों, संघ राज्य क्षेत्रों एवं केन्द्र सरकार को निदेश जारी किए थे;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) क्या विभिन्न राज्य सरकारों ने उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी निदेश के अनुसार पुलिस सुधारों के क्रियान्वयन के बारे में अपनी आपत्ति व्यक्त की है;

(घ) यदि हां, तो क्या हाल ही में इस मामले पर राज्य के मुख्यमंत्रियों के साथ चर्चा की गई थी;

(ङ) यदि हां, तो राज्यों के मंत्रियों के साथ आयोजित चर्चा के क्या परिणाम निकले;

(च) क्या सरकार का विचार उचित प्राधिकरण हेतु पुलिस अधिकारियों का पैनल तैयार करने के लिए राष्ट्रीय सुरक्षा आयोग गठित करने का है; और

(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीप्रकाश जायसवाल) : (क) जी, हां।

(ख) उच्चतम न्यायालय द्वारा 22.9.2006 को दिए गए अपने निर्णय में राज्य सरकारों और संघ शासित क्षेत्रों को निम्नलिखित के संबंध में निदेश दिए गए हैं :

(i) राज्य सुरक्षा आयोग का गठन करना;

(ii) पुलिस महानिदेशकों के चयन की पद्धति और न्यूनतम कार्यकाल,

(iii) पुलिस महानिरीक्षक और अन्य प्रमुख पुलिस अधिकारियों का न्यूनतम कार्यकाल,

(iv) कानून और व्यवस्था विंग से जांच-पड़ताल विंग को अलग रखना।

(v) पुलिस स्थापना बोर्ड का गठन करना; और

(vi) पुलिस शिकायत प्राधिकरण का गठन करना।

इन निदेशों को आवश्यक कार्रवाई हेतु राज्य सरकारों और संघ शासित क्षेत्रों को भेजा गया था। उच्चतम न्यायालय ने राष्ट्रीय सुरक्षा आयोग गठित करने के लिए केन्द्र सरकार को भी निदेश दिया है।

(ग) कुछ राज्यों ने आपत्ति व्यक्त की है।

(घ) जी हां, श्रीमान।

(ङ) राज्य सरकारों ने अलग-अलग विचार व्यक्त किए हैं।

(च) केन्द्र सरकार ने इस प्रयोजनार्थ एक समिति की नियुक्ति की है।

(छ) इस समिति में केन्द्रीय गृह मंत्री, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार, मंत्रिमंडल सचिव, केन्द्रीय गृह सचिव, निदेशक आसूचना ब्यूरो, श्री जे०के० सिन्हा, भारतीय पुलिस सेवा (सेवानिवृत्त) और न्यायमूर्ति (सेवानिवृत्त) अरविन्द सावंत शामिल है।

शिक्षकों की नियुक्ति

*33. **श्री भर्तृहरि महताब :** क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का कॉलेजों और विश्वविद्यालयों में शिक्षकों की नियुक्ति से संबंधित मानदंडों में संशोधन करने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो उनकी नियुक्ति से संबंधित निर्धारित मानदंडों का विगत में ब्यौरा क्या है;

(ग) अर्हता संबंधी मानदंडों में संशोधित मानदंडों के द्वारा क्या परिवर्तन करने का विचार है; और

(घ) उन क्षेत्रों का ब्यौरा क्या है जिनमें विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा शिक्षकों की नियुक्ति में अधिक ध्यान दिया जा रहा है?

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री अर्जुन सिंह) : (क) से (घ) विश्वविद्यालयों और कालेजों में शिक्षकों की नियुक्ति हेतु न्यूनतम अर्हता विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा वर्ष 2000 में विश्वविद्यालयों और कालेजों में शिक्षकों की नियुक्ति एवं कैरियर प्रोन्नति हेतु न्यूनतम अर्हता से संबंधित उनके विनियमों के तहत निर्धारित की गई है। स्नातकोत्तर स्तर पर अच्छा शैक्षिक रिकार्ड (न्यूनतम 55 प्रतिशत अंक अथवा समकक्ष ग्रेड) की न्यूनतम अर्हता के अलावा अभ्यर्थियों को राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा अथवा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा मान्यता प्राप्त अन्य कोई समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण करनी होती है।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने 14 जून, 2006 को अधिसूचित किया है कि यद्यपि स्नातकोत्तर डिग्री वाले अभ्यर्थियों के लिए लेक्चरर पद पर नियुक्ति हेतु राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण करना अनिवार्य होगा तथापि, संबंधित विषय में पी०एच०डी० डिग्री वाले अभ्यर्थियों को स्नातकोत्तर एवं पूर्वस्नातक स्तर पर अध्यापन के लिए राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा से छूट दी जाएगी। संबंधित विषय में एम०फिल० डिग्री वाले अभ्यर्थियों को भी पूर्व स्नातक स्तर पर अध्यापन के लिए राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा से छूट दी जाती है।

पी०एच०डी०/एम०फिल, डिग्री धारियों को आकर्षित करने के उद्देश्य से विशेष प्रोत्साहन दिये जाते हैं। इन प्रोत्साहनों में लेक्चरर के पद पर नियुक्ति के समय पी०एच०डी० धारकों को चार अग्रिम वेतन वृद्धि और एम०फिल० धारकों को दो अग्रिम वेतन वृद्धि शामिल हैं। वे शिक्षक जिनके पास पहले से एम०फिल० डिग्री है और जो नियुक्ति के दो वर्ष के भीतर पी०एच०डी० डिग्री प्राप्त कर लेते हैं, उन्हें एक वेतन वृद्धि प्रदान की जाती है।

पुलिसकर्मियों हेतु कल्याण बोर्ड

*34. **श्री एस०के० खारवेनथन** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में पुलिसकर्मियों को सेवानिवृत्ति पश्चात् स्वास्थ्य परिचर्या और मृत्योपरान्त वित्तीय सुरक्षा सहित उचित स्वास्थ्य परिचर्या नहीं मिल रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार का देश में पुलिसकर्मियों के लाभ के लिए एक कल्याण बोर्ड की स्थापना करने का कोई प्रस्ताव है;

(घ) यदि हां, तो इस बोर्ड मे प्रस्तावित क्रियाकलाप क्या होंगे; और

(ङ) सरकार द्वारा देश में पुलिसकर्मियों के जीवन स्तर में सुधार करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीप्रकाश जायसवाल) : (क) और (ख) भारत के संविधान की सातवीं अनुसूची के अनुसार "पुलिस", राज्य का विषय है और राजय सरकारें, राज्यों के पुलिस कार्मिकों को सेवानिवृत्ति के बाद स्वास्थ्य सुविधायें प्रदान करने, मृत्यु के बाद वित्तीय सुरक्षा आदि प्रदान करने सहित स्वास्थ्य सुविधा जैसे कि कल्याण उपायों की पहल करने के लिए जिम्मेदार हैं। तथापि, कल्याण उपाय के रूप में राज्य पुलिस बलों की आधुनिकीकरण योजना के माध्यम से राज्य पुलिस बलों को पुलिस स्टेशनों में आवास व्यवस्था में संतोषजनक सुधार करने और बेहतर सुविधायें प्रदान करने के लिए केन्द्रीय सहायता प्रदान की जाती है। इस कल्याण उपाय का तेजी से कार्यान्वयन करने के लिए संबंधित राज्य सरकार की निर्माण एजेंसियों को सीधे ही निधियां जारी की जाती हैं।

(ग) और (घ) सोली सोराबजी समिति द्वारा तैयार किए गए मॉडल पुलिस अधिनियम के प्रारुप में पुलिस कार्मिकों के कल्याण के लिए कल्याण ब्यूरो का गठन किए जाने की सिफारिश की गई है। यह प्रस्ताव केन्द्र/राज्य सरकारों के विचाराधीन है।

(ङ) राज्य सरकारों द्वारा किए गए प्रयासों के अतिरिक्त केन्द्र सरकार, राज्य सरकारों को कहती रहती है कि वे अपने पुलिस कार्मिकों के काम करने की स्थिति में सुधार करें और आवश्यक कल्याणकारी उपाय करें। इसने उनसे यह भी कहा है कि वे कार्मिकों की शिकायतों और पारस्परिक समस्याओं को हल करने तथा उचित प्रशिक्षण पाठ्यक्रम चलाने के लिए कारगर तंत्र स्थापित करें।

ग्रेडिंग प्रणाली

*35. **श्री रवि प्रकाश वर्मा** :
श्री किसनभाई वी० पटेल :

क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सी०बी०एस०ई०) ने कक्षा छह से आठ तक में पढ़ने वाले विद्यार्थियों के रिपोर्ट कार्डों में उत्तीर्ण या अनुत्तीर्ण का उल्लेख नहीं करने का निर्णय लिया है जैसाकि दिनांक 20 जनवरी, 2007 के "द टाइम्स आफ इंडिया" में समाचार प्रकाशित हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या हैं और इसके क्या कारण हैं;

(ग) इस ग्रेडिंग प्रणाली (क से ङ) को कब तक शुरू किया जाएगा;

(घ) क्या सी०बी०एस०ई० ने किसी भी विद्यार्थी को अनुत्तीर्ण न करने का भी निर्णय लिया है, भले ही वह "ङ" ग्रेड प्राप्त करे; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री अर्जुन सिंह) : (क) और (ख) जी, नहीं। केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने अपने सभी सम्बद्ध विद्यालयों को यह अनुदेश जारी किए हैं कि वे अपने यहां कक्षा-I से कक्षा VIII तक सतत और व्यापक मूल्यांकन प्रणाली कार्यान्वित करें। विद्यालयों को यह सलाह भी दी गई है कि वे कक्षा-V तक उत्तीर्ण/अनुत्तीर्ण मानदण्ड को समाप्त कर दें। इस समक्ष कक्षा-VI से कक्षा-VIII तक उत्तीर्ण/अनुत्तीर्ण मानदण्ड को समाप्त करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ग) पांच बिन्दु ग्रेडिंग पद्धति प्राथमिक कक्षाओं में पहले ही शुरू कर दी गई है। केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने अपने सभी सम्बद्ध विद्यालयों को यह अनुदेश जारी किए हैं कि वे शैक्षिक सत्र 2006-07 से कक्षा-VI से कक्षा VIII के लिए सात बिन्दु ग्रेडिंग पद्धति को चरणबद्ध रूप से लागू करें।

(घ) जी, नहीं।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

चाय का आयात

*36. **श्री गणेश सिंह** : क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार चाय का आयात करने पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान देश में चाय के आयात और निर्यात की स्थिति क्या रही है; और

(घ) चाय का आयात रोकने और इसके उत्पादन में वृद्धि करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का विचार है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्री (श्री कमल नाथ) : (क) जी, नहीं। तथापि, वर्तमान विदेश व्यापार नीति के अंतर्गत चाय के मुक्त रूप से निर्यात और आयात की अनुमति है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) पिछले तीन वर्षों के दौरान देश में चाय के आयात और निर्यात के ब्यौरे निम्नानुसार हैं :–

वर्ष	निर्यात		आयात	
	मात्रा (मिलि० कि०ग्रा०)	मूल्य (करोड़ रु०)	मात्रा (मिलि० कि०ग्रा०)	मूल्य (करोड़ रु०)
2003-04	183.07	1636.99	11.34	66.23
2004-05	205.81	1924.71	32.53	145.15
2005-06	196.67	1793.58	17.41	102.77

(घ) देश में चाय का आयात नगण्य है। सरकार ने चाय के आयात एवं निर्यात हेतु कड़े मानदण्ड निर्धारित करते हुए दिनांक 01.04.2005 को चाय अधिनियम, 1953 के उपबंधों के अधीन एक नया चाय (वितरण एवं निर्यात) नियंत्रण आदेश, 2005 भी जारी किया था।

देश में चाय के उत्पादन और उत्पादकता को बढ़ाने के लिए चाय बोर्ड द्वारा इस क्षेत्र के विकास हेतु अनेक योजना स्कीमें पहले से ही कार्यान्वित की जा रही हैं जिनके अंतर्गत चाय उद्योग को वित्तीय/तकनीकी सहायता प्रदान की जाती है। इसके अलावा, सरकार ने चाय की पुरानी झाड़ियों की आयु में सुधार करने के उद्देश्य से पुनर्रोपण/नवीकरण कार्यकलापों के वित्तपोषण हेतु विशेष प्रयोजन चाय निधि की स्थापना को भी अनुमोदित किया है जिसके परिणामस्वरूप चाय की उत्पादकता और उत्पादन में वृद्धि होगी और गुणवत्ता में सुधार होगा।

[अनुवाद]

खुदरा बाजार में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश

***37. श्री सुखदेव सिंह ढींडसा :**
डा० चिन्ता मोहन :

क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बहुराष्ट्रीय तथा अन्य निगमित कंपनियां भारतीय खुदरा बाजार में प्रवेश कर रही हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने देश के भारतीय खुदरा बाजार पर इनके संभावित प्रतिकूल प्रभाव का आकलन करने के लिए कोई समिति गठित की है;

(ग) यदि हां, तो उक्त समिति की संरचना तथा इसके सदस्यों की खुदरा क्षेत्र के संबंध में योग्यताओं सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा समिति को कब तक अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए कहा गया है;

(घ) भारतीय खुदरा बाजार में कौन-कौन सी बहुराष्ट्रीय तथा निगमित कंपनियां प्रवेश कर रही हैं तथा इन कंपनियों द्वारा कितना निवेश किया गया है;

(ङ) क्या सरकार का विचार इन कंपनियों द्वारा की जाने वाली विपणन गतिविधियों के संबंध में कोई विनियम बनाने का है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्री (श्री कमल नाथ) : (क) वर्तमान नीति के अनुसार केवल एकल ब्राण्ड उत्पादों के खुदरा व्यापार को छोड़कर, जिसमें 51 प्रतिशत तक एफ०डी०आई० की अनुमति है, खुदरा व्यापार क्षेत्र में एफ०डी०आई० की अनुमति नहीं है। कई घरेलू कंपनियां संगठित खुदरा बाजार में प्रवेश कर रही हैं।

(ख) जी, नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) सरकार ने एकल ब्राण्ड उत्पादों के खुदरा व्यापार पर एफ०डी०आई० से संबंधित 9 प्रस्तावों को अनुमोदन प्रदान किया है। इन प्रस्तावों के ब्यौरे विवरण के रूप में संलग्न है।

(ङ) और (च) सरकार ने 'एकल ब्राण्ड' उत्पादों के खुदरा व्यापार पर एफ०डी०आई० की अनुमति देते समय उपयुक्त शर्तें लगाई हैं।

विवरण

खुदरा व्यापार संबंधी अनुमोदन

क्र० सं०	कंपनी का नाम	उत्पादन	ब्राण्ड	प्रस्तावित निवेश (लाख रुपये)	अनुमोदन की तारीख
1.	मै० एसएसआईपीएल रिटेल प्रा०लि० पहले मै० मोजा शूज़ प्रा०लि०	सभी प्रकार के फुटवियर, स्पोर्ट वियर, बूट, चप्पलें, सैंडल, खेलकूद के जूते, और परिधान	नाइक ब्राण्ड	285.30 (20%)	31.5.2006
2.	मै० एलवी ट्रेडिंग इण्डिया	चमड़े के सामान, वस्त्र आदि सहित एलवीएम उत्पाद	लुईस वुइट्टन	570.0(51%)	29.8.2006
3.	मै० लाड्रो कॉमर्शियल एस०ए०	''लाड्रो'' नामक ब्राण्ड के तहत चीनी-मिट्टी की लघु मूर्तियां	लाड्रो	585.0(26%)	19.10.2006
4.	मै० फन फैशन इंडिया प्रा०लि०	जूतों, पहनने के परिधानों, बक्सों/यात्रा-बैगों/बटुओं, धूप के चश्मों, घड़ियों, नकली आभूषणों, वस्त्रों सहित फैन्डी उत्पाद	फैन्डी	10.3(51%)	6.10.2006
5.	मै० डैमरो फर्नीचर प्रा०लि०	नॉक-डाउन फर्नीचर	डैमरो	17.17(51%)	19.10.2006
6.	मै० रीनो ग्रेगियों अर्जेन्टायरी, एस०पी०ए०	चांदी के बर्तन, कटलेरी, पारम्परिक गृह-सज्जा की वस्तुएं, आधुनिक गृह-सज्जा की वस्तुएं और उपहार सामग्री	अर्जेन्टायरी ग्रेगियों	दर्शाया नहीं गया (51%)	19.10.2006
7.	मै० मित्सुई ऑटोमोटिव इन्वेस्टमेंट बी०वी०	टोयोटा मेक कारों का खुदरा व्यापार	टोयोटा	102.0(51%)	6.11.2006
8.	मै० इर्मेनगिल्डो जेगना होल्डिटेलिया एस०पी०ए०	पहनने के लिए तैयार कपड़ों, फुटवियर, चमड़े के सामान, इत्र आदि का खुदरा व्यापार	जेगना	153.0(51%)	28.12.2006
9.	मै० इटामेंट, बेल्जियम	महिलाओं की फैशन सामग्री, पहनने को तैयार वस्त्रों, अधोवस्त्रों, सजावट की सामग्रियों का खुदरा व्यापार	इटैम	100.0(50.010%)	9.1.2007

आई०सी०डी०एस० योजना का क्रियान्वयन

*38. श्री स्वदेश चक्रवर्ती :
श्री इकबाल अहमद सरडगी :

क्या महिला और बाल विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में कुपोषण के शिकार बच्चों की राज्यवार संख्या कितनी है;

(ख) क्या पोषाहार परिचर्या के मामले में अफ्रीकी बच्चे भारतीय बच्चों की तुलना में बेहतर स्थिति में हैं जैसा कि दिनांक 29 दिसंबर, 2006 के 'द हिन्दुस्तान टाइम्स' में समाचार प्रकाशित हुआ है;

(ग) यदि हां, तो सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है;

(घ) देश में स्वीकृत और चल रहे आई०सी०डी०एस० कार्यक्रमों की राज्यवार संख्या कितनी है;

(ङ) दसवीं पंचवर्षीय योजनावधि के दौरान आबंटित और उपयोग की गयी निधियों का राज्यवार ब्यौरा क्या है; और

(च) इस योजना के प्रभावी कार्यान्वयन हेतु क्या कदम उठाए जा रहे हैं/उठाए जाने हैं?

महिला और बाल विकास मंत्रालय की राज्यमंत्री (श्रीमती रेणुका चौधरी) : (क) बच्चों में कुपोषण के राष्ट्र स्तरीय आंकड़े राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण के माध्यम से संकलित किए जाते हैं। राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण-3 के अनुसार, 3 वर्ष तक की आयु के बच्चों में कम वजनी बच्चों का प्रतिशत 46 है। जिन 29 राज्यों में राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण-3 (2005-06) कराया गया था उनमें 3 वर्ष तक की आयु के कुपोषित बच्चों की राज्य-वार संख्या के संबंध में इस सर्वेक्षण से प्राप्त आंकड़े संलग्न विवरण-I में दर्शाए गए हैं।

(ख) और (ग) समाचार-पत्र में 'हेल्पलेस एंड स्टार्विंग' शीर्षक से प्रकाशित रिपोर्ट में यह कहा गया है कि पौषणिक देखभाल के संदर्भ में अफ्रीकी बच्चे भी भारतीय बच्चों से बेहतर हैं। तथापि, रिपोर्ट में अफ्रीकी बच्चों से भारतीय बच्चों के तुलनात्मक आंकड़े नहीं दर्शाए गए हैं। यद्यपि, राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण-3 के अनुसार, भारत में 46% बच्चे कम वजनी हैं, तथापि ये बच्चे अपनी आयु के अनुसार कम वजनी होते हुए भी सामान्य दिखाई देते हैं। बच्चों में व्यापक कुपोषण की समस्या पर सरकार ध्यान देती रही है। कुपोषण बहुआयामी समस्या है, जिसके विभिन्न कारणों में महिला निरक्षता से लेकर विवाह एवं पहले प्रसव के समय बालिकाओं की आयु और पारिवारिक खाद्य सुरक्षा, स्वास्थ्य देखभाल, टीकाकरण, सुरक्षित पेयजल, साफ-सफाई एवं अन्य सामाजिक सेवाओं की कमी आदि भी शामिल हैं। सरकार इस समस्या से अवगत है और बच्चों की पौषणिक स्थिति में सुधार करने के लिए अनेक स्कीमें चला रही है।

(घ) देशभर में संस्वीकृत और प्रचालित आई०सी०डी०एस० परियोजनाओं एवं आंगनवाड़ी केंद्रों की संख्या संलग्न विवरण-II में दर्शाई गई है।

(ङ) दसवीं पंचवर्षीय योजनावधि के दौरान आबंटित की गई तथा उपयोग में लाई गई निधियों के राज्यवार ब्यौरे संलग्न विवरण-III क, III ख, III ग, III घ, III ङ में दर्शाए गए हैं।

(च) आई०सी०डी०एस० के अंतर्गत प्रदान की जा रही सेवाओं को अधिक कारगर बनाने के लिए हाल ही में किए गए उपाय इस प्रकार हैं :

(i) विस्तार के प्रथम चरण के अंतर्गत 466 आई०सी०डी०एस० परियोजनाओं और 1.88 लाख आंगनवाड़ी केन्द्रों में आई०सी०डी०एस० स्कीम का विस्तार किया गया।

(ii) इसके अतिरिक्त विस्तार के दूसरे चरण में 173 परियोजनाओं, 107274 आंगनवाड़ी केंद्रों और 25961 लघु आंगनवाड़ी केंद्रों में आई०सी०डी०एस० स्कीम का विस्तार किया गया।

(iii) संस्वीकृत परियोजनाओं/आंगनवावड़ी केंद्रों का प्रचालन किया गया।

(iv) पूरक पोषण के वित्तीय मानकों को दोगुना करते हुए, इसे 1/- रुपए प्रति लाभार्थी प्रतिदिन से बढ़ाकर 2/- रुपए प्रति लाभार्थी प्रतिदिन किया गया।

(v) पूरक पोषण की राज्यों द्वारा वहन की जाने वाली लागत में 50% की भागीदारी।

(vi) राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों पर निरंतर जोर दिया जाता रहा है कि वे :

(क) स्कीम के मानकों के अनुसार पूरक पोषण की नियमित आपूर्ति सुनिश्चित करें; और

(ख) स्वास्थ्य, शिक्षा और ग्रामीण विकास (पेयजल आपूर्ति) मंत्रालयों की स्कीमों/कार्यक्रमों के साथ कारगर संकेंद्रण के माध्यम से प्रतिरक्षण, स्वास्थ्य जांच, रेफरल सेवाओं, पोषण एवं स्वास्थ्य शिक्षा और शाला-पूर्व शिक्षा जैसी अन्य सेवाएं सुनिश्चित करें।

(vii) आई०सी०डी०एस० स्कीम के मौजूदा मानीटरन एवं पर्यवेक्षण तंत्र में सुधार करने के लिए भारत सरकार ने प्रत्येक राज्य/संघ राज्य क्षेत्र में स्वतंत्र व्यावसायिक संगठन/संस्था के माध्यम से आई०सी०डी०एस० स्कीम का मानीटरन करने वाले केन्द्रीय मानीटरन एकक की राष्ट्रीय जन सहयोग एवं बाल विकास संस्थान में स्थापना को अनुमोदित कर दिया है। इस एकक के साथ-साथ मौजूदा मानीटरन तंत्र भी कार्य करता रहेगा।

(viii) आई०सी०डी०एस० स्कीम के संपूर्ण कामकाज का पर्यवेक्षण करने के साथ-साथ यह सुनिश्चित करने के लिए कि सेवाएं लक्ष्यित वर्गों तक कारगर ढंग से पहुंचाई जाएं और आई०सी०डी०एस० स्कीम के उद्देश्यों की पूर्ति भी इस स्कीम के समग्र ढांचे के अंतर्गत की जाए, महिला एवं बाल विकास राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) की अध्यक्षता में राष्ट्र-स्तरीय मानीटरन समिति भी गठित की गई है।

उपर्युक्त उपायों के परिणामस्वरूप प्रचालित परियोजनाओं और आंगनवाड़ी केंद्रों की संख्या 31.03.2002 तक की स्थिति के अनुसार, 4608 और 5.45 लाख से बढ़कर 30.09.2006 तक की स्थिति के अनुसार, क्रमश: 5724 और 7.81 लाख हो गई है। इस अवधि के दौरान पूरक पोषण के लाभार्थियों की संख्या भी 375.09 लाख से बढ़कर 654.65 लाख हो गई है।

विवरण-I

राज्य, भारत, 2006 के अनुसार 3 मानव विज्ञान सूचकांक अर्थात् पोषण स्तर के अविकसित, कमजोर या अल्प वजनी तीन वर्ष से कम आयु के बच्चों का प्रतिशत

क्र० सं०	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण-III के अनुसार बच्चों का पोषण स्तर		
		अविकसित (आयु के अनुसार कम लम्बाई)	कमजोर (ऊँचाई के अनुसार काफी पतलापन)	अल्प वजनी (आयु के अनुसार काफी पतलापन)
1	2	3	4	5
	भारत	38	19	46
1.	आंध्र प्रदेश	34	13	36.5
2.	अरूणाचल प्रदेश	34	17	36.9
3.	असम	35	13	40.4
4.	अण्डमान व निकोबार द्वीप समूह			
5.	बिहार	42	28	58
6.	चण्डीगढ़			
7.	छत्तीसगढ़	45	18	52.1
8.	दादर व नगर हवेली			
9.	दमन व दीव			
10.	दिल्ली	35	16	33.1
11.	गोवा	21	12	29
12.	गुजरात	42	17	47.4
13.	हरियाणा	36	17	41.9
14.	हिमाचल प्रदेश	27	19	36.2
15.	जम्मू व कश्मीर	28	15	29.4
16.	झारखंड	41	31	59
17.	कर्नाटक	38	18	41.1
18.	केरल	21	16	28.8
19.	लक्षद्वीप			
20.	मध्य प्रदेश	40	33	60
21.	महाराष्ट्र	38	35	39.7
22.	मणिपुर	25	8	24
23.	मेघालय	42	28	46.3
24.	मिजोरम	30	9	22
25.	नागालैंड	30	15	30
26.	उड़ीसा	38	19	44
27.	पांडिचेरी			
28.	पंजाब	28	9	27
29.	राजस्थान	34	20	44
30.	सिक्किम	29	13	23
31.	तमिलनाडु	25	22	33
32.	त्रिपुरा	30	20	39
33.	उत्तर प्रदेश	46	14	47.3
34.	उत्तरांचल	32	16	38
35.	पश्चिम बंगाल	33	19	43.5

नोट : उन 29 राज्यों के संबंध में जहां सर्वेक्षण किया गया, राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण (एन०एफ०एच०एस०-III) (2005-06) के निष्कर्षों को अंतरराष्ट्रीय जनसंख्या विज्ञान संस्थान द्वारा प्रकाशित किया गया है।

विवरण-II

देश में संस्वीकृत एवं प्रचालित आई०सी०डी०एस० परियोजनाओं तथा आंगनवाड़ी केन्द्रों की राज्य-वार संख्या

क्र० सं०	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	आई०सी०डी०एस० परियोजनाओं की संख्या					आंगनवाड़ी केन्द्रों की संख्या				
		31.3.2005 तक संस्वीकृत	2005-06 के दौरान संस्वीकृत	2006-07 (14.2.2007 तक) के दौरान संस्वीकृत	14.2.2007 तक की स्थिति के अनुसार कुल संस्वीकृत	30.9.2006 तक प्रचालित	31.3.2005 तक संस्वीकृत	2005-06 दौरान संस्वीकृत	2006-07 (14.2.2007 तक) के दौरान संस्वीकृत	14.2.2007 तक की स्थिति के अनुसार कुल संस्वीकृत	प्रचालित
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	आंध्र प्रदेश	363	13	9	385	366	56204	9562	7843	73609	58581
2.	अरूणाचल प्रदेश	58	21	6	85	58	2359	678	1240	4277	2359
3.	असम	196	23	4	223	196	25416	6659	5007	37082	25447
4.	बिहार	394	144	0	538	394	60813	19715	0	80528	57767
5.	छत्तीसगढ़	152	6	5	163	153	20289	9148	5500	34937	20401
6.	गोवा	11	0	0	11	11	1012	0	100	1112	1012
7.	गुजरात	227	33	0	260	227	37961	3523	2695	44179	37512
8.	हरियाणा	116	12	9	137	124	13546	2813	833	17192	15967
9.	हिमाचल प्रदेश	72	4	0	78	72	7354	10894	0	18248	7354
10.	जम्मू व कश्मीर	140	0	0	140	129	18772	0	6586	25358	10398
11.	झारखंड	204	0	0	204	204	24171	6683	1243	32097	21459
12.	कर्नाटक	185	0	0	185	185	40301	11313	2646	54260	44609
13.	केरल	163	0	0	163	163	25393	3258	0	28651	25382
14.	मध्य प्रदेश	336	31	0	367	336	49787	9537	9914	69238	49806
15.	महाराष्ट्र	372	44	35	451	397	62716	12864	9877	85457	68184

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
16.	मणिपुर	34	0	4	38	34	4501	0	3138	7639	4501
17.	मेघालय	32	7	2	41	38	2218	961	209	3388	3143
18.	मिजोरम	21	2	0	23	23	1361	231	90	1682	1592
19.	नागालैंड	54	2	0	56	54	2770	265	159	3194	2770
20.	उड़ीसा	326	0	0	326	326	34201	3279	4217	41697	34997
21.	पंजाब	142	6	0	148	142	14730	2691	2748	20169	14730
22.	राजस्थान	257	17	4	278	262	35821	11041	1510	48372	38414
23.	सिक्किम	5	6	0	11	9	500	488	0	988	757
24.	तमिलनाडु	434	0	0	434	434	42677	3049	1539	47265	42677
25.	त्रिपुरा	40	11	3	54	51	3874	2220	1257	7351	6059
26.	उत्तर प्रदेश	834	1	62	897	834	106059	31498	13170	150727	116740
27.	उत्तरांचल	99	0	0	99	99	6658	1134	1872	9664	7579
28.	पश्चिम बंगाल	358	58	0	416	357	57540	17100	17512	92152	55064
29.	अण्डमान व निकोबार द्वीपसमूह	5	0	0	5	5	527	94	51	672	621
30.	चण्डीगढ़	3	0	0	3	3	300	29	41	370	329
31.	दादर व नगर हवेली	29	5	16	50	29	3902	526	1678	6106	4011
32.	दमन व दीव	1	1	0	2	1	138	77	4	219	138
33.	दिल्ली	2	0	0	2	2	87	10	10	107	97
34.	लक्षद्वीप	1	0	0	1	1	74	0	13	87	74
35.	पांडिचेरी	5	0	0	5	5	677	11	0	688	677
	कुल	5671	447	159	6277	5724	764709	181351	102702	1048762	781208

विवरण-III (क)

दसवीं पंचवर्षीय योजना (2002-03 से 2006-07) के दौरान आई०सी०डी०एस० स्कीम (सामान्य) के अंतर्गत राज्य-वार निर्मुक्त राशियां एवं बताए गए व्यय

(रुपये लाखों में)

क्र० सं०	राज्य	2002-03		2003-04		2004-05		2005-06		2006-07		तारीख जिस तक का व्यय बताया गया है
		निर्मुक्त राशियां	राज्यों द्वारा बताया गया व्यय	निर्मुक्त राशियां	राज्यों द्वारा बताया गया व्यय	निर्मुक्त राशियां	राज्यों द्वारा बताया गया व्यय	निर्मुक्त राशियां	राज्यों द्वारा बताया गया व्यय	निर्मुक्त राशियां (20.2.2007)	राज्यों द्वारा बताया गया व्यय	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	आंध्र प्रदेश	8564.65	8814.51	8364.10	10242.61	7277.34	10823.40	14750.69	15797.92	18087.36	10740.56	30.9.2006
2.	बिहार	1934.97	2096.66	1754.59	6298.35	9408.47	5360.30	5036.11	8116.62	20890.9	7058.99	31.12.2006
3.	छत्तीसगढ़	2934.24	2736.43	3157.19	3072.28	3275.49	3202.25	4412.01	3215.30	3379.28	2309.95	30.9.2006
4.	गोवा	430.75	343.50	418.72	422.35	286.33	354.00	373.53	405.28	390.94	234.07	30.9.2006
5.	गुजरात	6905.28	7850.31	9112.10	12693.04	12405.58	10947.11	9917.54	10272.22	11618.53	8237.99	31.12.2006
6.	हरियाणा	4297.19	3839.45	4019.04	5401.07	4674.34	4960.89	5312.47	5417.07	5949.57	2731.51	30.9.2006
7.	हिमाचल प्रदेश	2133.77	1753.07	1588.66	2830.50	2617.26	2687.83	3480.88	2971.49	2882.29	1424.97	30.9.2006
8.	जम्मू व कश्मीर	3666.22	2215.91	2074.09	1827.76	3457.78	4046.62	4989.19	3736.50	4228.8	2849.69	30.9.2006
9.	झारखंड	4767.38	2712.64	1881.25	2995.16	3824.62	3490.45	4288.33	4881.50	7761.59	6063.27	31.12.2006
10.	कर्नाटक	10541.29	9783.50	10622.14	11667.88	11023.50	12280.15	14176.11	12570.58	11612.28	9421.34	31.12.2006
11.	केरल	5895.08	5175.53	5527.08	5420.12	5546.74	5629.49	5725.65	6131.27	7921.93	4410.19	30.9.2006
12.	मध्य प्रदेश	6040.51	6588.83	7457.79	6716.44	6263.10	7587.64	9498.48	7261.98	12202.16	6410.52	30.9.2006
13.	महाराष्ट्र	12199.16	12253.85	13824.43	17410.94	11930.96	16134.55	16808.92	17007.61	16801.64	9448.22	30.9.2006
14.	उड़ीसा	8676.42	7101.40	10387.11	12336.13	9968.40	10826.54	10600.69	10231.34	11799.14	8485.85	31.12.2006

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
15.	पंजाब	3677.09	4026.29	4432.80	5133.20	3904.27	4850.25	5591.61	5367.72	5696.4	2506.98	30.9.2006
16.	राजस्थान	7324.27	7330.94	8042.75	7849.67	7849.67	8111.80	7459.77	8408.50	12631.24	4317.9	30.9.2006
17.	तमिलनाडु	13410.76	10000.63	8453.73	14293.37	12303.16	12117.97	15212.94	12117.71	10090.6	6987.53	30.9.2006
18.	उत्तरांचल	836.21	1228.09	1282.83	1679.69	1723.77	1816.22	2861.67	2108.38	1479	1512.35	31.12.2006
19.	उत्तर प्रदेश	9249.89	13477.74	14303.96	16483.69	15100.87	18556.77	31989.58	23293.59	24768.42	17812.65	31.12.2006
20.	पश्चिम बंगाल	16229.63	14761.01	14820.34	11863.67	12633.07	16778.43	19391.00	18486.13	8622.68	8698.02	30.9.2006
	कुल	129714.8	124090.29	131524.70	156638.19	145474.72	160562.66	191877.17	177798.71	198814.8	121662.6	
	संघ राज्य क्षेत्र											
21.	दिल्ली	986.18	1083.75	1159.21	1120.41	1118.36	1214.02	1290.03	1351.15	1322.53	1073.54	31.12.2006
22.	पांडिचेरी	237.09	229.63	203.36	218.90	218.89	229.36	233.68	204.45	195.22	52.33	30.6.2006
	कुल	1223.27	1313.38	1362.57	1339.31	1337.25	1443.38	1523.71	1555.60	1517.75	1125.87	
23.	अण्डमान व निकोबार	164.32	149.08	189.70	183.93	185.39	191.14	212.82	191.25	158.96	85.33	30.9.2006
24.	चण्डीगढ़	121.50	121.50	140.11	132.43	155.26	130.64	156.87	156.87	130.44	112.12	31.12.2006
25.	दादर व नगर हवेली	42.00	41.61	48.50	44.43	48.27	49.81	70.10	51.84	45.03		
26.	दमन व दीव	43.24	38.70	41.41	41.41	38.98	38.98	47.74	37.88	56.78	20.95	30.9.2006
27.	लक्षद्वीप	30.83	30.95	38.58	33.25	25.15	35.96	42.67	38.22	38.34	20.26	30.9.2006
28.	भारतीय जीवन बीमा निगम					500.00		800.00				
	कुल	401.89	381.84	458.30	435.45	953.05	255.39	1330.20	476.06	429.55	238.66	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	पूर्वोत्तर क्षेत्र											
29.	अरूणाचल प्रदेश	2522.72	1712.83	1552.73	1932.78	1697.61	2036.84	1780.28	1590.18	2094.62	1748.55	31.12.2006
30.	असम	7988.33	9329.47	4388.19	7638.00	15799.37	15843.24	22462.56	9286.72	8178.6	8251.84	31.12.2006
31.	मणिपुर	2360.055	1790.71	1413.99	1340.39	2054.55	2110.9	1664.87	1612.49	1039.5	1007.37	30.9.2006
32.	मेघालय	1156.87	968.59	876.52	1212.83	1450.81	1260.95	2158.35	966.88	1055.57	945.31	31.12.2006
33.	मिजोरम	1139.16	1139.16	832.80	874.61	781.68	825.18	1476.66	1339.16	681.8	699.31	31.12.2006
34.	नागालैंड	2376.47	2376.47	1486.21	1486.21	1358.50	1721.92	2531.64	1573.22	1453.44	920.99	30.9.2006
35.	सिक्किम	280.965	236.985	173.69	283.57	332.88	263.34	354.75	212.40	154.1	136.3	30.9.2006
36.	त्रिपुरा	1333.22	1788.93	1797.81	1474.15	1414.45	1428.35	2779.91	1316.80	1153.79	1070.27	31.12.2006
	कुल	19157.79	19343.14	12521.94	16242.54	24889.85	25490.72	35209.02	17897.85	15811.42	14779.94	
	कुल योग	150497.71	145128.65	145867.51	174655.49	172654.87	187752.15	229940.10	197728.22	216573.47	137807.02	

नोट : 2002-03 : पूर्वोत्तर राज्य हेतु 7460.00 लाख रुपये शामिल हैं जिसकी तुलना में उपयोग प्रमाण पत्रों के आधार पर व्यय 6472.50 लाख रुपये है।

2003-04 : पूर्वोत्तर राज्य हेतु 1112.50 लाख रुपये शामिल हैं जिसकी तुलना में उपयोग प्रमाण पत्रों के आधार पर व्यय 1112.50 लाख रुपये है।

2004-05 : पूर्वोत्तर राज्य हेतु 8677.49 लाख रुपये शामिल हैं जिसकी तुलना में उपयोग प्रमाण पत्रों के आधार पर व्यय 8227.61 लाख रुपये है।

2005-06 : पूर्वोत्तर राज्य हेतु 16821.89 लाख रुपये शामिल हैं जिसकी तुलना में उपयोग प्रमाण पत्रों के आधार पर व्यय 45988 लाख रुपये है।

विवरण-III (ख)

(रुपये लाखों में)

क्र० सं०	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	2005-06		2006-07		
		निर्मुक्तियां	राज्यों द्वारा बताए गए उनके अंशदान सहित व्यय	निर्मुक्तियां (21.2.2007 तक की स्थिति)	राज्यों द्वारा बताए गए उनके अंशदान सहित व्यय	कब तक
1	2	3	4	5	6	7
1.	आंध्र प्रदेश	4745.42	8846.15	9052.04	10764.24	30.9.06
2.	बिहार	8260.92	18989.12	11828.92	15892.92	31.12.06
3.	छत्तीसगढ़	3133.33	7129.94	2953.64	1625.22	30.9.06
4.	गोवा	115.13	315.49	171.94	221.06	31.12.06
5.	गुजरात	3339.82	8199.26	3946.29	5306.10	31.12.06
6.	हरियाणा	1810.62	4046.03	2829.56	1781.44	30.9.06
7.	हिमाचल प्रदेश	660.00	1454.00	629.63	1356.04	30.9.06
8.	जम्मू व कश्मीर	343.56	2190.07	563.09	22.12	30.9.06
9.	झारखंड	761.49	12711.01	11154.47	15698.92	31.12.06
10.	कर्नाटक	7379.97	12718.70	4574.19	10092.34	31.12.06
11.	केरल	1738.28	4703.44	3666.11	5313.79	31.12.06
12.	मध्य प्रदेश	5457.86	9457.82	5770.97	6329.34	30.9.06
13.	महाराष्ट्र	9869.23	20676.99	8443.33	7974.06	30.9.06
14.	उड़ीसा	6697.98	7621.71	6646.40	3269.72	30.9.06
15.	पंजाब	1246.53	2435.80	3138.07	3514.52	31.12.06
16.	राजस्थान	5534.27	12332.06	6661.68	6029.92	30.9.06
17.	तमिलनाडु	3703.59	5778.00	3451.94	3704.00	31.12.06
18.	उत्तर प्रदेश	18125.13	45916.19	32902.48	28069.51	30.9.06
19.	उत्तरांचल	705.72	1523.10	1347.89	1512.35	31.12.06
20.	पश्चिम बंगाल	6348.24	11845.38	5916.07	4919.40	30.9.06
		89977.09	198890.26	125648.71	133397.01	
21.	अण्डमान व निकोबार द्वीप समूह	80.39	401.39	93.67	342.48	31.12.06
22.	चण्डीगढ़	76.33	217.28	154.76	122.45	30.9.06
23.	दादर व नगर हवेली	22.59	68.84	22.59	0.59	30.6.06
24.	दमन व दीव	13.74	57.00	13.74		

1	2	3	4	5	6	7
25.	लक्षद्वीप	7.52	60.36	39.91	29.80	30.9.06
		200.57	804.87	324.67	495.32	
26.	दिल्ली	737.49	839.60	694.29	239.70	30.9.06
27.	पांडिचेरी	85.72	334.60	55.03		
		823.21	1174.20	749.32	239.70	
28.	अरूणाचल प्रदेश	113.41	113.41	379.84	1015.34	31.12.06
29.	असम	3066.67	5337.64	3711.54	832.97	30.9.06
30.	मणिपुर	664.58	1329.16	914.32	1329.16	30.9.06
31.	मेघालय	687.17	2279.03	343.59	1175.59	30.9.06
32.	मिजोरम	471.24	1006.00	488.97	868.08	30.9.06
33.	नागालैंड	929.07	2008.07	1188.71	1113.74	30.9.06
34.	सिक्किम	118.48	544.48	95.77	479.37	31.12.06
35.	त्रिपुरा	407.06	783.50	707.69	823.12	31.12.06
		6457.68	13401.29	7830.43	7637.37	
	कुल	97458.55	214270.62	134553.13	141769.40	

विवरण-III (ग)

विश्व बैंक सहायता-प्राप्त आई०सी०डी०एस०-III/ए०पी०ई०आर० परियोजना

दसवीं पंचवर्षीय परियोजना के लिए विश्व बैंक सहायता प्राप्त आई०सी०डी०एस० परियोजना के अंतर्गत बजट प्रावधानों की तुलना में राशियों की निर्मुक्ति

23.02.2007 की स्थिति के अनुसार

क्र० सं०	राज्य/परियोजना	2002-03	2003-04	2004-05	2005-06	2006-07	कुल
1	2	3	4	5	6	7	8
	आई०सी०डी०एस०-II						
1.	मध्य प्रदेश	70.28					70.28
2.	छत्तीसगढ़	34.17					34.17
3.	बिहार	46.82					46.62
4.	झारखंड	12.36					12.36
5.	आंध्र प्रदेश	47.5					47.50
	कुल (आई०सी०डी०एस०-II)	211.13					211.13

1	2	3	4	5	6	7	8
	आई०सी०डी०एस०-III परियोजना — मूल राज्य						
1.	उत्तर प्रदेश	40.53	45.00	70.67	9.62	0.40	166.22
2.	राजस्थान	33.55	32.00	40.13	9.65	0.18	115.51
3.	महाराष्ट्र	61.24	52.00	21.03	52.09	0.26	186.62
4.	केरल	4.26	40.00	24.48	18.18	0.00	86.92
5.	तमिलनाडु	0.00	20.00	15.68	0.00	0.00	35.68
6.	सी०पी०एम०यू०					0.00	4.81
	उप-जोड़ (1)	139.58	189.00	171.99	89.54	0.84	595.76
	पुनःगठित आई०सी०डी०एस०-III परियोजना						
1.	मध्य प्रदेश	8.58	79.00	68.36	61.73	0.00	217.67
2.	छत्तीसगढ़	3.47	33.00	28.46	21.96	0.00	86.89
3.	बिहार	5.69	36.00	41.03	45.00	0.00	127.72
4.	झारखंड	1.96	12.00	36.84	12.00	0.00	62.80
5.	उड़ीसा	0.00	10.00	15.00	5.48	0.00	30.48
6.	उत्तरांचल	0.00	5.00	6.00	3.88	0.00	14.88
	उप-जोड़ (2)	19.70	175.00	195.69	150.05	0.00	540.44
	मॉडल आंगनबाड़ी भवन						
1.	गुजरात		6.00	0.00	1.00	0.00	7.00
2.	पश्चिम बंगाल		7.37	0.00	3.92	0.00	11.29
3.	कर्नाटक		5.00	0.00	1.43	0.00	6.43
4.	हरियाणा		3.44	0.00	0.72	0.00	4.15
5.	जम्मू व कश्मीर		3.00	0.00	0.00	0.00	3.00
6.	पंजाब		4.69	0.00	0.00	0.00	4.69
7.	हिमाचल प्रदेश			0.00	1.90	0.00	1.90
8.	पांडिचेरी		0.00	0.17	0.00	0.00	0.17
9.	अण्डमान व निकोबार		0.00	0.00	0.15	0.00	0.15
	उप-जोड़ (3)		29.50	0.17	9.12	0.00	38.78
	कुल आई०सी०डी०एस०-III (जमा)	*159.28*	393.50	367.85	248.71	0.84	1174.98
	आई०सी०डी०एस० — ए०पी०ई०आर० परियोजना						
1.	आंध्र प्रदेश		17.45	54.90	66.04	0.00	377.52
	कुल	378.31	410.95	422.75	314.75	0.84	1763.63
	बजटीय प्राक्कलन	288.48	600.00	270.00	135.00	1.48	1294.98

विवरण-III (घ)

दसवीं योजना के दौरान आई०सी०डी०एस० प्रशिक्षण कार्यक्रम के अंतर्गत वर्ष-वार आबंटन तथा व्यय

क्र० सं०	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	2002-03		2003-04		2004-05		2004-05		2004-05	
		निर्मुक्त राशि	व्यय	निर्मुक्त राशि	व्यय	निर्मुक्त राशि	व्यय	निर्मुक्त राशि	व्यय	निर्मुक्त राशि	व्यय
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	आंध्र प्रदेश	780.00	1283.47	1026.78	731.52	504.02	329.54	724.83	614.60	439.23	420.74
2.	अरूणाचल प्रदेश	8.00	17.10		0.00		0.00		0.00	37.83	0.00
3.	असम	132.75	96.94	101.26	91.51	200.00	269.03	474.00	100.00	260.00	100.00
4.	बिहार	787.77	116.99		110.65	100.00	437.09	500.00	142.16	375.00	56.61
5.	छत्तीसगढ़	250.00	232.55	124.00	141.70	290.72	146.00	100.00	94.78	297.51	100.00
6.	गोवा	5.00	5.21	1.98	5.85	8.19	5.50	4.00	1.00	3.98	0.00
7.	गुजरात	150.00	165.55	182.44	27.70	60.00	121.88	225.00	83.12	105.00	0.00
8.	हरियाणा	52.22	85.38	83.84	85.38	107.93	93.40	125.00	91.56	51.76	0.00
9.	हिमाचल प्रदेश	60.63	55.86	15.00	59.64	70.00	41.87	63.17	57.43	23.00	4.48
10.	जम्मू व कश्मीर	62.53	52.24	41.79	4.49		39.00	310.00	0.00	123.10	0.00
11.	झारखंड	100.00	38.20		45.11	211.04	68.83		81.49	85.00	18.38
12.	कर्नाटक	158.00	196.64	219.73	194.15	230.00	246.63	340.00	154.54	298.00	107.98
13.	केरल	300.00	221.39	58.42	138.68	408.42	199.71	150.00	128.00	93.00	0.00
14.	मध्य प्रदेश	744.17	508.50	644.98	791.40	658.76	526.45	100.00	176.52	181.49	105.49
15.	महाराष्ट्र	611.93	686.80	574.44	550.72	789.48	453.03	380.00	249.18	592.00	525.00
16.	मणिपुर	0.00	60.00	39.56	44.50	11.10	0.00	15.00	8.35	27.75	0.00
17.	मेघालय	25.00	30.56	5.00	30.38	17.00	13.66	30.60	17.70	18.50	17.89
18.	मिज़ोरम	10.28	37.64	19.83	18.06	14.00	6.76	5.00	14.00	5.50	17.49

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
19.	नागालैंड	40.00	28.84	23.07	26.24	25.00	35.33		24.38	12.66	2.13
20.	उड़ीसा	50.00	110.26	136.70	208.24	214.53	200.83	250.00	131.26	130.00	83.38
21.	पंजाब	100.00	73.27	41.41	26.68	52.00	11.66	30.00	4.16	60.00	0.00
22.	राजस्थान	946.27	812.75	484.90	812.75		153.61		55.97	386.84	77.86
23.	सिक्किम		9.58		8.51		4.57	4.00	3.32	10.00	4.89
24.	तमिलनाडु	48.42	303.19	401.54	603.92	655.39	336.23	350.00	164.31	263.00	0.00
25.	त्रिपुरा	70.73	50.00	25.01	45.74	37.87	6.02	40.00	0.00	33.11	0.00
26.	उत्तर प्रदेश	356.15	560.23	291.27	452.04	1397.00	885.42	1000.00	593.01	585.12	0.00
27.	उत्तरांचल	110.94	44.66	80.00	105.05	135.00	154.76	131.28	98.66	41.00	34.81
28.	पश्चिम बंगाल	400.00	314.41	316.35	458.96	436.52	453.03	450.00	169.12	226.16	0.00
29.	अण्डमान व निकोबार द्वीप समूह			3.38	3.38	3.00	2.93	20.00	0.00	4.98	0.12
30.	चण्डीगढ़	2.00	2.00	1.60	0.00		0.00	1.60	0.23	2.73	0.00
31.	दमन व दीव				0.00		0.00		0.00	0.00	0.00
32.	दादर व नगर हवेली				0.00		0.00		0.00	1.30	0.00
33.	दिल्ली	28.00	20.68	13.21	21.28	20.00	18.91	40.00	13.00	24.00	14.47
34.	लक्षद्वीप	1.00		1.06	0.00		0.00		0.00	0.00	0.00
35.	पांडिचेरी	3.96	2.72	2.18	0.00	1.00	1.23		0.00	0.00	0.00
	उप-जोड़	5686.75	6223.61	4960.73	5844.23	6657.97	5762.91	5863.48	3271.85	4798.55	1691.72
36.	खाद्य एवं पोषण बोर्ड	146.03	144.07	188.11	183.35	99.79	87.49	50.05	49.62	90.73	464.53
37.	निपसिड	25.00	112.05	0	41.74	50.00	106.29	179.76	0.00	87.59	606.89
	कुल	5857.78	6479.73	5148.84	6069.32	6807.76	5956.69	6093.29	3321.47	4976.87	2763.14

*तिमाही प्रगति रिपोर्टों के माध्यम से राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से प्राप्त सूचना के आधार पर

विवरण-III (ङ)

गत तीन वर्षों के दौरान किशोरी शक्ति योजना स्कीम के अंतर्गत निर्मुक्त/उपयोग की गई तथा वर्ष 2006-07 में निर्मुक्त की गई राशियों का राज्य-वार ब्यौरा

क्र० सं०	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	2003-04		2004-05		2005-06		2006-07
		निर्मुक्त राशि	उपयोग की गई राशि	निर्मुक्त राशि	उपयोग की गई राशि	निर्मुक्त राशि	उपयोग की गई राशि	निर्मुक्त राशि
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	आंध्र प्रदेश	69.3	0	69.3	42.65	386.1	32.11	199.1
2.	अरूणाचल प्रदेश	23.1	0	23.1	0	23.1	11.55	52.25
3.	असम	68.2	68	68.2	68	68.2	34.1	107.8
4.	बिहार	174.9	0	174.9	0	215.75	21.6	216.15
5.	छत्तीसगढ़	105.6	103.29	105.6	104.3	167.2	0	83.6
6.	गोवा	1.1	0	1.1	0	1.1	0	11
7.	गुजरात	44	39.23	44	34.66	249.7	25.8	124.3
8.	हरियाणा	93.5	28.95	93.5	29.83	127.6	40.99	63.8
9.	हिमाचल प्रदेश	16.5	11.43	16.5	17.48	79.2	16.75	39.6
10.	जम्मू व कश्मीर	2.2	0	2.2	0	2.2	1.1	152.9
11.	झारखंड	72.6	77.28	72.6	45.95	110	42.81	156.21
12.	कर्नाटक	41.8	2.57	41.8	31.54	203.5	101.75	101.75
13.	केरल	14.3	0	14.3	0	179.3	0	89.65
14.	मध्य प्रदेश	257.4	211.8	257.4	226.71	257.4	229.42	346.3
15.	महाराष्ट्र	107.8	0	107.8	18.98	409.2	96.8	204.6
16.	मणिपुर	15.4	0	15.4	14.3	15.4	0	21.9
17.	मेघालय	25.3	12.66	25.3	12.66	35.2	21.25	23.45
18.	मिजोरम	24.2	0	24.2	0	23.1	23.1	23.1
19.	नागालैंड	45.1	0	45.1	0	45.1	22.55	29.7
20.	उड़ीसा	123.2	0	123.2	73.37	123.2	0	179.3
21.	पंजाब	51.7	9.99	51.7	7	156.2	12.17	78.1
22.	राजस्थान	181.5	57.36	181.5	87.47	282.7	56.39	150.7
23.	सिक्किम	1.1	1.09	1.1	0.5	5.5	2.75	2.75
24.	तमिलनाडु	40.7	40.15	40.7	40.15	477.4	39.97	238.7
25.	त्रिपुरा	17.6	17.6	17.6	16.94	17.6	8.8	37.4

1	2	3	4	5	6	7	8	9
26.	उत्तर प्रदेश	465.3	307.7	465.3	462.87	900.9	923.14	933.9
27.	उत्तरांचल	44	1.93	44	22.32	108.9	44	54.45
28.	पश्चिम बंगाल	62.7	62.7	62.7	62.7	226.6	31.35	196.9
29.	अण्डमान व निकोबार द्वीप समूह	1.1	1.1	1.1	1.1	5.5	5.5	5.3
30.	चण्डीगढ़	1.1	0.33	1.1	0.17	1.71	1.71	3.3
31.	दादर व नगर हवेली	3.3	0	3.3	0	3.3	0.83	28.33
32.	दमन व दीव	1.1	0.43	1.1	1.06	1.1	0.53	0.55
33.	दिल्ली	1.1	1.1	1.1	1.68	1.1	1.82	1.1
34.	लक्षद्वीप	1.1	0	1.1	0	1.1	0.55	0.55
35.	पांडिचेरी	1.1	0	1.1	0	5.5	0.55	2.75
	कुल	2200	1056.69	2200	1424.39	4916.66	1851.74	3961.44

शिक्षा का विस्तार और उसका पुनर्गठन

***39. श्री दुष्यंत सिंह :** क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार देश में शिक्षा का व्यापक विस्तार और उसका पुनर्गठन करने हेतु कदम उठाने का है;

(ख) यदि हां, तो शिक्षा में क्या-क्या बदलाव किए जाने का प्रस्ताव है;

(ग) क्या शिक्षा के प्रस्तावित विस्तार कार्यक्रम में विदेशी भागीदारी को प्रोत्साहन दिए जाने की संभावना है; और

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री अर्जुन सिंह) : (क) और (ख) शिक्षा का विस्तार और उसका पुनर्गठन एक सतत प्रक्रिया है जिसे वर्ष 1992 में यथासंशोधित राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 1986 में भी स्वीकार किया गया है। सरकार ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना अवधि के दौरान शिक्षा के सभी क्षेत्रों में सकल नामांकन अनुपात (जी०ई०आर०) में वृद्धि करने के लिए वचनबद्ध है। विस्तार की यह प्रक्रिया, जो पहुंच, समानता और गुणवत्ता के मामलों को भी सुलझाएगी, संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर होती है।

(ग) और (घ) भारत सरकार के औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग द्वारा जारी दिनांक 11 फरवरी, 2000 के आदेश सं० 7(4)/2000-आई०पी० द्वारा फरवरी, 2000 से बगैर किसी विद्या संबंधी उच्चतम सीमा के स्वचालित मार्ग के अंतर्गत उच्चतर शिक्षा सहित शिक्षा में सीधे विदेशी पूंजीनिवेश की पहले ही अनुमति दी जा रही है। तथापि, विदेशी शैक्षिक संस्थाओं का प्रवेश और संचालन इससे संबंधी नीति और कानून के अधीन होगा।

[हिन्दी]

राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड में महिलाकर्मी

***40. श्रीमती सुमित्रा महाजन :** क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड (एन०एस०जी०) में कुल कितनी महिला कमांडो हैं;

(ख) गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान कुल कितनी महिला कमांडो की भर्ती की गई;

(ग) क्या सशस्त्र बलों अथवा अन्य पुलिस बलों की महिलाकर्मी राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड में शामिल नहीं हो रही है;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण है; और

(ङ) सरकार द्वारा राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड में महिलाकर्मियों की संख्या बढ़ाने हेतु प्रस्तावित योजना का ब्यौरा क्या है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीप्रकाश जायसवाल) : (क) से (ङ) राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड (एन०एस०जी०) 100% प्रतिनियुक्ति वाला कमांडों बल है। इसमें किसी भी कमांडों की सीधी भर्ती किए जाने

की कोई पद्धति नहीं है। एन०एस०जी० में प्राधिकृत 26 महिला कमांडों में से 10 महिला कमांडों ही नियुक्त हैं। केवल सी०आर०पी०एफ० महिला बटालियन और कुछ राज्य पुलिस बलों के कार्मिकों से भरी जाने वाली इन रिक्तियों को भरने के लिए नियमित आधार पर प्रयास किए जाते हैं। इस बल में प्रशिक्षण के लिए शारीरिक योग्यता की कठोर अपेक्षाओं के कारण अधिकतर महिला पुलिस कार्मिक इस बल के लिए अपना विकल्प प्रस्तुत नहीं करती हैं और संबंधित संगठनों द्वारा भी एन०एस०जी० में प्रतिनियुक्ति के लिए उन्हें प्रायोजित नहीं किया जाता है।

[अनुवाद]

अवैध खनन

126. **श्री नवीन जिन्दल : क्या खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :**

(क) क्या उच्चतम न्यायालय ने राष्ट्रीय राजधानी की सीमा से सटे पाँच किलोमीटर क्षेत्र की अरावली पहाड़ी में अवैध खनन पर प्रतिबंध लगा दिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का ध्यान उच्चतम न्यायालय के प्रतिबंध के बावजूद विशेषरूप से हरियाणा में अरावली पहाड़ी के अवैध खनन की ओर आकृष्ट किया गया है; और

(घ) यदि हां, तो ऐसे अवैध खनन को रोकने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

खान मंत्री (श्री शीश राम ओला) : (क) और (ख) उपलब्ध सूचना के अनुसार, भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने अपने दिनांक 6.5.2002 के अंतरिम आदेश के तहत दिल्ली-हरियाणा सीमा के 5 किलोमीटर की दूरी के भीतर खनन कार्यकलापों पर प्रतिबंध लगाया है। सर्वोच्च न्यायालय ने अपने दिनांक 12.11.2002 के निर्णय में अरावली की पहाड़ियों में खनन कार्यकलापों पर प्रतिबंध लगा दिया है।

(ग) और (घ) अवैध खनन की कुछ घटनाओं के बारे में जानकारी मिली है। हरियाणा राज्य सरकार ने सूचित किया है कि अवैध खनन को रोकने के लिए अरावली की पहाड़ियों के अंतर्गत आने वाले क्षेत्रों की कड़ी चौकसी की जा रही है। हरियाणा राज्य सरकार ने खान तथा खनिज (विकास तथा विनियमन) अधिनियम, 1957 की धारा 23-ग के अंतर्गत हरियाणा खनिज (अवैध खनन, परिवहन तथा भण्डारण प्रतिबंध) नियमावली, 2006 तैयार की है और अवैध खनन कार्यकलापों पर प्रतिबंध के लिए राज्य तथा जिला दोनों स्तरों पर टास्क फोर्स का गठन किया है।

बागान उद्योग

127. **श्री अनवर हुसैन : क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :**

(क) क्या सरकार ने बागान उद्योग की समस्याओं के अध्ययन के लिए एक उच्चस्तरीय कार्यबल गठित किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इससे असम के बागान उद्योग को कितना लाभ मिलेगा?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के वाणिज्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री जयराम रमेश) : (क) से (ग) जी, हां। वाणिज्य विभाग ने चाय, कॉफी, रबड़ और मसालों के उत्पादकों को होने वाली समस्या तथा कीमत उतार-चढ़ाव की सीमा का पता लगाने और उनका आकलन करने, बागान उद्योग की दीर्घावधि अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धात्मकता का आकलन करने तथा बागान क्षेत्र में मौसम एवं कीट संबंधी जोखिमों के प्रतिकूल प्रभावों से लघु उत्पादकों की सुरक्षा करने हेतु एक जोखिम प्रबंधन सहायता तंत्र तैयार करने के बारे में अध्ययन करने हेतु एक कार्यबल का गठन किया था।

कार्यबल ने बागान क्षेत्र के समग्र विकास हेतु ऐसे कुछेक उपायों की सिफारिश करते हुए अब अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है जिससे असम स्थित उद्योग सहित समूचे उद्योग को लाभ प्राप्त होगा।

व्यापार घाटा

128. **श्रीमती सी०एस० सुजाता : क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :**

(क) क्या पिछले वित्तीय वर्ष की तुलना में व्यापार घाटे में बढ़ोत्तरी हुई है;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान आयात-निर्यात मूल्य का ब्यौरा क्या है;

(ग) उक्त अवधि के दौरान व्यापार घाटे में बढ़ोत्तरी के क्या कारण हैं; और

(घ) इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का विचार है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के वाणिज्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री जयराम रमेश) : (क) और (ख) वर्तमान वर्ष 2006-07 (अप्रैल-दिसम्बर) हेतु उपलब्ध व्यापार के नवीनतम आंकड़ों के अनुसार व्यापार घाटा पिछले वर्ष इसी अवधि में 32 बिलियन अमरीकी डॉलर की तुलना में 42 बिलियन अमरीकी डॉलर था। पिछले तीन वर्षों के दौरान व्यापार घाटे के साथ-साथ निर्यातों व आयातों के मूल्य का ब्यौरा निम्नानुसार है :—

(बिलियन अमरीकी डॉलर)

वर्ष	निर्यात	आयात	व्यापार संतुलन
2003-04	63.8	78.1	-14.3
2004-05	83.5	111.5	-28.0
2005-06	103.1	149.2	-46.1
2006-07 (अ) अप्रैल-दिसम्बर, 2006-07	89.5	131.2	-41.7

(अ) अनन्तिम

स्रोत: डी०जी०सी०आई० एण्ड एस०, कोलकाता

(ग) और (घ) वर्तमान वर्ष के दौरान व्यापार घाटे में वृद्धि का प्रमुख कारण कच्चे तेल की अधिक कीमत तथा विनिर्माण क्षेत्र में अभूतपूर्व वृद्धि को कायम रखने के लिए जरूरी पूंजीगत वस्तुओं तथा कच्चे माल/मध्यवर्ती उत्पादों के आयात में अत्यधिक बढ़ोत्तरी होना है। सरकार स्थिति पर नजर रखे हुए हैं। व्यापार घाटे को नियंत्रित करने के लिए आयातों पर कृत्रिम प्रतिबंध प्रस्तावित नहीं हैं क्योंकि मुद्रास्फीति पर इसका प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है।

[हिन्दी]

विशेष आर्थिक जोन के प्रस्ताव

129. **श्रीमती करूणा शुक्ला :** क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विशेष आर्थिक जोन में कितना प्रत्यक्ष विदेशी निवेश या पूंजी निवेश किए जाने की संभावना है;

(ख) उपर्युक्त विशेष आर्थिक जोनों में कितनी घरेलू तथा विदेशी कंपनियों द्वारा उक्त निवेश किए जाने की संभावना है;

(ग) अब तक कितने विशेष आर्थिक जोन अनुमोदित किए गए हैं तथा इसमें कितना प्रत्यक्ष विदेशी निवेश या पूंजी निवेश यदि कोई हो, तो, इन विशेष आर्थिक जोनों में किया गया है;

(घ) उपर्युक्त कंपनियों को कितनी भूमि तथा कहां-कहां पर आबंटित की गई है; और

(ङ) उपर्युक्त आवंटित भूमि में कृषि, वन तथा जनजातीय क्षेत्रों का अलग-अलग ब्यौरा क्या है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के वाणिज्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री जयराम रमेश) : (क) से (ग) औपचारिक रूप से अनुमोदित किए गए 234 विशेष आर्थिक जोनों (एस०ई०जेड०) में 3,00,000 करोड़ रुपए का निवेश होने की आशा है। 10 फरवरी, 2006 के बाद अधिसूचित 63 एस०ई०जेडों० में लगभग 11,000 करोड़ रुपए का निवेश किया जा चुका है, जिसमें से लगभग 2000 करोड़ रुपए का विदेशी प्रत्यक्ष निवेश (एफ०डी०आई०) है। आशा है कि इन एस०ई०जेडों० में कुल निवेश लगभग 58000 करोड़ रुपए का होगा। इन एस०ई०जेडों० में निवेश करने वाली संभावित घरेलू एवं विदेशी कंपनियों की संख्या का अनुमान लगाना इस स्तर पर संभव नहीं है।

(घ) और (ङ) चूंकि भूमि राज्य का एक विषय है इसलिए एस०ई०जेड० सहित विभिन्न प्रयोजनों हेतु भूमि को अभिज्ञात करने अथवा उसका आवंटन करने का निर्णय इस प्रयोजनार्थ निर्धारित नीतियों के अनुसार संबंधित राज्य सरकारों द्वारा लिया जाता है। राज्य सरकारों द्वारा विधिवत संस्तुत प्रस्तावों को ही केंद्र सरकार अनुमोदन प्रदान करती है। औपचारिक रूप से अनुमोदित 234 एस०ई०जेडों० में अंतर्ग्रस्त कुल भू-क्षेत्र लगभग 33808 हेक्टेयर है। औपचारिक रूप से अनुमोदित एस०ई०जेडों० की संख्या तथा भू-क्षेत्र का राज्य-वार ब्यौरा निम्नानुसार है :—

क्र० सं०	राज्य/संघ शासित क्षेत्र का नाम	औपचारिक अनुमोदन प्रदत्त एसईजेडों की संख्या	क्षेत्र हैक्टेयर में
1	2	3	4
1.	आंध्र प्रदेश	44	9387.957
2.	चंडीगढ़	02	87.49
3.	दिल्ली	01	6
4.	गोआ	04	290.98
5.	गुजरात	19	9337.25
6.	हरियाणा	19	818.408
7.	झारखण्ड	01	36
8.	कर्नाटक	27	1566.339
9.	केरल	10	569.651
10.	मध्य प्रदेश	04	71.25
11.	महाराष्ट्र	47	8130.8
12.	उड़ीसा	05	745.61
13.	पांडिचेरी	01	346

1	2	3	4
14.	पंजाब	04	252
15.	राजस्थान	03	89.23
16.	तमिलनाडु	25	1300.571
17.	उत्तरांचल	03	468.2
18.	उत्तर प्रदेश	08	133.83
19.	पश्चिम बंगाल	07	170.26
	कुल	234	33807.826

भेड़ की ऊन तथा ऊंट के बाल लघु उद्योग उत्पाद के रूप में

130. **प्रो० रासा सिंह रावत : क्या लघु उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार भेड़ की ऊन तथा ऊंट के बाल को लघु उद्योग के उत्पाद के रूप में बढ़ावा देने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस संबंध में सरकार की क्या कार्य योजना है; और

(ग) सरकार का विशेषरूप से राजस्थान में जहां भेड़ तथा ऊंट काफी संख्या में हैं, इस संबंध में क्या उपाय किए जाने का विचार है तथा कंबलों की किस्मों में सुधार के लिए क्या उपाय करने का विचार है?

लघु उद्योग मंत्री तथा कृषि एवं ग्रामीण उद्योग मंत्री (श्री महावीर प्रसाद) : (क) से (ग) जी, नहीं।

राज्य सरकारें/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन लघु उद्योग क्षेत्र के संवर्धन और विकास के लिए मुख्य रूप से उत्तरदायी हैं और इस मामले पर राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों से ऐसा कोई अनुरोध प्राप्त नहीं हुआ है।

प्रधान मंत्री आवास

131. **प्रो० विजय कुमार मल्होत्रा :**
डा० लक्ष्मीनारायण पाण्डेय :

क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या फरवरी, 2007 में प्रधानमंत्री आवास में घुस आने की घटना घटी है;

(ख) यदि हां, तो सुरक्षा कार्मिकों तथा दोषी व्यक्तियों के खिलाफ क्या-क्या कार्यवाही की गई तथा इसका अलग-अलग ब्यौरा क्या है;

(ग) गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान प्रधानमंत्री आवास में ऐसी कुल कितनी घटनाएं घटी तथा इनका वर्ष-वार ब्यौरा क्या है;

(घ) प्रत्येक घटना में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई; और

(ङ) भविष्य में ऐसी घटना की पुनरावृत्ति रोकने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का प्रस्ताव है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीप्रकाश जायसवाल) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता है।

(ग) विगत तीन वर्षों के दौरान प्रधानमंत्री आवास में घुस आने की कोई घटना नहीं घटी है।

(घ) और (ङ) प्रश्न नहीं उठता है।

[अनुवाद]

धागा डिपो

132. **श्री बाडिगा रामकृष्णा : क्या वस्त्र मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में धागा डिपो (यार्न डिपो) के लक्ष्यों और उद्देश्यों का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार ने देश में नए धागा डिपो स्थापित किए हैं/करने का विचार है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्यवार तथा संघ राज्य क्षेत्रवार विशेषरूप से आन्ध्र प्रदेश का ब्यौरा क्या है?

वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ई०वी०के०एस० इलँगोवन) : (क) और (ख) हथकरघा बुनकरों को उचित मूल्यों पर सभी प्रकार के धागों की निरंतर और समय पर आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए 2006-07 के दौरान पूरे देश में 273 नए धागा डिपो स्थापित किए गए हैं। ये डिपो पहले से कार्य कर रहे 110 डिपुओं के अतिरिक्त हैं।

(ग) आन्ध्र प्रदेश में 70 धागा डिपो हैं। देश में यार्न डिपुओं की राज्यवार सूची संलग्न विवरण में दी गयी है।

विवरण

मौजूदा और नए धागा डिपुओं की राज्यवार सूची

क्रम सं०	राज्य	31 मार्च, 2006 की स्थिति के अनुसार मौजूद	2006-07 के दौरान खोले गए नए धागा डिपो
1	2	3	4
1.	आन्ध्र प्रदेश	29	41
2.	अरूणाचल प्रदेश	–	2
3.	असम	–	17
4.	बिहार	–	5
5.	छत्तीसगढ़	1	3
6.	गुजरात	–	2
7.	हरियाणा	–	23
8.	हिमाचल प्रदेश	–	2
9.	जम्मू व कश्मीर	–	2
10.	झारखंड	–	2
11.	कर्नाटक	6	11
12.	केरल	7	23
13.	मध्य प्रदेश	11	7
14.	महाराष्ट्र	–	1
15.	मणिपुर	2	5
16.	मेघालय	–	2
17.	मिजोरम	–	2
18.	नागालैंड	1	2
19.	उड़ीसा	–	12
20.	पांडिचेरी	1	1
21.	पंजाब	–	2
22.	राजस्थान	2	1
23.	तमिलनाडु	29	54
24.	त्रिपुरा	2	–
25.	उत्तर प्रदेश	13	24
26.	उत्तराखंड	1	1
27.	पश्चिम बंगाल	5	26
	कुल	110	273

[हिन्दी]

आंगनवाड़ी केन्द्र

133. श्री गणेश सिंह :
श्री एम० राजामोहन रेड्डी :

क्या **महिला और बाल विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में कितने आंगनवाड़ी केन्द्रों की आवश्यकता है;

(ख) अब तक ऐसे कुल कितने केन्द्र स्थापित किए गए हैं, तथा राज्यवार कितने चल रहे है;

(ग) क्या सरकार ने इन केन्द्रों के कार्यकरण की पुनरीक्षा की है; और

(घ) यदि हां, तो इसके क्या परिणाम निकले?

महिला और बाल विकास मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती रेनुका चौधरी) : (क) आंगनवाड़ी केंद्रों की स्थापना स्कीम के अंतर्गत निर्धारित जनसंख्या मानदण्डों के अनुसार, की जाती है।

सरकार के राष्ट्रीय न्यूनतम साझा कार्यक्रम में परिकल्पना की गई है कि समेकित बाल विकास सेवा स्कीम को सर्वसुलभ बनाने, प्रत्येक बस्ती में एक कार्यशील आंगनवाड़ी केन्द्र उपलब्ध कराने तथा सभी बच्चों को लाभान्वित करना सुनिश्चित करने के प्रयास किए जाएंगे। इस प्रतिबद्धता को पूरा करने के लिए, राज्यों से प्राप्त आवश्यकताओं के आधार पर आई०सी०डी०एस० स्कीम का दो बार विस्तार किया गया है। इन विस्तारों के फलस्वरूप, देश में संस्वीकृत परियोजनाओं, आंगनवाड़ी केंद्रों तथा लघु आंगनवाड़ी केंद्रों की कुल संख्या क्रमशः 6291, 10.53 लाख तथा 36847 हो गई है।

मौजूदा जनसंख्या मानदण्डों को संशोधित किया जा रहा है तथा नए जनसंख्या मानक बन जाने के बाद आई०सी०डी०एस० स्कीम को सर्वसुलभ बनाने के लिए अतिरिक्त आई०सी०डी०एस० परियोजनाओं/आंगनवाड़ी केंद्रों/लघु-आंगनवाड़ियों की आवश्यकताओं का पता लगाने हेतु आगामी कार्रवाई की जाएगी।

(ख) संस्वीकृत तथा प्रचालित आंगनवाड़ी केंद्रों की राज्य-वार संख्या संलग्न विवरण में दी गई है।

(ग) और (घ) आई०सी०डी०एस० स्कीम के कार्यान्वयन पर अनेक मूल्यांकन अध्ययन आयोजित किए गए हैं। राष्ट्रीय जन सहयोग एवं बाल विकास संस्थान द्वारा वर्ष 2006 के दौरान अद्यतन मूल्यांकन किया गया। इन केंद्रों के कार्यकरण पर इस अध्ययन के प्रमुख निष्कर्ष इस प्रकार हैं :

(i) इस अध्ययन के अंतर्गत शामिल 44% आंगनवाड़ी केंद्रों में स्कूल-पूर्व शिक्षा किटों का अभाव पाया गया।

(ii) आंगनवाड़ी स्तर पर औसतन 46.31 दिनों तक पूरक पोषण की आपूर्ति में व्यवधान नोटिस किया गया। व्यवधान का प्रमुख कारण पूरक पोषण की मदों की आपूर्ति में विलम्ब होना बताया गया।

(iii) 36.5% माताओं ने नवजात शिशुओं का वजन न करवाए जाने की बात कही।

(iv) 29% शिशु जन्म के समय कम वजनी थे, जिनका वजन सामान्य से नीचे (2500 ग्राम से कम) था।

(v) 37% आंगनवाड़ी कार्यकत्रियों ने पोषण और स्वास्थ्य शिक्षा हेतु सामग्री/सहायता की अनुपलब्धता के बारे में बताया।

विवरण

देश में संस्वीकृत और प्रचालित आंगनवाड़ियों की राज्य-वार संख्या दर्शाने वाला विवरण

क्र० सं०	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	आंगनवाड़ी केंद्रों की संख्या		
		31.3.2005 तक संस्वीकृत	2005-06 के दौरान संस्वीकृत	प्रचालित
1	2	3	4	5
1.	आन्ध्र प्रदेश	56204	9562	58581
2.	अरूणाचल प्रदेश	2359	678	2359
3.	असम	25416	6659	25447
4.	बिहार	60813	19715	57767
5.	छत्तीसगढ़	20289	9148	20401
6	गोवा	1012	0	1012
7.	गुजरात	37961	3523	37512
8.	हरियाणा	13546	2813	15967
9.	हिमाचल प्रदेश	7354	10894	7354
10.	जम्मू और कश्मीर	18772	0	10398
11.	झारखण्ड	24171	6683	21459
12.	कर्नाटक	40301	11313	44609
13.	केरल	25393	3258	25382
14.	मध्य प्रदेश	49787	9537	49806
15.	महाराष्ट्र	62716	12864	68184
16.	मणिपुर	4501	0	4501
17.	मेघालय	2218	961	3143
18.	मिजोरम	1361	231	1592
19.	नागालैण्ड	2270	265	2770
20.	उड़ीसा	34201	3279	34997
21.	पंजाब	14730	2691	14730
22.	राजस्थान	35821	11041	38414
23.	सिक्किम	500	488	757
24.	तमिलनाडु	42677	3049	42677
25.	त्रिपुरा	3874	2220	6059
26.	उत्तर प्रदेश	106059	31498	116740
27.	उत्तरांचल	6658	1134	7579
28.	पश्चिम बंगाल	57540	17100	55064
29.	अण्डमान एवं निकोबार द्वीप समूह	527	94	621
30.	चण्डीगढ़	300	29	329
31.	दिल्ली	3902	529	4011
32.	दादर एवं नगर हवेली	138	77	138
33.	दमन एवं दीव	87	10	97
34.	लक्षद्वीप	74	0	74
35.	पाण्डिचेरी	677	11	677
	अखिल भारत	764709	181351	781208

दूतावासों को संपत्ति कर में छूट

134. डा० लक्ष्मीनारायण पांडेय : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नई दिल्ली में स्थित विभिन्न दूतावासों को सरकार संपत्ति कर में छूट देती है; और

(ख) यदि हां, तो ऐसा किस कारण से किया जाता है तथा आज की स्थिति में इससे सरकार को कुल कितनी हानि हुई?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस० रघुपति) : (क) और (ख) जी, हां। राजनयिक संबंधों संबंधी वियना अभिसमय, 1961 के अधीन भारत सरकार के दायित्वों के संबंध में नई दिल्ली स्थित विभिन्न देशों के राजदूतावासों को सम्पत्ति-कर का भुगतान किए जाने से छूट प्रदान की गई है। इस संबंध में सरकार को कोई क्षति नहीं होती क्योंकि विदेशों में स्थित भारतीय राज दूतावासों को भी संबंधित देशों की सरकारों द्वारा ऐसी ही छूट प्रदान की जाती है।

[अनुवाद]

हिरासत में मौत

135. श्री मणी कुमार सुब्बा : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान तथा आज तक राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने राज्यवार तथा संघ राज्य क्षेत्रवार हिरासत में हुई कुल कितनी मौतों की संख्या बताई है;

(ख) दोषी अधिकारियों के खिलाफ सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है;

(ग) राज्यवार हिरासत में मरे प्रत्येक व्यक्ति के निकट संबंधी को कितना मुआवजा दिया गया; और

(घ) भविष्य में इन हिरासत की मौतों को रोकने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाए हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीप्रकाश जायसवाल) : (क) राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों से राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (एन०एच०आर०सी०) को प्राप्त रिपोर्टों के अनुसार, वर्ष 2003-2004, 2004-2005 और 2005-2006 के दौरान हिरासत में हुई मौतों की संख्या को संलग्न विवरण-I में दर्शाया गया है।

(ख) कानून और व्यवस्था राज्य का विषय है। तथापि, एन०एच०आर०सी० द्वारा की गई जांच के पश्चात दोष सिद्ध हो जाने पर एन०एच०आर०सी० संबंधित राज्य सरकारों को हिरासती मौत के दोषी अधिकारियों के विरूद्ध ऐसी अनुशासनिक कार्रवाई करने की सिफारिश करता है जिसमें अभियोजन और मुआवजा शामिल हो।

(ग) एन०एच०आर०सी० से प्राप्त रिपोर्टों के अनुसार, हिरासत में हुई प्रत्येक मौत में आश्रितों को दिए मुआवजे के राज्य-वार ब्योरे संलग्न विवरण-II (क) और II (ख) में दिए गए हैं।

(घ) एन०एच०आर०सी० ने सभी राज्य सरकारों/संघ शासित क्षेत्रों को हिरासत में हुई मौत की घटनाओं के उनके घटने के 24 घंटे के भीतर आयोग को सूचित करने के लिए दिशा निर्देश जारी किए हैं। आयोग उन मामलों में दोषी पुलिस अधिकारियों के विरूद्ध अनुशासनिक/विभागीय कार्रवाई करने और साथ ही अभियोजन शुरू करने की सिफारिश करता है जहां हिरासत में हुई हिंसा का प्रथम-दृष्टया मामला सिद्ध हो जाता है। राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों में अपने दौरे के दौरान एन०एच०आर०सी० के अध्यक्ष और सदस्य, राज्य के अधिकारियों को हिरासत में हुई मौतों को नियंत्रित करने की आवश्यकता पर हमेशा से जोर देते रहे हैं। इसके अतिरिक्त, आयोग समय-समय पर, हिरासत में हुई मौतों के मामलों को निपटाते समय, राज्य प्राधिकारियों को भविष्य में ऐसी हिरासत में होने वाली मौतों की पुनरावृत्ति को रोकने हेतु उचित टिप्पणी करता है।

विवरण-I

वर्ष 2003-2004 से 2005-2006 तक के दौरान राज्य सरकारों/संघ शासित क्षेत्रों में एन०एच०आर०सी० को सूचित हिरासत में हुई मौतों का ब्यौरा

राज्य	2003-2004		कुल	2004-2005		कुल	2005-2006		कुल
	पुलिस हिरासत*	न्यायिक हिरासत*		पुलिस हिरासत*	न्यायिक हिरासत*		पुलिस हिरासत*	न्यायिक हिरासत*	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
आन्ध्र प्रदेश	10	114	124	13	116	129	11	134	145
अरूणाचल प्रदेश	2	1	3	—	2	2	1	—	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
असम	6	18	24	4	11	15	7	27	34
बिहार	0	139	148	3	150	153	1	246	247
गोवा	–	–	–	–	4	4	1	4	5
गुजरात	20	37	57	15	54	69	20	52	72
हरियाणा	2	49	51	2	49	51	4	58	62
हिमाचल प्रदेश	–	2	2	–	5	5	–	5	5
जम्मू और कश्मीर	–	–	–	–	–	–	1	–	1
कर्नाटक	4	52	56	9	51	60	5	67	72
केरल	4	51	55	6	51	57	5	44	49
मध्य प्रदेश	3	30	33	2	49	51	4	44	48
महाराष्ट्र	32	148	180	23	138	161	20	115	135
मणिपुर	–	–	–	–	–	–	–	–	–
मेघालय	3	3	6	2	6	8	–	4	4
मिजोरम	–	2	2	–	–	–	–	–	–
नागालैंड	–	–	–	–	–	–	–	–	–
उड़ीसा	1	52	53	3	39	42	2	42	44
पंजाब	7	81	88	6	65	71	6	100	106
राजस्थान	5	45	50	–	50	50	7	50	57
सिक्किम	–	–	–	–	–	–	–	–	–
तमिलनाडु	12	106	118	9	98	107	7	101	108
त्रिपुरा	–	–	–	1	4	5	1	4	5
उत्तर प्रदेश	18	199	217	7	219	226	18	259	277
पश्चिम बांगल	13	43	56	11	64	75	8	76	84
अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	–	–	–	–	1	1	–	2	2
चंडीगढ़	–	4	4	1	3	4	–	3	3
दादरा और नागर हवेली	–	–	–	–	–	–	–	–	–
दमण और दीव	–	–	–	–	–	–	–	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
दिल्ली	3	22	25	5	27	32	3	29	32
लक्षद्वीप	—	—	—	—	—	—	—	—	—
पांडिचेरी	1	—	1	1	—	1	—	1	1
छत्तीसगढ़	2	42	44	5	26	31	2	52	54
झारखंड	3	53	56	5	66	71	4	62	66
उत्तरांचल	2	7	9	3	9	12	1	10	11
कुल भामले	162	1300	1462	136	1357	1493	139	1591	1730

*पी०सी० : पुलिस हिरासत

*जे०सी० : न्यायिक हिरासत

विवरण-II(क)

1.4.2003 से 31.3.2006 तक की अवधि के लिए पुलिस हिरासत में हुई मौतों के मामलों में एन०एच०आर०सी० द्वारा दिया गया राज्य-वार मुआवजा

क्रम सं०	राज्य/संघ शासित क्षेत्र	मामला सं०	प्रदान की गई धनराशि (रु०)	स्थिति
1	2	3	4	5
1.	अरूणाचल प्रदेश	1. 14/2/2002-2003-सी०डी०	50,000/-	संकलित
2.	बिहार	2. 263/4/1999-2000-सी०डी०	50,000/-	संकलित
		3. 36/4(16)96-एल०डी०	50,000/-	संकलित
3.	गुजरात	4. 36/6(15)/96-एल०डी०	1,00,000/-	संकलित
4.	हरियाणा	5. 249/7/2002-2003-सी०डी०	50,000/-	संकलित
		6. 2543/7/2000-2001-सी०डी०	1,00,000/-	संकलित
5.	जम्मू और कश्मीर	7. 475/9/97-98-सी०डी०	1,00,000/-	संकलित
6.	मध्य प्रदेश	8. 1800/12/2000-2001-सी०डी०	20,000/-	संकलित
7.	महाराष्ट्र	9. 176/13/2000-2001-सी०डी०	50,000/-	संकलित
		10. 36/13(6)/96-एल०डी०	50,000/-	संकलित
		11. 885/13/1999-2000-सी०डी०	50,000/-	12,500 संकलित 37,5000/- प्रमाण हेतु प्रतीक्षित
8.	उड़ीसा	12. 398/18/2001-2002-सी०डी०	1,00,000/-	संकलित
		13. 825/18/97-98-सी०डी०	50,000/-	प्रमाण हेतु प्रतीक्षित

1	2	3	4	5
9.	उत्तर प्रदेश	14. 36/24(33)/95-एल०डी०	1,00,000/-	संकलित
		15. 3760/24/99-2000-सी०डी०	50,000/-	संकलित
		16. 15375/24/99-2000-सी०डी०	1,00,000/-	प्रमाण हेतु प्रतीक्षित
		17. 36/24/(32)/96-एल०डी०	1,00,000/-	प्रमाण हेतु प्रतीक्षित
10.	दिल्ली	18. 88/30/97-98-सी०डी०	1,00,000/-	संकलित
11.	झारखंड	19. 36/4 (38)/96-एल०डी०	50,000/-	संकलित
	कुल		13,20,000/-	

विवरण-II(ख)

1.4.2003 से 31.3.2006 तक की अवधि के लिए हिरासत में हुई मौतों के मामलों में एन०एच०आर०सी० द्वारा प्रदान किया गया राज्य-वार मुआवजा

क्रम सं०	राज्य/संघ शासित क्षेत्र	मामला सं०	प्रदान की गई धनराशि (रु०)	स्थिति
1	2	3	4	5
1.	आन्ध्र प्रदेश	1. 919/1/2000-2001-सी०डी०	50,000/-	संकलित
2.	बिहार	2. 2435/4/2000-01-सी०डी०	1,00,000/-	संकलित
3.	गुजरात	3. 183/6/97-98-सी०डी०	1,00,000/-	आयोग के विचार हेतु समीक्षा के लिए अनुरोध
4.	मध्य प्रदेश	4. 62/12/2001-2002-सी०डी०	50,000/-	संकलित
5.	महाराष्ट्र	5. 840/13/2002-2003-सी०डी०	50,000/-	संकलित
6.	राजस्थान	6. 246/20/2003-2004-सी०डी०	50,000/-	आयोग के विचार हेतु समीक्षा के लिए अनुरोध
7.	तमिलनाडु	7. 30/22/97-98-सी०डी०	1,00,000/-	संकलित
8.	उत्तर प्रदेश	8. 41373/24/2000-2001-सी०डी०	50,000/-	संकलित
		9. 9161/24/98-99-सी०डी०	1,00,000/-	संकलित
		10. 5237/24/2000-01-सी०डी०	1,00,000/-	संकलित
		11. 38381/24/2001-02-सी०डी०	50,000/-	संकलित
		12. 6194/24/2000-01-सी०डी०	1,00,000/-	संकलित
		13. 997/24/1999-2000-सी०डी०	20,000/-	संकलित
		14. 27993/24/2001-02-सी०डी०	25,000/-	संकलित
		15. 20143/24/2002-03-सी०डी०	50,000/-	संकलित

1	2	3	4	5
9.	दिल्ली	16. 103/30/2001-02-सी०डी०	50,000/-	संकलित
10.	छत्तीसगढ़	17. 43/33/2001-02-सी०डी०	1,00,000/-	संकलित
		कुल	11,45,000/-	

लेखन सामग्री की खरीद

136. **श्री रघुनाथ झा :** क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने जी०एफ०आर०एस०-2005 के नियम 145 और 146 के अंतर्गत केन्द्रीय भण्डार की दरों से अत्यधिक मूल्य पर एन०सी०सी०एफ० से लेखन सामग्री तथा अन्य वस्तुएं खरीदी हैं;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार ने इस मामले की जांच की है और जिन वस्तुओं के मूल्य केन्द्रीय भण्डार में कम पाए गए हैं उनकी खरीद तत्काल प्रभाव से केन्द्रीय भण्डार से करना शुरू किया है;

(घ) यदि हां, तो क्या नए जी०एफ०आर०एस०-2005 के प्रावधान केन्द्रीय भण्डार से खरीद को बाहर नहीं करते हैं;

(ङ) यदि हां, तो केन्द्रीय भण्डार से नहीं खरीदने के क्या कारण हैं;

(च) यदि हां, तो मंत्रालय के अन्तर्गत आने वाले दिल्ली पुलिस तथा अन्य दूसरे प्रतिष्ठानों के संबंध में जी०एफ०आर०एस०-2005 के नियम 145 और 146 के अंतर्गत खरीद के बारे में ऐसी जानकारी क्या है;

(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ज) मंत्रालय के अंतर्गत आसूचना ब्यूरो, सी०आर०पी०एफ०, आई०टी०बी०पी०, बी०एस०एफ० और अन्य कार्यालयों द्वारा खरीद के बारे में ब्यौरा क्या है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री माणिकराव होडल्या गावित) : (क) और (ख) लेखन वस्तुओं के मूल्य उनकी गुणवत्ता, किस्म, आकार इत्यादि के आधार पर भिन्न-भिन्न होते हैं और इस प्रकार इन पहलुओं को ध्यान में रखने के बाद ही मूल्यों की अर्थपूर्ण तुलना संभव है। तथापि, एन०सी०सी०एफ० द्वारा आपूर्ति किए गए पदार्थों के मूल्य और गुणवत्ता के बारे में कोई आशंका नहीं हुई है।

(ग) से (ङ) नए जी०एफ०आर०, 2005 के प्रावधानों में केन्द्रीय भंडार से खरीद को वर्जित नहीं किया गया है। यह मंत्रालय केन्द्रीय भण्डार से लेखन सामग्री की वस्तुओं को प्राप्त करने के विरुद्ध नहीं है यदि वे जी०एफ०आर०, 2005 में निर्धारित मानदंडों को पूरा करते हो।

(च) से (ज) सूचना एकत्र की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

[हिन्दी]

निर्यात प्रसंस्करण जोन

137. **श्री गिरिधारी यादव :** क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में विशेषतः बिहार में उन स्थानों का ब्यौरा क्या है जहां निर्यात प्रसंस्करण जोन, विशेष आर्थिक जोन, विदेश व्यापार जोन और कृषि निर्यात जोन कार्य कर रहे हैं;

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान इन जोनों द्वारा क्या कार्यकलाप किए गए;

(ग) क्या ये जोन अपने लक्ष्यों के अनुसार कार्य नहीं कर रहे हैं;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ङ) क्या सरकार ने इस संबंध में कोई सर्वेक्षण किया है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के वाणिज्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री जयराम रमेश) : (क) इस समय कोई निर्यात संसाधन जोन अथवा विदेश व्यापार जोन स्कीम प्रचालन में नहीं है। वर्तमान में बिहार में कोई भी विशेष आर्थिक जोन प्रचालनरत नहीं है। बिहार में लीची, सब्जियों तथा शहद के लिए केवल एक कृषि निर्यात जोन (ए०ई०जेड०) को अधिसूचित किया गया है। देश में अधिसूचित विशेष आर्थिक जोनों तथा कृषि निर्यात जोनों के राज्य-वार ब्यौरे दर्शाने वाला विवरण संलग्न है।

(ख) 135 कृषकों को प्रशिक्षण प्रदान किया गया है तथा एक पैक हाउस को शुरू किया जा चुका है। चालू वर्ष के दौरान लीची की खेती के अंतर्गत आने वाले क्षेत्र को बढ़ाकर 1300 एकड़ कर दिया जाएगा और इस ए०ई०जेड० से 10000 कृषकों के लाभान्वित होने की संभावना है।

(ग) से (च) इस कृषि निर्यात जोन से लीचियों का निर्यात वर्ष 2002-03 में 152 मी० टन से बढ़कर वर्ष 2005-06 में लगभग 900 मी० टन हो गया है। सरकार ने ए०ई०जेडों० के मूल्यांकन हेतु एक परिपूर्ण मूल्यांकन समिति का गठन किया है।

विवरण

देश में अधिसूचित एस०ई०जेडों० तथा कृषि निर्यात जोनों के राज्य-वार ब्यौरे

क्र० सं०	राज्य	अधिसूचित एसईजडों की संख्या	अधिसूचित एईजडों की संख्या
1	2	3	4
1.	आंध्र प्रदेश	16	5
2.	असम	–	1
3.	बिहार	–	1
4.	चंडीगढ़	1	
5.	गुजरात	9	3
6.	हरियाणा	2	–
7.	हिमाचल प्रदेश	–	1
8.	जम्मू एवं कश्मीर	–	2
9.	झारखण्ड	1	1
10.	कर्नाटक	10	4
11.	केरल	6	2
12.	महाराष्ट्र	8	8
13.	मध्य प्रदेश	3	5
14.	उड़ीसा	–	1
15.	पंजाब	1	3
16.	राजस्थान	2	2
17.	सिक्किम	–	2
18.	तमिलनाडु	14	4
19.	त्रिपुरा	–	1
20.	उत्तरांचल	–	4
21.	उत्तर प्रदेश	5	4
22.	पश्चिम बंगाल	4	6
	कुल	82	60

[अनुवाद]

समुद्री उत्पादों का निर्यात

138. श्री दलपत सिंह परस्ते : क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान कुल कितनी मात्रा में समुद्री उत्पाद का निर्यात हुआ और उसका मूल्य कितना है;

(ख) उक्त अवधि के दौरान दक्षिण पूर्व एशियाई देशों को कुल कितनी मात्रा और मूल्य के समुद्री उत्पाद निर्यात किए गए तथा इन देशों के नाम क्या हैं; और

(ग) समुद्री उत्पादों के निर्यातकों को दिए जा रहे विशिष्ट निर्यात प्रोत्साहनों का ब्यौरा क्या है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के वाणिज्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री जयराम रमेश) : (क) पिछले तीन वर्षों के दौरान निर्यातित समुद्री उत्पादों की कुल मात्रा और मूल्य निम्नानुसार हैं–

भारत से समुद्री उत्पादों का निर्यात

	2005-06	2004-05	2003-04
मात्रा (टन)	512164	461329	412017
मूल्य (करोड़ रु०)	7245.30	6646.69	6091.95
अमरीकी डालर (मिलियन)	1644.21	1478.48	1330.76

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान दक्षिण पूर्व एशियाई देशों को निर्यातित समुद्री उत्पादों की कुल मात्रा और मूल्य के साथ-साथ उनके नाम निम्नानुसार हैं :–

दक्षिण-पूर्व एशियाई देशों को समुद्री उत्पादों का निर्यात

मा: मात्रा मी० टन में, मू: मूलय करोड़ रु० में, डॉ, मिलि, अम० डा०

देश		2005-06	2004-05	2003-04
1		2	3	4
मलेशिया	मा:	13545	14046	12019
	मू:	151.29	148.26	68.60
	डा:	34.38	32.84	15.00
थाईलैंड	मा:	18320	10706	8174
	मू:	119.44	84.60	115.32
	डा:	26.99	18.81	25.04
सिंगापुर	मा:	5295	9566	5885
	मू:	100.00	113.65	87.96
	डा:	22.68	25.33	19.20
वियतनाम	मा:	4769	4610	5635
	मू:	90.81	103.53	147.29
	डा:	20.49	23.16	32.27
कोरिया गणराज्य	मा:	11550	17445	11194
	मू:	72.45	102.27	67.60
	डा:	16.39	22.68	14.73
ताइवान	मा:	6144	6086	7234
	मू:	45.74	46.38	50.34
	डा:	10.37	10.34	11.00
इंडोनेशिया	मा:	132	883	272
	मू:	4.45	27.97	7.96
	डा:	1.02	6.13	1.74
फिलिपिन्स	मा:	329	434	257
	मू:	1.24	1.82	0.70
	डा:	0.28	0.40	0.15
ब्रुनेई	मा:	27	26	0
	मू:	0.14	0.06	0.00
	डा:	0.03	0.01	0.00
म्यांमार	मा:	30	39	0
	मू:	0.30	0.28	0.00
	डा:	0.07	0.07	0.00
कुल	मा:	60140	63842	50670
	मू:	585.85	628.83	545.77
	डा:	132.70	139.77	119.13

(ग) समुद्री उत्पादों के लिए निर्यात प्रोत्साहन स्कीमें निम्नानुसार हैं :-

(i) शुल्क छूट स्कीम

(ii) शुल्क प्रतिअदायगी स्कीम

(iii) निर्यात संवर्धन पूंजीगत माल स्कीम

[हिन्दी]

उड़ीसा में वस्त्र उद्योग

139. **श्रीमती संगीता कुमारी सिंह देव : क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :**

(क) क्या सरकार को जानकारी है कि उड़ीसा सहित कुछ राज्यों में वस्त्र उद्योग कठिनाइयों/संकटों का सामना कर रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और राज्यवार और संघ राज्य क्षेत्रवार इसके क्या कारण हैं; और

(ग) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ई०वी०के०एस० इलंगोवन) : (क) से (ग) भारतीय वस्त्र उद्योग विकास के पथ पर है और विगत में यह निवेशों को आकर्षित करने, आधुनिकीकरण और प्रौद्योगिकीय उन्नयन की गति बढ़ाने और संगठित तथा विकेन्द्रीकृत क्षेत्रों में अतिरिक्त रोजगार अवसर का सृजन करने में सक्षम रहा है। वस्त्र उद्योग के विकास के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कदमों में निम्नलिखित शामिल है :-

(1) निवेश आकर्षित करने और आधुनिकीकरण के लिए राजकोषीय शुल्क ढांचे को युक्तिसंगत बनाना।

(2) प्रौद्योगिकी उन्नयन निधि योजना (टी०यू०एफ०एस०) को सुदृढ़ बनाना और इसका विस्तार विकेन्द्रीकृत विद्युतकरघा और हथकरघा क्षेत्रों तक करना।

(3) किफायती उत्पादन के लिए लघु उद्योग क्षेत्र की परिधि से बुने हुए सिलेसिलाए परिधान, निटिंग और हौजरी का अनारक्षण।

(4) संभावित विकास केन्द्रों में अवसंरचना विकसित करने के लिए दो योजनाओं अर्थात निर्यात के लिए अपैरल पार्क योजना और वस्त्र केन्द्र अवसंरचना विकास योजना (टी०सी०आई०डी०एस०) को मिलाकर एकीकृत वस्त्र पार्क योजना (एस०आई०टी०पी०) शुरू करना।

(5) हस्तशिल्प और हथकरघा समूहों को सुदृढ़ बनाने के लिए समूह आधारित दृष्टिकोण अपनाना।

(6) उपयुक्त कीमतों पर बुनकरों को कच्चा माल उपलब्ध कराने के लिए पूरे देश में यार्न भंडारों की स्थापना।

(7) कपास जो वस्त्र उद्योग के लिए प्रमुख कच्चा माल है, की उत्पादकता और गुणवत्ता में सुधार लाने के लिए कपास प्रौद्योगिकी मिशन सुदृढ़ करना।

(8) पटसन क्षेत्र के सुव्यवस्थित विकास का संवर्द्धन करने के लिए व्यापक राष्ट्रीय पटसन नीति की घोषणा।

[अनुवाद]

चाय केन्द्र

140. श्री ई०जी० सुगावनम : क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विभिन्न देशों में भारतीय चाय केन्द्र स्थापित करने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो इसका ब्यौरा और मुख्य कार्य क्या है;

(ग) क्या सरकार का देश में अंतर्राष्ट्रीय चाय उत्सव आयोजित करने का कोई प्रस्ताव है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) सरकार द्वारा देश में चाय के उत्पादन तथा बिक्री को बढ़ाने और चाय पर अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के वाणिज्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री जयराम रमेश) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) और (घ) सरकार द्वारा नवम्बर, 2007 के आस-पास कोलकाता में चाय महोत्सव का आयोजन प्रस्तावित है। इस अंतर्राष्ट्रीय चाय कन्वेंशन में असम तथा उन अन्य भारतीय चायों का प्रदर्शन किया जाएगा, जो स्वरूप और गुणवत्ता की दृष्टि से विशिष्ट है। यह कन्वेंशन ढाई दिवसीय होगा, जिसमें प्रदर्शनी के साथ-साथ व्यावसायिक सत्रों का संचालन शामिल है।

(ङ) देश में चाय के उत्पादन एवं उत्पादकता के संवर्धन हेतु चाय बोर्ड इस क्षेत्र के विकास के लिए अनेक प्लान स्कीमें पहले ही कार्यान्वित कर रहा है, जिनके अंतर्गत चाय उद्योग को वित्तीय/तकनीकी सहायता प्रदान की जाती है। इसके अलावा, चाय की पुरानी झाड़ियों की आयु में सुधार करने के उद्देश्य से पुनःरोपण/नवीकरण कार्यकलापों के वित्तपोषण हेतु सरकार ने एक विशेष प्रयोजन चाय निधि की स्थापना हेतु मंजूरी दे दी है। इसी प्रकार भारत से चाय के निर्यात को बढ़ाने के लिए सरकार द्वारा विभिन्न उपाय किए गए हैं, जिनमें विदेशी बाजारों में संवर्धनात्मक कार्यकलाप आयोजित करना एवं अंतर्राष्ट्रीय एवं/अथवा विशिष्ट मेलों, प्रदर्शनियों तथा क्रेता-विक्रेता बैठकों में भागीदारी, प्रचार माध्यमों द्वारा प्रचार, विशिष्ट स्टोरों एवं/अथवा प्रमुख बाजारों से नमूने लेने आदि के जरिए भारतीय चाय निर्यातकों को उनके विपणन प्रयासों में संवर्धनात्मक कार्यकलाप आयोजित करना शामिल है। चाय अनुसंधान के संवर्धन हेतु चाय बोर्ड Xवीं योजना अवधि के दौरान एक प्लान सकीम कार्यान्वित कर रहा है, जिसके तहत चाय अनुसंधान कार्यकलापों हेतु निजी अनुसंधान संस्थानों को भी सहायता प्रदान की जाती है। चाय बोर्ड का अपना चाय अनुसंधान केन्द्र कुर्सियांग में स्थित है, जिसमें पुनःरोपण, चाय के छोटे पौधों का प्रबंधन, फसल पौधा प्रबंधन, क्लोनल चयन, जैव कीटनाशियों आदि से संबंधित विशिष्ट विषयों के संबंध में बागानों तथा प्रयोगशालाओं में प्रयोग किए जाते हैं। चाय बागानों के परामर्शी दौरे करने के अलावा प्रौद्योगिकी हस्तांतरण के एक भाग के रूप में यह केन्द्र अनेक वैज्ञानिक शोधपत्रों तथा तकनीकी बुलेटिनों का प्रकाशन भी करता है।

[हिन्दी]

निर्यात हेतु विशेष आर्थिक जोन

141. श्री थावरचन्द गेहलोत : क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या निर्यात में अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा को संभव बनाने के लिए विशेष आर्थिक जोन (एस०ई०जेड०) के संबंध में कोई योजना बनायी गयी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस योजना के अंतर्गत शुरू की गई प्रोत्साहन योजनाओं का ब्यौरा क्या है और इन योजनाओं से क्या लाभ मिला है और राज्यों द्वारा गत वर्षों के दौरान आज तक कितना लाभ कमाया गया और उनके क्या नाम हैं; और

(घ) देश में विशेषत: मध्य प्रदेश में किन स्थानों पर विशेष आर्थिक जोन स्थापित किए गए हैं/किए जाने का प्रस्ताव है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के वाणिज्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री जयराम रमेश) : (क) से (ग) जी, हां। विकासकर्ताओं एवं एस०ई०जेड० इकाइयों के लिए विशेष वित्तीय प्रोत्साहन शामिल करते हुए विशेष आर्थिक जोन अधिनियम मई, 2005 में संसद द्वारा पारित किया गया था जिसे 23 जून, 2005 को राष्ट्रपति की स्वीकृति प्राप्त हुई थी। एस०ई०जेड० नियमों द्वारा समर्थित एस०ई०जेड० अधिनियम, 2005 दिनांक 10 फरवरी, 2006 से लागू हो गया है। एस०ई०जेड० अधिनियम के प्राथमिक उद्देश्य हैं — अतिरिक्त आर्थिक कार्यकलाप का सृजन; वस्तुओं एवं सेवाओं के निर्यात का संवर्धन; घरेलू एवं विदेशी स्रोतों से निवेश का संवर्धन; रोजगार के अवसरों का सृजन तथा अवसंरचना सुविधाओं का विकास।

(घ) 17 राज्यों तथा 2 संघ शासित क्षेत्रों में स्थापना हेतु एस०ई०जेडों० को अनुमोदित किया गया है। मध्य प्रदेश में एक एस०ई०जेड० इंदौर में प्रचालनरत है तथा 3 नए एस०ई०जेड० इंदौर और ग्वालियर में स्थापित किए जा रहे हैं।

[अनुवाद]

आदिम जनजातियों का विकास

142. श्री अनंत नायक : क्या जनजातीय कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश में आदिम जनजातियों के विकास के लिए कोई योजना शुरू की है;

(ख) यदि हां, तो इसका ब्यौरा क्या है तथा ये जनजातियां किन राज्यों में रह रही हैं; और

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान इन जनजातियों के विकास के लिए उन राज्यों को कितनी धनराशि का आबंटन किया गया है?

जनजातीय कार्य मंत्री (श्री पी०आर० किन्डिया) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) यह मंत्रालय 17 से भी अधिक राज्यों और एक संघ शासित क्षेत्र में फैले आदिम जनजाति समूहों के रूप में वर्गीकृत 75 जनजातीय समूहों के समग्र विकास के लिए 1998-99 से आदिम जनजातीय समूहों के विकास की केन्द्रीय क्षेत्र की योजना का कार्यान्वयन कर रहा है। योजना के अंतर्गत विभिन्न गतिविधियों जैसे अवसंरचना विकास, आयसृजन कार्यक्रम, बीमा सुरक्षा, स्व-सहायता समूहों को समर्थन, कृषि विकास, स्वास्थ्य देखभाल कार्यक्रम और शिक्षा विकास आदि के लिए निधियां प्रदान की जाती हैं। आदिम जनजातीय समूहों के प्रत्येक परिवार के मुखिया को बीमा सुरक्षा भारतीय जीवन बीमा निगम की जनश्री बीमा योजना की स्कीम के अंतर्गत दी जा रही है। गत तीन वर्षों के दौरान योजना के अंतर्गत निर्मुक्त निधियों का राज्यवार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

विवरण

आदिम जनजातीय समूहों के विकास की योजना के अंतर्गत गत तीन वर्षों के दौरान निर्मुक्त निधियों का ब्यौरा

(लाख रुपए में)

क्र० सं०	राज्यों के नाम	2003-04	2004-05	2005-06
1	2	3	4	5
1.	आंध्र प्रदेश	246.416	252.346	264.152
2.	बिहार	0.000	5.000	10.000
3.	छत्तीसगढ़	121.460	264.370	229.460
4.	गुजरात	40.000	125.000	149.790
5.	झारखंड	197.667	323.359	360.526
6.	कर्नाटक	62.472	25.000	94.799
7.	केरल	0.000	15.000	5.500
8.	मध्य प्रदेश	357.700	320.000	460.921
9.	महाराष्ट्र	301.117	128.029	157.949
10.	मणिपुर	0.512	21.548	2.500
11.	उड़ीसा	169.600	55.000	92.598
12.	राजस्थान	10.000	76.000	62.000
13.	तमिलनाडु	10.000	176.500	197.969
14.	त्रिपुरा	85.000	29.813	111.150
15.	पश्चिम बंगाल	11.050	53.170	70.600

1	2	3	4	5
16.	उत्तर प्रदेश	0.000	2.500	0.000
17.	उत्तरांचल	0.000	33.630	7.100
18.	अंडमान व निकोबार द्वीपसमूह	0.000	200.000	0.400
	कुल जोड़	1612.994	2106.265	2277.414

बच्चों को गोद लेना

143. श्री के०सी० पल्लानी शामी : क्या महिला और बाल विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में बच्चों को गोद लेने के लिए क्या मानदण्ड निर्धारित किए गए हैं;

(ख) क्या सरकार का बच्चों को गोद लेने संबंधी मानदण्ड में कुछ परिवर्तन करने तथा उसे सरल बनाने का प्रस्ताव है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार का गोद लेने वाले माता-पिता को और प्रोत्साहन देने तथा उनके सामाजिक भार को कम करने का कोई प्रस्ताव है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

महिला और बाल विकास मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती रेणुका चौधरी) : (क) भारत सरकार ने बच्चों के देश के भीतर दत्तक-ग्रहण संबंधी दिशा-निर्देश अधिसूचित कर दिए हैं, जिनमें परित्यक्त, निस्सहाय और अनाथ बच्चों के देश के भीतर दत्तक-ग्रहण के लिये अपनाए जाने वाले मानक और प्रक्रिया निर्धारित की गई है। ये दिशा-निर्देश केंद्रीय दत्तक-ग्रहण संसाधन एजेंसी की वेबसाइट www.adoptionindia.nic.in पर उपलब्ध हैं।

(ख) और (ग) दत्तक-ग्रहण की प्रक्रिया को सरल एवं कारगर बनाने और देश भर में एक समान दत्तक-ग्रहण कार्यविधि सुनिश्चित करने के लिए देश के भीतर दत्तक-ग्रहण संबंधी दिशा-निर्देश, 2004 अधिसूचित किए गए हैं। तथापि, भारत सरकार दत्तक-ग्रहण प्रक्रिया को और अधिक सरल बनाने से संबंधित सुझावों पर विचार करने के लिए तैयार है।

(घ) से (च) भारत सरकार राजकोष पर पड़ने वाले भार तथा निधियों की उपलब्धता को ध्यान में रखते हुए समाज को अधिकतम लाभ प्रदान करने के सिद्धांत के आधार पर ऐसे सभी प्रस्तावों पर गुण-दोषों के आधार पर विचार करती है।

कम्प्यूटरीकृत फिंगरप्रिंट प्रणाली

144. श्री मिलिन्द देवरा : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली पुलिस ने अंगुलियों की छाप पर आधारित संदिग्ध व्यक्तियों की कंप्यूरीकृत रिमोट आइडेंटिफिकेशन (सी०आर०आई०एस०) प्रणाली प्राप्त की है जिससे अपराधियों की तुरंत पहचान की जा सके जैसाकि दिनांक 23 दिसम्बर, 2006 के "द टाइम्स ऑफ इंडिया" में समाचार प्रकाशित हुआ है;

(ख) इस प्रणाली के किस प्रकार दिल्ली पुलिस के लिए लाभप्रद होने की संभावना है;

(ग) इस प्रणाली की लागत कितनी है;

(घ) क्या सरकार का विचार देश के अन्य पुलिस विभागों में उक्त प्रणाली स्थापित करने का है; और

(ङ) इसे कब तक स्थापित किए जाने की संभावना है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस० रघुपति) : (क) जी, हां, दिल्ली पुलिस ने एक पायलट परियोजना के रूप में नौ जिलों में से प्रत्येक जिले के एक-एक पुलिस स्टेशन में कम्प्यूटराइज्ड रिमोट आईडेंटिफिकेशन आफ सस्पेक्ट्स (सी०आर०आई०एस०) प्रणाली स्थापित की है।

(ख) दिल्ली पुलिस को इस प्रणाली से निम्नलिखित प्रकार से लाभान्वित होने की आशा है:—

(i) इससे संदिग्ध/अपराधियों की पहचान का प्रभावी और कुशल प्रबंधन सुकर हो जाएगा;

(ii) गलत जनांकिकी ब्यौरा जैसे कि नाम, पते आदि की जांच क्योंकि अंगुली की छाप किसी की पहचान करने का एक स्वयंसिद्ध तरीका है;

(iii) अपराध की जांच-पड़ताल और अधिकतर वास्तविक समय सीमा में अंगुलि छाप की जांच में सहायता;

(iv) अंगुलि छाप आंकड़े की हर समय पुलिस स्टेशन में ही जांच किए जाने में सहायता।

(ग) हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर सहित सर्वर की कीमत 5,65,019/- रु० और कर तथा प्रत्येक क्लाईंट साफ्टवेयर/सिस्टम की कीमत 55,000/-

रु० और कर है। कामन इंटिग्रेटिड पुलिस एप्लीकेशन प्रोजेक्ट के अधीन उपलब्ध विद्यमान कम्प्यूटरों का इस्तेमाल किया जा रहा है।

(घ) और (ङ) राज्यों में कम्प्यूटराइज्ड रिमोट आईडेंटिफिकेशन ऑफ सस्पेक्टस (सी०आर०आई०एस०) सिस्टम की स्थापना करना संबंधित राज्य सरकारों के अधिकार क्षेत्र में है।

[हिन्दी]

एन०आई०एफ०टी० केंद्र

145. श्री संतोष गंगवार : क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार देश में विशेषत: उत्तर प्रदेश में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नालॉजी (एन०आई०एफ०टी०) के विस्तार केन्द्र खोलने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्यवार और स्थानवार ब्यौरा क्या है;

(ग) इन केन्द्रों द्वारा कब तक कार्य शुरू किए जाने की संभावना है;

(घ) गत तीन वर्षों के दौरान राज्यवार और संघ राज्य क्षेत्रवार एन०आई०एफ०टी० केन्द्र खोलने के लिए राज्य सरकारों से प्राप्त प्रस्तावों की संख्या और ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इनमें से स्वीकृत प्रस्तावों का ब्यौरा क्या है और शेष प्रस्तावों को स्वीकृति नहीं देने के क्या कारण हैं?

वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ई०वी०के०एस० इलेंगोवन) : (क) उत्तर प्रदेश राज्य में हाल ही में राष्ट्रीय फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान का एक केंद्र स्थापित कर दिया गया है।

(ख) अन्य राज्यों से प्राप्त प्रस्तावों के ब्यौरे संलग्न हैं।

(ग) रायबरेली, उ०प्र० स्थित केंद्र शैक्षणिक वर्ष 2007-08 से काम करना शुरू कर देगा। राज्यों के अन्य प्रस्तावों की स्थिति संलग्न विवरण में दी गई है।

(घ) और (ङ) संलग्न विवरण के अनुसार।

विवरण

राज्य सरकारों से प्राप्त प्रस्ताव के ब्यौरे और उनकी वर्तमान स्थिति

क्र० सं०	से प्राप्त प्रस्ताव	प्रस्ताव की स्थिति
1.	बिहार में निफ्ट केन्द्र की स्थापना के लिए बिहार सरकार से प्राप्त प्रस्ताव	प्रस्ताव में आरंभिक तौर पर वित्तीय एवं अवसंरचना संबंधी सहायता के लिए सुनिश्चित प्रतिबद्धता साथ में नहीं थी। राज्य सकचार की प्रतिबद्धता अब प्राप्त हो गई है।
2.	उत्तरी भारत फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान (एन०आई०आई०एफ०टी०), मोहाली को राष्ट्रीय फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान (एन०आई० एफ०टी०), मोहाली में बदलने के लिए पंजाब सरकार से प्राप्त प्रस्ताव	कम भूमि और निधियों के लिए पंजाब सरकार की प्रतिबद्धता अभी प्राप्त नहीं हुई है।
3.	गुवाहाटी में निफ्ट केंद्र खोलने के लिए असम सरकार से प्राप्त प्रस्ताव	प्रस्ताव के साथ राज्य सरकार से वित्तीय एवं अवसंरचना सहायता से संबंधित प्रतिबद्धता नहीं है।
4.	केरल में निफ्ट केंद्र की स्थापना के लिए केरल सरकार का प्रस्ताव	पूर्ण वित्त पोषण सहायता के लिए केरल सरकार की प्रतिबद्धता अभी तक प्राप्त नहीं हुई है।
5.	गुड़गांव में निफ्ट केन्द्र की स्थापना के लिए हरियाणा सरकार का प्रस्ताव	मौजूदा केन्द्रों के सतत सुदृढ़ीकरण और समेकन कार्य के कारण नए केन्द्र खोलने के लिए तत्कालीन नीति के मद्देनजर इस प्रस्ताव पर अनुकूल विचार नहीं किया गया।

[अनुवाद]

बागानों का विकास

146. श्री पी०सी० थामस : क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रबड़, चाय, कॉफी, मसाला और वनिला बागानों के विकास हेतु 3500 करोड़ रुपए की परियोजना की संकल्पना की गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इसमें से कितनी राशि केरल में खर्च किए जाने की संभावना है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के वाणिज्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री जयराम रमेश) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते।

कम्प्यूटरीकरण के लिए विश्व बैंक द्वारा अनुदान

147. श्री परसुराम माझी : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान देश में विशेषकर उड़ीसा में मानव संसाधन प्रबंधन प्रणाली के कम्प्यूटरीकरण के लिए अन्तर्राष्ट्रीय विकास विभाग/विश्व बैंक द्वारा प्रदान किये गए अनुदानों का ब्यौरा क्या है;

(ख) गत तीन वर्षों के प्रत्येक वर्ष के दौरान इन धनराशियों का उपयोग करके कौन-सा विशिष्ट कार्य किया गया; और

(ग) तीन वर्षों में प्राप्त हुए अनुदानों में से राज्य-वार उस राज्य में कुल कितनी धनराशि खर्च की गई?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी० पुरन्देश्वरी) : (क) इस विभाग ने देश में किसी भी राज्य को मानव संसाधन प्रबंध प्रणाली के कम्प्यूटरीकरण के लिए अन्तर्राष्ट्रीय विकास/विश्व बैंक हेतु कोई अनुदान नहीं दिए हैं। यह विभाग भारत सरकार के तकनीकी शिक्षा गुणवत्ता सुधार कार्यक्रम को विश्व बैंक की सहायता से 13 राज्यों में कार्यान्वित कर रहा है जिसमें उड़ीसा राज्य सम्मिलित नहीं है।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते।

चाक खान

148. श्री मधुसूदन मिस्त्री : क्या खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) किन-किन राज्यों में चाक उपलब्ध है;

(ख) क्या सीमांत मजदूर/किसान देश में चाक खनन के काम में लगे हुए है;

(ग) यदि हां, तो क्या गुजरात सरकार ने चाक को लघु खनिज मानने का प्रस्ताव किया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) केन्द्र सरकार द्वारा उस पर अभी तक क्या कार्यवाही की गई है?

खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० टी० सुब्बारामी रेड्डी) : (क) खनिज चाक, गुजरात राज्य में उपलब्ध है।

(ख) केन्द्र सरकार द्वारा ऐसे आंकड़े नहीं रखे जाते हैं।

(ग) से (ङ) गुजरात सरकार ने चाक को गौण खनिज मानने का प्रस्ताव भेजा था जो केन्द्र सरकार के विचाराधीन है।

सच्चर समिति की सिफारिशों संबंधी समिति

149. श्री सुरवरम सुधाकर रेड्डी :
श्री सी०के० चन्द्रप्पन :
श्री हंसराज ग० अहीर :
श्री बृज किशोर त्रिपाठी :

क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सच्चर समिति की सिफारिशों पर कार्य योजना तैयार करने के लिए कोई समिति गठित की गई थी;

(ख) यदि हां, तो क्या समिति ने सरकार को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) सरकार द्वारा उक्त समिति की सिफारिशों पर क्या कार्यवाही की गई है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी० पुरन्देश्वरी) : (क) से (घ) न्यायाधीश राजिन्द सच्चर समिति की रिपोर्ट में निहित शिक्षा संबंधी सिफारिशों को लागू करने के लिए कार्य योजना तैयार करने हेतु मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा दिनांक 4.12.2006 को एक उच्च स्तरीय समिति गठित की गई थी। इस मंत्रालय की उच्च स्तरीय समिति ने दिनांक 31 जनवरी, 2007 को प्रस्तुत की गई अपनी रिपोर्ट में विभिन्न सिफारिशें की हैं जैसे मुस्लिम बहुल ब्लॉकों/शहरी क्षेत्रों में केवल बालिकाओं के लिए कस्तूरबा गांधी विद्यालय

और उच्च प्राथमिक स्कूल खोलना, इच्छुक मदरसों और मकतबों को सर्व शिक्षा अभियान में शामिल करना, सह-शिक्षा वाले स्कूलों में और अधिक महिला शिक्षकों को बढ़ावा देना, बहु-संस्कृति स्कूलों, बालिका छात्रावासों, ब्लॉक शिक्षक शिक्षा संस्थानों की स्थापना करना, मुक्त तथा दूरस्थ अध्ययन और व्यावसायिक शिक्षा को मदरसों से जोड़ना, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय, मौलाना आजाद राष्ट्रीय उर्दू विश्वविद्यालय का विस्तार आदि। संसाधन उपलब्ध होने पर XIवीं पंचवर्षीय योजना को अंतिम रूप देते समय इन सिफारिशों पर विचार किया जाएगा।

एस०ई०जेड० हेतु एसोचैम

150. **श्री ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया : क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एसोचैम ने एस०ई०जेड० के माध्यम से औद्योगिकरण की प्रक्रिया में किसानों को शामिल करके विशेष आर्थिक क्षेत्र बनाने हेतु कोई योजना और रणनीति प्रस्तुत की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के वाणिज्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री जयराम रमेश) : (क) और (ख) जी, हां। एसोचैम ने विशेष आर्थिक जोनों (एस०ई०जेड०) से संबंधित मुद्दों पर सिफारिशें प्रस्तुत कर दी हैं। किसानों की भागीदारी से संबंधित सिफारिशों में शामिल हैं – भूमि के अधिग्रहण एवं पुनर्वास से संबंधित नीति तैयार करने के लिए उच्चाधिकार प्राप्त समिति का गठन करना, कृषि हेतु कम जैविकीय क्षमता रखने वाली भूमि पर एस०ई०जेडों० की स्थापना करना तथा प्रस्तावित परियोजना में शेयरधारिता के रूप में किसानों के हक की पेशकश करना।

(ग) जहां तक एस०ई०जेडों० के लिए उपयोग में लाई गई भूमि के स्वरूप का संबंध है, राज्य सरकारों को यह सलाह दी गई है कि विशेष आर्थिक जोनों के लिए भूमि के अधिग्रहण की स्थिति में प्रथम वरीयता बंजर एंव परती भूमि को प्रदान की जानी चाहिए और यदि आवश्यक हो तो एस०ई०जेडों० की स्थापना के लिए एकल फसली कृषि भूमि का अधिग्रहण किया जा सकता है। किसानों की भागीदारी से संबंधित अन्य सिफारिशें पुनर्वास नीति के बारे में है और एक संशोधित राष्ट्रीय पुनर्वास नीति इस समय सरकार के विचाराधीन है।

सर्व शिक्षा अभियान का पुनः नामकरण

151. **श्री अधीर चौधरी :**
श्री उदय सिंह :

क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने सर्व शिक्षा अभियान (एस०एस०ए०) का नाम बदलकर राष्ट्रीय शिक्षा मिशन (आर०एस०एम०) करने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या हैं;

(ग) क्या सरकार ने सर्व शिक्षा अभियान को सफलतापूर्वक लागू करने वाले राज्यों की सही स्थिति और रैंकिंग प्रस्तुत की है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) सरकार द्वारा सर्व शिक्षा अभियान के क्रियान्वयन लक्ष्य प्राप्त न करने वाले राज्यों को प्रोत्साहित करने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी) : (क) और (ख) एक प्रस्ताव विचाराधीन है।

(ग) और (घ) प्रारंभिक शिक्षा को सर्वसुलभ बनाने के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों की प्रगति का आकलन करने हेतु प्रारंभिक शिक्षा के प्रमुख मानदण्डों की दृष्टि से राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों की रैंकिंग करने के लिए एक शैक्षिक विकास सूचकांक का विकास किया गया है। राज्यवार रैंकिंग का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ङ) सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत सुव्यवस्थित मानीटरन प्रणाली मौजूद है जिसमें वित्तीय और भौतिक प्रगति की तिमाही समीक्षाएँ की जाती हैं। इसके अतिरिक्त विशेषकर ऐसे घटकों, जिनमें कुछ राज्य अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पा रहे हैं, में प्रशिक्षण और कार्यशालाओं के माध्यम से राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों का क्षमता निर्माण किया गया है।

विवरण

शैक्षिक विकास सूचकांक (ई०डी०आई०) और राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्रों के बीच रैंकिंग

क्र० सं०	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	समेकित (प्राथमिक स्तर+उच्च प्राथमिक स्तर	
		ई०डी०आई०	रैंक
1	2	3	4
1.	अंडमान और निकोबार	0.566	20
2.	आंध्र प्रदेश	0.654	8
3.	अरूणाचल प्रदेश	0.458	33
4.	असम	0.490	30

1	2	3	4
5.	बिहार	0.327	35
6.	चंडीगढ़	0.690	5
7.	छत्तीसगढ़	0.559	22
8.	दमन और दीव	0.592	17
9.	दिल्ली	0.707	2
10.	दादरा और नागर हवेली	0.538	24
11.	गोवा	0.586	18
12.	गुजरात	0.630	13
13.	हरियाणा	0.556	23
14.	हिमाचल प्रदेश	0.668	7
15.	झारखंड	0.435	34
16.	जम्मू और कश्मीर	0.597	16
17.	कर्नाटक	0.674	6
18.	केरल	0.708	1
19.	लक्षद्वीप	0.650	10
20.	मध्य प्रदेश	0.512	29
21.	महाराष्ट्र	0.635	12
22.	मणिपुर	0.564	21
23.	मेघालय	0.534	26
24.	मिजोरम	0.650	9
25.	नागालैंड	0.533	27
26.	उड़ीसा	0.512	28
27.	पांडिचेरी	0.700	4
28.	पंजाब	0.608	14
29.	राजस्थान	0.583	19
30.	सिक्किम	0.635	11
31.	तमिलनाडु	0.701	3
32.	त्रिपुरा	0.535	25
33.	उत्तर प्रदेश	0.482	31
34.	उत्तरांचल	0.605	15
35.	पश्चिम बंगाल	0.467	32

स्रोत: राष्ट्रीय शैक्षणिक आयोजना और प्रशासन विश्वविद्यालय द्वारा तात्कालिक आंकड़े

आई०आई०एम० में गुणवत्ता संकाय की कमी

152. श्री जुएल ओराम :
श्री कैलाश मेघवाल :

क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में भारतीय प्रबंध संस्थान (आई०आई०एम०) गुणवत्ता संकाय की भारी कमी का सामना कर रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं; और

(ग) सरकार द्वारा आई०आई०एम० में उच्च गुणवत्तापरक अध्यापकों की उपस्थिति सुनिश्चित करने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी० पुरन्देश्वरी) : (क) देश के भारतीय प्रबंधन संस्थान कोटिपरक संकाय की कमी का सामना कर रहे हैं।

(ख) और (ग) भारतीय प्रबंधन संस्थानों में उच्च शैक्षिक पृष्ठभूमि एवं उद्योग और शैक्षिक संस्थाओं से संबंधित पर्याप्त अनुभव वाले सक्षम संकाय भर्ती करने के लिए एक कठिन भर्ती प्रक्रिया होती है। देश में अच्छे पी०एच०डी० धारकों की सामान्यतया कमी है, इसलिए कुछ संस्थानों को विशेष कार्यात्मक क्षेत्रों में कोटिपरक संकाय प्राप्त करने में कठिनाईयों का सामना करना पड़ता है। सक्षम संकाय को आकर्षित करने और उन्हें बनाए रखने के लिए विशेष अभियान के तहत संकाय की भर्ती नीतियां और उनकी शिकायतों को काम करने या दूर करने, फैलो कार्यक्रमों में दाखिला क्षमता बढ़ाने, विशेषज्ञता प्राप्त विषयों में विजिटिंग/सहायक संकाय को आमंत्रित करने जैसे कुछ उपाय सुझाएं गए हैं ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि भारतीय प्रबन्धन संस्थानों में उच्च कोटिपरक शिक्षण कर्मचारी हों।

[हिन्दी]

मानव दुर्व्यापार

153. श्री टेक लाल महतो :
श्री रघुवीर सिंह कौशल :

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्ष 2003 में अधिनियमित विशेष अमेरिकी कानून के अंतर्गत मानव दुर्व्यापार में संलिप्त 139 देशों की निगरानी सूची में भारत का नाम शामिल है;

(ख) यदि हां, तो सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान विभिन्न राज्यों में पता चले मानव दुर्व्यापार के मामलों का ब्यौरा क्या है; और

(घ) गत तीन वर्षों के दौरान मानव दुर्व्यापार को रोकने हेतु सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है और इस संबंध में निष्कर्ष का ब्यौरा क्या है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री माणिकराव होडल्या गावित) : (क) संयुक्त राज्य के "अवैध व्यापार और (हिंसा) पीड़ित संरक्षण अधिनियम, 2000" के अनुसार, अमेरिकी सरकार व्यक्तियों के अवैध व्यापार को समाप्त करने के लिए विश्वव्यापी स्तर पर किए जाने वाले देशों के प्रयासों के बारे में व्यक्तियों के अवैध व्यापार (टी०आई०पी०) पर प्रत्येक वर्ष रिपोर्ट प्रस्तुत करती है। टी०आई०पी० रिपोर्ट 2006 में भारत को 31 अन्य देशों के साथ टायर 2 वाच लिस्ट की श्रेणी में रखा गया है।

(ख) भारत सरकार की स्थिति यह है कि अमेरिका में विभिन्न विषयों पर सार्वभौमिक रिपोर्टों को जारी करने की प्रथा है जो कि उनकी प्रकृति के अनुसार उनकी विचारधाराओं और पूर्व धारणाओं पर आधारित भिन्न-भिन्न प्रकार की होती है। अन्य क्षेत्रों की तरह व्यक्तियों में अवैध व्यापार के विषय पर भारत सरकार विदेशी सरकार के निर्णयप्रद और आदेशात्मक दृष्टिकोण को अस्वीकार करती है।

(ग) विगत तीन वर्षों के दौरान विभिन्न राज्यों में सूचित मानवों के अवैध व्यापार के मामलों के ब्यौरे संलग्न विवरण I और II में दिए गए हैं।

(घ) सरकार मानवों के अवैध व्यापार की समस्या से पूरी तरह अवगत और चिन्तित है तथा पीड़ितों के पुनर्वास हेतु उपायों सहित अवैध व्यापार के अपराध की रोकथाम और नियंत्रण के लिए राज्य सरकारों के तालमेल से विभिन्न उपाय कर रही है। केन्द्र सरकार ने सभी राज्य सरकारों को अवैध व्यापार के अपराध से समग्र तरीके से मुकाबला करने तथा कानून का उल्लंघन करने वालों के विरूद्ध कड़ी कार्रवाई करने के अलावा पीड़ितों के बचाव, राहत और पुनर्वास सहित प्रभावपूर्ण और व्यापक रणनीति अपनाने की सलाह दी है।

विवरण-I

2003-2005 के दौरान अवैध व्यापार (निवारण) अधिनियम के अंतर्गत पंजीकृत मामले

क्र० सं०	राज्य/संघ शासित क्षेत्र	2003	2004	2005
1	2	3	4	5
1.	आन्ध्र प्रदेश	349	405	681
2.	अरूणाचल प्रदेश	0	0	0
3.	असम	22	28	25
4.	बिहार	9	24	28
5.	छत्तीसगढ़	7	9	6
6.	गोवा	25	28	38
7.	गुजरात	74	33	59
8.	हरियाणा	57	62	85
9.	हिमाचल प्रदेश	5	4	4
10.	जम्मू और कश्मीर	2	11	3
11.	झारखंड	6	3	13
12.	कर्नाटक	1361	1170	1241
13.	केरल	159	168	225
14.	मध्य प्रदेश	33	23	19
15.	महाराष्ट्र	179	309	222
16.	मणिपुर	0	0	1
17.	मेघालय	1	0	1
18.	मिजोरम	0	5	1
19.	नागालैंड	1	4	4
20.	उड़ीसा	11	22	29
21.	पंजाब	54	32	58

1	2	3	4	5
22.	राजस्थान	51	79	115
23.	सिक्किम	1	1	0
24.	तमिलनाडु	2839	3022	2777
25.	त्रिपुरा	0	0	0
26.	उत्तर प्रदेश	47	44	31
27.	उत्तरांचल	0	4	2
28.	पश्चिम बंगाल	152	121	74
	कुल (राज्य)	5445	5611	5742
29.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	0	0	0
30.	चंडीगढ़	4	9	9
31.	दादरा और नागर हवेली	2	0	0
32.	दमण और दीव	0	1	1
33.	दिल्ली	46	123	151
34.	लक्षद्वीप	0	0	0
35.	पांडिचेरी	13	4	5
	कुल (संघ शासित)	65	137	166
	कुल (अखिल भारत)	5510	5748	5908

स्रोत : भारत में अपराध

विवरण-II

जून, 2006 तक के दौरान अवैध व्यापार (निवारण) अधिनियम (आई०टी०पी०) के अन्तर्गत पंजीकृत मामले

क्रम सं०	राज्य/संघ शासित क्षेत्र	आई०टी०पी० अधिनियम
1	2	3
1.	आन्ध्र प्रदेश	254
2.	अरूणाचल प्रदेश	1
3.	असम	6
4.	बिहार	0
5.	छत्तीसगढ़	1
6.	गोवा	9
7.	गुजरात	35
8.	हरियाणा	33
9.	हिमाचल प्रदेश	0
10.	जम्मू और कश्मीर	3
11.	झारखंड	1
12.	कर्नाटक	400
13.	केरल	79
14.	मध्य प्रदेश	23
15.	महाराष्ट्र	172
16.	मणिपुर	0
17.	मेघालय	0
18.	मिजोरम	0
19.	नागालैंड	0
20.	उड़ीसा	1
21.	पंजाब	24
22.	राजस्थान	77
23.	सिक्किम	0
24.	तमिलनाडु	914
25.	त्रिपुरा	0
26.	उत्तर प्रदेश	7
27.	उत्तरांचल	1
28.	पश्चिम बंगाल	25
	कुल (राज्य)	2066

1	2	3
29.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	0
30.	चंडीगढ़	2
31.	दादरा और नागर हवेली	0
32.	दमण और दीव	0
33.	दिल्ली	52
34.	लक्षद्वीप	0
35.	पांडिचेरी	3
	कुल (संघ शासित)	57
	कुल (अखिल भारत)	2123

स्रोत : मासिक अपराध आंकड़े

नोट : 1. आंकड़े अन्तिम हैं।

2. बिहार के आंकड़े मार्च तक और उड़ीसा के आंकड़े अप्रैल और जून को छोड़कर।

[हिन्दी]

राजभाषा विभाग में रिक्त पद

154. श्री भुवनेश्वर प्रसाद मेहता : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राजभाषा विभाग में निदेशक (राजभाषा संवर्ग), संयुक्त निदेशक (राजभाषा) के पद और अन्य विभिन्न पद खाली पड़े हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) विभाग द्वारा ऐसे रिक्त पदों को भरने हेतु क्या नीति अपनायी जा रही है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री माणिकराव होडल्या गावित) : (क) और (ख) निदेशक (राजभाषा) के 19 स्वीकृत पदों में से 3 पद, संयुक्त निदेशक (राजभाषा) के 20 स्वीकृत पदों में से 7 पद और कनिष्ठ अनुवादकों के 423 स्वीकृत पदों में से 74 पद रिक्त हैं।

(ग) सरकार की नीति, रिक्त पदों को भर्ती नियमों के अनुसार यथाशीघ्र भरने की है। सरकार ने इस प्रयोजनार्थ पहले ही कदम उठा दिए हैं।

[अनुवाद]

सर्व शिक्षा अभियान में कार्यरत गैर-सरकारी संगठन

155. श्री ई० पोन्नुस्वामी :
श्री कैलाश मेघवाल :

क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत काम कर रहे कई गैर-सरकारी संगठनों को न तो उचित रूपसे अर्हता प्राप्त है और न ही उन्हें अनुभव प्राप्त है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या उपचारात्मक उपाय किए गए हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी) : (क) भारत सरकार द्वारा सर्व शिक्षा अभियान के नवाचारी और प्रयोगात्मक शिक्षा घटक के अन्तर्गत गैर-सरकारी संगठनों का चुनाव उनके द्वारा परियोजनाओं के कार्यान्वयन में उनकी क्षमता के विस्तृत मूल्यनिरूपण के पश्चात किया जाता है।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते।

विशेष आर्थिक क्षेत्रों की स्थापना

156. श्री ए० साई प्रताप :
श्री एन०एन० कृष्णदास :
श्रीमती करूणा शुक्ला :

क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में 31 जनवरी, 2007 तक काम कर रहे विशेष आर्थिक क्षेत्रों (एस०ई०जेड०) का राज्यवार और क्षेत्रवार ब्यौरा क्या है;

(ख) देश में राज्यवार और क्षेत्रवार विशेष आर्थिक क्षेत्र स्थापित करने के लिए 31 जनवरी, 2007 तक कितने आवेदन प्राप्त हुए और स्वीकृति प्रदान की गई;

(ग) 31 जनवरी, 2007 तक इन विशेष आर्थिक क्षेत्रों के माध्यम से कुल रोजगार सृजन और निजी भागीदारी की भूमिका के बारे में अभी तक कोई अध्ययन या आकलन किया गया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या सरकार ने विशेष आर्थिक क्षेत्र के कार्यकरण से संबंधित कतिपय मुद्दों के परिप्रेक्ष्य में विशेष आर्थिक क्षेत्र अधिनियम और नियम, 2005 की समीक्षा की है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और निजी क्षेत्र को क्या प्रोत्साहन दिए गए हैं/पेशकश की गई है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के वाणिज्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री जयराम रमेश) : (क) और (ख) 31 जनवरी, 2007 तक प्रचालनरत/अधिसूचित विशेष आर्थिक जोनों (एस०ई०जेडों०) तथा प्राप्त एवं स्वीकृत (अनुमोदित) आवेदनों के राज्यवार ब्योरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(ग) और (घ) अधिनियम, 2005 में पूर्व स्थापित किए गए एस०ई०जेडों० से वर्तमान में 1.79 लाख से अधिक व्यक्तियों को प्रत्यक्ष रोजगार प्राप्त हो रहा है। एस०ई०जेड० अधिनियम के तहत अधिसूचित 63 एस०ई०जेडों० से 15,097 व्यक्तियों को रोजगार प्राप्त हो रहा है तथा इन एस०ई०जेडों० में एक वर्ष से कम अवधि में ही लगभग 11000 करोड़ रुपए का निवेश किया जा चुका है।

(ङ) और (च) एस०ई०जेड० अधिनियम, 2005 की धारा 26 में विकास, प्रचालन तथा रखरखाव हेतु वित्तीय प्रोत्साहनों का प्रावधान किया गया है। एस०ई०जेडों० से संबंधित मुद्दों पर विचार करने के लिए अधिकार प्राप्त मंत्रिसमूह (ई०जी०ओ०एम०) का गठन किया गया है तथा ई०जी०ओ०एम० द्वारा एस०ई०जेडों० के कार्यचालन से संबंधित मामलों की नियमित रूप से निगरानी और समीक्षा की जाती है।

विवरण

क्र० सं०	राज्य/संघ शासित क्षेत्र का नाम	औपचारिक अनुमोदन प्रदत्त एस०ई०जेडों० की संख्या	प्रचालनरत/अधिसूचित एस०ई०जेडों० की संख्या
1	2	3	4
1.	आंध्र प्रदेश	44	16
2.	चंडीगढ़	02	1
3.	दिल्ली	01	—
4.	गोवा	04	—
5.	गुजरात	19	9
6.	हरियाणा	19	2
7.	झारखंड	01	1
8.	कर्नाटक	27	10
9.	केरल	10	6
10.	मध्य प्रदेश	04	3
11.	महाराष्ट्र	47	8
12.	उड़ीसा	05	—
13.	पांडिचेरी	01	—
14.	पंजाब	04	1
15.	राजस्थान	03	2
16.	तमिलनाडु	25	14
17.	उत्तरांचल	03	—
18.	उत्तर प्रदेश	08	5
19.	पश्चिम बंगाल	07	4
	कुल	234	82*

*इसमें एस०ई०जेड अधिनियम, 2005 के लागू होने से पूर्व स्थापित एस०ई०जेड० शामिल हैं

सुनामी प्रभावित क्षेत्रों में लघु इकाइयां

157. **श्री मनोरंजन भक्त** : क्या लघु उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या लघु उद्योग के उद्यमियों को सुनामी प्रभावित क्षेत्रों में अपनी इकाइयों की स्थापना करने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने सुनामी प्रभावित क्षेत्रों के स्थानीय प्रशासन को इन उद्यमियों की सहायता करने के लिए कोई दिशा-निर्देश जारी किए हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या उनकी कठिनाइयों का पता लगाने के लिए कोई अध्ययन किया गया है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस बारे में सरकार ने क्या सुधारात्मक उपाय किये हैं?

लघु उद्योग मंत्री तथा कृषि एवं ग्रामीण उद्योग मंत्री (श्री महावीर प्रसाद) : (क) जी, नहीं। राज्य सरकारों और अंडमान और निकोबार

द्वीपसमूहों से अब तक प्राप्त सूचना में यह उल्लेख नहीं है कि लघु इकाइयों के उद्यमियों को सुनामी प्रभावित प्रदेशों में अपनी इकाइयां स्थापित करने में किसी कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठता है।

(ङ) जी, नहीं, लघु उद्योग मंत्रालय ने ऐसा कोई अध्ययन संचालित नहीं किया है।

(च) प्रश्न नहीं उठता है।

विकास और साम्यता हेतु उच्च शिक्षा संबंधी सेमिनार

158. श्री उदय सिंह : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जनवरी, 2007 में नई दिल्ली में ''विकास और साम्यता हेतु उच्च शिक्षा'' संबंधी एक दो दिवसीय सेमिनार हुआ था;

(ख) यदि हां, तो सेमिनार में हुई चर्चा का ब्यौरा और उसके परिणाम क्या हैं;

(ग) क्या विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अध्यक्ष ने उच्च शिक्षा में सार्वजनिक व्यय बढ़ाने के लिए सरकार से आग्रह किया है; और

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी० पुरन्देश्वरी) : (क) और (ख) जी, हां। ''विकास और साम्यता हेतु उच्चतर शिक्षा-भारत चीन अनुभव'' पर एक दो दिवसीय अन्तर्राष्ट्रीय सेमिनार का आयोजन 20-21 जनवरी, 2007 को नई दिल्ली में किया गया। इस सेमिनार में उच्चतर शिक्षा के नामांकन में वृद्धि करने, जो वर्तमान में भारत में 10% और चीन में 15% है, के मामले में दोनों देशों के सम्मुख आने वलो चुनौतियों और समाज के सुविधाविहीन वर्गों को बेहतर अवसर प्रदान करने और विश्व के मानकों की पूर्ति के अनुरूप शिक्षा की उच्च गुणवत्ता को सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाने पर विचार किया गया।

(ग) जी, हां। अध्यक्ष, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने यह आग्रह किया कि यदि सकल नामांकन अनुपात में 50% की वृद्धि का लक्ष्य प्राप्त करना है तो उच्चतर शिक्षा पर सार्वजनिक व्यय में पर्याप्त वृद्धि करनी होगी।

(घ) सरकार उच्चतर शिक्षा में सार्वजनिक निधियन को धीरे-धीरे बढ़ाने के लिए वचनबद्ध है।

[हिन्दी]

माध्यमिक शिक्षा में कोटा सीटें

159. श्री महावीर भगोरा :
श्री दलपत सिंह परस्ते :

क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने यह सुनिश्चित करने के लिए कि माध्यमिक शिक्षा के कोटे की कोई सीट खाली न रहे, ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना में कोई स्पेशल स्कीम मिशन शुरू किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) 'विशेष योजना' शुरू करके माध्यमिक शिक्षा में अ०जा०/अ०ज०जा० एवं अ०पि०व० सहित समाज के वंचित तबके को और अधिक अवसर प्रदान करने के संबंध में ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार का विचार संपूर्ण देश में विशेषकर आरक्षित श्रेणी के अंतर्गत 14-18 आयु वर्ग के स्कूल छोड़ने वाले बच्चों के लिए कतिपय व्यावसायिक प्रशिक्षण संस्थान शुरू करने और ग्रामीण क्षेत्रों में तकनीकी और व्यावसायिक शिक्षा के लिए कोई नया प्रस्ताव तैयार करने का है; और

(ङ) यदि हां, तो इस संबंध में ब्यौरा क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी) : (क) से (ग) जी, नहीं। तथापि, मंत्रालय द्वारा संचालित कई स्कीमों के तहत कमजोर वर्ग को विभिन्न विशेष प्रोत्साहन/रियायत दी जाती है। इनमें सीटों का आरक्षण, शुल्क में रियायत तथा छात्रवृत्तियों का प्रावधान शामिल हैं।

(घ) और (ङ) इस समय ऐसे किसी प्रस्ताव पर विचार नहीं किया जा रहा है।

[अनुवाद]

नालको द्वारा ग्रीनफील्ड स्मेलटर का निर्माण

160. श्री अबु अयीश मंडल : क्या खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड (नालको) का विचार मध्य पूर्व में ग्रीनफील्ड स्मेल्टर का निर्माण करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार को नालको प्राधिकारण से विदेशों से गैस आपूर्ति की मनाही के संबंध में शिकायतें प्राप्त हुई हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) सरकार द्वारा इस संबंध में कया कार्रवाई की गई है?

खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० टी० सुब्बारामी रेड्डी) : (क) मध्य पूर्व में एक एल्युमीनियम प्रगालक की स्थापना करने की संभावना का पता लगाने के उद्देश्य से नेशनल एल्युमीनियम कंपनी लिमिटेड (नालको) ने मै० इंजीनियर्स इंडिया लि० (ई०आई०एल०) को अध्ययन करने के लिए नियुक्त किया था।

(ख) इंजीनियर्स इंडिया लि० ने मध्य पूर्व में ओमान, यू०ए०ई०, तथा कतर में एल्युमीनियम प्रगालक की स्थापना करने के संबंध में पूर्व-व्यवहार्यता रिपोर्ट तैयार की है।

(ग) से (ङ) नालको ने इस मंत्रालय को सूचित किया है कि ओमान, कतर तथा यू०ए०ई० में लगाये जाने वाले नए संयंत्रों के लिए पहले से की गई वचनबद्धता के मद्देनजर उस क्षेत्र में गैस की अनुपलब्धता के बारे में सूचित किया है।

शिक्षा का अधिकार कानून का कार्यान्वयन

161. **श्री असादुद्दीन ओवैसी : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने शिक्षा का अधिकार कानून के कार्यान्वयन के लिए 5500 करोड़ रु० का आकलन किया है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में योजना आयोग की राय क्या है; और

(ग) इस संबंध में अंतिम निर्णय कब तक लिए जाने की संभावना है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं -- ।

[हिन्दी]

जम्मू और कश्मीर में फर्जी मुठभेड़

162. **श्री कैलाश नाथ सिंह यादव :**
श्री शिशुपाल एन० पटले :
प्रो० महादेवराव शिवनकर :

क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जम्मू और कश्मीर सीमा पर सुरक्षा बल आतंकवादियों की गिरफ्तारी दिखाने के लिए फर्जी मुठभेड़ कर रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो ऐसी मुठभेड़ों की संख्या कितनी है जिनके बारे में केन्द्र सरकार को 2006 के दौरान और 2007 में आज तक जानकारी मिली है;

(ग) क्या इन क्षेत्रों में सुरक्षा बलों द्वारा आम नागरिकों को निशाना बनाया जा रहा है;

(घ) यदि हां, तो फर्जी मुठभेड़ों में अभी तक कितने निर्दोष नागरिक मारे गए हैं;

(ङ) राज्य में ऐसी फर्जी मुठभेड़ों के लिए उत्तरदायी पाए गए अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्रवाई की गई है; और

(च) ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीप्रकाश जायसवाल) : (क) से (च) ऐसी किसी घटना की सूचना नहीं है जिसमें जम्मू और कश्मीर सीमा पर सुरक्षा बलों ने आतंकवादियों की गिरफ्तारी दिखाने के लिए नकली मुठभेड़ की योजना बनाई हो तथा उसको अंजाम दिया हो। तथापि, हाल ही में श्रीनगर और बारामुल्ला जिलों से कथित रूप से नकली मुठभेड़ के ऐसे छः मामलों की सूचना है जिसमें कथित रूप से छः आम नागरिक मारे गए हैं। इनमें से पांच मामले वर्ष 2006 और एक मामला 2007 से संबंधित है।

आरोपों की ंच करने के लिए जम्मू और कश्मीर राज्य सरकार द्वारा उप महानिरीक्षक रैंक के अधिकारी की अध्यक्षता में एक विशेष जांच टीम गठित की गई है। अभी तक एक एस०एस०पी० और पुलिस उप अधीक्षक सहित सात पुलिस कार्मिकों को गिरफ्तार किया गया है। न्यायिक जांच की भी घोषणा कर दी गई है। नकली मुठभेड़ों में अपने कार्मिकों के शामिल होने के आरोपों की जांच करने के लिए केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल और सेना द्वारा भी न्यायिक जांच किए जाने का आदेश दिया गया है।

सरकार मानव अधिकारों के विषय को उच्चतम महत्व प्रदान करती है। जम्मू और कश्मीर में आतंकवादियों से मुकाबला करने वाली स्थानीय पुलिस और सुरक्षा बलों को अपने कर्तव्य के पालन के दौरान मानव अधिकारों का सम्मान करने और निर्दोषों की रक्षा सुनिश्चित करने के स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं। मानव अधिकारों के उल्लंघन के आरोपों के प्रत्येक मामले को गंभीर रूप से लिया जाता है, पारदर्शी तरीके से तत्काल जांच की जाती है और तर्क संगत निष्कर्ष निकाला जाता है और ऐसी गतिविधियों में संलिप्त पाए जाने पर संबंधित सुरक्षा बलों/पुलिस कार्मिकों के विरुद्ध कठोर कानूनी कार्रवाई की जाती है।

[अनुवाद]

विशेष आर्थिक जोनों में विद्युत संयंत्र

163. श्री के०एस० राव : क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विशेष आर्थिक जोनों में विद्युत आपूर्ति की मांग को पूरा करने के लिए विशेष विद्युत संयंत्रों की स्थापना हेतु संयंत्र एवं मशीनरी संबंधी सीमा शुल्क एवं उत्पाद शुल्क लाभों की प्रकृति और राशि क्या है;

(ख) क्या सरकार का विचार पैदा की गई अधिशेष विद्युत की विशेष आर्थिक जोन के बाहर के खरीददारों को विनियमित प्रशुल्क पर बिक्री की अनुमति देने का है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के वाणिज्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री जयराम रमेश) : (क) विद्युत का उत्पादन और वितरण एक अवसंरचना सुविधा है और विकासकर्त्ता इसकी स्थापना, प्रचालन तथा रख-रखाव हेतु केन्द्रीय उत्पाद शुल्क एवं सीमाशुल्क से पूर्ण छूट का पात्र है।

(ख) और (ग) चूंकि विद्युत का भण्डारण नहीं किया जा सकता इसलिए बेशी विद्युत की बिक्री की अनुमति सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्धारित टैरिफ पर प्रदान करनी होती है।

पेटेंट मुद्दा

164. श्री मोहन रावले :
श्री आनंदराव विठोबा अडसूल :
श्री रवि प्रकाश वर्मा :
श्री अधलराव पाटील शिवाजीराव :

क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पेटेंट मुद्दे पर माशेलकर समिति से रिपोर्ट प्राप्त हुई है;

(ख) यदि हां, तो इसकी मुख्य सिफारिशों का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या घरेलू उद्योग विशेषकर भेषज उद्योग ने सरकार से माशेलकर समिति की सिफारिशों को अनदेखा करने का अनुरोध किया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इस पर केन्द्र सरकार की प्रतिक्रिया क्या है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग में राज्य मंत्री (श्री अश्विनी कुमार) : (क) और (ख) भारत सरकार को डा० आर०ए० मशेलकर की अध्यक्षता में गठित पेटेंट कानूनों के मुद्दों पर एक तकनीकी विशेषज्ञ दल की रिपोर्ट 29.12.2006 को प्राप्त हुई है। दल की मुख्य सिफारिशें निम्न प्रकार हैं :

(i) ''फार्मास्यूटिकल (भेषज) पदार्थों के लिए केवल नई रासायनिक वस्तुओं तक ही पेटेंट प्रादनगी को सीमित कर देना 'ट्रिप्स' (बौद्धिक संपदा अधिकारों के व्यापार संबंधी पहलुओं पर समझौता) के अनुकूल नहीं होगा। तथापि, भारत के लोगों को उनकी सामर्थ्य के अनुकूल मूल्यों पर दवाएं उपलब्ध कराने की हर संभव कोशिश की जानी चाहिए। इसके अलावा, क्षुद्रतायुक्त पेटेंट प्रदान करने तथा उन्हें 'सदा-प्रभावी' (ऐवरग्रीनिंग) रहने से रोकने की हर संभव कोशिश की जानी चाहिए। भारतीय पेटेंट कार्यालय द्वारा भेषज क्षेत्र में पेटेंट आवेदनों की जांच के लिए विस्तृत दिशा-निर्देश तैयार कर उनका कड़ाई से पालन किया जाना चाहिए ताकि क्षुद्रतायुक्त पेटेंट प्रदान करने की क्षीण संभावना को भी खत्म किया जा सके।''

(ii) ''सूक्ष्म-जीवों (माइक्रोआर्गेनिज्म) को उनके मूल रूप में पेटेंट संरक्षण से बाहर रखना, 'ट्रिप्स' समझौते का उल्लंघन होगा।''

किन्तु, दल के चेयरमैन ने दिनांक 19 फरवरी, 2007 के पत्र द्वारा सरकार से अनुरोध किया है कि उसे रिपोर्ट को ''वापिस'' लेने की अनुमति दी जाए।

(ग) से (ङ) दि इंडियन फार्मास्यूटिकल ऐलाएन्स ने सरकार को अभ्यावेदन देकर तकनीकी विशेषज्ञ दल की सिफारिशें अस्वीकृत कर उन्हें अनदेखा करने की सलाह दी है। लेकिन, सरकार ने अभी विशेषज्ञ दल की सिफारिशों को स्वीकृत या अस्वीकृत करने के बारे में फैसला नहीं लिया है।

कृषि एवं प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण के कार्य

165. श्री जी०एम० सिद्दीश्वर : क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कृषि एवं प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (ए०पी०ई०डी०ए०) के कार्य क्या हैं;

(ख) इसकी शाखाओं का स्थानवार और राज्यवार ब्यौरा क्या है; और

(ग) निर्यात संवर्धन में इसका कितना योगदान है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के वाणिज्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री जयराम रमेश) : (क) कृषि एवं प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (एपीडा) एपीडा अधिनियम, 1985 में विनिर्दिष्ट फल सब्जियों, मांस, कुक्कुट उत्पादन, डेयरी, कोको आदि जैसे कतिपय अनुसूचित कृषि एवं प्रसंस्कृत खाद्य उत्पादों के निर्यात के विकास और संवर्धन के कार्य में लगा हुआ है। इसके लिए यह निम्नलिखित कार्यों में शामिल है :—

(i) निर्यात हेतु वित्तीय सहायता अथवा अन्य सहायता प्रदान करके अनुसूचित उत्पादों से संबंधित उद्योगों का विकास;

(ii) अनुसूचित उत्पादों के निर्यातकों का पंजीकरण;

(iii) अनुसूचित उत्पादों के निर्यात हेतु मानकों एवं विनिर्देशनों का निर्धारण;

(iv) मांस और मांस उत्पादों का निरीक्षण;

(v) अनुसूचित उत्पादों की पैकेजिंग और विदेशों में उनके विपणन में सुधार करना;

(vi) अनुसूचित उत्पादों के निर्यातोन्मुखी उत्पादन का संवर्धन;

(vii) अनुसूचित उत्पादों के उत्पादन, प्रसंस्करण आदि में लगे हुए कारखानों अथवा प्रतिष्ठानों से आंकड़ों का संग्रहण और इनका प्रकाशन;

(viii) अनुसूचित उत्पादों, निर्धारित किए जाने वाले अन्य मामलों से संबंधित उद्योगों के विभिन्न पहलुओं में प्रशिक्षण।

(ख) एपीडा का मुख्यालय नई दिल्ली में है और इसके क्षेत्रीय कार्यालय मुम्बई, बेंगलूर कोलकाता, हैदराबाद और गुवाहाटी में हैं। इसकी शाखाओं की सही अवस्थिति संलग्न विवरण में दी गई है।

(ग) एपीडा अंतर्राष्ट्रीय विमानपत्तनों पर शीघ्र खराब होने वाले कार्गो केन्द्रों, थोक बाजार-सह-नीलामी केन्द्रों, ताजे फल एवं सब्जियों आदि के रख-रखाव के लिए सामान्य अवसंरचना सुविधाओं जैसी अवसंरचनात्मक परियोजनाओं की स्थापना के जरिए कृषि एवं प्रसंस्कृत खाद्यों का निर्यात बढ़ाने के प्रयासों में योगदान कर रहा है। यह अंगूर, मूंगफली और अन्य उत्पादों के लिए अवशिष्ट निगरानी के विकास और कार्यान्वयन में भी लगा हुआ है। इसने जापान, चीन और अन्य देशों को बागवानी उत्पादों के निर्यात हेतु प्रयोगशालाओं, पैक-गृहों और बाजार पहुंच पहलों को शुरू करने में भी सहायता की है। वर्ष 2005-06 के दौरान एपीडा द्वारा देख-रेख की गई कृषि वस्तुओं का निर्यात 17918.07 करोड़ रुपए का था।

विवरण

पता	राज्य
एपीडा 4था तल, इकाई सं० 3 तथा 4, बैंकिंग .कॉम्पलेक्स बिल्डिंग सं० II, सेक्टर 19/ए, वाशी, नवीं मुम्बई-400705 दूरभाष/27840949/27845442/27840350 फैक्स-27842273 ई-मेल: apedamum@vsnl.net	महाराष्ट्र
एपीडा मयूख भवन, बिधान नगर, कोलकाता-700091 दूरभाष: 033-23378363 फैक्स: 033-23378680 ई-मेल: agri8680@dataone.in apedacal@giasc101.vsnl.net.in	पश्चिम बंगाल
एपीडा 12/1/1, पैलेस क्रास रोड बंगलौर-560020 दूरभाष: 080-23343425/23368272 फैक्स: 080-23364560 ई-मेल: apedablr@vsnl.net	कर्नाटक
एपीडा 8वां तल, चंद्र विहार बिल्डिंग, एम०जे० रोड, हैदराबाद-500001 दूरभाष: +91-40-24745940 फैक्स: 91-40-24745947 ई-मेल: hyd_apedahyd@sancharnet.in	आंध्र प्रदेश
एपीडा जी०एस० रोड, पुराने पोस्ट ऑफस के सामने, जैन कॉम्पलेक्स, तीसरा तल, गुवाहाटी-781005 दूरभाष/फैक्स: 0361-2599010 मोबाइल: 98640-28908 आवास: 0361-2633390 ई-मेल: apedagwa@sancharnet.in	असम

एफ०टी०ए० भागीदार

166. **श्री बृज किशोर त्रिपाठी :** क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत ने मुक्त व्यापार समझौता (एफ०टी०ए०) के लिए एक नए पैकेज के भाग के रूप में नेगेटिव लिस्ट को हटा दिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) नए पैकेज पर एफ०टी०ए० भागीदारों की प्रतिक्रिया क्या है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के वाणिज्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री जयराम रमेश) : (क) और (ख) भारत की अलग-अलग मुक्त व्यापार करारों (एफ०टी०ए०) के भागीदारों के लिए अलग-अलग नकारात्मक सूचियां हैं। जनवरी, 2007 में आसियान — भारत की बैठक के दौरान आसियान सदस्य देशों तथा भारत ने आसियान — भारत एफ०टी०ए० के अंतर्गत प्रत्येक देश के लिए आयात मूल्य के 50 प्रतिशत की अधिकतम सीमा के साथ 490 पदों की एक नकारात्मक सूची रखने पर सहमति व्यक्त की है।

(ग) आसियान सदस्य देशों का उत्तर प्रतीक्षित है।

[हिन्दी]

कामगारों की प्रबंधन में भागीदारी

167. **श्री काशीराम राणा :**
श्रीमती करूणा शुक्ला :

क्या **वस्त्र मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार निगमित क्षेत्रों सहित राष्ट्रीय वस्त्र निगम (एन०टी०सी०) और नेशनल जूट मेन्युफैक्चरर्स कार्पोरेशन (एन०जे०एम०सी०) स्थापनाओं और निगमों के कामगारों की भागीदारी के पक्ष में है;

(ख) यदि हां, तो श्रमिक संघों का ब्यौरा क्या है और एन०टी०सी० एवं एन०जे०एम०सी० के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स एवं प्रबंधन समिति को विभिन्न इकाइयों के नाम क्या हैं जिनमें श्रमिक संघों ने अभ्यावेदन दिया है; और

(ग) यदि नहीं, तो पारदर्शिता और उत्पादकता एवं कुशलता आदि को बढ़ाने के लिए उक्त बोर्ड ऑफ डॉयरेक्टर्स एवं प्रबंधन समितियों में उक्त श्रमिक संघों द्वारा कब तक अभ्यावेदन दिए जाने की संभावना है?

वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ई०वी०के०एस० इलेंगोवन) : (क) से (ग) जहां तक राष्ट्रीय वस्त्र निगम (एन०टी०सी०) का संबंध है, प्रबंधन में कामगारों की भागीदारी योजना सभी एन०टी०सी० मिलों में शुरू की गई है। इस योजना के तहत, मिलों में पारदर्शिता एवं दक्षता बनाए रखने के लिए कामगार यूनियन प्रतिनिधियों वाली अधिकतर कार्यरत एन०टी०सी० मिलों में संयुक्त समितियां गठित की गई हैं। इन समितियों की आम तौर पर महीने में एक बार बैठक होती है और निर्धारित परिणाम प्राप्त करने के लिए क्षमता उपयोग प्रतिशतता बढ़ाने, अपशिष्ट और उत्पादन लागत में कमी करने और ऊर्जा संरक्षण आदि से संबंधित मामलों पर विचार किया जाता है। तथापि बोर्ड स्तर पर किसी मजदूर संघ के प्रतिनिधि को शामिल नहीं किया गया है। मिल स्तर पर संयुक्त समितियों में मान्यता प्राप्त यूनियनों के प्रतिनिधि हैं।

जहां तक राष्ट्रीय पटसन विनिर्माण निगम (एन०जे०एम०सी०), का संबंध है, एन०जे०एम०सी० को बंद करने के लिए औद्योगिक एवं वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड (बी०आई०एफ०आर०) की सिफारिशों के अनुसार मंत्रिमंडल ने एन०जे०एम०सी० के सभी कर्मचारियों को स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति की पेशकश करने का निर्णय किया है। इसके मद्देनजर एन०जे०एम०सी० के प्रबंधन एवं निदेशक बोर्ड में कामगारों की भागीदारी पर परिकल्पना नहीं की गई है।

लौह अयस्क का निर्यात

168. **श्री एम० अंजनकुमार यादव :**
श्री हरिकेवल प्रसाद :

क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने लौह अयस्क के निर्यात के लिए कुछ देशों के साथ समझौता किया है;

(ख) यदि हां, तो इन देशों का ब्यौरा क्या है और ऐसे समझौतों की क्या शर्तें हैं;

(ग) क्या इन समझौतों का भारतीय उद्योग पर नकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है; और

(घ) यदि हां, तो इन समझौतों का क्या औचित्य है और इन पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के वाणिज्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री जयराम रमेश) : (क) जी, नहीं। तथापि, पूर्ववर्ती दीर्घावधि करारों की अवधि बीत जाने के बाद मै० एम०एम०टी०सी० ने दिनांक 1.4.2006 से 5 वर्ष की अवधि के लिए जापानी, दक्षिण कोरियाई तथा चीन की इस्पात मिलों के साथ लौह अयस्क के निर्यात के लिए दीर्घावधि करार पर हस्ताक्षर किए हैं।

(ख) जापानी, कोरियाई तथा चीन की इस्पात मिलों को आपूर्ति की जाने वाली वार्षिक मात्रा निम्नानुसार है :—

(मात्रा: मिलियन टन)

	न्यूनतम	अधिकतम
जापानी इस्पात मिलें	3.47	6.75
पॉस्को, दक्षिण कोरिया	0.80	1.60
चीन की इस्पात मिलें	2.50	3.10

(ग) जी, नहीं।

(घ) वर्तमान लौह अयस्क निर्यात नीति के तहत घरेलू प्रयोजनों के लिए लौह अयस्क के विवेकपूर्ण उपयोग तथा बेशी मात्रा के निर्यात का विनियमन एवं संवर्धन किया जाता है। लौह अयस्क का उत्पादन वर्तमान घरेलू मांग से अधिक है। इसके अतिरिक्त, खनन के साथ-साथ लम्पी अयस्क की छंटाई एवं अंशशोधन के दौरान उत्पादित बेशी लौह अयस्क फाइन्स को बाहर निकालना होता है, ऐसा न करने पर उत्पादन में कमी आ जाएगी जिसकी परिणति पर्यावरणीय जोखिम उत्पन्न होने के साथ-साथ मुख्य रूप से जन-जातीय क्षेत्रों में बेरोजगारी, अधिक उत्पादन लागत, आर्थिक क्रियाकलापों तथा निर्यात आय में कमी के रूप में होगी।

[अनुवाद]

खादी और ग्रामोद्योग आयोग के कार्यक्रमों की समीक्षा

169. श्री प्रभुनाथ सिंह : क्या कृषि एवं ग्रामीण उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने बिहार सहित पूरे देश में खादी और ग्रामोद्योग आयोग द्वारा स्वीकृत कार्यक्रम के कार्यनिष्पादन की समीक्षा की है;

(ख) यदि हां, तो अद्यतन समीक्षा के अनुसार तत्संबंधी राज्य-वार ब्योरा क्या है;

(ग) पिछले तीन वर्षों के दोरान बिहार में शुरू किए गए कार्यक्रमों तथा उत्पादन और रोजगार सृजन दोनों दृष्टि से इसके अंतर्गत प्राप्त परिणामों का ब्योरा क्या है; और

(घ) चालू वर्ष के दौरान अब तक बिहार से प्राप्त और स्वीकृत किए गए प्रस्तावों का ब्योरा क्या है तथा उक्त राज्य हेतु कितनी धनराशि आवंटित की गयी है/किए जाने की संभावना है?

लघु उद्योग मंत्री तथा कृषि एवं ग्रामीण उद्योग मंत्री (श्री महावीर प्रसाद) : (क) और (ख) खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग (के०वी०आई०सी०) द्वारा खादी एवं ग्रामोद्योग (के०वी०आई०) क्षेत्र के संवर्धन और विकास के लिए कार्यान्वित की जा रही विभिन्न योजनाओं/कार्यक्रमों के निष्पादन की सरकार द्वारा समय-समय पर निगरानी एवं मूल्यांकन किया जाता है। अध्यक्ष, के०वी०आई०सी० की अध्यक्षता वाली मासिक बैठकों में भी इन योजनाओं की नियमित रूप से समीक्षा की जाती है। अन्य के साथ-साथ कार्यान्वयन बैंकों एवं अन्य कार्यान्वयन अभिकरणों द्वारा भाग ली गई बैठकों में के०वी०आई०सी० द्वारा राष्ट्रीय, क्षेत्रीय एवं राज्य स्तर पर सरकारी स्तर की समीक्षाएं भी समय-समय पर आयोजित की जाती हैं। के०वी०आई०सी०, राज्यों के खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्डों एवं बैंकों के अधिकारियों द्वारा भाग ली गई एक बैठक में फरवरी, 2007 के दौरान रांची में क्षेत्रीय स्तर की समीक्षा आयोजित की गई थी। वर्ष 2006-07 के लिए आर०ई०जी०पी० के तहत आबंटित लक्ष्यों का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्योरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ग) पिछले तीन वर्षों के दौरान बिहार में खादी एवं ग्रामोद्योगों के माध्यम से उत्पादन के मूल्य तथा सृजित रोजगार अवसरों के संबंध में निष्पादन का ब्योरा नीचे दिया गया है :

वर्ष	खादी		ग्रामोद्योग	
	उत्पादन (लाख रु०)	रोजगार (लाख व्यक्ति)	उत्पादन (लाख रु०)	रोजगार (लाख व्यक्ति)
2003-04	836.91	1.01	18681.27	1.62
2004-05	842.05	1.02	20306.41	1.68
2005-06	660.56	1.02	22858.86	1.81

(घ) के०वी०आई०सी० ने वर्ष 2006-07 में 11,799 अतिरिक्त रोजगार अवसरों के सृजन के लिए 707.95 लाख रु० के मार्जिन मनी अनुदान के साथ बिहार में ग्रामीण रोजगार सृजन कार्यक्रम (आर०ई०जी०पी०) के तहत 638 इकाइयों की स्थापना में सहायता देने का लक्ष्य निर्धारित किया है। इस लक्ष्य की तुलना में, 355.25 लाख रु० की मार्जिन मनी उपयोगिता एवं 5595 रोजगार सृजन के साथ जनवरी, 2007 तक के०वी०आई०सी० द्वारा 477 परियोजना प्रस्ताव स्वीकृत किए गए हैं। बिहार में के०वी०आई० के संवर्धन के लिए के०वी०आई०सी० द्वारा उठाए गए अन्य कदमों का ब्योरा नीचे दिया गया है :—

(i) गुणवत्ता में सुधार लाने के लिए, वर्ष 2006-07 के दौरान खादी एवं अन्य ग्रामोद्योगों के तहत 2 गुणवत्ता आश्वासन प्रयोगशालाएं स्वीकृत की गई हैं, जिससे बिहार में ऐसी गुणवत्ता आश्वासन प्रयोगशालाओं की संख्या 5 हो गई है।

(ii) उत्पादन विकास डिजाइन हस्तक्षेप एवं पैकेजिंग (पी०आर०ओ० डी०आई०पी०) के तहत बिहार में वर्ष 2005-06 के दौरान स्वीकृत चार परियोजनाएं तथा वर्ष 2006-07 के दौरान स्वीकृत पांच परियोजनाएं, जिनमें खादी के संबंध में डिजाइन हस्तक्षेप तथा ग्रामोद्योग उत्पादनों के संबंध में पैकेजिंग, दोनों शामिल हैं, कार्यान्वयन के विभिन्न चरणों में हैं। कार्यक्रम से उत्पादकों की विपणनता में वृद्धि होगी और राज्य में लाभार्थियों को बेहतर आय सुनिश्चित की जा सकेगी।

(iii) पारंपरिक उद्योगों के पुनरूद्धार के लिए निधि की योजना (स्फूर्ति) के तहत तीन क्लस्टरों (गया में एक खादी क्लस्टर तथा चम्पारन एवं मुज्जफ्फरपुर में दो ग्रामीण उद्योग क्लस्टर) की पहचान की गई है। इसके अतिरिक्त, बिहार में ग्रामीण उद्योग सेवा केन्द्र (आर०आई०एस०सी०) योजना के तहत छोटे क्लस्टर कार्यक्रम भी कार्यान्वित किए गए हैं, जिनमें वर्ष 2005-06 के दौरान स्वीकृत दो परियोजनाएं तथा वर्ष 2006-07 के दौरान स्वीकृत तीन परियोजनाएं शामिल हैं, जिससे राज्य में ऐसी परियोजनाओं की कुल संख्या नौ हो गई है। आशा है कि इससे कॉमन ब्राण्ड नाम के तहत उत्पादनों की बिक्री और क्लस्टर एप्रोच के माध्यम से के०वी०आई०सी० उत्पादनों के लिए बेहतर विपणता की सुविधा मिल सकेगी।

(iv) खादी के तहत के०वी०आई०सी० ने वर्ष 2005-06 तक अपने छूट दावों को पूरा कर दिया है और राज्य में सभी खादी संस्थानों के लिए वर्ष 2006-07 के अन्त तक बजट स्वीकृत कर दिया गया है।

विवरण

वर्ष 2006-07 के दौरान आर०ई०जी०पी० के अंतर्गत आवंटित लक्ष्यों का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्योरा

क्र० सं०	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	परियोजनाओं की संख्या	मार्जिन मनी (लाख रुपये)	रोजगार (व्यक्तियों की संख्या)
1	2	3	4	5
1.	चंडीगढ़	5	5.3	88
2.	दिल्ली	15	16.88	281
3.	हरियाणा	1193	111324.72	22079
4.	हिमाचल प्रदेश	760	843.75	14063
5.	जम्मू और कश्मीर	724	803.93	13399
6.	पंजाब	1493	1657.13	27619
7.	राजस्थान	2769	3073.79	51230
8.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	152	168.75	2813
9.	बिहार	638	707.95	11799
10.	झारखंड	745	826.45	13774
11.	उड़ीसा	885	982.13	16369
12.	पश्चिम बंगाल	2268	2517.76	41963
13.	अरूणाचल प्रदेश	103	114.75	1913
14.	असम	1526	1694.25	28238
15.	मणिपुर	185	205.88	3431
16.	मेघालय	304	337.5	5625
17.	मिजोरम	455	504.6	8410
18.	नागालैंड	173	192.37	3206
19.	त्रिपुरा	219	243	4050
20.	सिक्किम	108	119.84	1997
21.	आन्ध्र प्रदेश	2940	3263.69	54395
22.	कर्नाटक	2011	2232.6	37210
23.	केरल	1389	1541.4	25690
24.	लक्षद्वीप	2	1.72	29
25.	पांडिचेरी	64	71.18	1186
26.	तमिलनाडु	1212	1344.96	22416
27.	गोवा	304	337.5	5625
28.	गुजरात	613	680.09	11335
29.	महाराष्ट्र	1908	2117.84	35297
30.	छत्तीसगढ़	914	1014.22	16904

1	2	3	4	5
31.	मध्य प्रदेश	1291	1432.75	23879
32.	उत्तराखण्ड	608	675	11250
33.	उत्तर प्रदेश	3784	4346.20	72438
	कुल	31760	35399.85	590001

[हिन्दी]

ग्रामीण शिल्पकारों को राजसहायता

170. श्री वी०के० ठुम्मर :
डा० धीरेंद्र अग्रवाल :

क्या कृषि एवं ग्रामीण उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ग्रामीण शिल्पकारों को राजसहायता नहीं मिल रही है जिसकी वजह से कृषि एवं ग्रामीण उद्योग क्षेत्र में विकास सरकार द्वारा निर्धारित लक्ष्यों के अनुपात में नहीं हो रहा है;

(ख) यदि हां, तो सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) पिछले तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान ग्रामीण रोजगार गारंटी कार्यक्रम (आर०ई०जी०पी०) प्रधान मंत्री रोजगार योजना (पी०एम०आर०वाई०) तथा ब्याज राजसहायता पात्रता प्रमाण-पत्र (सर्टिफिकेट) योजना के अंतर्गत राज्य-वार और संघ राज्य क्षेत्र-वार क्या लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं और क्या उपलब्धियां हासिल हुई हैं;

(घ) विभिन्न योजनाओं/कार्यक्रमों के उन प्रावधानों का ब्यौरा क्या है जिनके अंतर्गत ग्रामीण शिल्पकारों को वित्तीय सहायता और अन्य सुविधाएं प्रदान की जाती है;

(ङ) क्या इन प्रावधानों का पालन किया जा रहा है; और

(च) यदि नहीं, तो इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं?

लघु उद्योग मंत्री तथा कृषि एवं ग्रामीण उद्योग मंत्री (श्री महावीर प्रसाद) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता है।

(ग) 2003-04, 2004-05, 2005-06 और 2006-07 के दौरान, ग्रामीण रोजगार गारण्टी कार्यक्रम (आर०ई०जी०पी०) के तहत नियत लक्ष्यों और उपलब्धियों के राज्य-वार संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरे संलग्न विवरण-I, II, III और IV पर दिए गए हैं, तथा प्रधानमंत्री रोजगार योजना (पी०एम०आर०वाई०) के तहत आने वाले ब्यौरे संलग्न विवरण-V पर हैं एवं जो ब्यौरे ब्याज सब्सिडी पात्रता प्रमाणपत्र योजना के तहत हैं, वे संलग्न विवरण-VI पर दिए गए हैं।

(घ) खादी कारीगर जनश्री बीमा योजना (जे०बी०वाई०), खादी कारीगरों/कामगारों को सामाजिक सुरक्षा के लाभ प्रदान करने के लिए 15 अगस्त, 2003 को आरंभ की गई थी। जे०बी०आई० के तहत प्रति कारीगर वार्षिक प्रीमियम निम्नोक्त रूप में विभक्त किया जाता है :

द्वारा वहन किया गया भाग	वार्षिक प्रीमियम राशि (रु०)	
	15 अगस्त, 2003 से 14 अगस्त, 2005 तक	15 अगस्त, 2005 से आगे
कारीगर	25	12.50
सरकार सामाजिक सुरक्षा निधि	100	50
के०वी०आई०सी०	25	12.50
संबंधित खादी संस्थान	50	25
कुल प्रीमियम	200	100

यह योजना प्रत्येक कारीगर को (i) प्राकृतिक मृत्यु के लिए 20,000 रु० और दुर्घटनाजन्य मृत्यु के लिए 50,000 रु०, (ii) दुर्घटना जन्य स्थायी विकलांगता (दोनों आंखों/उपयोगी अंगों की हानि) के लिए 50,000 रु०, (iii) आंशिक विकलांगता के लिए 25,000 रु० तक का कवर प्रदान करती है।

शिक्षा सहयोग योजना, जे०बी०आई० के तहत, बिना किसी अतिरिक्त प्रीमियम के ऐड-ऑन कवरेज है। जे०बी०आई० के तहत कवर किए गए खादी कारीगरों के बच्चे (लाभ प्रति सदस्य/परिवार दो बच्चों तक सीमित) शिक्षा सहयोग योजना के तहत ट्यूशन शुल्क के लिए प्रति बच्चा, प्रति तिमाही, 300 रु० प्राप्त करने हेतु पात्र है। यह लाभ नौवीं से बारहवीं कक्षा में पढ़ रहे बच्चों के लिए ही हैं, इसमें औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों (आई०टी०आई०) में अध्ययनरत बच्चे भी शामिल हैं।

(ङ) जी, हां।

(च) प्रश्न नहीं उठता है।

विवरण-I

वर्ष 2003-04, 2004-05 तथा 2005-06 के दौरान आर०ई०जी०पी० के तहत ग्राम उद्योग इकाईयों के संबंध में लक्ष्यों तथा उपलब्धियों का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र वार ब्यौरा

क्र० सं०	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	लक्ष्य(संख्या)			उपलब्धियां(संख्या)		
		2003-04	2004-05	2005-06	2003-04	2004-05	2005-06
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	चंडीगढ़	86	4	22	8	8	3
2.	दिल्ली	35	26	29	7	9	15
3.	हरियाणा	673	980	1233	923	1140	1058
4.	हिमाचल प्रदेश	590	626	592	414	469	650
5.	जम्मू और कश्मीर	717	500	550	775	922	1402
6.	पंजाब	1261	1228	1206	882	864	440
7.	राजस्थान	2098	1895	1837	2496	1537	2133
8.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	42	125	15	58	6	598
9.	बिहार	1230	1049	345	88	254	692
10.	झारखंड	671	795	222	323	240	217
11.	उड़ीसा	916	728	444	1031	991	650
12.	पश्चिम बंगाल	2402	1865	1660	3348	2584	2078
13.	अरूणाचल प्रदेश	67	85	94	32	43	76
14.	असम	1381	1255	2088	1223	1658	2229
15.	मणिपुर	73	250	19	36	102	65
16.	मेघालय	385	250	148	210	146	206
17.	मिजोरम	118	374	966	33	162	365
18.	नागालैंड	237	143	212	61	151	316
19.	त्रिपुरा	250	180	152	244	233	306
20.	सिक्किम	84	89	74	113	139	106
21.	आन्ध्र प्रदेश	1199	2179	3246	1097	1988	2278
22.	कर्नाटक	1231	1654	1601	1422	934	1314
23.	केरल	1139	1046	1062	2046	914	1217

1	2	3	4	5	6	7	8
24.	लक्षद्वीप	1	1	1	9	0	26
25.	पांडिचेरी	9	5	10	47	7	56
26.	तमिलनाडु	1122	996	880	1568	925	1036
27.	दादर और नगर हवेली	0	0	0	2	0	0
28.	गोवा	434	250	148	126	138	0
29.	गुजरात	658	504	705	290	376	136
30.	महाराष्ट्र	1945	1569	1664	857	1773	516
31.	छत्तीसगढ़	502	751	826	697	656	0
32.	मध्य प्रदेश	1037	1061	1167	1041	1361	551
33.	उत्तरांचल	631	500	428	1106	513	736
34.	उत्तरप्रदेश	2105	3285	3069	2134	2210	527
	कुल	25329	26248	26715	24747	23453	21998

विवरण-II

वर्ष 2003-04, 2004-05 तथा 2005-06 के दौरान आर०ई०जी०पी० के तहत मार्जिन मनी के संबंध में लक्ष्यों तथा उपलब्धियों का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र वार ब्यौरा

(रुपये लाख में)

क्र० सं०	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	लक्ष्य			उपलब्धि		
		2003-04	2004-05	2005-06	2003-04	2004-05	2005-06
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	चंडीगढ़	79.00	4.00	30.00	10.24	21.45	3.63
2.	दिल्ली	33.18	29.00	18.67	12.31	8.09	16.66
3.	हरियाणा	632.00	1119.00	1665.00	1938.96	2142.25	1782.18
4.	हिमाचल प्रदेश	553.00	713.00	800.00	757.11	657.72	889.90
5.	जम्मू और कश्मीर	581.44	570.00	889.30	363.45	584.55	833.56
6.	पंजाब	1185.00	1399.00	1628.80	819.03	1834.63	837.21
7.	राजस्थान	1969.47	2160.00	3025.16	2890.28	2064.33	2679.91
8.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	39.50	143.00	20.00	28.44	4.16	218.87
9.	बिहार	1155.77	1196.00	600.00	186.03	281.69	570.54

2	3	4	5	6	7	8
0. झारखंड	628.05	906.00	300.00	198.08	320.60	351.12
1. उड़ीसा	859.52	829.00	600.00	784.11	863.05	837.22
2. पश्चिम बंगाल	2264.14	2126.00	2242.30	1593.51	1999.62	2100.06
3. अरूणाचल प्रदेश	63.20	97.00	126.94	52.77	66.03	126.54
14. असम	1297.18	1431.00	2820.00	806.83	1277.42	2719.99
15. मणिपुर	69.52	285.00	25.00	41.19	73.66	43.85
16. मेघालय	361.03	285.00	200.34	121.79	196.03	234.14
17. मिजोरम	112.18	426.00	1304.39	61.10	257.48	995.54
18. नागालैंड	222.78	162.00	285.80	117.20	204.46	286.22
19. त्रिपुरा	244.11	162.00	205.00	224.02	214.14	139.54
20. सिक्किम	79.00	101.00	100.00	127.67	165.78	289.95
21. आन्ध्र प्रदेश	1123.38	2484.00	3810.27	1675.40	3394.19	3627.58
22. कर्नाटक	1151.03	1885.00	2161.68	1692.17	1063.83	1697.66
23. केरल	1070.45	1193.00	1571.85	2753.15	1027.95	1603.41
24. लक्षद्वीप	2.37	1.00	1.90	7.42	0.00	16.39
25. पांडिचेरी	9.48	6.00	13.70	11.38	9.05	12.66
26. तमिलनाडु	1053.07	1136.00	1188.21	1362.17	1147.28	1217.13
27. दादर और नगर हवेली				4.13		
28. गोवा	406.85	285.00	200.00	82.98	88.90	103.68
29. गुजरात	616.99	574.20	952.31	130.34	530.55	883.08
30. महाराष्ट्र	1825.69	1788.00	2258.49	873.25	1439.17	1596.48
31. छत्तीसगढ़	470.84	857.00	1121.92	1098.00	1000.91	1152.87
32. मध्य प्रदेश	592.50	1210.00	1584.86	1355.07	2125.71	1114.33
33. उत्तराखण्ड	973.28	570.00	577.74	979.70	578.63	617.86
34. उत्तरप्रदेश	1975.00	3746.00	4339.46	3415.78	3596.64	2495.99
कुल	23700.00	29878.00	36669.09	26574.46	23239.95	32095.75

विवरण-III

वर्ष 2003-04, 2004-05 तथा 2005-06 के दौरान आर०ई०जी०पी० के तहत अतिरिक्त रोजगार सृजन के संबंध में लक्ष्यों तथा उपलब्धियों का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र वार ब्यौरा

(व्यक्तियों की संख्या)

क्र० सं०	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	लक्ष्य			उपलब्धियां		
		2003-04	2004-05	2005-06	2003-04	2004-05	2005-06
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	चंडीगढ़	52	75	448	162	188	36
2.	दिल्ली	700	500	278	231	144	112
3.	हरियाणा	13350	19625	25242	33201	35691	26541
4.	हिमाचल प्रदेश	11700	12500	12120	13485	12256	12276
5.	जम्मू और कश्मीर	12300	10000	13510	6845	9406	18284
6.	पंजाब	24950	24550	24686	13600	30665	16654
7.	राजस्थान	41550	37900	45869	51337	38287	59596
8.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	1531	2500	278	504	93	4495
9.	बिहार	24350	20975	9118	3818	5049	11445
10.	झारखंड	13300	15900	4559	3968	6855	3756
11.	उड़ीसा	18150	14550	9118	13431	15241	9670
12.	पश्चिम बंगाल	29100	37300	33972	27350	36581	36853
13.	अरूणाचल प्रदेश	1350	1700	1946	864	1219	1857
14.	असम	27350	25100	47000	15548	25768	49595
15.	मणिपुर	2415	5000	389	682	1313	416
16.	मेघालय	7600	5000	3058	2171	3789	1962
17.	मिजोरम	2350	7475	21739	1174	5180	18255
18.	नागालैंड	4700	2850	4336	2332	3851	5549
19.	त्रिपुरा	5150	3600	3114	4316	3227	5616
20.	सिक्किम	1650	1775	1501	2140	3994	1750
21.	आन्ध्र प्रदेश	23700	43575	57768	31996	66463	66050
22.	कर्नाटक	24350	33075	35320	29958	19478	27129

1	2	3	4	5	6	7	8
23.	केरल	22550	20925	23852	50291	16434	30586
24.	लक्षद्वीप	50	25	27	127	0	292
25.	पांडिचेरी	200	100	222	219	146	187
26.	तमिलनाडु	22200	19925	17959	24028	19159	20055
27.	दादर और नगर हवेली	0	0	0	61	0	0
28.	गोवा	8600	5000	3058	1715	1670	801
29.	गुजरात	13311	10075	14456	2236	8581	17947
30.	महाराष्ट्र	38400	31375	34250	15498	25040	30928
31.	छत्तीसगढ़	9950	15025	17014	19815	18347	17348
32.	मध्य प्रदेश	20550	21225	24019	23683	40539	15365
33.	उत्तराखंड	12500	10000	8785	16825	10471	10948
34.	उत्तर प्रदेश	60200	65725	57125	57847	64900	45322
	कुल			556136	471458	530025	567676

विवरण-IV

वर्ष 2006-07 के दौरान आर०ई०जी०पी० के तहत ग्राम उद्योग इकाईयों, मार्जिन मनी (एम०एम०) तथा रोजगार के संबंध में लक्ष्यों तथा उपलब्धियों का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र वार ब्यौरा

क्र० सं०	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	लक्ष्य 2006-07			उपलब्धियां (जनवरी, 2007 तक)		
		परियोजनाओं की संख्या	एम०एम० लाख रु०)	रोजगार संख्या	परियोजनाओं की संख्या	एम०एम० लाख रु०)	रोजगार संख्या
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	चंडीगढ़	5	5.3	88	10	11.34	172
2.	दिल्ली	15	16.88	281	11	12.11	86
3.	हरियाणा	1193	1324.72	22079	487	996.43	16054
4.	हिमाचल प्रदेश	760	843.75	14063	481	731.86	10367
5.	जम्मू और कश्मीर	724	803.93	13399	1044	628.89	11929
6.	पंजाब	1493	1657.13	27619	419	813.1	13378
7.	राजस्थान	2769	3073.79	51230	993	1391.34	30299

1	2	3	4	5	6	7	8
8.	अंडमान और निकोबार द्वीप	152	168.75	2813	127	22.15	223
9.	बिहार	638	707.95	11799	477	355.25	5595
10.	झारखंड	745	826.45	13774	120	171.53	3890
11.	उड़ीसा	885	982.13	16369	224	338.73	5673
12.	पश्चिम बंगाल	2268	2517.76	41963	971	1041.95	17993
13.	अरूणाचल प्रदेश	103	114.75	1913	80	132.9	1425
14.	असम	1526	1694.25	28238	1088	1051.28	18918
15.	मणिपुर	185	205.88	3431	10	9.86	66
16.	मेघालय	304	337.5	5625	68	112.14	743
17.	मिजोरम	455	504.6	8410	586	769.5	12590
18.	नागालैंड	173	192.37	3206	133	164.39	2772
19.	त्रिपुरा	219	243	4050	21	31.75	231
20.	सिक्किम	108	119.84	1997	46	75.72	718
21.	आन्ध्र प्रदेश	2940	3263.69	54395	1083	1907.92	33293
22.	कर्नाटक	2011	2232.6	37210	968	1426.83	24969
23.	केरल	1389	1541.4	25690	713	1224.22	20222
24.	लक्षद्वीप	2	1.72	29	0	0	0
25.	पांडिचेरी	64	71.18	1186	3	4.2	72
26.	तमिलनाडु	1212	1344.96	22416	635	820.41	14490
27.	गोवा	304	337.5	5625	104	95.25	717
28.	गुजरात	613	680.09	11335	241	452.58	7744
29.	महाराष्ट्र	1908	2117.84	35297	633	662.57	6338
30.	छत्तीसगढ़	914	1014.22	16904	340	655.98	7103
31.	मध्य प्रदेश	1291	1432.72	23879	743	1059.7	17938
32.	उत्तरांचल	608	675	11250	309	346.05	5213
33.	उत्तर प्रदेश	3784	4346.2	72438	807	1611.97	26741
	कुल	31760	35399.85	590001	13975	19129.9	317962

विवरण-V

वर्ष 2003-04 तथा 2004-05 के दौरान पी०एम०आर०वाई० के तहत नियत लक्ष्यों तथा उपलब्धियों का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र वार ब्यौरा

क्र० सं०	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	2003-2004			2004-2005		
		आवंटित लक्ष्य (सं०)	बैंकों द्वारा स्वीकृत मामलों की सं०	बैंकों द्वारा संवितरित मामलों की सं०	आवंटित लक्ष्य (सं०)	बैंकों द्वारा स्वीकृत मामलों की सं०	बैंकों द्वारा संवितरित मामलों की सं०
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	हरियाणा	8100	8387	7277	10200	9176	7755
2.	हिमाचल प्रदेश	3200	3028	2862	3000	2977	2853
3.	जम्मू एंड कश्मीर	3000	792	656	3000	747	639
4.	पंजाब	8200	8405	7558	9200	9178	8372
5.	राजस्थान	16200	15654	12769	18200	16429	12919
6.	चंडीगढ़	100	99	68	100	288	206
7.	दिल्ली	4400	1108	904	4500	937	819
8.	असम	10000	7501	5844	15000	10262	8256
9.	मणिपुर	1200	595	520	1500	440	387
10.	मेघालय	1350	453	403	1400	598	568
11.	नागालैंड	1000	68	53	1200	897	109
12.	त्रिपुरा	3000	2494	2043	3000	2126	1747
13.	अरूणाचल प्रदेश	700	685	668	850	443	440
14.	मिजोरम	200	788	775	200	144	142
15.	सिक्किम	100	31	30	100	37	32
16.	बिहार	14400	11370	9860	16000	11634	10396
17.	झारखंड	9000	5498	4774	9000	5492	4804
18.	उड़ीसा	16300	11652	8779	18000	16132	11339
19.	पश्चिम बंगाल	20000	3562	2822	24000	4607	3796
20.	अंडमान एंड निकोबार द्वीपसमूह	200	189	182	400	150	142
21.	मध्य प्रदेश	23500	26031	19748	28000	27538	20642

1	2	3	4	5	6	7	8
22.	छत्तीसगढ़	4600	3919	3275	6000	4322	3276
23.	उत्तर प्रदेश	50900	44842	40481	52000	45867	42534
24.	उत्तरांचल	6000	5636	5361	7000	7200	6637
25.	गुजरात	13000	7249	6755	12500	6981	6406
26.	महाराष्ट्र	22800	21116	17230	39000	26796	21819
27.	दमन और दीव	50	3	3	50	4	4
28.	गोवा	400	125	116	500	53	45
29.	दादर एंड नगर हवेली	50	0	0	50	23	22
30.	आन्ध्र प्रदेश	36800	23291	17729	43000	25002	22542
31.	कर्नाटक	20000	15317	11929	24000	16806	13931
32.	केरल	20350	17991	14024	25500	22517	16553
33.	तमिलनाडु	20000	14538	12738	25000	20579	16902
34.	लक्षद्वीप	50	17	17	50	12	4
35.	पांडिचेरी	750	362	294	650	363	329
	विनिर्दिष्ट नहीं		1216	897		1246	897
	अखिल भारतीय	339900	264012	219444	402150	298003	248264

विवरण-V (जारी)

वर्ष 2005-06 तथा 2006-07 (नवम्बर, 2006 तक) के दौरान पी०एम०आर०वाई० के तहत नियत लक्ष्यों तथा उपलब्धियों का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र वार ब्यौरा

क्र० सं०	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	2005-2006			2006-2007 (नवम्बर, 2006 तक)		
		आवंटित लक्ष्य (सं०)	बैंकों द्वारा स्वीकृत मामलों की सं०	बैंकों द्वारा संवितरित मामलों की सं०	आवंटित लक्ष्य (सं०)	बैंकों द्वारा स्वीकृत मामलों की सं०	बैंकों द्वारा संवितरित मामलों की सं०
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	हरियाणा	10600	10541	9535	11000	6120	3059
2.	हिमाचल प्रदेश	3000	3038	2926	4700	2128	1682
3.	जम्मू एंड कश्मीर	3000	590	542	3000	373	251
4.	पंजाब	9200	8941	8041	9200	4462	2409

1	2	3	4	5	6	7	8
5.	राजस्थान	18700	16895	13861	19200	10361	3583
6.	चंडीगढ़	100	250	72	100	28	16
7.	दिल्ली	4500	785	682	4000	309	201
8.	असम	15000	7212	5626	10300	1555	1347
9.	मणिपुर	1500	394	357	1500	165	40
10.	मेघालय	1400	607	562	800	108	102
11.	नागालैंड	2800	2262	2225	1000	67	67
12.	त्रिपुरा	3000	2339	2032	3000	1442	495
13.	अरूणाचल प्रदेश	1050	441	423	400	34	6
14.	मिजोरम	1000	485	472	1000	30	30
15.	सिक्किम	100	31	31	40	18	12
16.	बिहार	25000	14049	12075	11400	3544	2648
17.	झारखंड	9000	5451	4570	9000	2469	1787
18.	उड़ीसा	18000	16179	12645	15600	5360	1464
19.	पश्चिम बंगाल	24500	5112	4616	4600	1993	1806
20.	अंडमान एंड निकोबार द्वीपसमूह	200	188	150	200	54	44
21.	मध्य प्रदेश	32000	28772	20860	32000	10847	3742
22.	छत्तीसगढ़	6800	4383	3419	8400	2469	1062
23.	उत्तर प्रदेश	52500	43409	39886	53900	24803	17066
24.	उत्तरांचल	8000	7748	7404	8000	3783	3032
25.	गुजरात	9600	6824	6315	9900	2675	2199
26.	महाराष्ट्र	36000	28000	23633	38200	6595	4600
27.	दमन और दीव	50	14	14	50	0	0
28.	गोवा	500	52	43	500	8	6
29.	दादर एंड नगर हवेली	50	30	24	50	3	3
30.	आन्ध्र प्रदेश	43000	27038	20929	43000	13511	11239
31.	कर्नाटक	24000	19902	15591	24000	5433	1337

1	2	3	4	5	6	7	8
32.	केरल	28000	25732	21554	28000	7455	4875
33.	तमिलनाडु	27000	22122	19423	27000	8414	3565
34.	लक्षद्वीप	50	5	5	50	6	0
35.	पांडिचेरी	650	388	341	750	93	38
	विनिर्दिष्ट नहीं		1799	1397		468	241
	अखिल भारतीय	419850	312008	262281	383840	127183	74054

विवरण-VI

वर्ष 2003-04 के दौरान जारी किए गए आई०एस०ई०सी० तथा उठाए गए वास्तविक लाभ के संबंध में राज्य/संघ राज्य क्षेत्र वार ब्यौरा

(रुपये करोड़ में)

क्र० सं०	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	जारी किए गए आई०एस०ई०सी०			उठाया गया वास्तविक लाभ		
		खादी	ग्रा०उ०	कुल	खादी	ग्रा०उ०	कुल
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	चंडीगढ़	0.04	0.00	0.04	0.04	0.00	0.04
2.	दिल्ली	1.39	0.03	1.42	0.35	0.03	0.38
3.	हरियाणा	17.27	1.10	18.37	13.88	0.31	14.19
4.	हिमाचल प्रदेश	7.22	26.95	34.17	6.96	21.91	28.87
5.	जम्मू एंड कश्मीर	3.33	0.03	3.36	3.33	0.00	3.33
6.	पंजाब	14.09	0.07	14.16	10.98	0.07	11.05
7.	राजस्थान	27.82	5.91	33.73	22.20	0.66	22.86
8.	बिहार	11.08	0.05	11.13	11.08	0.05	11.13
9.	झारखंड	3.72	0.00	3.72	3.72	0.00	3.72
10.	उड़ीसा	3.93	0.22	4.15	2.43	0.06	2.49
11.	पश्चिम बंगाल	16.92	0.38	17.3	9.15	0.09	9.24
12.	असम	0.02	0.00	0.02	0.02	0.00	0.02
13.	आन्ध्र प्रदेश	6.27	0.71	6.98	1.98	0.06	2.04
14.	कर्नाटक	4.27	11.28	15.55	3.19	10.15	13.34
15.	केरल	18.52	1.26	19.78	6.27	1.26	7.53

1	2	3	4	5	6	7	8
16.	पांडिचेरी	0.14	0.02	0.16	0.14	0.00	0.14
17.	तमिलनाडु	71	4.65	75.65	32.60	2.72	35.32
18.	गुजरात	37.34	9.04	46.38	35.91	6.88	42.79
19.	महाराष्ट्र	9.92	11.41	21.33	8.45	7.40	15.85
20.	छत्तीसगढ़	4.22	0.00	4.22	4.22	0.00	4.22
21.	मध्य प्रदेश	25.71	0.58	26.29	24.01	0.58	24.59
22.	उत्तराखंड	4.81	0.17	4.98	4.81	0.17	4.98
23.	उत्तर प्रदेश	97.91	24.81	122.72	92.91	11.52	104.43
24.	के०वी०आई०सी० की विभागीय इकाइयां	0.15	0.00	0.15	0.15	0.00	0.15
	कुल	387.09	98.67	485.76	298.78	63.92	362.70

विवरण-VI (जारी)

वर्ष 2004-05 के दौरान जारी किए गए आई०एस०ई०सी० तथा उठाए गए वास्तविक लाभ के संबंध में राज्य/संघ राज्य क्षेत्र वार ब्यौरा

(रुपये करोड़ में)

क्र० सं०	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	जारी किए गए आई०एस०ई०सी०			प्राप्त किए गए लाभ की स्थिति		
		खादी	ग्रा०उ०	कुल	खादी	ग्रा०उ०	कुल
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	तमिलनाडु	52.66	8.55	61.21	38.41	4.62	43.03
2.	उत्तर प्रदेश	106.06	23.56	129.62	77.38	10.54	87.92
3.	राजस्थान	24.62	0.11	24.73	11.76	0.08	11.84
4.	गुजरात	49.32	10.97	60.29	32.73	6.28	39.01
5.	उड़ीसा	1.54	0.31	1.85	1.24	0.25	1.49
6.	बिहार	9.97	0.74	10.71	3.73	0.05	3.78
7.	पश्चिम बंगाल	15.44	0.34	15.78	8.00	0.09	8.09
8.	हरियाणा	17.10	1.74	18.84	7.05	0.81	7.86
9.	हिमाचल प्रदेश	8.62	0.04	8.66	7.03	0.00	7.03
10.	महाराष्ट्र	21.57	8.82	30.39	8.99	8.70	17.69

1	2	3	4	5	6	7	8
11.	आन्ध्र प्रदेश	4.62	0.54	5.16	2.13	0.06	2.19
12.	जम्मू और कश्मीर	1.51	0.03	1.54	1.00	0.03	1.03
13.	केरल	19.85	1.09	20.94	6.03	0.03	6.06
14.	छत्तीसगढ़	2.23	0.12	2.35	0.10	0.00	0.10
15.	पंजाब	11.11	0.05	11.16	9.89	0.00	9.89
16.	असम	0.02	0.00	0.02	0.02	0.00	0.02
17.	कर्नाटक	3.24	0.26	3.50	2.13	0.07	2.20
18.	दिल्ली	0.54	0.11	0.65	0.35	0.03	0.38
19.	मध्य प्रदेश	25.71	0.58	26.29	24.01	0.58	24.59
20.	झारखंड	5.15	0.14	5.29	1.39	0.04	1.43
21.	उत्तराखंड	7.31	0.19	7.50	2.79	0.00	2.79
22.	पांडिचेरी	0.19	0.02	0.21	0.04	0.00	0.04
	कुल	388.38	58.31	446.69	246.20	32.26	278.46

विवरण-VI (जारी)

वर्ष 2005-06 के दौरान जारी किए गए आई०एस०ई०सी० तथा उठाए गए वास्तविक लाभ के संबंध में राज्य/संघ राज्य क्षेत्र वार ब्यौरा

(रुपये करोड़ में)

क्र० सं०	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	जारी किए गए आई०एस०ई०सी०			उठाया गया वास्तविक लाभ		
		खादी	ग्रा०उ०	कुल	खादी	ग्रा०उ०	कुल
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	दिल्ली	1.07	0.15	1.22	0.21	0.11	0.32
2.	हरियाणा	8.82	0.40	9.22	3.80	0.29	4.09
3.	हिमाचल प्रदेश	6.96	0.18	7.14	6.03	0.17	6.20
4.	जम्मू एंड कश्मीर	2.03	0.03	2.06	1.19	0.03	1.22
5.	पंजाब	10.69	0.06	10.75	9.34	0.00	9.34
6.	राजस्थान	20.62	0.20	20.82	15.15	0.20	15.35
7.	बिहार	6.79	0.29	7.08	3.85	0.05	3.90
8.	झारखंड	5.15	0.14	5.29	1.39	0.04	1.43

1	2	3	4	5	6	7	8
9.	पश्चिम बंगाल	14.27	0.29	14.56	8.21	0.09	8.30
10.	असम	0.02	0.00	0.02	0.02	0.00	0.02
11.	आन्ध्र प्रदेश	4.74	0.56	5.30	2.16	0.04	2.20
12.	कर्नाटक	3.66	0.41	4.07	1.66	0.09	1.75
13.	केरल	16.09	1.12	17.21	6.39	0.00	6.39
14.	पांडिचेरी	0.19	0.02	0.21	0.04	0.00	0.04
15.	तमिलनाडु	52.72	6.42	59.14	39.34	3.94	43.28
16.	गुजरात	41.61	10.97	52.58	34.59	9.10	43.69
17.	महाराष्ट्र	1.82	8.84	10.66	0.80	8.75	9.55
18.	छत्तीसगढ़	1.86	0.11	1.97	0.20	0.00	0.20
19.	मध्य प्रदेश	10.04	2.11	12.15	2.92	0.22	3.14
20.	उत्तराखंड	5.92	0.15	6.07	2.61	0.00	2.61
21.	उत्तर प्रदेश	90.98	6.88	97.86	56.86	1.79	58.65
22.	विभागीय	11.56	0.00	11.56	11.56	0.00	11.56
	कुल	317.61	39.33	356.94	208.32	24.91	233.23

विवरण-VI (जारी)

वर्ष 2006-07 (दिसम्बर, 2006 तक) के दौरान जारी किए गए आई०एस०ई०सी० तथा उठाए गए वास्तविक लाभ के संबंध में राज्य/संघ राज्य क्षेत्र वार ब्यौरा

(रुपये करोड़ में)

क्र० सं०	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	जारी किए गए आई०एस०ई०सी०			उठाया गया वास्तविक लाभ		
		खादी	ग्रा०उ०	कुल	खादी	ग्रा०उ०	कुल
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	तमिलनाडु	58.00	7.08	65.08	43.27	4.34	47.61
2.	उत्तर प्रदेश	100.08	7.57	107.65	62.53	1.98	64.51
3.	राजस्थान	22.69	0.22	22.91	16.67	0.22	16.89
4.	गुजरात	45.77	12.07	57.84	38.05	10.01	48.06
5.	महाराष्ट्र	14.72	9.72	24.44	13.60	9.62	23.22
6.	बिहार	7.47	0.32	7.79	4.24	0.06	4.30

1	2	3	4	5	6	7	8
7.	पश्चिम बंगाल	15.70	0.32	16.02	9.03	0.10	9.13
8.	हरियाणा	9.70	0.45	10.15	4.18	0.32	4.50
9.	हिमाचल प्रदेश	7.66	0.20	7.86	6.63	0.19	6.82
10.	आन्ध्र प्रदेश	5.21	0.60	5.81	2.37	0.04	2.41
11.	जम्मू एंड कश्मीर	2.23	0.03	2.26	1.31	0.03	1.34
12.	केरल	17.70	1.23	18.93	7.03	0.00	7.03
13.	छत्तीसगढ़	2.05	0.12	2.17	0.22	0.00	0.22
14.	पंजाब	11.76	0.06	11.82	10.27	0.00	10.27
15.	असम	0.02	0.00	0.02	0.02	0.00	0.02
16.	कर्नाटक	4.02	0.45	4.47	1.82	0.10	1.92
17.	दिल्ली	1.18	0.16	1.34	0.23	0.12	0.35
18.	मध्य प्रदेश	11.04	2.32	13.36	3.21	0.24	3.45
19.	झारखंड	5.66	0.15	5.81	1.53	0.04	1.57
20.	उत्तराखंड	6.51	0.16	6.67	2.87	0.00	2.87
21.	पांडिचेरी	0.21	0.02	0.23	0.05	0.00	0.05
	कुल	349.38	43.25	392.63	229.13	27.41	256.54

औद्योगिक विकास

171. **श्री जीवाभाई ए० पटेल :**
श्रीमती संगीता कुमारी सिंह देव :
डा० धीरेंद्र अग्रवाल :
श्री सुनिल कुमार महतो :

क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विदेशी उद्योगपतियों ने देश में निवेश करने हेतु अपनी अभिरूचि दिखायी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार उनसे देश के सुदूर और ग्रामीण क्षेत्रों में अनन्य उद्योग स्थापित करने हेतु कहने का है;

(घ) यदि हां, तो विदेशी उद्योगपतियों की इस संबंध में क्या प्रतिक्रिया है; और

(ङ) सरकार द्वारा देश के संतुलित औद्योगिक विकास तथा आम जनता के विभाग में मौजूद असुरक्षा की भावना को दूर करने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग में राज्य मंत्री (श्री अश्विनी कुमार) : (क) और (ख) जी, हां। देश में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश (एफ०डी०आई०) अंतर्वाह वर्ष 2004-05 में 3.75 बिलियन अमरीकी डालर से बढ़कर मार्च, 2006 तक 5.5 बिलियन अमरीकी डालर हो गये हैं। चालू वित्तीय वर्ष (अप्रैल-दिसंबर, 2006) के दौरान देश में 9.3 बिलियन अमरीकी डालर के विदेशी निवेश अंतर्वाह प्राप्त हुए हैं, जो पिछले वित्तीय वर्ष के संगत अवधि में प्राप्त अंतर्वाहों से 151% अधिक हैं।

(ग) और (घ) सरकार ने उदारीकृत आर्थिक परिवेश के अंतर्गत विदेशी प्रत्यक्ष निवेश के लिए एक उदार एवं पारदर्शी नीति स्थापित की है। स्थापना स्थल के चयन के साथ-साथ निवेश से संबंधित निर्णय उद्यमी अपनी तकनीकी-आर्थिक सूझबूझ एवं वाणिज्यिक विवेचनों के आधार पर लेते हैं।

(ङ) देश का संतुलित विकास करने के लिए, सरकार ने घरेलू और विदेशी, दोनों ही निवेशकों को उत्पाद-शुल्क छूट, आयकर छूट और निवेश राजसहायता जैसी रियायतें प्रदान की हैं ताकि पूर्वोत्तर के राज्यों, जम्मू और कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तरांचल में औद्योगिक कार्यकलापों को बढ़ावा दिया जा सके। सरकार भीतरी प्रदेशों और ग्रामीण क्षेत्रों सहित औद्योगिक रूप से पिछड़े क्षेत्रों में औद्योगिक विकास को प्रोत्साहित करने की दृष्टि से, उनका नये सिरे से मूल्यांकन करने हेतु कदम उठा रही है।

दूरस्थ शिक्षा

172. श्री हरिसिंह चावड़ा :
श्री काशीराम राणा :

क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दूरस्थ शिक्षा देश में और अधिक लोकप्रिय हो रही है;

(ख) यदि हां, तो सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) कौन-कौन से केन्द्रीय और राज्य संस्थान पत्राचार और दूरस्थ माध्यम से शिक्षा प्रदान कर रहे हैं;

(घ) क्या इन दूरस्थ शिक्षण संस्थानों में छात्रों को परेशान किए जाने की कोई घटना सामने आयी हैं;

(ङ) यदि हां, तो ऐसी घटनाओं का ब्यौरा क्या है;

(च) सरकार द्वारा इन शिकायतों पर आधारित समस्याओं को सुलझाने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं; और

(छ) इन कदमों के माध्यम से प्राप्त सफलता का ब्यौरा क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी० पुरन्देश्वरी) : (क) और (ख) इन्दिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय ने सूचित किया है कि मुक्त विश्वविद्यालयों एवं दूरस्थ शिक्षा संस्थाओं में छात्रों के दाखिलों के आंकड़े से पता चलता है कि देश में दूरस्थ शिक्षा लोकप्रिय हो रही है। यह स्वागत योग्य लक्षण है।

(ग) इन्दिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय के अनुसार, 10 केन्द्रीय विश्वविद्यालय, 20 सम विश्वविद्यालय, 87 राज्य विश्वविद्यालय (राज्य मुक्त विश्वविद्यालय सहित) एवं राष्ट्रीय महत्व की 2 संस्थाएं दूरस्थ माध्यम से शिक्षा प्रदान कर रही हैं।

(घ) से (छ) सरकार को समय-समय पर दूरस्थ शिक्षा कार्यक्रम प्रदान करने वाली संस्थाओं में दाखिल छात्रों से अध्ययन केन्द्र में परिवर्तन, अध्ययन सामग्री प्राप्ति में विलम्ब, अवार्डों तथा अंक तालिकाओं में विसंगतियां और परीक्षा-परिणाम की घोषणा से संबंधित उनकी शिकायतों से संबंधित अभ्यावेदन प्राप्त होते हैं। चूंकि, दूरस्थ शिक्षा कार्यक्रम प्रदान करने वाले विश्वविद्यालय स्वायत्त संस्थाएं होती है जिनका निर्णय लेने संबंधी अपना तंत्र होता है, इसलिए उपर्युक्त अभ्यावेदनों को उपयुक्त उपचारी कार्रवाई हेतु उन्हें अग्रेषित कर दिया जाता है।

वनों में रहने वाली जनजातियों को सुविधाएं

173. श्री मनसुखभाई डी० वसावा :
डा० धीरेंद्र अग्रवाल :

क्या जनजातीय कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने वनों के उपयोग एवं वानिकी कार्य हेतु जनजातियों को कोई सुविधा मुहैय्या कराई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या इस संबंध में कोई समीक्षा की गई है;

(ङ) यदि हां, तो इसके क्या परिणाम रहे हैं; और

(च) यदि नहीं, तो सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है?

जनजातीय कार्य मंत्री (श्री पी०आर० किन्डिया) : (क) से (च) वनों के सीमावर्ती ग्रामों में रहने वाले जनजातीय लोगों को लाभ में हिस्सेदारी के साथ संयुक्त वन प्रबंधन के माध्यम से वनों के संरक्षण सुरक्षा और प्रबंध में सम्मिलित किया जाता है।

जनजातीय कार्य मंत्रालय ने अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों को मान्यता) अधिनियम, 2006 का अधिनियम किया है, जिसमें वनों में रहने वाले उन अनुसूचित जनजातियों और परंपरागत वन निवासियों को वन अधिकार प्रदान करने और वन भूमि पर कब्जे को मान्यता देने का प्रावधान किया गया है, जो पीढ़ियों से ऐसे वनो में रह रहे हैं, लेकिन जिनके अधिकारों को दर्ज नहीं किया जा सका था। इन वन अधिकारों में जीवन निर्वाह के लिए स्व-कृषि और लघु वन उत्पाद के स्वामित्व, पहुंच, उपयोग एवं निपटान के अधिकार सहित लघु वन उत्पाद के स्वामित्व के अधिकार सम्मिलित हैं।

खनिजों के नए भण्डार

174. डा० धीरेंद्र अग्रवाल :
श्री सुनिल कुमार महतो :

क्या खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पिछले तीन वर्षों के दौरान भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण विभाग (जी०एस०आई०) ने झारखण्ड राज्य में खनिजों के नए भण्डारों का पता लगाने हेतु कोई सर्वेक्षण किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) उन स्थानों के नाम क्या है जहां खनिज भण्डार पाए गए हैं तथा तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और खनिजों की अनुमानित मात्रा कितनी है;

(घ) सरकार का विचार इन खनिजों का उत्खनन कब तक शुरू करने का है;

(ङ) क्या सरकार का विचार यह कार्य निजी क्षेत्र के साथ भागीदारी करके शुरू करने का है; और

(च) यदि हां, तो सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है?

खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० टी० सुब्बारामी रेड्डी) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण (जी०एस०आई०) द्वारा पिछले तीन वर्षों के दौरान अलग-अलग क्षेत्रों में प्रमाणित किए गए खनिजों के नए भण्डारों तथा अनुमानित मात्रा के संबंध में ब्यौरे निम्नवत है :

खनिज	क्षेत्र तथा जिला	अनुमानित मात्रा
1	2	3
स्वर्ण	पारसी-सिन्दौरी क्षेत्र, जिला रांची	1.51 मिलियन टन (ग्रेड 2.47 ग्रा/ट०)
अयस्क	पहाडिया क्षेत्र, पश्चिम सिंहभूम जिला	0.58 मिलियन टन (ग्रेड 2.73 ग्रा/ट०)
कोयला	पाटल (पश्चिम) में दक्षिण कर्णपुरा कोल्डफील्ड, हजारीबाग तथा रांची जिला	13.91 मिलियन टन
	कुलकुलीडांगल-सीतासल क्षेत्र, दुमका जिले में राजमहल समूह कोलफील्ड्स	653.69 मिलियन टन
	हरीपुर-छपरिया, दुमका जिला	333.88 मिलियन टन
	पिण्डारा क्षेत्र, बोकारो जिला	46.42 मिलियन टन
तांबा	पश्चिम तुरामडीह, सिंहभूम तांबा पट्टी	गौण मात्रा में

(घ) से (च) खनिजों का विदोहन करना जी०एस०आई० के कार्यक्षेत्र में नहीं आता। खनिजों का गवेषण और निष्कर्षण निजी निवेश के लिए खोल दिया गया है और इसलिए खनिजों का वाणिज्यिक विदोहन निजी क्षेत्र द्वारा किया जाता है जो आर्थिक व्यवहार्यता पर निर्भर करता है।

[अनुवाद]

कपास हेतु राजसहायता

175. **श्री हरिभाऊ राठौड़ :** क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार न्यूनतम समर्थन मूल्य कायम रखने के लिए भारतीय कपास निगम को राजसहायता मुहैय्या कराती है;

(ख) यदि हां, तो क्या महाराष्ट्र स्टेट कोऑपरेटिव कॉटन ग्रोवर्स मार्केटिंग फेडरेशन लिमिटेड (एम०एस०सी०सी०जी०एम०एफ०एल०) को सरकार से कोई सहायता नहीं मिल रही है यद्यपि यह कच्चा कपास खरीदता है और न्यूनतम समर्थन मूल्य कायम रखने में सहायता करता है;

(ग) यदि हां, तो इसके कारण क्या हैं;

(घ) क्या महाराष्ट्र सरकार ने एम०एस०सी०सी०जी०एम०एफ०एल० को राजसहायता प्रदान करने और उन्हें कपास की खरीद हेतु एजेंट के रूप में अधिसूचित करने हेतु कोई प्रस्ताव भेजा है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस पर क्या कार्रवाई की गयी है;

(च) क्या इस प्रस्ताव को आर्थिक कार्य संबंधी मंत्रिमंडलीय समिति की स्वीकृति हेतु प्रस्तुत किया गया है; और

(छ) यदि हां, तो एम०एस०सी०सी०जी०एम०एफ०एल० को राजसहायता प्रदान करने के संबंध में सरकार के क्या विचार हैं?

वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ई०वी०के०एस० इलेंगोवन) : (क) भारतीय कपास निगम लि० (सी०सी०आई०) भारत सरकार द्वारा कपास में न्यूनतम समर्थन मूल्य (एम०एस०पी०) अभियान चलाने के लिए के लिए नामित प्रमुख एजेंसी है। जैसे ही कपास की कीमतें एम०एस०पी० स्तर को छूती हैं सी०सी०आई० को भारत सरकार द्वारा घोषित एम०एस०पी० पर कपास की खरीद करनी होती है। सी०सी०आई० द्वारा एम०एस०पी० खरीद के संबंध में कोई मात्रात्मक प्रतिबंध नहीं है। भारत सरकार सी०सी०आई० को एम०एस०पी० अभियानों के कारण होने वाले घाटों की प्रतिपूर्ति करती है। भारत सरकार ने सी०सी०आई० के अलावा कपास मौसम 2004-05 से एम०एस०पी० अभियान चलाने के लिए भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी संघ लि० (नेफेड) को भी द्वितीय नोडल एजेंसी के रूप में नामित किया था।

(ख) और (ग) एम०एस०पी० के तहत कपास की खरीद करने के लिए भारत सरकार ने एम०एस०सी०सी०जी०एम०एफ० को नोडल एजेंसी के रूप में नामित नहीं किया है। अत: इस संघ को घाटों की प्रतिपूर्ति का प्रश्न पैदा नहीं होता है।

(घ) और (ङ) जी हां, वस्त्र मंत्रालय ने महाराष्ट्र, सरकार और एम०एस०सी०सी०जी०एम०एफ० को सुझाव दिया था कि चूंकि महाराष्ट्र परिसंघ के पास महाराष्ट्र राज्य में पर्याप्त अवसरंचना है, अत: वे महाराष्ट्र राज्य में एम०एस०पी० अभियान चलाने के उद्देश्य से सीधे ही नेफेड अथवा कृषि मंत्रालय से उनकी एजेंसी/अवसंरचना का उपयोग करने हेतु संपर्क कर सकते हैं। कृषि मंत्रालय को भी राज्य सरकार के अनुरोध पर विचार करने के लिए सुझाव दिया गया था।

(च) और (छ) एम०एस०सी०सी०जी०एम०एफ०एल० को सब्सिडी प्रदान करने के लिए वस्त्र मंत्रालय ने आर्थिक मामलों संबंधी मंत्रिमंडल समिति को कोई प्रस्ताव नहीं भेजा है।

[हिन्दी]

ग्रामीण क्षेत्रों में विद्यालय पूर्व शिक्षा

176. **श्री मो० ताहिर :**
प्रो० महादेवराव शिवनकर :

क्या महिला और बाल विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार देश के ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में बच्चों को विद्यालय पूर्व शिक्षा प्रदान करने हेतु किसी योजना पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ऐसे बच्चों की राज्य-वार कुल संख्या का कोई आकलन कर रही है;

(ग) यदि हां, तो क्या यह योजना अगले वित्तीय वर्ष के दौरान देश के सभी ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में लागू की जाएगी;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) राज्य-वार कितनी धनराशि का आवंटन किया गया है?

महिला और बाल विकास मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती रेनुका चौधरी) : (क) और (घ) समेकित बाल विकास सेवा स्कीम के अंतर्गत शामिल छ: सेवाओं के पैकेज में स्कूल-पूर्व शिक्षा भी शामिल है। दिनांक 31.03.2006 तक पूरे देश के आंगनवाड़ी केन्द्रों में स्कूल-पूर्व शिक्षा के लगभग 2.71 करोड़ लाभार्थी पंजीकृत थे।

(ख) वर्ष 2001 की जनगणना के अनुसार 0-5 आयु वर्ग के बच्चों की संख्या लगभग 13.74 करोड़ थी। इन बच्चों की राज्य-वार संख्या संलग्न विवरण में दी गई है।

(ग) राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को 500/- रुपए प्रति आंगनवाड़ी केन्द्र प्रतिवर्ष की दर से स्कूल-पूर्व शिक्षा किटों की खरीद के लिए राशि आबंटित की जाती है।

विवरण

भारत की जनगणना 2001 के आधार पर भारत/राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों हेतु लिंग आधार पर 0-5 वर्ष के आयु वर्ग में बच्चों की संख्या तथा प्रतिशत

क्र० सं०	भारत/राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	0-5 वर्ष आयु वर्ग					
		जनसंख्या			कुल जनसंख्या का प्रतिशत		
		व्यक्ति	पुरूष	महिलाएं	व्यक्ति	पुरूष	महिलाएं
1	2	3	4	5	6	7	8
	भारत*	137406673	71335998	66070675	13.4	13.4	13.3
1.	जम्मू व कश्मीर	1201331	619925	581406	11.8	11.6	12.2

1	2	3	4	5	6	7	8
2.	हिमाचल प्रदेश	684183	361963	322220	11.3	11.7	10.8
3.	पंजाब	2663544	1486641	1176903	10.9	11.4	10.3
4.	चण्डीगढ़	98405	53378	45027	10.9	10.5	11.4
5.	उत्तरांचल	1144064	601938	542126	13.5	13.9	13.0
6.	हरियाणा	2815115	1551979	1263136	13.3	13.7	12.9
7.	दिल्ली	1715881	920278	795603	12.4	12.1	12.7
8.	राजस्थान	8930278	4685580	4244698	15.8	15.9	15.7
9.	उत्तर प्रदेश	26193883	13678687	12515196	15.8	15.6	15.9
10.	बिहार	13800192	7096205	6703987	16.6	16.4	16.9
11.	सिक्किम	65369	33420	31949	12.1	11.6	12.7
12.	अरूणाचल प्रदेश	470984	86966	84018	15.6	15.0	16.2
13.	नागालैंड	233514	118627	114892	11.7	11.3	12.2
14.	मणिपुर*	256582	131158	125424	11.8	12.0	11.7
15.	मिजोरम	121876	61969	59907	13.7	13.5	13.9
16.	त्रिपुरा	364615	185176	179439	11.4	11.3	11.5
17.	मेघालय	391565	198465	193100	16.9	16.9	16.9
18.	असम	3713080	1908325	1843755	14.1	13.9	14.3
19.	पश्चिम बंगाल	9541786	4867042	4674744	11.9	11.7	12.1
20.	झारखंड	4080076	2077018	2003058	15.1	15.0	15.3
21.	उड़ीसा	4521913	2314254	2207659	12.3	12.4	12.2
22.	छत्तीसगढ़	3013360	1528679	1484681	14.5	14.6	14.3
23.	मध्य प्रदेश	9063950	4700105	4368845	15.0	14.9	15.1
24.	गुजरात	6479182	3444858	3034324	12.8	13.1	12.5
25.	दमन व दीव	18021	9346	8675	11.4	10.1	13.2
26.	दादर व नगर हवेली	35220	17733	17487	16.0	14.6	17.7
27.	महाराष्ट्र	11761538	6158754	5602784	12.1	12.2	12.1
28.	आंध्र प्रदेश	8410573	4287057	4123516	11.0	11.1	10.9

1	2	3	4	5	6	7	8
29.	कर्नाटक	6081348	3125535	2955813	11.5	11.6	11.4
30.	गोवा	126346	65395	60951	9.4	9.5	9.2
31	लक्षद्वीप	7886	4030	3856	13.0	12.9	13.1
32.	केरल	3310385	1688957	1621428	10.4	10.9	9.9
33.	तमिलनाडु	6206670	3195314	3011356	9.9	10.2	9.7
34.	पांडिचेरी	101758	51727	50031	10.4	10.6	10.3
35.	अण्डमान व निकोबार द्वीप समूह	38200	19519	18681	10.7	10.1	11.43

स्रोत : सी 13 तालिका, भारत की जनगणना, 2000

नोट : मणिपुर के सेनापति जिले के माओ मराम, पाओमाटा तथा पुरूल उप-प्रभाग शामिल नहीं हैं।

[अनुवाद]

एन०टी०सी० मिलों को लाभ/हानि

177. श्री फ्रांसिस फैन्थम : क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष एन०टी०सी० मिलों को मिल वार और राज्य-वार कितना लाभ/हानि हुआ/हुई;

(ख) कितनी मिलों को रूग्ण घोषित किया गया है;

(ग) इन मिलों के कामगारों हेतु घोषित पैकेज का ब्यौरा क्या है;

(घ) आज की तिथि के अनुसार कितनी भूमि अतिरिक्त घोषित की गई है;

(ङ) अब तक बेची गयी ऐसी भूमि का मिल-वार और राज्य-वार ब्यौरा क्या है; और

(च) पिछले तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष तथा चालू वर्ष के दौरान अब तक मिल वार और राज्य वार कितनी बिक्री प्राप्तियां हस्तगत हुई हैं?

वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ई०वी०के०एस० इलैंगोवन) : (क) पिछले तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष में एन०टी०सी० मिलों का मिल वार एवं राज्य वार लाभ/घाटा का ब्यौरा संलग्न विवरण I में दिया गया है।

(ख) वस्त्र अनुसंधान संघ (टी०आर०ए०) द्वारा किए गए प्रौद्योगिकी-आर्थिक सर्वेक्षण अध्ययन के बाद एन०टी०सी० की सभी 119 मिलों को रूग्ण घोषित कर दिया गया है।

(ग) एन०टी०सी० ने 1.1.02 से संशोधित स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना (एम०वी०आर०एस०) कार्यान्वित की है। जो कार्यान्वयन की तिथि को कंपनी के नामावली में थे तथा नियमित, स्थायी, बदली, प्रतिस्थापित, अस्थायी नैमित्तिक कामगार सहित कर्मचारी की परिभाषा में शामिल थे, वे सभी एम०वी०आर०एस० के पात्र हैं।

इस योजना के तहत निम्नलिखित लाभ हैं :–

(i) सेवा के पूरे किए गए प्रत्येक वर्ष के लिए 35 दिनों के समतुल्य तथा अधिवार्षिता तक शेष बचे सेवा के प्रत्येक वर्ष के लिए 25 दिनों के समतुल्य अनुग्रह राशि। मुआवजा न्यूनतम 25000 रु० अथवा 250 दिनों का वेतन, इनमें जो भी कम हो, होगा। तथापि, यह मुआवजा वेतन की उस राशि से अधिक नहीं होगा जो अधिवर्षिता से पूर्व बची अवधि के लिए विद्यमान स्तर पर कर्मचारी प्राप्त करता।

(ii) उपर्युक्त के अलावा, उपर्युक्तानुसार पात्र अनुग्रह राशि के 100% के अतिरिक्त अनुग्रह राशि मुआवजा है बशर्ते कि 01.01.1987 के बाद कोई वेतन संशोधन नहीं हुआ हो अथवा 01.01.1992 के बाद कोई वेतन संशोधन नहीं होने की स्थिति में अतिरिक्त मुआवजे के रूप में पात्र अनुग्रह राशि का 50%। इस प्रयोजन के लिए वेतनमान में मूल वेतन+महंगाई भत्ता+मकान किराया भत्ता होगा।

(घ) से (च) ब्यौरा संलग्न विवरण-II में दिया गया है।

विवरण-I

राष्ट्रीय वस्त्र निगम लिमिटेड
राज्यवार/मिलवार/लाभ/हानि

क्र० सं०	मिलों का नाम	2003-04 (लेखा परीक्षित)	2004-05 (लेखा परीक्षित)	2005-06 (लेखापरीक्षित) (लाख रुपए)
1	2	3	4	5
I.	एन०टी०सी० (डी०पी०आर०) लि०			
	पंजाब			
1.	दयालबाग स्पि० एंड विवि० मिल्स	1182.38	-419.06	-605.82
2.	खरर टेक्सटाइल्स मिल्स	464.58	-857.84	-2032.44
3.	पानीपत वूलन मिल्स	-458.04	314.41	-719.95
4.	सूरज टेक्सटाइल्स मिल्स	608.11	-746.19	-1820.15
	राजस्थान			
5.	महालक्ष्मी मिल्स	547.36	-847.51	-1426.32
6.	श्री बिजयकॉटन मिल्स	820.20	-668.86	-1655.47
7.	उदयपुर कॉटन मिल्स	181.14	728.24	208.18
II.	एन०टी०सी० (म०प्र०) लिमिटेड			
	मध्य प्रदेश			
8.	बुरहानपुर ताप्ती मिल्स	2096.67	-2285.29	-847.05
9.	न्यू भोपाल टेक्सटाइल मिल्स	2113.60	-1135.38	-1032.28
III.	एन०टी०सी० (उत्तर प्रदेश) लि०			
	उत्तर प्रदेश			
10.	स्वदेशी कॉटन मिल्स, मऊ	717.61	-496.83	-1306.34
11.	स्वदेशी कॉटन मिल्स, नैनी	3202.11	-1196.42	-3300.77
IV.	एन०टी०सी० (दक्षिण महाराष्ट्र) लि०			
	महाराष्ट्र			
12.	अपोलो टेक्सटाइल्स मिल्स	-1481.52	-2577.44	16435.94
13.	औरंगाबाद टेक्सटाइल्स मिल्स	-327.05	494.42	-520.69
14.	बरसी टेक्सटाइल्स मिल्स	-189.13	280.92	169.65

1	2	3	4	5
15.	चालीसगांव टेक्सटाइल्स मिल्स	-1175.06	-1670.77	-755.31
16.	धुले टेक्सटाइल्स मिल्स	-1259.29	-1164.19	-948.14
17.	फिनले मिल्स	-1991.75	-3650.55	-3002.01
18.	गोल्डमोहर मिल्स	-1720.46	-3321.79	-2035.83
19.	नंदेड़ टेक्सटाइल्स मिल्स	-976.83	-1385.68	-1133.33
20.	न्यू सिटी ऑफ बॉबे मैन्यु० मिल्स	-1956.57	-3673.67	-2096.51
V.	**एन०टी०सी० (महाराष्ट्र नार्थ) लि०**			
	महाराष्ट्र			
21.	इंडिया यूनाइटेड मिल्स सं० 1	-1753.33	-4625.77	-3432.41
22.	इंडिया यूनाइटेड मिल्स सं० 5	-523.9	-3055.62	-1997.51
23.	इंडिया यूनाइटेड मिल्स डाई वर्क्स	-909.02	-1371.76	-1865.52
24.	कोहिनूर मिल सं 1	-1411.15	-2753.23	-38413.89
25.	पोद्दार मिल्स	-141.78	-2521.41	-2264.19
26.	आर०बी०बी०ए० मिल्स	-276.31	-2139.73	-778.29
27.	सावतराम रामप्रसाद मिल्स	196.93	-1041.3	-351.72
28.	टाटा मिल्स	-607.7	-1903.44	-2870.49
VI.	**एन०टी०सी० (गुजरात) लि०**			
	गुजरात			
29.	अहमदाबाद न्यू-टेक्सटाइल्स मिल्स	3668.53	2912.6	-2255.66
30.	जहांगी टेक्सटाइल्स मिल्स	890.4	0	0
31.	राजनगर टेक्सटाइल्स मिल्स 1	4925.77	-2271.22	-2495.17
VII.	**एन०टी०सी० (ए०पी०के०के०एंड एम०) लि०**			
	आंध्र प्रदेश			
32.	अनंतपुर कॉटन मिल्स	-495.84	-525.06	-1184.40
33.	तिरूपति कॉटन मिल्स	-310.64	-357.89	-287.74
	कर्नाटक			
34.	मिनर्वा मिल्स	-2221.66	3285.06	-4079.32
35.	श्री याल्लमा कॉटन मिल्स	-408.66	-428.53	-1185.72

1	2	3	4	5
	केरल			
36.	अलगप टेक्टसटाइल्स मिल्स	-713.74	-814.99	-477.35
37.	कन्नौर स्पि० एंड विवि० मिल्स, सी०ए०एन०	-175.77	-172.48	-269.29
38.	केरला लक्ष्मी मिल्स	-357.92	-239.85	-456.06
39.	पार्वती मिल्स	-1511.52	-1606.71	-1373.73
40.	विजय मोहिनी मिल्स	-393.83	-432.31	-458.10
	पांडिचेरी			
41.	कन्नौर स्पि० एंड विवि० मिल्स, माहे	-350.10	-316.56	-393.51
VIII.	**एन०टी०सी० (डब्ल्यू०बी०ए०बी० एंड ओ०) लि०**			
	असम			
42.	एसोसिएटेड इंडस्ट्रीज	-496.84	-645.20	-236.37
	बिहार			
43.	बिहार कोओ० वीवर्स स्पि० मिल्स	-594.33	-872.86	-960.99
	उड़ीसा			
44.	उड़ीसा कॉटन मिल्स	-486.15	-706.26	-423.27
	पश्चिम बंगाल			
45.	आरती कॉटन मिल्स	-725.35	-921.31	-845.48
46.	लक्ष्मीनारायण कॉटन मिल्स	-889.9	-1775.22	-1323.87
47.	सोडपुर कॉटन मिल्स	-539.21	-797.32	-760.19
IX.	**एन०टी०सी० (टी०एन० एंड पी०) लि०**			
	तमिलनाडु			
48.	बलरामवर्मा टेक्सटाइल्स मिल्स	-84.34	-176.13	-67.40
49.	कंबोडिया मिल्स	-635.98	-500.30	-240.76
50.	कोयम्बटूर मुर्गन मिल्स	-283.91	-78.32	-177.98
51.	पंकज मिल्स	-412.52	-459.35	-241.18
52.	श्री रंगविलास स्पि० एंड विवि० मिल्स	-580.72	-390.40	576.90
53.	कालेश्वरर मिल्स 'बी' यूनिट	-481.11	-341.60	-88.99

1	2	3	4	5
54.	श्री शारदा मिल्स	-582.92	-571.75	-632.40
55.	कोयम्बटूर स्पि० एंड विवि० मिल्स	-1084.72	-258.88	-857.89
	पांडिचेरी			
56.	स्वदेशी कॉटन मिल्स	-676.57	-843.90	0
57.	श्री भारती मिल्स	-501.19	-1039.97	0

विवरण-II

एन०टी०सी० की बेशी भूमि, बेची गई भूमि और बिक्री से प्राप्त आय का ब्यौरा
मिल-वार/राज्यवार 31.1.2007 की स्थिति के अनुसार

क्रम सं०	एन०टी०सी० मिल का राज्यवार नाम	बिक्री के लिए अभिज्ञात बेशी भूमि का कुल क्षेत्र (एकड़ में)	वास्तव में बेची गई भूमि का क्षेत्र (एकड़ में)	वह कीमत जिस पर विज्ञापित भूमि बेची गई (करोड़ रुपए)	बिक्री से प्राप्त आय का ब्यौरा-वर्षवार 2003-04 (करोड़ रुपए)	2004-05 (करोड़ रुपए)	2005-2006 (करोड़ रुपए)	2006-2007 (करोड़ रुपए)
	1	2	3	4	5			
	एन०टी०सी० (ए०पी०के०के०एंड एम०) लि०, बंगलोर							
	आंध्र प्रदेश							
1.	नटराज मिल्स, निर्मल	70.00	70.00	2.31	2.31	–	–	–
2.	नेथा मिल्स, सिकंदराबाद	10.84	9.83	24.02	24.02	–	–	–
3.	अदोनी मिल्स, अदोनी	7.17	–	–	–	–	–	–
4.	तिरूपति मिल्स, रेनीगुंटा	47.36	–	–	–	–	–	–
5.	अनंतपुर मिल्स, तादापत्री	9.25	–	–	–	–	–	–
6.	आजमजाही मिल्स, वारंगल	200.25	200.25	49.72	49.72	–	–	–
	कुल	344.87	280.09	76.05	76.05	–	–	–
	कर्नाटक							
7.	मैसूर मिल्स, बंगलौर	27.79	18.69	79.16	79.16	–	–	–
	मैसूर मिल्स, (बंगला नं० 106)	–	1.88	37.01	–	–	37.01	–
8.	एम०एस०के० मिल्स, गुलबर्गा	205.32	165.20	17.08	17.08	–	–	–
9	मिनर्वा मिल्स, बंगलौर	30.00	19.95	41.21	41.21	–	–	–

1	2	3	4	5			
मिनर्वा मिल्स, बंगलौर		7.22	30.30	–	30.30	–	–
मिनर्वा मिल्स, बंगलौर		1.20	8.90	–	–	8.90	–
10. श्री यल्लमा तोलाओन्से	98.80	–	–	–	–	–	
कुल	361.91	214.14	213.66	137.45	30.30	45.91	–
केरल							
11. अलगप्पा मिल्स, अलगप्पा नगर	8.06	1.96	0.49		–	–	–
12. केरला लक्ष्मी मिल्स, त्रिचुर	30.11	14.19	2.15	2.15	–	–	–
कुल	38.17	16.15	2.64	2.15	–	–	–
समग्र कुल	744.95	510.37	294.14	215.65	30.30	45.91	–
एन०टी०सी० (डी०पी० एंड आर०) लि०, नई दिल्ली							
दिल्ली							
13. अजुध्या टेक्सटाइल्स मिल्स, दिल्ली	8.98	8.98	67.01	–	67.01	–	–
कुल	8.98	8.98	67.01	–	67.01	–	–
पंजाब							
14. खरर टेक्सटाइल मिल्स, खरर	26.38	8.28	1.05	–	–	–	–
15. सूरज टेक्सटील मिल्स, मलौत	7.05	7.05	0.56	0.56	–	–	–
16. दयालबाग मिल्स, अमृतसर	9.84	–	–	–	–	–	–
17. पानीपत वूलन मिल्स, खरर	20.29	7.69	12.50	–	12.50	–	–
कुल	63.56	23.02	14.11	0.56	12.50	–	–
राजस्थान							
18. उदयपुर कॉटन मिल्स, उदयपुर	29.77	29.76	15 12		–	15.12	–
19. एडवर्ड मिल्स, ब्यावर	18.28	–	-	–		–	–
20. महालक्ष्मी मिल्स, ब्यावर	5.17	-	–	–		–	–
21. बिजयनगर कॉटन मिल्स, ब्यावर	7.83	7 83	1.95	–	–	–	–
कुल	61.05	37.59	17.07	–	–	15.12	–
समग्र कुल	133.59	69.59	98.19	0.56	79 51	15.12	

1	2	3	4	5			
एन०टी०सी० (गुजरात) लि०, अहमदाबाद							
गुजरात							
22. अहमदाबाद न्यू टेक्सटाइल मिल्स	7.45	–	–	–	–	–	–
23. राजकोट टेक्सटाइल मिल्स, रोजकोट	8.73	8.72	18.20	–	–	–	18.20
24. अहमदाबाद जूपीटर, अहमदाबाद	22.44	–	–	–	–	–	–
25. जहांगीर मिल्स, अहमदाबाद	16.30	–	–	–	–	–	–
26. राजनगर नं० 1, अहमदाबाद	12.11	–	–	–	–	–	–
27. न्यूमानेक चौक, अहमदाबाद	8.99	–	–	–	–	–	–
28. महालक्ष्मी मिल्स, भावनगर	16.32	–	–	–	–	–	–
29. हिमाद्री टेक्सटाइल मिल्स, अहमदाबाद	7.22	–	–	–	–	–	–
30. पेटलेड टेक्सटाइल, पेडलेड	29.28	–	–	–	–	–	–
31. वीरमगाम टेक्सटाइल, वीरमगांम	50.91	–	–	–	–	–	–
32. फाइन निटिंग मिल्स, अहमदाबाद	8.38	–	–	–	–	–	–
कुल	188.12	8.72	18.20	–	–	–	18.20
एन०टी०सी० (एम०एन०) लि०, मुंबई							
महाराष्ट्र नार्थ							
33. आर०बी०बी०ए० मिल्स, हिंगानघाट (प्लॉट नं० 1 विद ओल्ड बंगला)	5.95	0.16	0.18	0.18	–	–	–
गिनिंग एंड प्रोसेसिंग फैक्ट्री	5.95	–	–	–	–	–	–
34. सावतराम रामप्रसाद मिल्स, अकोला	0.52	0.10	0.09	0.09	–	–	–
35. विदर्भ मिल्स, अचल पुर(प्लाट नं० 1, 2 व 6)	17.05	5.88	0.86	0.86	–	–	–
विदर्भ मिल्स, साउथ साइड मिल्स गेट	–	1.81	0.75	–	–	0.75	–
36. मॉडल मिल्स, नागपुर	33.31	–	–	–	–	–	–
मॉडल मिल्स, (प्लॉट सं० 2)	–	0.21	0.36	–	0.36	–	–
मॉडल मिल्स, (प्लाट सं० 3 ऑफ ओल्ड लेबर)	–	1.10	1.24	1.24	–	–	–
मॉडल मिल्स, (प्लॉट नं० 1 नजदीक एस०टी० स्टैंड)	–	6.98	9.50	–	–	9.50	–

1	2	3	4	5			
मॉडल मिल्स, (प्लॉट विद 5 बंगला)	—	1.49	6.32	—	—	6.32	—
37. आर०एस०आर०जी० मिल्स, अकोला (प्लॉट नं० 3)	15.81	1.96	0.45	—	—	0.45	—
प्लॉट नं० 1 व 2	—	2.16	0.55		0.55		—
आर०एस० आर०जी० (प्लॉट विद स्टाफ क्वारटर)	—	1.27	0.41			0.41	—
38. टाटा मिल्स, मुंबई	10.62	4.40	13.75		13.75		—
39. इंदु मिल्स नं० 1, मुंबई	8.71	—	—	—	—	—	—
40. इंदु मिल्स नं० 6, मुंबई	4.57	—	—	—	—	—	—
41. इंदु मिल्स नं० 2, मुंबई	16.04	—	—	—	—	—	—
42. जाम मिल्स, मुंबई	7.99	—	—	—	—	—	—
43. इुदु मिल्स नं० 4, मुंबई	7.79	—	—	—	—	—	—
44. सीता राम मिल्स, मुंबई	8.43	—	—	—	—	—	—
45-46 कोहिनूर मिल्स नं० 1 व 2, मुंबई	14.55	—	—	—	—	—	—
47. कोहिनूर मिल्स नं० 3, मंबई	4.84	4.84	421.00	—	—	421.00	—
48. इुदु मिल्स नं० 3, कालाचौकी, मुंबई	5.40	—	—	—	—	—	—
कुल	167.53	32.36	455.46	2.37	14.66	438.43	—
एन०टी०सी० (एम०पी०) लि०, इंदौर							
मध्य प्रदेश							
49. न्यू भोपाल टेक्सटाइल मिल्स	79.10	—	—	—	—	—	—
50. बुरहानपुर ताप्ती मिल्स	42.85	—	—	—	—	—	—
51. इंदौर मालवा, इंदौर	103.80	—	—	—	—	—	—
52. हीरा मिल्स, उज्जैन	69.20	—	—	—	—	—	—
53. कल्याणमल मिल्स, इंदौर	33.57	—	—	—	—	—	—
54. स्वदेशी मिल्स, इंदौर	15.32	—	—	—	—	—	—
55. बंगाल नागपुर मिल्स	52.10	—	—	—	—	—	—
कुल	395.94	—	—	—	—	—	—

1	2	3	4	5			
एन०टी०सी० (एस०एम०) लि०, मुंबई							
साउथ महाराष्ट्र							
56. बरसी मिल्स, बरसी	36.50	1.87	0.12	–	–	–	–
57. धुले टेक्सटाइल मिल्स, धुले	12.80	10.28	2.52	–	–	–	–
58. चालीसगांव मिल्स, चालीसगांव	17.54	12.82	3.04	–	–	–	–
59. अपोलो मिल्स, मुंबई	9.98	7.43	180.00	–	–	180.00	–
अपोलो मिल्स (बंगला)	–	1.29	170.01	–	–	–	170.01
60. गोल्डमोहर मिल्स, मुंबई	6.52	–	–	–	–	–	–
61. मधुसूदन मिल्स, मुंबई	18.05	–	–	–	–	–	–
62. मुंकई टेक्सटाइल मिल्स, मुंबई	23.83	16.62	702.22	–	–	702.22	–
63. जूपीटर टेक्सटाइल मिल्स, मुंबई	10.91	10.91	276.60	–	–	276.60	–
64. एल्फिन्स्टंस मिल्स, मुंबई	8.91	7.97	441.75	–	–	441.75	–
65. भारत मिल्स, मुंबई	8.37	–	–	–	–	–	–
66. न्यू हिंद मिल्स, मुंबई	8.33	–	–	–	–	–	–
67. दिग्विजय मिल्स, मुंबई	9.33	–	–	–	–	–	–
68. औरंगाबाद मिल्स, औरंगाबाद	15.74	–	–	–	–	–	–
69. पोद्दार प्रोसेस, मुंबई	2.39	–	–	–	–	–	–
70. नंदेड़ मिल्स, नंदेड़	91.42	91.42	33.33	–	–	–	33.33
कुल	280.62	160.61	1809.59	–	–	1600.57	203.34
एन०टी०सी० (टी० एंड पी०) लि० कोयम्बटूर							
तमिलनाडु							
71. पंकज मिल्स, कोयम्बटूर	11.07	0.34	0.69	0.69	–	–	–
पंकज मिल्स, (पार्सल क भवन के साथ)		9.51	40.48	–	–	–	40.48
पंकज मिल्स, (पार्सल ख भवन के साथ)		1.24	6.25	–	–	–	6.25
72. ओमपारशक्ति मिल्स, कोयम्बटूर	14.25	14.25	4.50	4.50	–	–	–
73. कालेश्वरर 'ए' मिल्स (साइट सं० 2)	16.06	0.19	0.54	0.54	–	–	–

1	2	3	4	5			
74. श्री रंगबिलास मिल्स, कोयम्बटूर	17.20	6.21	7.82	—	—	7.82	—
श्री रंगबिलास मिल्स, कोयम्बटूर	—	3.46	8.00	—	—	8.00	—
75. कोयम्बटूर मुर्गन मिल्स, कोयम्बटूर	2.31	0.84	1.89	—	1.89	—	—
76. कोथानधरम मिल्स, मदुराई	2.66	—	—	—	—	—	—
77. कृष्णावेनी मिल्स, कोयम्बटूर	4.52	4.52	5.20	—	—	5.20	—
78. बररामवर्मा मिल्स, सेनकठ	20.20	20.20	1.72	—	—	—	1.72
79. सोमसुन्दरम मिल्स, कोयम्बटूर	7.43		—	—	—	—	—
80. श्री शारदा मिल्स, कोयम्बटूर	3.45		—	—	—	—	—
श्री शारदा मिल्स, कोयम्बटूर (पार्सल ख)		1.46	1.06	—	—	—	1.06
81. कोयम्बटूर सिप० एंड विवि० मिल्स	20.49		—	—	—	—	
कुल	119.64	62.22	78.15	5.73	1.89	21.02	49.51
पांडिचेरी							
82. श्री भारती मिल्स	—	15.12	13.08	—	—	13.08	—
83. स्वदेशी कॉटन मिल्स, पांडिचेरी	—	9.91	12.10	—	—	—	—
स्वदेशी कॉटन मिल्स, पांडिचेरी	53.30	0.46	0.56	0.56	—	—	—
स्वदेशी कॉटन मिल्स, पांडिचेरी	—	42.93	19.88	—	—	19.88	—
कुल	53.30	68.42	45.62	0.56	—	32.96	—
समग्र कुल	172.94	130.64	123.77	6.29	—	53.98	49.51
एन०टी०सी० (यू०पी०) लि०, कानपुर							
उत्तर प्रदेश							
84. स्वदेशी कॉटन मिल्स, नैनी	12.62	6.43	3.20	—	—	—	—
85. बिजली कॉटन मिल्स, हाथरस	7.56	5.82	4.69	4.69	—	—	—
86. स्वदेशी कॉटन मिल्स, कानपुर	55.86	3.23	7.50	7.50	—	—	—
स्वदेशी कॉटन मिल्स, कानपुर	—	1.53	4.23	—	4.23	—	—
87. लॉर्ड कृष्णा मिल्स, सहारनपुर	24.70	—	—	—	—	—	—
88. स्वदेशी मिल्स, मऊनाथभंजन	9.20	—	—	—	—	—	—

1	2	3	4	5			
89. एथर्टन मिल्स, कानपुर	20.70	—	—	—	—	—	—
90. लक्ष्मी रतन मिल्स, कानपुर	13.48	—	—	—	—	—	—
91. न्यू विक्टोरिया मिल्स, कानपुर	29.67	—	—	—	—	—	—
92. मयूर मिल्स, कानपुर	37.28	—	—	—	—	—	—
93. श्री बिक्रम मिल्स, लखनऊ	8.14	—	—	—	—	—	—
94. रायबरेली टेक्सटाइल मिल्स, रायबरेली	30.43	—	—	—	—	—	—
कुल	249.64	17.01	19.62	12.19	4.23		
एन०टी०सी० (डब्ल्यू०बी०ए०बी०ओ०) लि०, कोलकाता							
पश्चिम बंगाल							
95. लक्ष्मीनारायण टेक्सटाइल मिल्स, रिसरा	14.83	—	—	—	—	—	—
96. रामपुरिया टेक्सटाइल मिल्स, सेरामपुर	30.60	—	—	—	—	—	—
97. बंगाल लक्ष्मी टेक्सटाइल मिल्स, सेरामपुर	27.97	—	—	—	—	—	—
98. बंगाश्री टेक्सटाइल मिल्स, सुखचर	29.08	—	—	—	—	—	—
99. सेंट्रल कॉटन टेक्सटाइल मिल्स, बेल्लुर	11.67	11.67	13.35	—	—	13.35	—
100. श्रीमहालक्ष्मी टेक्सटाइल मिल्स, पाल्टा	11.24	—	—	—	—	—	—
101. बंगाल फाइन टेक्सटाइल मिल्स नं० 2, कल्याणगंज	19.44	—	—	—	—	—	—
102. बंगाल फाइन टेक्सटाइल मिल्स नं० 1, कोनागढ़	18.83	—	—	—	—	—	—
103. आरती कॉटन टेक्सटाइल मिल्स, हावड़ा	6.25	—	—	—	—	—	—
104. मनिन्द्रा बी०टी० टेक्सटाइल मिल्स, कोसिम बाजार	35.28	—	—	—	—	—	—
105. ज्योति विवि० फैक्ट्री, कोलकाता	4.29	4.29	13.31	—	—	13.31	—
कुल	209.48	15.96	26.66	—	—	26.66	—
असम							
106. एसोसिएटेड इंडस्ट्रीज, चन्द्रपुर	50.00	—	—	—	—	—	—
कुल	50.00	—	—	—	—	—	—

1	2	3	4	5			
बिहार							
107. बिहार कोऑपरेटिव टेक्सटाइल मिल्स, भोकामा	22.20	–	–	–	–	–	–
108. गया कॉटन टेक्सटाइल मिल्स, गया	32.77	–	–	–	–	–	–
कुल	54.97						
उड़ीसा							
109. उड़ीसा कॉटन टेक्सटाइल मिल्स, भगतपुर	62.17	–	–	–	–	–	–
कुल	62.17	–	–	–	–	–	–
कुल योग	376.62	15.96	26.66	–	–	26.66	–
कुल समग्र योग	2709.95	945.26	2843.84	237.06	130.59	2180.67	271.05

[हिन्दी]

निर्यात संवर्धन में गिरावट

178. श्री रशीद मसूद : क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्ष 2006-07 के दौरान नवम्बर के पश्चात् निर्यात संवर्धन दरों में गिरावट दर्ज की गई है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या अक्तूबर, 2006 की तुलना में दिसम्बर, 2006 में निर्यात में भारी गिरावट दर्ज की गई है;

(घ) यदि हां, तो क्या सरकार अंतर्राष्ट्रीय बाजारों की चुनौतियों का सामना करने हेतु कोई योजना बनाने पर विचार कर रही है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के वाणिज्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री जयराम रमेश) : (क) और (ख) नवम्बर, 2006 की तुलना में दिसम्बर, 2006 में मासिक निर्यात वृद्धि में मुख्यतः रत्न एवं आभूषण के निर्यात में गिरावट के कारण कमी आयी थी।

(ग) अक्तूबर, 2006 की तुलना में दिसम्बर, 2006 के महीने में निर्यात में कोई समग्र गिरावट नहीं आई है।

(घ) और (ङ) प्रश्न नहीं उठते।

[अनुवाद]

विशेष आर्थिक क्षेत्र और विनिर्दिष्ट क्षेत्र विधेयक, 2006

179. श्री अधलराव पाटील शिवाजीराव :
श्री आनंदराव विठोबा अडसूल :

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या महाराष्ट्र सरकार ने विशेष आर्थिक क्षेत्र (एस०ई०जेड०) और विनिर्दिष्ट क्षेत्र विधेयक, 2006 को प्रशासनिक स्वीकृति के लिए प्रस्तुत किया है;

(ख) यदि हां, तो क्या महाराष्ट्र सरकार ने केन्द्र सरकार द्वारा उठाए गए विधेयक से संबंधित प्रश्नों को भी हल कर लिया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) विशेष आर्थिक क्षेत्र और विनिर्दिष्ट क्षेत्र विधेयक को प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान करने में विलंब के क्या कारण हैं; और

(ङ) इस संबंध में केन्द्र सरकार द्वारा अंतिम निर्णय कब तक लिए जाने की संभावना है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस० रघुपति) : (क) जी, हां।

(ख) जी, नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता है।

(घ) और (ङ) राज्य विधायनों की जांच तीन दृष्टि कोणों से ही की जाती है अर्थात (क) केन्द्रीय कानूनों से असंगति (ख) राष्ट्रीय

अथवा केन्द्रीय नीति से विसामान्यता और (ग) कानूनी और सांविधानिक वैधता। इस मामले में, कतिपय नीतिगत मुद्दों का समाधान राज्य सरकार तथा संबंधित मंत्रालयों/विभागों के साथ परामर्श करके किया जाना है। इसलिए इस संबंध में कोई समय-सीमा निश्चित नहीं की जा सकती।

[हिन्दी]

सड़क दुर्घटनाएं

180. श्री सुभाष सुरेशचंद्र देशमुख : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली उच्च न्यायालय ने घातक सड़क दुर्घटनाओं की बढ़ती संख्याओं के मद्देनजर जनवरी, 2006 में दिल्ली पुलिस को यातायात प्रबंधन एवं सड़क दुर्घटनाओं में हुई मौतों का ब्यौरा प्रस्तुत करने का आदेश दिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या उच्चतम न्यायालय ने भी वैज्ञानिक तरीकों से राष्ट्रीय नीति तैयार करने के आदेश दिए हैं जिसके आधार पर देश में सड़क दुर्घटनाओं की बढ़ती संख्या में कमी लाई जा सके; और

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है/की जा रही है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस० रघुपति) : (क) और (ख) जी नहीं। तथापि, दिल्ली उच्च न्यायालय ने रिट याचिका (सिविल) संख्या 16565/2006 में दिनांक 18 जनवरी, 2007 के अपने आदेश में स्वयं अपने प्रस्ताव बनाम भारत संघ और अन्यों के मामलों में अदालत को प्रतिवादियों को यह निदेश देने का हक दिया कि वे उन पूर्ण प्रस्तावों का रिकार्ड प्रस्तुत करें जिनके द्वारा वे दिल्ली की सड़कों पर यातायात अपराधों और दुर्घटनाओं को रोकना चाहते हैं। अदालत ने पुलिस आयुक्त और मुख्य सचिव, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार को भी निदेश दिया कि वे उन सभी सड़क दुर्घटनाओं के आंकड़े/ब्यौरे दर्ज करें जो वर्ष 2005 और 2006 के दौरान घटित हुई हैं।

(ग) और (घ) जी नहीं। तथापि, सरकार ने सड़क प्रयोक्ताओं के लिए सड़क सुरक्षा में सुधार करने के लिए निम्नलिखित कई उपाय किए हैं :

(i) राष्ट्रीय राजमार्ग/एक्सप्रेस वे के लिए योजना बनाने की अवस्था में सड़क सुरक्षा को ध्यान में रखना, कि वह सड़क डिजाइन का अभिन्न भाग है।

(ii) भारत के राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने सड़क सुरक्षा बढ़ाने के लिए कई कदम उठाए हैं जैसे कि सड़क फर्नीचर, सड़क पर चिन्ह/सड़क संकेतों का प्रयोग करना, सुविज्ञ परिवहन प्रणाली का इस्तेमाल कर राजमार्ग यातायात प्रबंधन प्रणाली शुरू करना; निर्माण के दौरान ठेकेदारों में अनुशासन बढ़ाना, चुने हुए क्षेत्रों में सड़क लेखा परीक्षा करना।

(iii) असंगठित क्षेत्र में भारी मोटर वाहन चालकों को पुनश्चर्या प्रशिक्षण प्रदान करना।

(iv) सड़क परिवहन और राजमार्ग विभाग तथा भारत के राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा सड़क सुरक्षा की गतिविधियों में एन०जी०ओ० शामिल करना।

(v) देश में मॉडल ड्राइविंग प्रशिक्षण विद्यालय स्थापित करना।

(vi) आडियो-विजुअल प्रिंट मीडिया के माध्यम से सड़क सुरक्षा जागरूकता पर प्रचार अभियान चलाना।

(vii) सड़क सुरक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य के लिए स्वयंसेवी संगठनों/लोगों के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार का प्रावधान करना।

(viii) वाहनों के सुरक्षा मानकों को सख्त बनाना।

(ix) राष्ट्रीय राजमार्ग दुर्घटना राहत सेवा योजना के तहत विभिन्न राज्य सरकारों/एन०जी०ओ० के लिए क्रेनों/एंबुलेंस का प्रावधान करना। भारत का राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण भी अपने परिचालन और रख-रखाव के ठेकों के तहत पूरे किए गए अपने प्रत्येक राजमार्ग पर 50 किमी की दूरी पर एंबुलेंस प्रदान करता है।

(x) राष्ट्रीय राजमार्गों को दो लेनों से चार लेनों तक और चार लेनों को छः लेनों तक चौड़ा करना और उनमें सुधार करना।

उपर्युक्त कदमों के अतिरिक्त सरकार ने राष्ट्रीय शहरी परिवहन नीति भी तैयार की है जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ समन्वित भूमि का प्रयोग करने और परिवहन योजना को बढ़ावा देने, सार्वजनिक परिवहन का अधिक इस्तेमाल करने, बेहतर प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल करने पर जोर दिया गया है जिससे यात्रा और माल ढुलाई सुरक्षित हो।

[अनुवाद]

आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं हेतु समिति

181. श्री तरित बरण तोपदार : क्या महिला और बाल विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं एवं हेल्परों के मानदेय के वर्तमान स्तर और इनसे संबंधित मुद्दों की जांच करने हेतु सरकार द्वारा गठित समीक्षा समिति द्वारा 31 दिसम्बर, 2006 को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की जानी थी;

(ख) यदि हां, तो समिति की सिफारिशों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) समिति की सिफारिशों पर सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है?

महिला और बाल विकास मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती रेणुका चौधरी) : (क) से (ग) आंगनवाड़ी कार्यकर्त्रियों और सहायिकाओं को वर्तमान में दिये जा रहे मानदेय और उनसे जुड़े अन्य मुद्दों की जांच करने के लिए सितंबर, 2006 में एक समीक्षा समिति गठित की गई थी। पहले समिति को 31 दिसंबर, 2006 तक अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करनी थी, जिसकी अवधि बाद में 31 जनवरी, 2007 तक बढ़ा दी गई।

समीक्षा समिति की रिपोर्ट सरकार को प्रस्तुत की जा रही है।

बागवानी उत्पादों का निर्यात

182. **श्री एम० अप्पादुरई** : क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बागवानी उत्पादों के निर्यात में कमी आ रही है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) बागवानी उत्पादों के निर्यात को बढ़ावा देने हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के वाणिज्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री जयराम रमेश) : (क) जी, नहीं। बागवानी उत्पादों का निर्यात वर्ष 2003-04 में हुए 1126 करोड़ रुपए की तुलना में वर्ष 2005-06 में बढ़कर 2455 करोड़ रुपये का हो गया है (स्रोत डी०जी०सी०आई० एंड एस०)।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) बागवानी उत्पादों के निर्यात का संवर्धन करने हेतु सरकार द्वारा किए गए उपायों में शामिल हैं :— मेलों, संवर्धनात्मक अभियानों में भागीदारी करना, प्रयोगशालाओं की स्थापना एवं उनका उन्नयन करना, शीघ्र खराब होने वाले कार्गों के लिए केन्द्र, पैक हाऊस तथा अन्य अवसंरचना सुविधाओं की स्थापना करना, कृषि निर्यात जोनों की स्थापना करना, अवशिष्ट निगरानी योजनाओं का कार्यान्वयन करना, परिवहन सहायता एवं बाजार पहुंच पहलें।

जंक फूड पर प्रतिबंध

183. **श्रीमती निवेदिता माने** :
श्री कीर्ति वर्धन सिंह :

क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को विद्यालयों में जंक फूड एवं कोला पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने के संबंध में स्वास्थ्य मंत्रालय से कोई सुझाव प्राप्त हुए हैं जैसाकि दिनांक 15 दिसंबर, 2006 के 'द टाईम्स ऑफ इंडिया' में समाचार प्रकाशित हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं;

(घ) क्या सरकार का विचार विश्वविद्यालयों में भी यह प्रतिबंध लगाने का है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी) : (क) से (ग) शिक्षा समवर्ती सूची का विषय है, अतः अधिकांश विद्यालय राज्य सरकारों के क्षेत्राधिकार में आते हैं। केन्द्रीय स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण मंत्री ने अगस्त, 2006 में सभी राज्यों के स्वास्थ्य मंत्रियों को पत्र लिखकर स्कूल तथा कॉलेज की कैंटीनों से जंक फूड तथा कार्बोनेटेड पेय पदार्थों को हटाने के निमित्त अनुदेश जारी करने पर विचार करने को कहा है।

(घ) से (च) केन्द्रीय स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण मंत्री ने जनवरी, 2007 में सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों को पत्र लिखकर यह भी कहा कि वे अपने-अपने राज्यों के मेडिकल तथा कृषि विश्वविद्यालयों सहित सभी विश्वविद्यालयों के कुलपतियों को शैक्षिक संस्थाओं की कैंटीनों से जंक फूड तथा कार्बोनेटेड पेय पदार्थों को हटाने के निमित्त अनुदेश जारी करने पर विचार करें।

[अनुवाद]

बच्चों के प्रति अपराध

184. **श्री कीर्ति वर्धन सिंह** : क्या महिला और बाल विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बच्चों के प्रति अपराध के संबंध में केन्द्रीय निगरानी आयोग की नियुक्ति किस तिथि को की गई थी;

(ख) नियुक्ति के पश्चात् इसकी कितनी बैठकें आयोजित की गई हैं और इसने कितने मामलों में जांच की है;

(ग) क्या अब तक कोई रिपोर्ट प्रस्तुत की गई है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) इस रिपोर्ट पर सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है; और

(च) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

महिला और बाल विकास मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती रेनुका चौधरी) : (क) महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा ऐसे किसी आयोग का गठन नहीं किया गया है। तथापि, मंत्रालय राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग का गठन कर रहा है। यह आयोग समग्र रूप से बच्चों से संबंधित समस्त मामलों की जांच-पड़ताल करेगा।

(ख) से (च) प्रश्न नहीं उठता।

बी०एड० एवं पी०टी०सी० महाविद्यालयों की स्थापना

185. **श्री विक्रमभाई अर्जनभाई माडम** : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत तीन वर्षों के दौरान और आज तक बी०एड० एवं पी०टी०सी० महाविद्यालयों को सम्बद्धता प्रदान करने हेतु राज्य सरकारों से विशेषकर गुजरात से सरकार/विश्वविद्यालय अनुदान आयोग एवं अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद को आवेदन प्राप्त हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) कितने आवेदनों को मंजूरी प्रदान की गई है और मंजूरी के लिए कितनी आवेदन राज्य-वार लंबित हैं; और

(घ) लंबित आवेदनों को कब तक मंजूरी दी जाने की संभावना है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी० पुरन्देश्वरी) : (क) से (घ) 'शिक्षा' विषयक कार्यक्रमों में विशेषज्ञता प्रदान करने वाले कालेजों सहित सभी कालेज उन विश्वविद्यालयों से सम्बद्ध होते हैं जिनके क्षेत्राधिकार में ये संस्थाएं आती हैं। न तो केन्द्र सरकार और न ही केन्द्र का कोई सांविधिक निकाय सम्बद्धता के प्रश्न पर निर्णय लेने में सक्षम हैं।

बी०एड० पाठ्यक्रमों के लिए शिक्षक प्रशिक्षण संस्थाओं को राष्ट्रीय आध्यपक शिक्षा परिषद द्वारा मान्यता प्रदान की जाती है और इन संस्थाओं को बाद में संबंधित विश्वविद्यालयों से सम्बद्धता प्राप्त करनी होती है। पी०टी०सी० पाठ्यक्रमों हेतु राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद से मान्यताप्राप्त संस्थाओं को विभिन्न राज्य सरकारों/संघ राज्य प्रशासनों के तहत आने वाली सम्बद्ध राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद से सम्बद्धता प्राप्त करनी होती है। राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार उसे बी०एड० एवं पी०टी०सी० कालेजों के लिए सम्बद्धता हेतु राज्य सरकारों से प्राप्त आवेदनों के बारे में कोई जानकारी नहीं है।

पंजाबी एवं उर्दू भाषा के विद्यालय

186. **श्रीमती प्रतिभा सिंह** : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को हिमाचल प्रदेश एवं अन्य राज्यों की सरकारों से राज्यों में 100 पंजाबी एवं उर्दू भाषा के विद्यालयों की स्थापना करने और तीन भाषाओं के शिक्षकों के वेतन व्यय को पूरा करने हेतु केन्द्रीय सहायता उपलब्ध कराने संबंधी प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में क्या स्थिति है; और

(ग) सरकार द्वारा इस संबंध में अब तक क्या कार्रवाई की गई है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी० पुरन्देश्वरी) : (क) से (ग) हिमाचल प्रदेश सरकार ने वर्ष 2007-2008 हेतु एक प्रस्ताव पेश किया है जिसमें भाषा शिक्षकों की नियुक्ति संबंधी स्कीम के तहत 100 पंजाबी तथा उर्दू शिक्षकों की नियुक्ति के लिए सहायता की मांग की गई है। इस प्रस्ताव की जांच की जा रही है।

आंध्र प्रदेश सरकार के लिए 78 उर्दू शिक्षकों की नियुक्ति हेतु वर्ष 2006-07 के दौरान 54.34 लाख रु० की राशि जारी की गई है।

रेशम सूत का उत्पादन

187. **श्री नवीन जिन्दल** : क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों और वर्तमान वर्ष के दौरान देश में रेशम धागे का वर्ष-वार उत्पादन कितना है;

(ख) क्या वर्तमान वर्ष के दौरान उत्पादन में गिरावट आई है;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) इसका रेशम उद्योग एवं इसके निर्यात पर समग्र रूप से कितना प्रभाव पड़ेगा; और

(ङ) रेशम धागे के उत्पादन को बढ़ावा देने हेतु क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ई०वी०के०एस० इलंगोवन) : (क) पिछले तीन वर्षों (2003-04 से 2005-06) तथा चालू वर्ष (अप्रैल-सितम्बर, 2006) के दौरान देश में कच्ची रेशम/रेशम यार्न का उत्पादन निम्नलिखितानुसार है :—

वर्ष	कच्ची रेशम का कुल उत्पादन
2003-04	15742 मी०टन
2004-05	16500 मी०टन
2005-06	17305 मी०टन
2006-07 (अप्रैल से सितंबर, 06)	9801 मी०टन

(ख) जी, नहीं। कच्ची रेशम के उत्पादन में कोई कमी नहीं आई है। वर्तमान वर्ष की दूसरी तिमाही तक कच्ची रेशम का उत्पादन 9801 मी०टन है जो वर्ष 2005-06 में उसी अवधि के दौरान हुए उत्पादन से 12.47% अधिक है।

(ग) से (ङ) प्रश्न नहीं उठते।

[हिन्दी]

अनुसूचित जनजाति की सूची में गोवारी समुदाय को सम्मिलित करना

188. **श्री हंसराज ग० अहीर :** क्या जनजातीय कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्ष 1967 में महाराष्ट्र के गोवारी समुदाय को अनुसूचित जनजाति की सूची में सम्मिलित करने हेतु कोई विधेयक प्रस्तुत किया गया था;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) गोवारी समुदाय को अनुसूचित जनजाति का दर्जा प्रदान करने हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं;

(घ) क्या महाराष्ट्र सरकार ने गोवारी समुदाय को अनुसूचित जनजाति की सूची में सम्मिलित करने की सिफारिश की है; और

(ङ) यदि हां, तो इस पर सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है?

जनजातीय कार्य मंत्री (श्री पी०आर० किन्डिया) : (क) से (ग) जी, हां। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आदेश (संशोधन) विधेयक, 1967 में लोकसभा में प्रस्तुत किया गया था और यह विधेयक संयुक्त संसदीय समिति को भेजा गया था, जिसके अध्यक्ष श्री ए०के० चन्दा, संसद सदस्य थे। अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति आदेश (संशोधन) विधेयक, 1967 से संबंधित संयुक्त समिति ने विदर्भ क्षेत्र के लिए संयुक्त समिति की रिपोर्ट और महाराष्ट्र सरकार के दिनांक 12.6.1979 के पत्र द्वारा एक अलग जनजाति के रूप में गोवारी समुदाय को सम्मिलित करने की सिफारिश की थी। यह रिपोर्ट 17 नवम्बर, 1969 को लोकसभा में प्रस्तुत की गई थी, लेकिन 1970 में लोकसभा में विचार के लिए प्रस्तुत विधेयक इसके विघटन के कारण व्यपगत हो गया था।

(घ) और (ङ) महाराष्ट्र सरकार ने वर्ष 1979 में अनुसूचित जनजातियों की राज्य सूची में गोवारी समुदाय को सम्मिलित करने के लिए सिफारिश की थी लेकिन इसने वर्ष 1981 में अपनी सिफारिश वापिस ले ली थी।

[अनुवाद]

आदिम जनजातियों के विकास हेतु धन

189. **श्री जी० करुणाकर रेड्डी :** क्या जनजातीय कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार को कर्नाटक सरकार से केन्द्र प्रायोजित योजना (केन्द्र द्वारा 50 प्रतिशत एवं राज्य द्वारा 50 प्रतिशत) के अंतर्गत आदिम जनजाति समूहों के विकास हेतु 59 लाख रुपए संस्वीकृत करने एवं जारी करने संबंधी प्रस्ताव प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या कर्नाटक सरकार ने गत वर्षों के दौरान जारी की गई धनराशि के संबंध में उपयोग प्रमाण-पत्र भेज दिए हैं; और

(घ) यदि हां, तो कर्नाटक सरकार को शेष अनुदान कब तक जारी किए जाने की संभावना है?

जनजातीय कार्य मंत्री (श्री पी०आर० किन्डिया) : (क) से (घ) कर्नाटक राज्य सरकार ने आदिम जनजातीय समूहों के विकास की 100% केन्द्रीय क्षेत्र की योजना के अंतर्गत मूल रूप से 59.00 लाख रुपए हेतु प्रस्ताव भेजा था। राज्य के मैसूर, कोडगु, उडुपी तथा दक्षिण कन्नड़ जिलों में चेक डैम, सड़क, गृह मरम्मत, बैलों की आपूर्ति, लघु सिंचाई निर्माण कार्य, कुएं, स्वरोजगार आदि जैसी गतिविधियों के लिए राज्य को आबंटित निधियों के अनुसार बाद में राज्य सरकार द्वारा इसे संशोधित कर 33.69 लाख रुपए किया गया था। मंत्रालय ने 33.69 लाख रुपए पहले ही राज्य सरकार को स्वीकृत कर दिए हैं। इसके अतिरिक्त, जनश्री बीमा योजना के अंतर्गत आदिम जनजातीय समूहों को बीमा सुरक्षा देने हेतु राज्य सरकार को 12.50 लाख रुपए स्वीकृत किए हैं। इसके अलावा, राज्य सरकार द्वारा संस्तुत मैसूर जिले में एक गैर-सरकारी संगठन की परियोजना को 8.35 लाख रुपए स्वीकृत किए गए हैं। कर्नाटक राज्य सरकार ने सभी पूर्व अनुदानों के संबंध में उपयोगिता प्रमाणपत्र भेजे हैं। वर्ष 2006-07 के दौरान आदिम जनजातीय समूहों के विकास की योजना के अंतर्गत कर्नाटक राज्य को देय कोई राशि बकाया नहीं है।

चाय का उत्पादन

190. **श्री मणी कुमार सुब्बा :** क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 2001-2002 से वर्ष दर वर्ष चाय उत्पादन लागत में कितनी वृद्धि हुई है;

(ख) असम और अन्य चाय उत्पादक राज्यों में चाय की विभिन्न किस्मों की उत्पादन लागत में वृद्धि के लिए कौन-कौन से कारक उत्तरदायी हैं;

(ग) आयातित चाय की तुलनात्मक लागत कितनी है; और

(घ) अन्तर्राष्ट्रीय बाजार से प्रतिस्पर्धा करने के लिए घरेलू चाय उद्योग को सहायता प्रदान करने के लिए सरकार द्वारा उठाए गए अथवा उठाए जा रहे कदम क्या हैं?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के वाणिज्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री जयराम रमेश) : (क) और (ख) उपलब्ध सचूना के अनुसार देश में चाय की उत्पादन लागत में वर्ष 2001-2002 की तुलना में वर्ष 2005-06 में लगभग 7.59% की वृद्धि हुई है। उत्पादन लागत में वृद्धि चाय विनिर्माण हेतु प्रयुक्त निविष्टियों, ईंधन एवं विद्युत प्रभारों, सुविधाओं सहित कामगारों के वेतन तथा भत्तों आदि में वृद्धि के कारण हुई है।

(ग) चूंकि भारत में उत्पादित चाय की अनेक किस्में होती हैं, अतः ऐसी चायों की उत्पादन लागत अलग-अलग होती है। तथापि, नीलामियों में चाय की औसत बिक्री कीमत लगभग 65.79 रुपए प्रति किग्रा० है। प्रमुख देशों से आयातित चाय की सी०आई०एफ० कीमत 34 से 129 रुपए प्रति किग्रा० के बीच है। आयातित चाय पर लागू सीमाशुल्क दर 100% है। भारत-श्रीलंका एफ०टी०ए० के अंतर्गत 7.5% की रियायती शुल्क लागू होती है।

(घ) भारत ने अंतर्राष्ट्रीय बाजार में अपनी स्थिति बरकरार रखी है। Xवीं योजना अवधि में चाय का निर्यात लगभग 180 मिलियन किग्रा० का हुआ है और वर्ष 2004-05 के दौरान निर्यात 205.81 मिलियन किग्रा० के स्तर पर पहुंच गया है। आशा है कि वर्ष 2005-06 में चाय का निर्यात 200 मिलियन किग्रा० से अधिक हो जाएगा। भारत सरकार ने चाय के निर्यातों को बढ़ाने के लिए अनेक उपाय किए हैं जिनमें शामिल हैं :—विदेशी बाजारों में संवर्धनात्मक कार्यकलाप, चाय निर्यातकों को संवर्धनात्मक सहायता प्रदान करना, अंतर्राष्ट्रीय मेलों/प्रदर्शनियों/क्रेता-विक्रेता बैठकों में भागीदारी, परम्परागत चाय के उत्पादन को प्रोत्साहन प्रदान करना, असम स्थित आई०सी०डी०, अमीनगाँव के जरिए निर्यातित चाय के लिए परिवहन एवं प्रहस्तन प्रभारों पर सब्सिडी आदि।

हथकरघा मार्क योजना

191. **श्री ई०जी० सुगावनम :** क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने हथकरघा मार्क योजना आरंभ की है;

(ख) यदि हां, तो इसका ब्यौरा क्या है और इसकी विशेषताएं क्या है;

(ग) क्या इसे लागू करने में कुछ समस्याएं उत्पन्न हुई हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा उक्त समस्याओं को दूर करने तथा आम लोगों में योजना को लोकप्रिय बनाने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ई०वी०के०एस० इलँगोवन) : (क) जी हां, श्रीमान। हथकरघा मार्क योजना 28.06.2006 को भारत के माननीय प्रधान मंत्री डॉ० मनमोहन सिंह द्वारा आरंभ की गई थी।

(ख) विकास आयुक्त (हथकरघा) कार्यालय, भारत सरकार ने हथकरघा मार्क योजना आरंभ की है जो क्रेता को इस बात की गारंटी देता है कि खरीदा गया उत्पाद हाथ से बुना गया असली उत्पाद है। यह मार्क हथकरघा उत्पाद को एक पहचान देता है और इससे न केवल भारत और विदेशों में हाथ से बुने गए उत्पादों को लोकप्रिय बनाया जा सकेगा बल्कि यह एक शक्तिशाली सृजनात्मक कार्य का प्रतीक बनेगा जो विद्युतकरघा उत्पादों से हथकरघा उत्पादों को भिन्न दर्शाएगा और बुनकरों को बेहतर मजदूरी मुहैया कराने में सहायक होगा।

उद्देश्य

- घरेलू एवं अंतर्राष्ट्रीय बाजार में हथकरघा उत्पादों का संवर्धन।
- मूल उत्पाद के असली होने के बारे में उपभोक्ताओं को आश्वासन देना।
- हथकरघा बुनकरों को अंतर्राष्ट्रीय विपणन संपर्क प्रदान करवाना।
- हथकरघा उत्पादों की आपूर्ति श्रृंखला को मजबूत बनाना।
- घरेलू एवं अंतर्राष्ट्रीय बाजार में हथकरघा उत्पादों की मूल्य प्राप्ति में सुधार लाना।
- हथकरघा बुनकर समुदाय की आय में सुधार करना।
- हथकरघा बुनकरों के लिए वर्ष पर्यन्त निरंतर काम मिलना सुनिश्चित करना।

हथकरघा आपूर्ति एवं बुनकरों का आंकड़ा आधार विकसित करना जो भारत सरकार द्वारा कार्यान्वित की जा रही चालू योजनाओं एवं भविष्य की योजनाओं में बुनकरों को सहायता प्रदान करने में सहायक होगा।

हैण्डलूम मार्क लोगो :—

हैण्डलूम मार्क लोगों राष्ट्रीय डिजाइन संस्थान, अहमदाबाद द्वारा विकसित किया गया। यह मार्क दो रूप में है। एक घरेलू प्रयोग

के लिए जिसमें लोगों के नीचे **हैण्डलूम** शब्द लिखा है। तथा दूसरा निर्यात के लिए जिसमें लोगों के नीचे **हैण्ड वूवन इन इंडिया** लिखा है।

Handloom | hand woven IN INDIA

प्रत्येक लेबल पर आसानी से पहचान/वर्गीकरण के लिए इसके पीछे की ओर एक कोड दिया जाता है। उदाहरण के तौर पर **डीएफ** कोड नम्बर घरेलू बिक्री के लिए, **डीएम** कोड नम्बर मेड अप्स एवं गारमेंटस एवं गारमेंटस की घरेलू बिक्री के लिए, **ईएफ** कोड नम्बर निर्यात के वस्त्रों हेतु और **ईएम** कोड नम्बर निर्यात के मेड अप्स एवं गारमेंट्स के लिए)

प्रत्येक हथकरघा कटपीस, मेड अप वस्तु एवं प्रत्येक हस्तनिर्मित वस्त्र से उत्पादित गारमेंट पर एक लेबल लगाया जाना होता है।

क्षेत्र

- **योजना में सभी प्रकार के हथकरघा वस्त्र एवं उत्पाद शामिल है।**
- हथकरघा मार्क योजना पूरे देश में लागू है। व्यक्तिगत बुनकर, बुनकर सहकारी समितियां, मास्टर बुनकर, खुदरा विक्रेता एवं निर्यातक इस योजना में भाग लेने व लाभ उठाने के हकदार हैं।

कार्यान्वयन एजेंसी

भारतीय गुणवत्ता वस्त्रों के संवर्धन के जनादेश के साथ संसद के अधिनियम के अंतर्गत 963 में गठित वस्त्र मंत्रालय के अधीन एक सांविधिक निकाय-वस्त्र समिति हथकरघा मार्क योजना की कार्यान्वयन एजेंसी है।

कार्यकलाप

जनवरी, 2007 के अंत तक 1031 पंजीकरण किए गए हैं और 10.41 लाख लेबल दावा धारकों को बेचे जा चुके हैं तथा इस योजना के बारे में जागरुकता फैलाने के लिए 31 संगोष्ठियां आदि आयोजित की गई हैं। प्रारंभ में हथकरघा मार्क लेबल का मूल्य 1.25 रुपये प्रति लेबल था। इसके कवरेज को बढ़ाने के लिए मूल्य को घटाकर प्रति लेबल 60 पैसे कर दिया गया है।

(ग) और (घ) योजना को कार्यान्वित करने में कोई समस्या नहीं है। योजना को लोकप्रिय बनाने के लिए मुख्य हथकरघा उत्पादक राज्यों में समूह स्तर की संगोष्टियां आयोजित की गई, जागरुकता बैठकें बुलाई गई, देश भर में समाचार-पत्रों में क्षेत्रीय भाषाओं में विज्ञापन दिए गए, उपभोक्ता उन्मुखी प्रचार उपाय आरंभ किए गए हैं तथा योजना को लोकप्रिय बनाने और इसकी कवरेज को बढ़ाने के लिए अन्य आवश्यक उपाय किए गए हैं।

पुलिस अस्पताल

192. श्री मिलिन्द देवरा : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को कर्नाटक सरकार से सेना अस्पतालों की तर्ज पर पुलिस अस्पताल की स्थापना करने का कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो इस प्रयोजन के लिए कुल कितनी निधियां प्रदान किए जाने की संभावना है;

(ग) इन अस्पतालों में प्रदान की जाने वाली संभावित सुविधाओं का ब्यौरा क्या है; और

(घ) ऐसे अस्पतालों के कब तक स्थापित किए जाने की संभावना है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीप्रकाश जायसवाल) : (क) जी, नहीं, श्रीमान।

(ख) से (घ) उक्त (क) को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

असम में हत्याएं

193. श्री हेमलाल मुर्मू :
प्रो० महादेवराव शिवनकर :
श्री जसुभाई धानाभाई बारड़ :
श्री गुरुदास दासगुप्त :
श्री निखिल कुमार :
डा० राजेश मिश्रा :
श्री सुरवरम सुधाकर रेड्डी :
श्री संतोष गंगवार :
श्री के०एम० आरुन रशीद :
डा० चिन्ता मोहन :
श्री हंसराज ग० अहीर :
श्री अधलराव पाटील शिवाजीराव :
श्री राजीव रंजन सिंह "ललन" :
श्री असादुद्दीन ओवैसी :
प्रो० विजय कुमार मल्होत्रा :
श्री सुरेश प्रभाकर प्रभु :
श्री फ्रांसिस फैन्थम :
श्री रशीद मसूद :
श्री शिशुपाल एन० पटले :

श्री एस०के० खारवेनथन :
श्री अवतार सिंह भड़ाना :
श्री सज्जन कुमार :
श्री जुएल ओराम

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उल्फा ने विभिन्न पूर्वोत्तर राज्यों में रहने वाले हिन्दी भाषी आप्रवासियों के विरुद्ध अपनी गतिविधियां बढ़ा दी हैं;

(ख) यदि हां, तो हाल में विभिन्न घटनाओं में मारे गए/घायल हुए व्यक्तियों की राज्य-वार संख्या कितनी है;

(ग) ऐसी घटनाओं के पीड़ित व्यक्तियों के लिए घोषित की गई एवं भुगतान की गई क्षतिपूर्ति का ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या ऐसी गतिविधियों को अंजाम देने के लिए उल्फा की मदद करने में किसी विदेशी एजेंसी को संलिप्त पाया गया है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) उल्फा की ऐसी गतिविधियों को रोकने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस० रघुपति) : (क) और (ख) 5-8 जनवरी, 2007 के दौरान, यूनाईटेड लिब्रेशन फ्रंट ऑफ असम (यू०एल०एफ०ए०) ने 61 हिंदी भाषी व्यक्तियों को मार दिया जिनमें से अधिकांश ऊपरी असम में मौसमी अवधि के लिए काम करने के लिए आए श्रमिक और छोटा-मोटा सामान बेचने वाले थे। चालू वर्ष के दौरान, असम में हुई हिंसा की 73 घटनाओं में अभी तक 87 व्यक्तियों (5 सुरक्षा बल कर्मियों सहित) ने अपनी जानें गंवाई हैं और 144 (5 सुरक्षा बल कर्मियों सहित) लोग जख्मी हुए हैं।

(ग) राज्य सरकार ने उल्फा की हिंसा में मारे गए हिंदी भाषी लोगों के प्रत्येक के निकटतम संबंधी (एन०ओ०के०) को 3 लाख रुपए के अनुग्रह-अनुदान की मंजूरी दी है। इसके अतिरिक्त, प्रधानमंत्री ने ऐसे व्यक्तियों को प्रत्येक को 2 लाख रुपए का अनुग्रह अनुदान की भी मंजूरी दी है। जख्मी लोगों को मुआवजे की भी स्वीकृति दी गई है।

(घ) और (ङ) कुछ ऐसी रिपोर्टें हैं जो उल्फा के विदेशी एजेंसी के साथ संबंधों को दर्शाती हैं। तथापि, इस बात को सुझाती ऐसी कोई रिपोर्ट नहीं है जो इन हत्याओं में किसी विदेशी एजेंसी की संलिप्तता को दर्शाती हो।

(च) उल्फा की हिंसक गतिविधियों को रोकने के उद्देश्य से, उग्रवादी गुटों और अन्य अतिवादी ग्रुपों के विरुद्ध समन्वित कार्रवाई के लिए असम राज्य में अतिरिक्त केन्द्रीय पुलिस बलों और सेना की तैनाती की गई है। सरकार, राज्य पुलिस बलों की क्षमताओं में वृद्धि करने, राज्य सरकार द्वारा किए गए सुरक्षा संबंधी व्यय की प्रतिपूर्ति के लिए भी कदम उठा रही है।

असम के मुख्य मंत्री की अध्यक्षता में हुई एकीकृत मुख्यालय की बैठकों में असम में सुरक्षा स्थिति की समीक्षा की जाती है।

[अनुवाद]

आपदा प्रबंध

194. श्री रायपति सांबासिवा राव :
श्री सर्वे सत्यनारायण :

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आपदा प्रबंध और सिविल रक्षा विभाग के मुख्य कार्य क्या हैं;

(ख) गत दो वर्षों के दौरान विभाग द्वारा क्या क्रियाकलाप और कार्य किए गए हैं;

(ग) क्या सरकार आपदाओं के प्रभाव को कम करने के लिए कोई कानून ला रही है अथवा ला चुकी है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इसकी वर्तमान स्थिति क्या है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस० रघुपति) : (क) भारत सरकार में अलग से कोई आपदा प्रबंधन और नागरिक सुरक्षा विभाग नहीं है। राष्ट्रीय स्तर पर आपदा प्रबंधन (सूखा, ओलावृष्टि और कीट-हमलों को छोड़कर) और नागरिक सुरक्षा की नोडल जिम्मेवारी गृह मंत्रालय की है। यह मंत्रालय राष्ट्रीय स्तर पर आपदा प्रबंधन और नागरिक सुरक्षा के लिए संस्थागत और विधायी ढांचे के लिए उत्तरदायी है। यह मंत्रालय अपेक्षित संभारिकी और वित्तीय सहायता प्रदान करके राज्य सरकारों के प्रयासों में मदद करता है।

(ख) गत दो वर्षों के दौरान गृह मंत्रालय के आपदा प्रबंधन प्रभाग द्वारा किए गए कार्य मुख्य रूप से निम्न प्रकार है :

- 26 दिसम्बर, 2004 का सुनामी, जम्मू और कश्मीर में 8 अक्तूबर, 2005 का भूकंप, 2005 और 2006 में मानसून के दौरान विभिन्न राज्यों में आई बाढ़ जैसी प्रमुख आपदाओं से निपटने में प्रबोधन करना और समन्वय करना तथा राहत एवं पुनर्वास हेतु संभारिकी और वित्तीय सहायता का प्रबंध करना/समन्वय करना।
- आपदा प्रबंधन के संबंध में केन्द्रीय विधायन का एक मसौदा तैयार करना जो अंततः 23 दिसम्बर, 2005 को आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 के रूप में अधिनियमित किया गया।
- अधिनियम के विभिन्न उपबंधों के कार्यान्वयन के प्रयोजनार्थ नियम तैयार करना।

– अधिनियम के अंतर्गत राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (एन०डी०एम०ए०) की स्थापना करना।

– अधिनियम के उपबंधों के अनुसार राष्ट्रीय कार्यकारिणी समिति (एन०ई०सी०) का गठन करना और इसकी बैठक का आयोजन करना।

– अधिनियम के उपबंधों के अनुसार राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान (एन०आई०डी०एम०) का गठन करना।

– प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण संबंधी कार्यकलाप करने के लिए राज्य स्तर पर विभिन्न प्रशासनिक प्रशिक्षण संस्थानों इत्यादि को वित्तीय सहायता प्रदान करना।

– राष्ट्रीय आपदा निपटान बल (एन०डी०आर०एफ०) की बटालियनों को प्रशिक्षण देना और उन्हें उपकरणों से सुसज्जित करना।

– मुद्रित और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से जागरूकता पैदा करना।

– एन०आई०डी०एम० के माध्यम से विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रमों/कार्यशालाओं/सेमिनारों का आयोजन करना।

– एन०आई०डी०एम० के स्तर पर सार्क (एस०ए० ए०आर०सी०) आपदा प्रबंधन केन्द्र की स्थापना करना।

– यू०एन०डी०पी० इत्यादि से बाहरी सहायता के साथ 17 बहुत-जोखिम बहुल राज्यों में 169 जिलों में एक आपदा जोखिम प्रबंधन परियोजना का कार्यान्वयन करना।

– भूकंप जोखिम प्रबंधन में इंजीनियरों और वास्तुविदों की क्षमता निर्माण के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रमों का कार्यान्वयन करना।

– मंत्रालय में एक राष्ट्रीय आपाती अभियान केन्द्र की स्थापना करना तथा राज्य/जिला स्तरीय आपाती अभियान केन्द्रों की स्थापना करने हेतु राज्यों के साथ अनुवर्ती कार्रवाई करना।

– आपातकालीन संचार प्रणाली को सुदृढ़ करने हेतु उपाय आरंभ करना।

– प्रमुख आपदाओं से प्रभावित राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों में पुनर्वास और पुनर्निर्माण के लिए जरूरतों का आकलन करना।

– नागरिक सुरक्षा और होमगार्ड के संबंध में राज्य सरकारों द्वारा किए गए व्यय के भाग की प्रतिपूर्ति करना।

(ग) से (ङ) आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 को 23 दिसम्बर, 2005 को अधिनियमित किया गया और 26 दिसम्बर, 2005 को अधिसूचित किया गया। यह आपदा प्रबंधन हेतु नीतियों और योजनाओं के कार्यान्वयन को तैयार करने तथा उनके प्रबोधन हेतु संस्थागत तंत्र और आपदाओं के निवारण और न्यूनीकरण तथा किसी भी आपदा की स्थिति से समग्र रूप से, समन्वित तथा तुरंत निपटने हेतु सरकार के विभिन्न विंगों द्वारा उपाय सुनिश्चित करने की व्यवस्था है। इस अधिनियम में अन्य बातों के साथ-साथ राष्ट्रीय, राज्य और जिला स्तरों पर आपदा प्रबंधन प्राधिकरणों का गठन करने, राष्ट्रीय कार्यकारिणी समिति (एन०ई०सी०) के गठन, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान (एन०आई०डी०एम०) और राष्ट्रीय आपदा निपटान बल (एन०डी०आर०एफ०) की स्थापना तथा राष्ट्रीय, राज्य और जिला स्तरों पर आपदा निपटान और न्यूनीकरण संबंधी कोषों की स्थापना करने की व्यवस्था है। सरकार ने पहले ही राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (एन०डी०एम०ए०) एन०ई०सी० और एन०आई०डी०एम० की स्थापना कर दी है। राष्ट्रीय आपदा निपटान बल का गठन करने हेतु विभिन्न केन्द्रीय अर्द्ध सैनिक बलों को उद्दिष्ट बटालियनों को प्रशिक्षण और उन्हें शस्त्रों से लैस करने का कार्य शुरू कर दिया गया है।

[हिन्दी]

निर्यात वृद्धि दर

195. श्री शिशुपाल एन० पटले :
प्रो० महादेवराव शिवनकर :
श्री महावीर भगोरा :

क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष भारत के निर्यात-आयात की उत्पाद-वार स्थिति क्या है;

(ख) किसी उत्पाद के निर्यात-आयात के लिए निर्दिष्ट नियम क्या है;

(ग) क्या भारत के निर्यात वृद्धि की प्रतिशतता आयात प्रतिशतता के मुकाबले नवम्बर, 2006 की तुलना में दिसम्बर, 2006 के दौरान कम हो रही है;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ङ) क्या सरकार का विचार अंतर्राष्ट्रीय बाजार की चुनौती का सामना करने के लिए एक योजना तैयार करने का है;

(च) यदि नहीं, तो निर्यातों में वृद्धि के लिए क्या उपाय किए गए हैं; और

(छ) इन उपायों को करने के पश्चात हासिल की गई उपलब्धियों का ब्यौरा क्या है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के वाणिज्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री जयराम रमेश) : (क) निर्यातों व आयातों के उत्पाद-वार ब्यौरे वाणिज्यिक आसूचना एवं सांख्यिकी महानिदेशालय, कोलकाता (डी०जी०सी०आई० एण्ड एस०) द्वारा प्रकाशित भारत के विदेश व्यापार की मासिक सांख्यिकी — खण्ड-1 (वापसी निर्यातों सहित निर्यात) तथा खण्ड-II (आयात) नामक प्रकाशनों में उपलब्ध है। ये संसद के पुस्तकालय में उपलब्ध हैं। यह सूचना वाणिज्य विभाग की वेबसाइट http://www.commerce.nic.in में भी दी गई है।

(ख) किसी भी उत्पाद का निर्यात व आयात विदेश व्यापार (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1995 के अन्तर्गत निर्मित एवं अधिसूचित नियमों तथा आदेशों द्वारा विनियमित होता है।

(ग) नवम्बर, 2006 की तुलना में दिसम्बर, 2006 के महीने में निर्यातों व आयातों, दोनों की वृद्धि दर में गिरावट आई थी। तथापि उक्त अवधि में निर्यातों व आयातों की वृद्धि दर में कोई अत्यधिक गिरावट नहीं आई थी।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

(ङ) से (छ) विदेश व्यापार नीति (2004-09) के वार्षिक परिशिष्ट में उल्लिखित उपायों सहित समय-समय पर नीतिगत उपायों की घोषणा की जाती है। इन उपायों का उद्देश्य भारत के तुलनात्मक लाभ एवं घरेलू तथा अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में उत्पन्न हो रही स्थिति के अनुरूप निर्यात वृद्धि की वर्तमान दर को बढ़ाना और उसे कायम रखना है।

[अनुवाद]

विश्व आर्थिक मंच

196. **श्री आनंदराव विठोबा अडसूल :**
श्री अधलराव पाटील शिवाजीराव :

क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत ने दावोस, स्विट्जरलैंड में विश्व आर्थिक मंच की वार्षिक बैठक में भाग लिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) दावोस में आयोजित बैठक के क्या परिणाम निकले?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के औद्योगिकी नीति एवं संवर्धन विभाग में राज्य मंत्री (श्री अश्विनी कुमार) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) दावोस, स्विट्जरलैंड में दिनांक 24 से 28 जनवरी, 2007 को विश्व आर्थिक मंच की वार्षिक बैठक हुई थी। इस बैठक में ''दा शिफ्टिंग पावर इक्वेशन'' विषय पर विचार-विमर्श करने के लिए 2,400 व्यावसायिक, राजनैतिक व सिविल सोसायटी के अग्रणी व्यक्ति एकत्रित हुए थे। इस विषय में वे तत्व समाहित थे जिनसे वर्ष 2007 के वैश्विक एजेंडा का निर्धारण हो पायेगा। इस बैठक में बहुत से वरिष्ठ व्यवसायियों के अलावा भारत के प्रतिनिधिमंडल में श्री कमल नाथ, वाणिज्य और उद्योग मंत्री, डा० मोन्टेक सिंह अहलुवालिया, उपाध्यक्ष, योजना आयोग और डा० अश्वनी कुमार, उद्योग राज्य मंत्री और वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के अधिकारी थे। भारत इस बैठक में भारतीय अर्थव्यवस्था के बहुत से महत्वपूर्ण भागों एवं क्षेत्रों में निवेश की क्षमता को उजागर कर पाया था और इस बैठक के अनेक सत्रों को संबोधित करने वाले भारतीय वक्ताओं के जरिये उन विभिन्न वैश्विक मुद्दों पर अपने विचार भी प्रकट किये थे जिनपर बैठक में चर्चा की गई थी।

खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग को निर्यात संवर्धन परिषद् का दर्जा

197. **श्री भर्तृहरि महताब :**
श्री अनन्त नायक :

क्या **कृषि एवं ग्रामीण उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग को निर्यात संवर्धन परिषद् का दर्जा प्रदान किए जाने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसके क्या उद्देश्य हैं;

(ग) इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का प्रस्ताव है तथा खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग को मजबूत करने के लिए कितनी सहायता प्रदान की जायेगी; और

(घ) इस सहायता से इस क्षेत्र को कितना लाभ मिलेगा?

लघु उद्योग मंत्री तथा कृषि एवं ग्रामीण उद्योग मंत्री (श्री महावीर प्रसाद) : (क) और (ख) दिसम्बर, 2006 के दौरान, सरकार (वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय, वाणिज्य विभाग) ने खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग (के०वी०आई०सी०) को समवत् निर्यात संवर्धन परिषद् (ई०पी०सी०) का दर्जा प्रदान करने और के०वी०आई०सी० को भारतीय निर्यात संघों (एफ०आई०ई०ओ०) के समान अम्ब्रेला ई०पी०सी० की संरचना के अनुसार सहायता प्रदान करने हेतु सक्षम प्राधिकरण के अनुमोदन की जानकारी दी है। के०वी०आई०सी० को ई०पी०सी० का दर्जा प्रदान करके, अन्तर्राष्ट्रीय मेलों में भाग लेने, क्रेता-विक्रेता सम्मेलनों (बी०एस०एम०) आदि के आयोजन के लिए इसके प्रस्ताव विपणन विकास सहायता/बाजार पहुंच पहल के दिशानिर्देशों के तहत अनुमति के अनुसार अनुमोदित कर दिए जाएंगे, परन्तु के०वी०आई०सी० को

किसी प्रकार का नियमित विपणन विकास सहायता अनुदान नहीं मिलेगा। के०वी०आई०सी० को समवत् ई०पी०सी० का दर्जा प्रदान करने के उद्देश्यों में ये शामिल हैं— विदेशों में खादी एवं ग्रामोद्योग के उत्पादों की छवि को उच्च कोटि के उत्पादों के रूप में बढ़ाना, संभावित क्रेताओं तथा आपूर्तिकर्त्ताओं के बीच तालमेल बढ़ाने हेतु भारत तथा विदेशों में बी०एस०एम० का आयोजन, उत्पादों की विशुद्धता सुनिश्चित करना तथा निर्यातोन्मुखी के०वी०आई० उत्पादों के लिए गुणवत्ता मानक निर्धारित करना।

(ग) और (घ) खादी एवं ग्रामद्योगों (के०वी०आई०) को सुदृढ़ बनाने तथा उन्हें सार्वभौम अर्थव्यवस्था में प्रतिस्पर्धात्मक बनाने के लिए सरकार (कृषि एवं ग्रामीण उद्योग मंत्रालय में), ब्याज सब्सिडी पात्रता प्रमाणपत्र योजना (आई०एस०ई०सी०) जो बैंक ऋणों पर सस्ती ब्याज दरें प्रदान करती है, के०वी०आई० उत्पादों के डिजाइन तथा पैकेजिंग में सुधार लाने के लिए उत्पाद विकास, डिजाइन हस्तक्षेप तथा पैकेजिंग (पी०आर०ओ०डी०आई०पी०) योजना, तथा मार्जिन मनी के रूप में सब्सिडी प्रदान करके ग्रामोद्योगों की स्थापना के लिए के०वी०आई०सी० के माध्यम से ग्रामीण रोजगार सृजन कार्यक्रम (आर०ई०जी०पी०) जैसी योजनाएं कार्यान्वित कर रही है। के०वी०आई० उत्पादों के विपणन में सहायता देने के लिए राष्ट्रीय, उप-राष्ट्रीय स्तरों पर प्रदर्शनियों में भाग लेने हेतु के०वी०आई० इकाइयों को भी सहायता प्रदान की जाती है। ये सुविधाएं सभी पात्र कुटीर एवं ग्रामीण उद्योगों को प्रदान की जाती हैं। इसके अतिरिक्त, सरकार ने वर्ष 2005-06 से प्रारंभ पांच वर्षों के लिए 29 खादी, 50 ग्राम तथा 25 कॉयर उद्योग क्लस्टरों में पारम्परिक उद्योगों के पुनर्सृजन के लिए निधि योजना (स्फूर्ति) शुरू की है। स्फूर्ति में सामान्य सुविधा केन्द्रों की स्थापना, गुणवत्ता सुधार, प्रशिक्षण तथा क्षमता निर्माण, नवीन उत्पादों के विकास, सुधरी हुई पैकेजिंग, नए डिजाइन, बाज़ार उन्नयन, आदि के लिए सहायता की परिकल्पना की गई है।

इसके अतिरिक्त, के०वी०आई०सी० के पुनर्गठन तथा कार्यक्रमों/योजनाओं के उपाय सुझाने हेतु गठित विशेषज्ञ समिति ने अन्य बातों के साथ-साथ कुछेक जारी योजनाओं की पुनःसंरचना करके खादी एवं ग्रामोद्योगों को सुदृढ़ करने की सिफारिश की थी। स्वीकृत सिफारिशों के अनुसरण में के०वी०आई०सी० ने इस संबंध में के०वी०आई० क्षेत्र में और अधिक रोजगार के अवसर पैदा करने के उद्देश्य से प्रस्ताव तैयार किए हैं।

सीमा पर पाकिस्तान द्वारा गोलाबारी

198. श्री रवि प्रकाश वर्मा :
श्री किसनभाई वी० पटेल :
श्री सुग्रीव सिंह :
श्री शिशुपाल एन० पटले :

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय सीमा क्षेत्र में प्रवेश कर रहे आतंकवादियों को कवर फायरिंग देने के लिए पाकिस्तानी रेंजरों ने अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर बी०एस०एफ० पर गोलाबारी की जैसाकि दिनांक 18 जनवरी, 2007 के 'द हिन्दू' में समाचार प्रकाशित हुआ है;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष रिपोर्ट की गई ऐसी घटनाओं की संख्या कितनी है;

(ग) इन घटनाओं में कितने जवान/नागरिक मारे गए तथा घायल हुए; और

(घ) देश में आतंकवादियों की घुसपैठ को रोकने तथा भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस० रघुपति) : (क) 17 जनवरी, 2007 को लगभग 0250 बजे छुंग चौकी के पाक रेंजरों ने जम्मू अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर घुसपैठियों की सहायता करने के लिए बी०ओ०पी० मटकुला के सीमा सुरक्षा बल के गस्ती दल पर बेवजह गोलीबारी कर दी जिसे सीमा सुरक्षा बल की चौकस टुकड़ियों ने विफल कर दिया।

(ख) वर्ष 2004, 2005 और 2006 के दौरान गोलीबारी की किसी घटना की सूचना नहीं मिली है। तथापि, वर्ष 2007 (20.2.2007 तक) के दौरान गोलीबारी की दो घटनाएं घटी हैं।

(ग) 17 जनवरी, 2007 को पाक द्वारा की गई गोलीबारी में सीमा सुरक्षा बल के दो कार्मिक घायल हुए थे।

(घ) बेवजह गोलीबारी करने और घुसपैठ की कोशिश करने के लिए पाकिस्तान से कड़ा विरोध दर्ज किया गया है। यह मुद्दा, 14 से 17 फरवरी, 2007 को हुई भारत-पाक द्वि-वर्षीय बैठक में भी उठाया गया है। इसके अतिरिक्त, सीमा की कारगर ढंग से निगरानी करने, घुसपैठ, नशीले पदार्थों, हथियारों और निषिद्ध वस्तुओं की तस्करी रोकने के लिए निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं :—

(i) दिन और रात गस्त लगा कर, अभियान चला कर और घात लगा कर सीमा की चौबीसों घंटे चौकसी करना।

(ii) बाड़ का निर्माण करना और तेज रोशनी करना तथा सुरक्षात्मक बांध बनाना।

(iii) विशेष अभियान चलाना।

(iv) बी०एस०एफ० आसूचना व्यवस्था का उन्नयन करना और संबंधित एजेंसियों के साथ समन्वय करना।

(v) रात में देखने वाले यंत्रों का उपयोग करना।

(vi) गश्त लगाने/घात लगाने की ड्यूटी पर कार्मिकों की संख्या में वृद्धि करना।

[हिन्दी]

समुद्री खाद्य के लिए विशेष आर्थिक क्षेत्र

199. **श्री गणेश सिंह : क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार समुद्री खाद्य के आयात एवं प्रसंस्करण के लिए विशेष आर्थिक क्षेत्र (एस०ई०जेड०) की स्थापना करने पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में आज तक कितनी प्रगति हुई है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के वाणिज्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री जयराम रमेश) : (क) से (ग) समुद्री खाद्य के आयात एवं प्रसंस्करण हेतु एस०ई०जेडों० की स्थापना से संबंधित कोई प्रस्ताव इस समय सरकार के विचाराधीन नहीं है।

[अनुवाद]

पाकिस्तान से हिन्दुओं का पलायन

200. **श्री दुष्यंत सिंह : क्या गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत और पाकिस्तान के बीच 1965 और 1971 में हुए युद्ध के कारण अंतर्राष्ट्रीय सीमा को अवैध रूप से पार करने वाले पाकिस्तानी हिन्दुओं की संख्या कितनी है;

(ख) क्या बहुत से हिन्दू वैध दस्तावेज के साथ भारत आये हैं और उन्होंने पाकिस्तान वापस जाने से इंकार कर दिया है;

(ग) यदि हां, तो क्या इन सभी हिन्दुओं को भारत की नागरिकता प्रदान करने का प्रस्ताव किया गया था;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके लिए क्या मानदण्ड निर्धारित किए गए हैं; और

(ङ) इन हिन्दुओं को भारतीय नागरिकता प्रदान करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीप्रकाश जायसवाल) : (क) से (ङ) यह सूचना प्राप्त हुई है कि विधिक दस्तावेजों सहित भारत आने वाले पाकिस्तानी हिन्दुओं ने वापस पाकिस्तान जाने से इंकार कर दिया है।

भारतीय नागरिकता, नागरिकता अधिनियम, 1955 के प्रावधानों तथा उनके अधीन बने नियमों के अनुरूप प्रदान की जाती है। तथापि, वर्ष 1965 और 1971 में भारत और पाकिस्तान के बीच हुए युद्धों के परिणामस्वरूप विस्थापित हुए अल्पसंख्यक समुदाय के पाकिस्तानी राष्ट्रिकों द्वारा भारतीय नागरिकता ग्रहण किए जाने को सुविधाजनक बनाने के लिए इस संबंध में शक्तियां 28.02.2004 से 27.02.2007 तक गुजरात और राजस्थान की सरकारों को प्रत्यायोजित की गई है।

भारत और पाकिस्तान के बीच वर्ष 1965 और 1971 के युद्धों के दौरान अवैध रूप से भारत आने वाले पाकिस्तानी हिन्दुओं की संख्या के बारे में कोई विशिष्ट सूचना उपलब्ध नहीं है।

खुदरा क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश

201. **श्री किसनभाई वी० पटेल :**
श्री सुग्रीव सिंह :

क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार इलेक्ट्रानिक, स्टेशनरी, खेल के सामान और भवन निर्माण उपस्कर क्षेत्रों जैसे खुदरा क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश को अनुमति देने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने इस मुद्दे पर विभिन्न मंत्रालयों से परामर्श किया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) सरकार का किस प्रकार से स्वदेशी उद्योग की रक्षा करने का विचार है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्री (श्री कमल नाथ) : (क) से (घ) विदेशी प्रत्यक्ष निवेश (एफ०डी०आई०) संबंधी नीति की सतत् आधार पर समीक्षा की जाती है। नीतिगत मामलों पर अन्त: मंत्रालयीय विचार विमर्श एक सतत् प्रक्रिया है। इस नीति की 2006 में व्यापक रूप से समीक्षा की गई थी और एफ०डी०आई० हेतु संशोधित नीति को अधिसूचित किया गया था। व्यापार (ट्रेडिंग) क्षेत्र में एकल ब्रांड उत्पाद के खुदरा व्यापार में एफ०डी०आई० की अनुमति दी गई थी। इसके अलावा थोक व्यापार/केश एंड केरी तथा निर्यात व्यापार में एफ०डी०आई० के लिए मार्ग में परिवर्तन को भी अधिसूचित किया गया था।

(ङ) सरकार भारतीय उद्योगों तथा उपभोक्ता के न्यायसंगत हितों की सुरक्षा के लिए, जहां कहीं आवश्यक होगा, कदम उठाने के प्रति वचनबद्ध है।

सभी के लिए प्राथमिक शिक्षा

202. श्री ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सभी के लिए प्राथमिक शिक्षा मिशन की प्रगति के साथ सरकार ने राज्य सरकारों द्वारा सभी के लिए प्राथमिक शिक्षा के मामले में की गई प्रगति के आधार पर विभिन्न राज्य सरकारों की ग्रेडिंग की है;

(ख) यदि हां, तो इस प्रकार से तैयार किए गए साक्षरता सूचकांक के अनुसार मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ तथा अन्य राज्य किस-किस स्थान पर हैं; और

(ग) सभी के लिए शिक्षा अभियान के अन्तर्गत देश में साक्षरता एवं शिक्षा के समान विकास एवं प्रोत्साहन हेतु किए जा रहे सुधारात्मक उपायों का ब्यौरा क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी) : (क) और (ख) प्रारंभिक शिक्षा को सर्वसुलभ बनाने के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों की प्रगति का आकलन करने हेतु प्रारंभिक शिक्षा के प्रमुख मानदंडों की दृष्टि से राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों की रैंकिंग करने के लिए एक शैक्षिक विकास सूचकांक का विकास किया गया है। इस शैक्षिक विकास सूचकांक रैंकिंग में मध्य प्रदेश को 29वें और छत्तीसगढ़ को 22वें स्थान पर रखा गया है। राज्यवार रैंकिंग संलग्न विवरण में दी गई है।

(ग) प्रारंभिक शिक्षा को सर्वसुलभ बनाने के लक्ष्य को प्राप्त करने हेतु देश के सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में सर्व शिक्षा अभियान कार्यान्वित किया जा रहा है। अपनी संदर्भगत आवश्यकताओं के अनुसार प्रत्येक राज्य/संघ राज्य क्षेत्र को सर्व शिक्षा अभियान निधियां प्राप्त होती हैं।

विवरण

समेकित (प्राथमिक और उच्च प्राथमिक स्तर) सूचकांक

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	ई०डी०आई०	रैंक
1	2	3
अंडमान और निकोबार	0.566	20
आंध्र प्रदेश	0.654	8
अरूणाचल प्रदेश	0.458	33
असम	0.490	30
बिहार	0.327	35
चंडीगढ़	0.690	5
छत्तीसगढ़	0.559	22
दादरा और नगर हवेली	0.538	24
दमन और दीव	0.592	17
दिल्ली	0.707	2
गोवा	0.586	18
गुजरात	0.630	13
हरियाणा	0.556	23
हिमाचल प्रदेश	0.668	7
जम्मू और कश्मीर	0.597	16
झारखंड	0.435	34
कर्नाटक	0.674	6
केरल	0.708	1
लक्षद्वीप	0.650	10
मध्य प्रदेश	0.512	29
महाराष्ट्र	0.635	12
मणिपुर	0.564	21
मेघालय	0.534	26
मिजोरम	0.650	9
नागालैंड	0.533	27
उड़ीसा	0.512	28
पांडिचेरी	0.700	4
पंजाब	0.608	14
राजस्थान	0.583	19

1	2	3
सिक्किम	0.635	11
तमिलनाडु	0.701	3
त्रिपुरा	0.535	25
उत्तर प्रदेश	0.482	31
उत्तरांचल	0.605	15
पश्चिम बंगाल	0.467	32

[हिन्दी]

पुलिस सुधार आयोग

203. डा० चिन्ता मोहन :
श्री बालासोवरी वल्लभनेनी :
श्री रामजीलाल सुमन :

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत तीन दशकों के दौरान देश में पुलिस बलों में सुधार करने हेतु विभिन्न आयोगों तथा समितियों का गठन किया गया था;

(ख) यदि हां, तो उनकी संख्या कितनी है एवं उनके नाम क्या हैं तथा ये कब-कब गठित किए गए; और

(ग) अब तक कितने प्रतिशत सिफारिशें लागू की गई हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीप्रकाश जायसवाल) : (क) जी हां, श्रीमान।

(ख) विगत तीन दशकों के दौरान पुलिस सुधारों के संबंध में गठित विभिन्न आयोगों/समितियों में उल्लेखनीय है – राष्ट्रीय पुलिस आयोग (1977); रिबेरो समिति (1948), पद्मनाभैया समिति (2000), और अपराध न्याय पद्धति में सुधार संबंधी मालीमथ समिति (2001)।

(ग) चूंकि पुलिस राज्य का विषय है इसलिए अधिकतर सिफारिशों का कार्यान्वयन उन्हीं के द्वारा किया जाना है। उक्त आयोग/समितियों की सिफारिशें राज्य सरकारों को भेजी गई थी। चूंकि ये सिफारिशें विभिन्न राज्य सरकारों द्वारा कार्यान्वयन किए जाने के विभिन्न चरणों में है इसलिए सिफारिशों की प्रतिशत प्रगति का उल्लेख करना संभव नहीं है।

[अनुवाद]

तिहाड़ जेल में नशीली दवाओं के आदी कैदी

204. श्री अधीर चौधरी :
श्री रघुनाथ झा :
श्री उदय सिंह :

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तिहाड़ जेल में अधिकांश कैदी नशीली दवाओं के आदी हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार को तिहाड़ जेल में नशीली दवा एवं जोर जबरदस्ती से धन उगाही गिरोह चलाने के लिए जेल अधिकारियों के विरुद्ध कोई शिकायतें मिली हैं;

(घ) यदि हां, तो नशीली दवा गिरोह में लिप्त भ्रष्ट जेल अधिकारियों के विरुद्ध सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है; और

(ङ) तिहाड़ जेल परिसर में नशीली दवाएं लाए जाने से रोकने तथा नशीली दवाओं के आदी कैदियों का नशामुक्ति उपचार करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का प्रस्ताव है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस० रघुपति) : (क) और (ख) जी नहीं, श्रीमान। तिहाड़ जेल के लगभग 8 से 10% कैदी नशीली दवाओं के आदी हैं।

(ग) और (घ) इस संबंध में जेल अधिकारियों को कैदियों में से एक कैदी से एक शिकायत प्राप्त हुई जो जांच-पड़ताल करने पर झूठी और निराधार पाई गई। उसी कैदी ने इसी प्रकार की शिकायत अपर मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट, नई दिल्ली के समक्ष भी फाइल की है जो वर्तमान में निर्णयाधीन है।

(ङ) जेल प्रशासन ने जेलों के भीतर नशीली दवाओं की पहुंच को रोकने हेतु विभिन्न कदम उठाएं हैं जिनमें स्टाफ और आगंतुकों के जेल परिसर में प्रवेश से पहले और जेल से जाते समय उनकी तलाशी और आम: तलाशी करना, वरिष्ठ अधिकारियों के पर्यवेक्षण में आकस्मिक तलाशी करना, एक्स-रे स्केनरों जैसे कि गैजुट्स, मल्टी-जोन वाली डोरफ्रेम मेटल डिटेक्टरों का इस्तेमाल करना, नशीली दवाओं के अवैध व्यापार की प्रत्येक शिकायत की व्यापक जांच करना, नशीली दवाओं के आदी कैदियों को जेलों में डिटॉक्सिफिकेशन सेंटर में भेजना और कैदियों के लिए परामर्श और उनके पुनर्वास संबंधी उपाय की व्यवस्था करना शामिल है। इसके अतिरिक्त, नशीली दवाओं के आदी कैदियों को चिकित्सा और उपचार संबंधी परामर्श देने के

लिए जेल अस्पताल में हाल ही में एक 120 बिस्तर वाले एकीकृत ड्रग डी-एडिक्शन सेंटर खोला गया है जिसमें गैर सरकारी संगठनों की सेवाएं भी ली जाती हैं।

[हिन्दी]

भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों की स्थापना किया जाना

205. प्रो० रासा सिंह रावत :
श्री एम० अंजनकुमार :
श्रीमती संगीता कुमार सिंह देव :
श्री फ्रांसिस फैन्थम :
श्री पी०सी० थामस :

क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्तमान में देश में राज्य-वार कितने भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (आई०आई०टी०) हैं तथा इनकी स्थापना कब-कब की गई थी;

(ख) क्या सरकार का विचार देश में और भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान स्थापित करने का है;

(ग) यदि हां, तो इस प्रयोजनार्थ चयनित स्थानों का राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(घ) ये संस्थान कब तक स्थापित कर दिए जाने की संभावना है; और

(ङ) उन राज्यों के नाम क्या हैं जिन्होंने गत तीन वर्षों के दौरान अब तक भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों की स्थापना हेतु केन्द्र सरकार के समक्ष अपनी इच्छा व्यक्त की है एवं अनुरोध भेजे हैं तथा उनकी वर्तमान स्थिति क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी० पुरन्देश्वरी) : (क) इस समय देश में विद्यमान भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों की संख्या एवं उनकी स्थापना का वर्ष इस प्रकार है–

संस्थान का नाम	राज्य	वर्ष
भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, खड़गपुर	पश्चिम बंगाल	1950
भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, बम्बई	महाराष्ट्र	1958
भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, मद्रास	तमिलनाडु	1959
भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, कानपुर	उत्तर प्रदेश	1960
भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, दिल्ली	दिल्ली	1961
भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, गुवाहाटी	असम	1994
भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, रूड़की	उत्तराखंड	2001

(ख) सरकार का देश में तीन नये भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान स्थापित करने का प्रस्ताव है।

(ग) ये तीन नये भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान आन्ध्र प्रदेश, बिहार और राजस्थान में स्थापित किये जाएंगे। इन भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों की स्थापना हेतु इन राज्यों में अभी तक स्थान अभिनिर्धारित नहीं किये गये हैं।

(घ) इन संस्थानों की स्थापना 11वीं योजना के दौरान किए जाने की संभावना है।

(ङ) आन्ध्र प्रदेश, बिहार, चंडीगढ़, कर्नाटक, केरल आदि जैसे अनेक राज्यों एवं संघ राज्य क्षेत्रों ने अपने यहां भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों की स्थापना हेतु अपनी इच्छा व्यक्त की थी और केन्द्र सरकार से अनुरोध किया था।

बांग्लादेशियों की पहचान

206. डा० लक्ष्मीनारायण पाण्डेय :
प्रो० विजय कुमार मल्होत्रा :

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उच्च न्यायालय ने सरकार से देश में बांग्लादेशी नागरिकों की पहचान की प्रक्रिया में तेजी लाने के लिए कहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने देश में अवैध रूप से रह रहे बांग्लादेशी नागरिकों की पहचान करने में तेजी लाने हेतु एक अलग एजेन्सी का गठन किया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीप्रकाश जायसवाल) : (क) और (ख) माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय के दिनांक 12.4.2002 के आदेशों के अनुसरण में दिल्ली में रह रहे अवैध बांग्लादेशी प्रवासियों की पहचान करने और उन्हें वापिस भेजने के लिए एक कार्रवाई योजना तैयार करने हेतु एक नोडल प्राधिकरण का गठन किया गया था।

सितम्बर, 2005 में माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय ने एक संशोधित कार्रवाई योजना का अनुमोदन किया और अवैध रूप से रह रहे बंगलादेसी राष्ट्रिकों की पहचान/वापस भेजने के कार्य की प्रगति की समीक्षा करने के लिए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार द्वारा पहले ही गठित कर लिए गए अनुवीक्षण सैल की ही तरह पश्चिम बंगाल, असम, त्रिपुरा, मिजोरम और मेघालय में भी अनुवीक्षण सैल स्थापित करने के आदेश जारी किए।

संघ सरकार ने उक्त सभी पांचों राज्यों की सरकारों को दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा यथा निदेशित अनुवीक्षण सैल गठित करने के लिए आवश्यक निदेश जारी किए गए थे जिसके परिणामस्वरूप यह कार्य कर लिया गया है।

(ग) और (घ) भारत सरकार ने अवैध प्रवासियों का पता लगाने, अभियोजन चलाने और उन्हें वापिस भेजने के प्रयोजन के लिए विदेशी घुसपैठ रोकथाम/गतिशील कार्य बल स्कीम के अधीन 3656 पदों को अस्थायी आधार पर भरने के लिए मंजूरी प्रदान की है।

[अनुवाद]

आसियान-बी०आई०एम०एस०टी० के बीच व्यापार समझौता

207. **श्री अबु अयीश मंडल :** क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने अन्य देशों के साथ द्विपक्षीय व्यापार समझौता पर हस्ताक्षर किए हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या दक्षिण-पूर्वी एशियाई राष्ट्र संघ (आसियान) तथा बांग्लादेश-भारत-म्यांमार-श्रीलंका-थाइलैण्ड (बी०आई०एम० एस०टी०) के सदस्य राष्ट्रों के बीच व्यापार संबंधी मतभेद है;

(ग) यदि हां, तो इस संबंध में आसियान तथा बी०आई०एम०एस०टी० की व्यापार नीतियां क्या हैं;

(घ) क्या आसियान तथा बी०आई०एम०एस०टी० देश द्विपक्षीय समझौते को मान रहे हैं लेकिन बहुपक्षीय व्यापार को स्वीकार नहीं कर रहे हैं; और

(ङ) यदि हां, तो इस बारे में सरकार की नीति एवं आर्थिक सिद्धांत क्या हैं?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के वाणिज्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री जयराम रमेश) : (क) जी, हां।

(ख) से (ङ) आसियान और बिमस्टेक दो अलग-अलग क्षेत्रीय समूह हैं। आसियान दस सदस्यों का एक समूह है जिसमें ब्रुनेई, कंबोडिया, इंडोनेशिया, लाओ पी०डी०आर०, मलेशिया, म्यांमार, फिलिपीन्स, सिंगापुर, थाइलैंड और वियतनाम शामिल हैं। आसियान द्वारा अपने सदस्यों के बीच आसियान मुक्त व्यापार करार (ए०एफ०टी०ए०) कार्यान्वित किया जा चुका है। आसियान ने एक समूह के रूप में चीन के साथ एफ०टी०ए० पर बातचीत भी की है। भारत, जापान, कोरिया, आस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड सहित कई अन्य देश इस समय आसियान के साथ एफ०टी०ए० पर बातचीत कर रहे हैं। बिमस्टेक (बहुक्षेत्रीय तकनीकी एवं आर्थिक सहयोग हेतु बंगाल की खाड़ी संबंधी पहल) सात सदस्यों का एक समूह है जिसमें बंगलादेश, भूटान, भारत, म्यांमार, नेपाल, श्रीलंका और थाइलैंड शामिल हैं। बिमस्टेक द्वारा केवल अपने सदस्यों के बीच एक मुक्त व्यापार करार पर इस समय बातचीत की जा रही है। आसियान और बिस्टेक सदस्य देश, जो डब्ल्यू०टी०ओ० के सदस्य भी हैं, नियम आधारित बहुपक्षीय व्यापार प्रणाली में विश्वास रखते हैं और वे डब्ल्यू०टी०ओ० के अंतर्गत दोहा दौर की वार्ताओं में सक्रीय रूप से भाग ले रहे हैं।

[हिन्दी]

बांग्लादेशियों को मतदान का अधिकार

208. **प्रो० विजय कुमार मल्होत्रा :**
श्री काशीराम राणा :
श्रीमती संगीता कुमारी सिंह देव :

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आज की तिथि तक देश में राज्य-वार तथा संघ राज्य क्षेत्र-वार उन बांग्लादेशियों की संख्या कितनी है जो देश में रह रहे हैं तथा उन्हें मताधिकार भी प्राप्त है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) देश में मतदाता सूची से बांग्लादेशियों के नाम काटने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीप्रकाश जायसवाल) : (क) से (घ) भारत निर्वाचन आयोग से प्राप्त सूचना के अनुसार बांग्लादेश सहित कोई भी विदेशी राष्ट्रिक भारत में मतदाता के रूप में पंजीकृत होने के लिए पात्र नहीं है। विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रों की क्षेत्रगत मतदाता सूचियां जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 और मतदाता पंजीकरण नियम, 1960 के प्रावधानों के अधीन भारत के निर्वाचन आयोग के पर्यवेक्षण, निदेशन और नियंत्रण में तैयार की जाती है। इन प्रावधानों के अनुरूप, मतदाता सूची में नाम दर्ज कराने के लिए केवल भारतीय नागरिक ही पात्र है। तथापि, कभी-कभी गहन संशोधन, संक्षिप्त संशोधन अथवा सतत संशोधन के दौरान भारतीय नागरिकता की अर्हता पूरी न करने वाले अपात्र व्यक्तियों के नाम भी संबंधित व्यक्ति द्वारा दी गई गलत सूचना के कारण मतदाता सूचियों में शामिल हो जाते हैं। इस प्रकार की गलत प्रविष्टियां जब भी कभी मतदाता पंजीकरण प्राधिकारियों की जानकारी में आती हैं, उनके नाम मतदाता सूचियों में से हटाने के लिए तत्काल कार्रवाई की जाती है।

[अनुवाद]

हस्तशिल्प निर्यात हेतु निधि

209. श्री इकबाल अहमद सरडगी : क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हस्तशिल्प क्षेत्र हेतु निर्यात प्रोत्साहन जिसमें उत्पाद में समग्र रूप से सुधार, डिजाइन बनाने, प्रचार करने, प्रोत्साहन देने तथा पूरे विश्व बाजार में भारतीय हस्तशिल्प उत्पादों का विपणन करने के उद्देश्य से किसी निधि के सृजन का प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) अगले पांच वर्षों के दौरान उक्त निधि के सृजन से हस्तशिल्प निर्यात में किस सीमा तक वृद्धि होने की संभावना है तथा विश्व बाजार में भारत की हिस्सेदारी कितनी है; और

(घ) इस संबंध में अंतिम निर्णय कब तक लिये जाने की संभावना है?

वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ई०वी०के०एस० इलैंगोवन) : (क) और (ख) जी, नहीं। तथापि, मौजूदा निर्यात संवर्धन स्कीम के अंतर्गत सरकार द्वारा हस्तशिल्प क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए उत्पाद विकास कार्यक्रम, डिजाइन बनाने, प्रचार, पूरे विश्व बाजार में स्थापित मेलों में सहभागिता के माध्यम से भारतीय हस्तशिल्प के संवर्धन और विपणन जैसे कई कदम उठाए जा रहे हैं।

(ग) और (घ) प्रश्न नहीं उठता।

महिला उद्यमी

210. श्री बाडिगा रामकृष्णा : क्या लघु उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) महिला उद्यमियों के प्रोत्साहन हेतु सरकार द्वारा लागू की जा रही योजनाओं का राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या ये योजनाएं आंध्र प्रदेश राज्य में लागू की जा रही है;

(ग) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान आन्ध्र प्रदेश में लाभान्वित हुए लोगों की वर्ष-वार संख्या कितनी है;

(घ) क्या महिला उद्यमियों को प्रशिक्षण भी दिया जा रहा है; और

(ङ) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान महिला उद्यमियों को दिए गए प्रशिक्षण का वर्ष-वार ब्यौरा क्या है?

लघु उद्योग मंत्री तथा कृषि एवं ग्रामीण उद्योग मंत्री (श्री महावीर प्रसाद) : (क) और (ख) सरकार, लघु उद्योग मंत्रालय के माध्यम से आंध्र प्रदेश सहित देशभर में महिला उद्यमियों को प्रोत्साहित करने के लिए दो योजनाओं अर्थात् उद्यमिता विकास कार्यक्रम (ई०डी०पी०) और व्यापार संबंधी उद्यमिता सहायता एवं विकास (ट्रेड) योजना का कार्यान्वयन कर रही है।

(ग) आंध्र प्रदेश में विगत तीन वर्षों में इन दो योजनाओं के तहत महिला लाभार्थियों की संख्या निम्नोक्त है :

क्र० सं०	वर्ष	महिला उद्यमियों की संख्या
1.	2003-04	647
2.	2004-05	549
3.	2005-06	1300

(घ) जी, हां।

(ङ) विगत तीन वर्षों के लिए उपरोक्त उल्लिखित योजनाओं के तहत भारत में महिला प्रशिक्षुओं का ब्यौरा निम्नोक्त है :

क्र० सं०	वर्ष	महिला प्रशिक्षुओं की संख्या
1.	2003-04	2340
2.	2004-05	5387
3.	2005-06	8682

चाय बागान

211. श्री के०एस० राव : क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चाय बागानों की संख्या कितनी है तथा गत तीन वर्षों के दौरान प्रतिवर्ष उनके द्वारा कितनी चाय का उत्पादन किया गया;

(ख) चाय बागानों तथा उनके उत्पादन में किस प्रकार की समस्याएं आ रही हैं;

(ग) क्या सरकार का विचार चाय उत्पादन के पुनरुद्धार प्रसंस्करण इकाईयों की स्थापना करने तथा इस क्षेत्र हेतु राजसहायता प्रदान करने हेतु एक विशेष उद्देशीय चाय निधि स्थापित करने का है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इस निधि की स्थापना कब तक किए जाने की संभावना है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के वाणिज्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री जयराम रमेश) : (क) देश में लगभग 1.29 लाख चाय बागान हैं। पिछले तीन वर्षों के दौरान देश में चाय का उत्पादन निम्नानुसार रहा है :—

वर्ष	उत्पादन (मिलियन किग्रा० में)
2003-2004	878.65
2004-2005	906.84
2005-2006	930.85
2006-2007● (अप्रैल-दिसम्बर)	857.94

●अनुमानित

(ख) से (ङ) भारतीय चाय उद्योग मुख्यतः बागानों का पुराना होने जैसी दीर्घकालिक समस्याओं से प्रभावित है। चाय बागानों के पुराना होने से चाय की पैदावार और गुणवत्ता पर असर पड़ा है और इसके परिणामस्वरूप उत्पादन लागत में वृद्धि भी हुई है। इस समस्या से निपटने के लिए सरकार ने पुनर्रोपण एवं नवीकरण संबंधी कार्यकलापों के वित्तपोषण हेतु चाय बोर्ड के अधीन एक विशेष प्रयोजन चाय निधि (एस०पी०टी०एफ०) की स्थापना को पहले ही अनुमोदित कर दिया है जिसका उद्देश्य चाय बागानों की आयु में सुधार करना है। यह स्कीम प्रथम चरण में सरकार द्वारा उपलब्ध कराए जाने वाले 567.10 करोड़ रुपए के अनुमानित परिव्यय (सब्सिडी एवं पूंजी अंशदान) से 11वीं योजना की समाप्ति तक अर्थात वर्ष 2006-07 के शेष भाग के दौरान और 11वीं पंचवर्षीय योजना में कार्यान्वयन हेतु अनुमोदित की गई है। इस अवधि के दौरान पुनर्रोपण/नवीकरण हेतु शामिल किया जाने वाला अनुमानित क्षेत्र 85,044 हैक्टेयर होगा। इस स्कीम के अंतर्गत उधार लेने वाले के लिए लागत का केवल 25% अंशदान करना अपेक्षित है। एस०पी०टी०एफ० से ऋण 50% और सरकार से प्राप्त होने वाली 25% होगी।

सीमा व्यापार

212. **श्री अनवर हुसैन :** क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का पूर्वोत्तर राज्यों के माध्यम से चीन, भूटान, म्यांमार के साथ सीमा व्यापार आरंभ करने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का पूर्वोत्तर राज्यों में ऐसे सीमा व्यापार के लिए उद्यमियों के प्रशिक्षण हेतु कोई प्रस्ताव है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) ऐसे सीमा व्यापार से पूर्वोत्तर क्षेत्र को कितना लाभ होगा?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के वाणिज्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री जयराम रमेश) : (क) और (ख) चीन और म्यांमार के साथ सीमा व्यापार सिक्किम में नाथुला (चीन के साथ) और मणिपुर में मोरेह (म्यांमार के साथ) के जरिए पहले ही आस्तित्व में है। भारत और भूटान की सीमा पर 16 स्थल (व्यापार, वाणिज्य और पारगमन संबंधी भारत-भूटान करार के अनुसार) हैं जिनके जरिए दोनों देशों के बीच व्यापार होता है।

(ग) से (ङ) वाणिज्य विभाग देश के पूर्वोत्तर क्षेत्र से निर्यातों के संवर्धन हेतु विशिष्ट कार्यकलापों में सहायता करने के उद्देश्य से निर्यात विकास निधि (ई०डी०एफ०) परिचालित करता है। सभी कार्यकलाप जिनका इस क्षेत्र से निर्यातों के साथ संबंध है और जिन्हें निर्यात में सहायता करने के लिए अभिकल्पित किया गया है, इस निधि से सहायता के पात्र हैं। दिसम्बर, 2006 — जरवरी, 2007 के दौरान भारतीय विदेश व्यापार संस्थान में मणिपुर के व्यापारियों के लिए एक 15 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करने हेतु निर्यात विकास निधि के अंतर्गत वित्तीय सहायता प्रदान की गई है। सीमा व्यापार का अभिप्राय सीमा के साथ-साथ रहने वाले लोगों को लाभ पहुंचाना है। पूर्वोत्तर क्षेत्र को हुए इस लाभ की मात्रा का निर्धारण नहीं किया गया है।

उल्फा की गतिविधियां

213. **श्री बृज किशोर त्रिपाठी :** क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या संघर्ष विराम की स्थिति के दौरान उल्फा ने स्वयं को फिर से सुदृढ़ कर लिया है;

(ख) यदि हां, तो क्या उल्फा ने ऑस्ट्रिया के हथगोलों से लेकर स्पेनिश पिस्तौलों जैसे हथियार हासिल किए हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस संबंध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(घ) क्या केन्द्र सरकार ने जनवरी, 2007 के दौरान असम सरकार के अधिकारियों के साथ बैठक की थी;

(ङ) यदि हां, तो की गई वार्ता का ब्यौरा क्या है; और

(च) देश में उल्फा की गतिविधियों पर रोक लगाने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस० रघुपति) : (क) इस आशय की रिपोर्टें प्राप्त हुई थीं कि एक पक्षीय संघर्ष विराम के दौरान युनाइटेड लिबरेशन फ्रंट ऑफ असम (उल्फा) ने अपने आप को पुनर्गठित और सक्रिय कर लिया है।

(ख) इस बारे में ऐसी कोई विशिष्ट रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई है जिससे यह पता चले कि उल्फा ने आस्ट्रियायी हथगोले और स्पेन की पिस्तौलें प्राप्त की हैं।

(ग) से (च) केन्द्रीय गृह सचिव ने असम की सुरक्षा संबंधी स्थिति की समीक्षा करने के लिए राज्य सरकार के पदाधिकारियों और सुरक्षा बलों तथा सेना के प्रतिनिधियों के साथ 4 और 12 जनवरी, 2007 को बैठकें आयोजित की थीं। सुरक्षा बलों से कहा गया था कि वे उल्फा और राज्य के अन्य उग्रवादी गुटों के हिंसात्मक क्रियाकलापों को रोकने के लिए सुरक्षा व्यवस्था बढ़ायें और विद्रोह विरोधी अभियान तेज करें।

[हिन्दी]

जूट मिलों के कामगारों की बकाया राशि

214. **श्री काशीराम राणा** : क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राष्ट्रीय जूट विनिर्माण निगम (एन०जे०एम०सी०) सहित सरकारी क्षेत्र की जूट मिलों के कार्यरत सेवानिवृत्त और मर चुके कामगारों की मिल-वार और राज्य-वार कुल बकाया धनराशियों की संख्या कितनी है;

(ख) उन्हें/उनके उत्तराधिकारियों को ये बकाया धनराशियां कब तक अदा किए जाने की संभावना है;

(ग) क्या किनसन और खारदाह जूट मिलों को सरकार द्वारा चालू रखने की प्रतिबद्धता के बावजूद भी इन्हें हाल ही में बंद कर दिया गया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं?

(ङ) क्या उक्त मिलों के कामगारों को बलपूर्वक अथवा उन्हें लुभाकर स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति (वी०आर०एस०) प्रदान की गई; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस बारे में सरकार ने क्या कार्यवाही की है?

वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ई०वी०के०एस० इलेंगोवन) : (क) और (ख) सेवानिवृत्त होने वाले/मर जाने वाले/त्यागपत्र दे देने वाले/कार्यरत एन०जे०एम०सी० के कर्मचारियों के कुल बकाए के भुगतान के लिए निधियां पहले ही जारी कर दी गई हैं और सभी कामगारों के बकायों का भुगतान कर दिया गया है।

(ग) और (घ) जी, नहीं। खारदाह और किन्नीसन पटसन मिलें बन्द नहीं की गई हैं।

(ङ) और (च) जी, नहीं।

लघु उद्योगों में विदेशी निवेश

215. **श्री एम० अंजनकुमार यादव** :
डा० धीरेंद्र अग्रवाल :

क्या लघु उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) लघु उद्योगों में विदेशी निवेश संबंधी वर्तमान मानदंड क्या हैं;

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान विदेशी निवेश से सम्बन्धित कितने प्रस्ताव प्राप्त हुए तथा उनका ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार लघु उद्योगों में विदेशी निवेश की ऊपरी सीमा को बढ़ाने का है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं तथा इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

लघु उद्योग मंत्री तथा कृषि एवं ग्रामीण उद्योग मंत्री (श्री महावीर प्रसाद) : (क), (ग) से (ङ) प्रथमतः कोई एनटिटी, चाहे वह घरेलू हो या विदेशी, उसकी कोई औद्योगिक रूचि न हो, लघु उद्योग (एस०एस०आई०) की इक्विटी में 100% तक निवेश कर सकती है। तथापि, यदि एनटिटी, चाहे वह घरेलू हो या विदेशी, उसकी औद्योगिक रूचि और कहीं हो, जिस क्षण उसकी इक्विटी 24% से बढ़ जाएगी, परिणामी एनटिटी लघु उद्योग का स्तर गंवा देगी। तथापि, सूक्ष्म, लघु तथा मध्यम उद्यम विकास (एम०एम०एम०ई०डी०) अधिनियम, 2006 के तहत सरकार ने सूक्ष्म तथा लघु उद्यमों के संबंध में ऐसी किसी सीमा को प्रदान करने का प्रस्ताव नहीं किया है।

(ख) लघु उद्योगों में विदेशी निवेश के प्रस्तावों के ब्यौरे एवं उनकी संख्या के संबंध में केन्द्रीय तौर पर न तो कोई विधिक व्यवस्था है और न ही कोई तंत्र है।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में अपराध

216. **श्री गिरिधारी यादव** :
श्री मनसुखभाई डी० वसावा :
श्री रामदास आठवले :

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में आपराधिक मामलों की संख्या बढ़ती जा रही है;

(ख) यदि हां, तो पिछले तीन वर्षों के प्रत्येक वर्ष के दौरान आज की तारीख तक प्रकाश में आए विभिन्न अपराधों का ब्यौरा क्या है;

(ग) इन अपराधों के लिए अपराध-वार, जिला-वार कुल कितने अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया तथा उनके विरुद्ध क्या कार्रवाई की गई; और

(घ) भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस० रघुपति) : (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

(घ) दिल्ली पुलिस द्वारा दिल्ली में अपराध को नियंत्रित करने तथा कानून और व्यवस्था की स्थिति को सुधारने हेतु उठाए गए कदमों में गश्त की बीट प्रणाली में सुधार करना; उच्च अपराध दर वाले पुलिस स्टेशनों की पहचान करना और ऐसे पुलिस स्टेशनों में अतिरिक्त पुलिस कार्मिकों और गश्त करने वाली मोटर साईकिलों की व्यवस्था करना; इसकी कारगरता को और ज्यादा प्रभावी बनाने हेतु गश्त के समय को युक्तिसंगत बनाना; दुस्साहसी अपराधियों की गतिविधियों के संबंध में आसूचना विकसित करना; पुलिस नियंत्रण कक्ष वाली वैनों को कई कार्य सौंपना; महिला अपराध प्रकोष्ठ की स्थापना करना; सभी नौ पुलिस जिलों में रेप क्राइसिज इंटरवेन्शन सेंटरों की स्थापना करना; संवेदनशील स्थानों पर सादे कपड़ों में स्टाफ की तैनाती करना; पुलिस नियंत्रण कक्ष में समर्पित "महिला हेल्पलाइन" की शुरूआत करना; चौबीसों घंटों के आधार पर महिलाओं से प्राप्त विपत्ति संबंधी कॉलों को देखने के लिए "महिला सचल टीम" का गठन करना; पुलिस मुख्यालय में "वरिष्ठ नागरिक सुरक्षा प्रकोष्ठ" का गठन करना; आवासीय कल्याण संघों के साथ निकट रूप से बातचीत रखना; अधुनातन उपकरणों से सुसज्जित सचल अपराध टीम की स्थापना करना और इसकी प्रत्येक जिले में चौबीसों घंटे तैनाती करना शामिल हैं।

शिक्षकों द्वारा अनियमितताएं

217. श्री जीवाभाई ए० पटेल :
श्री सुनिल कुमार महतो :

क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि कुछ शिक्षक, शिक्षण कार्य किए बिना ही अपना निर्धारित वेतन प्राप्त कर रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो केन्द्र सरकार द्वारा पिछले तीन वर्षों के दौरान राज्य-वार ऐसे कितने मामले पकड़े गए;

(ग) इस संबंध में अब तक क्या कार्रवाई की गई है; और

(घ) इन अनियमितताओं को रोकने के लिए सरकार द्वारा क्या प्रावधान किए गए हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी० पुरन्देश्वरी) : (क) और (ख) बिना शिक्षण कार्य किए ही अपना वेतन प्राप्त कर रहे शिक्षकों की संख्या के सम्बन्ध में केन्द्रीयकृत आधार पर सूचना एकत्र नहीं की जाती है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग और केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड दोनों ने ही यह उल्लेख किया है कि उनके पास इस प्रकार की कोई सूचना नहीं है।

(ग) और (घ) सर्व शिक्षा अभियान में विद्यालय कार्यकलापों जिनमें शिक्षकों की उपस्थिति भी शामिल हैं, का निरीक्षण करने में ग्राम शिक्षा समितियां और स्थानीय निकायों की भूमिका पर बल दिया गया है। राज्य सरकारों से भी यह अनुरोध किया गया है कि वे विद्यालयों में शिक्षकों की उपस्थिति सुनिश्चित करें।

अनिवासी भारतीयों द्वारा निवेश

218. श्री हरिसिंह चावड़ा :
श्री सुनिल कुमार महतो :

क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार अनिवासी भारतीयों द्वारा किए गए वास्तविक निवेश के बारे में कोई केन्द्रीयकृत जानकारी रखती है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) अनिवासी भारतीयों द्वारा निवेश की समीक्षा के लिए सरकार द्वारा अपनाई गई पद्धतियों का ब्यौरा क्या है; और

(ङ) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग में राज्य मंत्री (श्री अश्विनी कुमार) : (क) से (ग) जी, नहीं। अनिवासी भारतीयों द्वारा विदेशी प्रत्यक्ष निवेश (एफ०डी०आई०) योजना, पोर्टफोलियों निवेश योजना और गैर-प्रत्यावर्तनीय निवेशों की एक योजना के तहत पूंजी निवेश किया जा सकता है। एफ०डी०आई० योजना के तहत अनिवासी भारतीयों द्वारा निवेश के बारे में आंकड़ों का रख-रखाव एफ०डी०आई० के साथ ही किया जाता है। अनिवासी भारतीय निवेशों पर अलग से आंकड़े केन्द्रीय तौर पर नहीं रखे जाते।

(घ) और (ङ) उदारीकृत आर्थिक माहौल में, स्थान के चुनाव सहित निवेश के निर्णय उद्यमियों द्वारा अपनी तकनीकी-आर्थिक समझ और व्यावसायिक महत्व के अनुसार लिए जाते हैं। सरकार ने अनिवासी भारतीयों (एन०आर०आई०) के निवेश सहित, विदेशी प्रत्यक्ष निवेश (एफ०डी०आई०) हेतु एक उदार और पारदर्शी नीति लागू की हुई है, जिसके तहत अधिकांश क्षेत्र एफ०डी०आई० के लिए स्वत: मार्ग के तहत खुले हैं। इसके अलावा, नीति के तहत, स्थावर संपदा और आवास तथा घरेलू एयरलाइन्स क्षेत्रों में अनिवासी भारतीय निवेश के लिए विशेष व्यवस्था की अनुमति है।

कश्मीर में घुसपैठ

219. श्री मनसुखभाई डी० वसावा : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कश्मीर में सशस्त्र सेना की संख्या में कटौती के बाद वहां घुसपैठ की घटनाओं और आतंकवादी गतिविधियों में वृद्धि हुई है;

(ख) यदि हां, तो वर्ष 2006 और 2007 के दौरान आज की तारीख तक घुसपैठ की कितनी घटनाएं और आतंकवादी गतिविधियां प्रकाश में आई हैं; और

(ग) सीमावर्ती क्षेत्रों में सशस्त्र सेना की संख्या बढ़ाने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीप्रकाश जायसवाल) : (क) और (ख) जी नहीं, श्रीमान। उपलब्ध रिपोर्टों से पता चलता है कि आतंकवादियों की अनुमानित घुसपैठ में मामूली गिरावट आई है। वर्ष 2006 के दौरान जम्मू और कश्मीर राज्य में आतंकवादी घटनाओं की संख्या में भी कमी आई है।

(ग) सुरक्षा बलों की गतिमान तैनाती और पुन: तैनाती, वास्तविक स्थिति और अन्य कारकों को ध्यान में रखते हुए आवश्यकता के आधार पर की जाती है।

[अनुवाद]

आठवीं अनुसूची में भाषाओं को शामिल किया जाना

220. श्री हरिभाऊ राठौड़ :
श्री एकनाथ महादेव गायकवाड़
श्री कीर्ति वर्धन सिंह :
श्रीमती निवेदिता माने :
श्री शैलेन्द्र कुमार :

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को संविधान की आठवीं अनुसूची में बंजारा भाषा सहित विभिन्न भाषाओं को शामिल करने के लिए सीताकांत महापात्र रिपोर्ट सहित विभिन्न संघों/संगठनों/संसद सदस्यों/राज्य सरकारों से ज्ञापन/अभ्यावेदन/प्रतिवेदन प्राप्त हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो अभ्यावेदनों/सिफारिशों/सुझावों का राज्यवार ब्यौरा क्या है तथा वे भाषाएं कौन-कौन सी हैं;

(ग) सरकार द्वारा संविधान की आठवीं अनुसूची में बंजारा भाषा सहित प्रत्येक भाषा को शामिल करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं; और

(घ) संविधान में इन भाषाओं को कब तक शामिल किए जाने की संभावना है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीप्रकाश जायसवाल) : (क) और (ख) जी हां, श्रीमान। संविधान की आठवीं अनुसूची में 37 भाषाओं अर्थात् अंगिका, बंजारा, बाजिका, भोजपुरी, भोटी, भोटिया, छत्तीसगढ़ी, धत्की, अंग्रेजी, गढ़वाली (पहाड़ी), गोंडी, गूजरी, हो, कच्छी, काम्तापुरी, खासी, खुल, कोडवा (कूर्ग), कोक बरक, कुमाउंनी (पहाड़ी), कुरक/ कुरुख, कुरमाली, लेप्चा, लिम्बू, मीजो (लुशाई), मगही, मुंदरी, नागपुरी, निकोबारीज, पहाड़ी (हिमाचली), पाली, राजस्थानी, संबलपुरी/कोसली, शौरसेनी (प्राकृत), सिरैकी, तेनयिडी और तुलु को शामिल करने के लिए विभिन्न संगठनों और व्यक्तियों सहित राज्यों से अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं। आठवीं अनुसूची में और अधिक भाषाओं को शामिल करने के लिए वस्तुपरक मानदंड निर्धारित करने के लिए गठित की गई सीताकांत महापात्र समित ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है जिसमें उन मानदंडों को दर्शाया गया है जिन्हें आठवीं अनुसूची में भाषाओं को शामिल किए जाने के लिए अपनाया जाना है।

(ग) और (घ) आठवीं अनुसूची में बंजारा सहित इन भाषाओं को शामिल किए जाने की मांग पर अन्य बातों के साथ-साथ समिति की सिफारिशों और उन पर सरकार द्वारा लिए गए निर्णय के अनुसार विचार किया जाएगा।

[हिन्दी]

निजी स्कूलों में नि:शुल्क शिक्षा

221. श्री रामदास आठवले :
श्री सुभाष सुरेशचंद्र देशमुख :

क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली उच्च न्यायालय ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के सभी निजी स्कूलों में आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों से विद्यालयों में 20 प्रतिशत छात्रों को नर्सरी से 12वीं कक्षा तक निःशुल्क शिक्षा प्रदान करने के लिए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार को आदेश जारी किए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र की दिल्ली सरकार ने इस पर क्या कार्रवाई की है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी) : (क) से (ग) जी, नहीं। तथापि, माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय के अंतरिम आदेश का अनुसरण करते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली के शिक्षा विभाग ने दिल्ली में शिक्षा प्रदान कर रहे उन गैर-सहायता प्राप्त प्राइवेट विद्यालयों में आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के विद्यार्थियों के लिए कुल सीटों की कम से कम 20 प्रतिशत निःशुल्क सीटों का प्रावधान करने के सम्बन्ध में आदेश जारी किए हैं जिन्हें दिल्ली विकास प्राधिकरण भूमि और विकास कार्यालय जैसे सरकारी अभिकरणों और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार इत्यादि द्वारा जमीन आबंटित की गई है।

वस्तुओं का निर्यात

222. **श्री संतोष गंगवार** : क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान भारत द्वारा संयुक्त राज्य अमरीका को कितनी वस्तुओं का निर्यात किया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) उक्त अवधि के दौरान इन निर्यातों से कितना लाभ अर्जित किया गया है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के वाणिज्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री जयराम रमेश) : (क) से (ग) पिछले तीन वर्षों के दौरान संयुक्त राज्य अमरीका को द्विअंकीय एच०एस० कोड स्तर पर निर्यातित मदों की संख्या और उनका मूल्य निम्नलिखित तालिका में दिया गया है :—

वर्ष (जनवरी-दिसम्बर)	मदों की सं० (द्विअंकीय एचएस कोड़ स्तर पर)	मूल्य मिलियन अम० डा० में
1	2	3
2004	97	15572.04
2005	97	18804.17
2006	95	21826.26

पुलिस बल का आधुनिकीकरण

223. **श्री रशीद मसूद** :
श्रीमती संगीता कुमार सिंह देव :
श्री इकबाल अहमद सरडगी :

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश के विभिन्न राज्यों में पुलिस बल को आधुनिक बनाने और आन्तरिक सुरक्षा में सुधार लाने के लिए कोई कदम उठाए हैं;

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा पिछले तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान उक्त प्रयोजनार्थ विभिन्न राज्यों को राज्यवार, संघ राज्य-क्षेत्रवार कुल कितनी धनराशि प्रदान की गई;

(ग) क्या राज्य सरकारों ने उक्त धनराशि का उपयोग किया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्यवार ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीप्रकाश जायसवाल) : (क) से (घ) जी हां, श्रीमान। राज्य पुलिस बलों के आधुनिकीकरण में राज्य सरकारों के प्रयासों में उनकी सहायता करने के लिए केन्द्र सरकार, राज्य पुलिस बलों के आधुनिकीकरण के लिए योजनेतर स्कीम के माध्यम से सहायता प्रदान कर रही है। योजना के तहत पुलिस आधारभूत ढांचे की सभी प्रमुख मदों अर्थात् सुरक्षित पुलिस स्टेशनों, वाह्य चौकियों, पुलिस लाइनों का निर्माण करना, परिवहन, आधुनिक हथियार, सुरक्षा और चौकसी उपस्कर, संचार प्रणाली, विधि विज्ञान प्रयोगशालाओं के लिए आधुनिक उपकरण, प्रशिक्षण आधारभूत ढांचे का उन्नयन करना, पुलिस आवास, कंप्यूटरीकरण आदि को शामिल किया गया है। इस योजना के तहत विभिन्न राज्यों को गत तीन वर्षों अर्थात् 2003-04, 2004-05 और 2005-06 के दौरान क्रमशः 705.27 करोड़ रुपए, 960.00 करोड़ रुपए और 1025 करोड़ रुपए जारी किए गए थे। राज्य सरकारों को जारी की गई निधियों और इनका उपयोग किए जाने के बारे में उनके द्वारा दी गई सूचना का राज्य-वार ब्यौरा (31.12.2006) की स्थिति के अनुसार) संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ङ) उपर्युक्त भाग (क) से (घ) के मद्देनजर प्रश्न नहीं उठता है।

विवरण

(31.12.2006 की स्थिति के अनुसार)

(रु० करोड़ में)

राज्य	2003-04			2004-05			2005-06		
	केन्द्रीय निधि	उपयोग	अव्ययित शेष	केन्द्रीय निधि	उपयोग	अव्ययित शेष	केन्द्रीय निधि	उपयोग	अव्ययित शेष
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
आन्ध्र प्रदेश	69.46	69.42	0.04	79.93	79.93	0	101.41	101.41	0
अरूणाचल प्रदेश	7.24	7.24	0	9.13	8.57	0.56	7	0.62	6.38
असम	36.52	36.01	0.51	41.37	41.37	0	56.68	29.52	27.16
बिहार	0.43	0.43	0	45.25	45.25	0	39.87	30.87	9
छत्तीसगढ़	17.47	17.47	0	32.72	32.72	0	40.74	36.81	3.93
गोवा	1.4	1.4	0	0.28	0.28	0	1.06	1.06	0
गुजरात	42.21	42.21	0	39.54	39.54	0	39.85	5.85	34.
हरियाणा	20	20	0	22.13	22.13	0	14.95	4.45	10.5
हिमाचल प्रदेश	0.69	0.69	0	2.57	2.57	0	6.78	6.78	0
जम्मू और कश्मीर	25	24	1	110.89	110.67	0.22	109.22	30.45	78.77
झारखंड	8.5	7.63	0.87	22.33	22.33	0	40.74	40.58	0.16
कर्नाटक	69.31	69.31	0	58.87	58.87	0	65.85	65.85	0
केरल	22	22	0	26.55	26.55	0	18.84	18.84	0
मध्य प्रदेश	48.24	48.24	0	42.27	42.27	0	31.65	31.65	0
महाराष्ट्र	62.84	62.84	0	71	71	0	88.78	49.96	38.82
मणिपुर	11.5	6.65	4.85	15.24	12.25	2.99	16.97	1.28	15.69
मेघालय	5.29	3.33	1.96	7.58	2.62	4.96	6.57	0.86	5.71
मिजोरम	8.47	8.47	0	7.45	1.49	5.96	6	0.21	5.79
नागालैंड	21	21	0	13.09	13.09	0	17.52	0.02	15.5
उड़ीसा	21.91	21.91	0	27.76	27.76	0	35.08	34.30	0.78
पंजाब	19.34	19.27	0.07	21.79	21.79	0	20.31	19.60	0.71
राजस्थान	43.1	43.10	0	42.67	39.81	2.86	34.81	28.00	6.81
सिक्किम	0.94	0.94	0	5..9	4.9	1	2.43	0.37	2.06

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
तमिलनाडु	54.98	53.07	1.91	56.78	54.09	2.69	65.51	28.52	36.99
त्रिपुरा	12.83	9.74	3.09	11.17	8.13	3.04	11.83	0.04	11.79
उत्तर प्रदेश	65.02	65.02	0	108.55	108.55	0	98.12	90.32	7.8
उत्तरांचल	7.41	7.41	0	7.99	7.99	0	16.76	16.76	00.00
पश्चिम बंगाल	2.17	2.17	0.00	29.2	29.20	0	29.67	13.66	16.01
कुल	705.27	690.97	14.30	960	935.72	24.28	1025	690.64	334.36

[अनुवाद]

नालको का विदेश में व्यापार

224. श्री अनन्त नायक : क्या खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नेशनल एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड (नाल्को) ने विदेश में व्यापार शुरू किया है अथवा व्यापार शुरू करने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में कितना निवेश किए जाने का विचार है।

खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० टी० सुब्बारामी रेड्डी) : (क) और (ख) नेशनल एल्युमीनियम कंपनी लिमिटेड (नालको) ने मिडिल-ईस्ट में एल्युमीनियम प्रगालक की स्थापना करने की संभावना का पता लगाया है और मैं० इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड (ई०आई०एल०) को व्यवहार्यता का अध्ययन करने के लिए नियुक्त किया है। ई०आई०एल० द्वारा इस प्रयोजन के लिए जिन तीन देशों यथा ओमान, कतर तथा यू०ए०ई० पर विचार किया गया है, उन्होंने कुछ दूसरे संयंत्रों के लिए पहले से की गई वचनबद्धता के मद्देनजर इस क्षेत्र में गैस की अनुपलब्धता के बारे में सूचित किया है।

(ग) 0.5 मिलियन टन क्षमता के प्रगालक तथा 1250 मेगावाट क्षमता वाले बिजली संयंत्र की स्थापना करने के लिए लगभग 3 बिलियन अमरीकी डॉलर के निवेश की आवश्यकता है।

मसाला विकास प्राधिकरण

225. श्री के०सी० पल्लानी शामी : क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार के पास सालों के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता प्राप्त करने के लिए मसाला विकास प्राधिकरण की स्थापना संबंधी कोई प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसकी स्थापना कब तक किए जाने की संभावना है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के वाणिज्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री जयराम रमेश) : (क) और (ख) वाणिज्य संबंधी संसदीय स्थाई समिति ने (अपनी 80वीं रिपोर्ट में) यह अभिमत व्यक्त किया है कि अनुसंधान, उत्पादन, मूल्यवर्धन, घरेलू आत्मनिर्भरता एवं निर्यात संवर्धन को शामिल करते हुए व्यापक अधिदेश के साथ एक मसाला विकास प्राधिकरण की स्थापना की जानी चाहिए। तथापि, चूंकि सुपारी एवं मसाला विकास निदेशालय, भारतीय मसाला अनुसंधान संस्थान एवं मसाला बोर्ड द्वारा क्रमशः उत्पादन, अनुसंधान एवं निर्यात संवर्धन का कार्य देखा जा रहा है इसलिए सरकार का मसाला विकास प्राधिकरण की स्थापना करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

अशोक गांगुली समिति की सिफारिशों की समीक्षा

226. श्री एम० अप्पादुरई : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अशोक गांगुली समिति की सिफारिशों को लेकर लोगों में भारी असंतोष है;

(ख) क्या सरकार ने कुछ कमियों के कारण नर्सरी कक्षा में प्रवेश संबंधी अशोक गांगुली समिति की रिपोर्ट की सिफारिशों की समीक्षा की है;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या परिणाम निकले हैं; और

(घ) सरकार द्वारा इन शिकायतों के समाधान के लिए क्या कदम उठाए जाने का प्रस्ताव है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी) : (क) अशोक गांगुली समिति की सिफारिशों के खिलाफ असंतोष के कुछ मामले प्रिंट तथा इलेक्ट्रानिक मीडिया के जरिए सामने आए हैं।

(ख) जी, नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) इस समिति का गठन माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय ने किया था और तद्नुसार इस समिति ने अपनी रिपोर्ट न्यायालय को प्रस्तुत कर दी है। यह मामला अभी तक न्यायाधीन है।

रिक्त पद

227. **श्री कैलाश मेघवाल** : क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकारी तकनीकी संस्थानों में संकाय सदस्यों के सभी रिक्त पदों को भर लिया गया है;

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं और पिछले तीन वर्षों के दौरान राज्य-वार और संस्थान-वार भरी गई और न भरी गई रिक्तियों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा संकाय के सदस्यों की भर्ती और उन्हें पद पर बनाए रखने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी० पुरन्देश्वरी) : (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और सभापटल पर रख दी जाएगी।

राज्यों में राष्ट्रीय एकता परिषद का गठन

228. **श्री विक्रमभाई अर्जनभाई माडम** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार ने राज्य सरकारों को राष्ट्रीय एकता परिषद (एन०आई०सी०) के गठन के संबंध में कोई दिशा-निर्देश जारी किए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उन राज्यों के क्या नाम है जिन्होंने इन दिशा-निर्देशों को लागू किया हैं; और

(ग) उन राज्यों के क्या नाम है जिन्होंने उक्त दिशा-निर्देशों को लागू नहीं किया है और इसके क्या कारण है तथा ऐसे राज्यों के विरुद्ध क्या कार्रवाई की गई है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीप्रकाश जायसवाल) : (क) से (ग) राष्ट्रीय एकता परिषद (एन०आई०सी०) ने 24.4.1981 को आयोजित अपनी बैठक में राज्य और जिला स्तर पर राष्ट्रीय एकता समितियों के गठन की सिफारिश की थी। इसके अलावा, 31.8.2005 को आयोजित अपनी बैठक में राष्ट्रीय एकता परिषद ने एन०आई०सी० की पद्धति पर राज्य स्तरीय समितियां गठित करने की आवश्यकता पर पुन: बल दिया। तदनुसार सभी राज्य सरकारों और दिल्ली तथा पांडिचेरी के संघ शासित प्रदेशों से ऐसी समितियां गठित करने का अनुरोध किया गया। असम, केरल, उड़ीसा, तमिलनाडु, मिजोरम, मध्य प्रदेश, सिक्किम और उत्तर प्रदेश राज्यों में ऐसी समितियां गठित कर ली गई हैं। बिहार, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, नागालैंड, गोवा, महाराष्ट्र और पंजाब में ऐसी केवल राज्य स्तरीय समितियों का गठन किया गया है। इसके अतिरिक्त, आंध्र प्रदेश और मणिपुर सरकारों ने ऐसी समितियों के गठन के लिए उपयुक्त निर्देश जारी किए हैं। अरूणाचल प्रदेश सरकार ने सूचित किया है कि ऐसी समिति की कोई आवश्यकता नहीं है क्योंकि राज्य में कोई साम्प्रदायिक तनाव मौजूद नहीं है। बाकी राज्यों से कोई सूचना प्राप्त नहीं हुई है।

[हिन्दी]

डोलोमाइट का भंडार

229. **श्री सुभाष सुरेशचन्द्र देशमुख** : क्या खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आज की तिथि के अनुसार देश में डोलोमाइट के भंडार क्षेत्र का स्थान-वार ब्यौरा क्या है; और

(ख) इन क्षेत्रों में डोलोमाइट के दोहन के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० टी० सुब्बारामी रेड्डी) : (क) उपलब्ध सूचना के अनुसार, देश में डोलोमाइट के कुल 992 मिलियन टन भण्डार हैं जिनका ब्यौरा नीचे दिया गया है :

राज्य	भण्डार (मिलियन टन में)	पट्टा क्षेत्र (हेक्टेयर में)
1	2	3
आन्ध्र प्रदेश	112	1749

1	2	3
छत्तीसगढ़	191	9103
गुजरात	115	1225
हरियाणा	9	252
झारखंड	20	18
कर्नाटक	71	305
मध्य प्रदेश	121	602
महाराष्ट्र	21	218
उड़ीसा	176	877
राजस्थान	69	579
उत्तर प्रदेश	17	1656
उत्तराखंड	10	उपलब्ध नहीं
पश्चिम बंगाल	60	927

आंकड़े पूर्णांकों में

(ख) भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण और राज्यों के भूविज्ञान एवं खनन विभाग द्वारा डोलोमाइट के भण्डारों की पुष्टि हेतु गवेषण और इसकी गुणवत्ता एवं ग्रेड को प्रमाणित करने के कार्य अनवरत रूप से किए जाते हैं।

[अनुवाद]

खिलौना उद्योग

230. श्री नवीन जिन्दल : क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय बाजारों में कड़ी मात्रा में चीनी खिलौनों के आने से भारतीय खिलौना उद्योग के विकास में भारी बाधा उत्पन्न हो गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार को इस संबंध में भारतीय खिलौनों के विनिर्माताओं से कुछ शिकायतें/सुझाव प्राप्त हुए हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) सरकार द्वारा स्वदेशी खिलौना उद्योग के विकास को बढ़ावा देने के लिए क्या कार्रवाई किए जाने का विचार है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग में राज्य मंत्री (श्री अश्विनी कुमार) : (क) और (ख) वाणिज्यिक आसूचना और सांख्यिकी महानिदेशालय के आयात संबंधी आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2005-06 में खिलौनों, गेम्स और स्पोर्टस की आवश्यक वस्तुओं, इनके पुर्जे तथा सहायक सामानों का आयात 505.63 करोड़ रुपये का हुआ था जिसमें से 272.87 करोड़ रुपये का आयात चीन से ही हुआ था।

(ग) और (घ) चीन से खिलौनों का आयात करने के संबंध में खिलौना विनिर्माणकर्ताओं से कोई विशिष्ट शिकायत प्राप्त नहीं हुई है। भारतीय खिलौना संघ ने कराधान, वित्तीय सहायता, प्रोत्साहनों और प्रौद्योगिकी उन्नयन सहायता "आदि में छूट के लिए व्यापक अनुरोध किया था।

(ङ) सरकार ने तकनीकी उन्नयन, डिजाइन सहायता और बाजारों के विकास सहित भारतीय खिलौना उद्योग की मदद करने के लिए विभिन्न उपाय किये हैं। सरकार ने और सहायता के लिए उपायों की सिफारिश करने के लिए उद्योग की स्थिति का अध्ययन करने हेतु अन्तरमंत्रालयीय टास्क फोर्स का गठन भी किया है। इस टास्क फोर्स ने अन्य बातों के साथ-साथ खिलौना उद्योग के लिए उत्पाद-शुल्क छूट, मूल्यवर्धन कर में कटौती, व्यावसायिक बैठकों व प्रदर्शनियों में सहायता और तकनीकी अवसंरचना व सहायक सुविधाओं का सुदृढ़ीकरण करने के कार्य को जारी रखने की सिफारिश की है।

असम में उग्रवाद

231. श्री मणी कुमार सुब्बा : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या असम में 'पीपल्स कमिटी फॉर पीस इनिशिएटिव' (पी०सी०पी०आई०ए०) ने राज्य में और अधिक खूनखराबे को रोकने के लिए समस्या का राजनीतिक हल ढूंढ़ने का अनुरोध किया है;

(ख) यदि हां, तो क्या 'पीपल्स कमिटी फॉर पीस इनिशिएटिव इन असम' (पी०सी०पी०आई०ए०), ने असम में उल्फा सहित सभी उग्रवादी समूहों को वार्ता हेतु सहमत करने के लिए कोई रणनीति प्रस्तावित की है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस० रघुपति) : (क) से (ग) पीपल्स कमिटी फॉर पीस इनिशिएटिव इन असम (पी०सी०पी०आई०ए०) ने अक्तूबर, 2006 में एक ज्ञापन प्रस्तुत किया था। ज्ञापन में की गई मांगों में भारत सरकार और यूनाईटेड फ्रंट ऑफ असम (यू०एल०एफ०ए०) के बीच शांति प्रक्रिया पुनः बहाल करना, सुरक्षा बलों को हटाना और जेल में बंद उल्फा नेताओं को रिहा करना शामिल था।

(घ) सरकार उल्फा सहित किसी भी उग्रवादी ग्रुप से वार्ता करने को तैयार है बशर्ते कि वे हिंसा से दूर रहें। सरकार को उल्फा से सीधी वार्ता हेतु कोई भी औपचारिक प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

प्रौद्योगिकी उन्नयन कोष योजना का विस्तार

232. श्री ई०जी० सुगावनम :
श्री के०सी० पल्लानी शामी :

क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) प्रौद्योगिकी उन्नयन कोष योजना (टी०यू०एफ०सी०) के क्रियान्वयन की वर्तमान स्थिति क्या है और इसकी मुख्य विशेषताएं क्या हैं;

(ख) क्या सरकार को वस्त्र क्षेत्र की वृद्धि और विस्तार के लिए टी०यू०एफ०सी० की अवधि का विस्तार किए जाने संबंधी वस्त्र उद्योग की मांग की जानकारी है;

(ग) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस पर क्या कार्रवाई की गई है;

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ङ) क्या हस्तशिल्प के क्षेत्र में टी०यू०एफ०सी० का विस्तार किए जाने की कोई मांग की गई है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्रवाई की गई है?

वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ई०वी०के०एस० इलैंगोवन) : (क) वस्त्र एवं पटसन उद्योग के आधुनिकीकरण को आवश्यक गति देने के लिए ताकि घरेलू एवं अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में इसकी अर्थक्षमता और प्रतिस्पर्धात्मकता में वृद्धि हो, वस्त्र मंत्रालय ने प्रौद्योगिकी उन्नयन निधि योजना (टी०यू०एफ०एस०) शुरू की थी जो 01.04.1999 से 31.03.2007 तक प्रचालन में है। इस योजना में मुख्यतः योजना के अनुरूप प्रौद्योगिकी उन्नयन परियोजनाओं के लिए वित्तीय संस्थाओं/बैंकों द्वारा दिए गए ऋण पर उनके द्वारा लगाए गए 5 प्रतिशत ब्याज की प्रतिपूर्ति का प्रावधान है। इस प्रकार संबंधित ऋण ग्राहकों पर लगाए गए ब्याज की प्रभावी दर संबंधित वित्तीय संस्थाओं और बैंकों द्वारा लगाए गए ब्याज की मौजूदा वाणिज्यिक दर से 5 प्रतिशत बिन्दु कम होगी। इसके अलावा, इस योजना के तहत निम्नलिखित प्रोत्साहन भी दिए गए हैं :–

– विदेशी मुद्रा ऋण (एफ०सी०एल०) पर मूल दर से 5% विनिमय उतार-चढ़ाव (ब्याज एवं पुर्नअदायगी) को शामिल करना; अथवा

– लघु उद्योग वस्त्र एवं पटसन क्षेत्र के लिए 15% ऋण संबद्ध पूंजी सहायता; अथवा

– विद्युतकरघा क्षेत्र के लिए 20% ऋण संबद्ध पूंजी सहायता; अथवा

– विशिष्ट प्रसंस्करण मशीनरी के लिए 5% ब्याज प्रतिपूर्ति एवं 10% पूंजी सहायता।

– करघा पूर्व एवं करघा पश्चात क्रियाकलापों, हथकरघा/हथकरघा का उन्नयन एवं हथकरघा उत्पादन एककों के लिए जांच एवं गुणवत्ता नियंत्रण उपस्करों के लिए नई मशीनरी एवं उपस्करों की खरीद पर 25% पूंजी सहायता।

31.12.2006 की स्थिति के अनुसार टी०यू०एफ०एस० की क्रियान्वयन की स्थिति निम्नलिखितानुसार है :–

(राशि करोड़ रुपए में)

की स्थिति के अनुसार	प्राप्त		स्वीकृत			वितरित राशि	
	आवेदन-पत्रों की संख्या	परियोजनाओं की कुल लागत	आवेदन-पत्रों की संख्या	परियोजनाओं की कुल लागत	ऋण राशि	आवेदन-पत्रों की संख्या	ऋण राशि
31.12.06	7031	59115	6739	52847	23623	5956	14902

(ख) जी, हां।

(ग) और (घ) टी०यू०एफ०एस० के संबंध में 31.03.2007 तक उसके चालू रहने के मद्देनजर विस्तार अथवा अन्य के संबंध में निर्णय नहीं लिया गया है।

(ङ) जी, नहीं।

(च) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

निठारी गांव में हुई हत्याएं

233. श्री हेमलाल मुर्मू :
डा० राजेश मिश्रा :
श्री जे०एम० आरून रशीद :
श्रीमती जयाबहन बी० ठक्कर :
श्री बालासोवरी वल्लभनेनी :
श्री असादूद्दीन ओवेसी :
श्री इकबाल अहमद सरडगी :
श्री प्रबोध पाण्डा :
श्री जसुभाई धानाभाई बारड़ :
श्रीमती पी० सतीदेवी :
श्री संतोष गंगवार :
श्री रघुनाथ झा :
श्री उदय सिंह :
श्री सुरेश प्रभाकर प्रभु :
श्री रघुराज सिंह शाक्य :
श्री ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया :
श्री रामदास आठवले :
श्री फ्रांसिस फैन्थम :
श्री बची सिंह रावत 'बचदा' :

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) निठारी हत्याकांड की जांच की प्रगति का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या निठारी गांव में बच्चों की सिलसिले-वार हत्या और यौन शोषण की जांच के लिए केन्द्र सरकार द्वारा गठित उच्च स्तरीय समिति ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है;

(ग) यदि हां, तो इस जांच के क्या निष्कर्ष निकले हैं और ऐसी हत्याओं के पीछे क्या उद्देश्य हैं;

(घ) कितने बच्चे लापता हैं और अब तक कितने बच्चों के शव बरामद किए गए हैं;

(ङ) बच्चों को लापता होने के बारे में समय पर कार्रवाई न करने के लिए कौन-कौन सी एजेंसियां/व्यक्ति जिम्मेदार पाए गए हैं और उनके विरुद्ध सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है;

(च) उक्त कांड के पीड़ितों को अदा किए गए मुआवजे का ब्यौरा क्या है; और

(छ) भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री माणिकराव होडल्या गावित) : (क) इस मामले की आगे जांच पड़ताल करने के लिए राज्य सरकार ने इस मामले को दिनांक 9.1.2007 की अधिसूचना के तहत केन्द्रीय जांच ब्यूरो को सौंप दिया था। जांच-पड़ताल के दौरान सी०बी०आई० ने दो अभियुक्तों अर्थात् मकान सं० डी-5, सेक्टर-31, नौएडा के मालिक श्री मोनिन्दर सिंह पंढेर और उसके नौकर सुरेन्द्र कोली उर्फ सतीश कोली को पुलिस हिरासत में लिया और वे अभी भी रिमांड में हैं। सी०बी०आई० ने देश की विभिन्न प्रयोगशालाओं/संस्थानों के विधि विज्ञापन विशेषज्ञों की सहायता से उनके निवास स्थान की पूरी तलाशी ली और कई हड्डियां और 53 पोलीथीन पैकेट बरामद किए जिनमें जैविक सामग्रियां भरी थीं। बरामद की गई खोपड़ियों, हड्डियों और जैविक सामग्रियों को शव परीक्षा करने, जांच करने, उनकी व्यक्तिगत पहचान करने और उन्हें अलग-अलग करने के लिए अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, नई दिल्ली भेजा गया था। उक्त जांच के बाद आयुर्विज्ञान संस्थान ने इन सामग्रियों की पहचान के लिए उन्हें डी०एन०ए० फिंगर प्रिंटिंग के लिए सैंटर फार डी०एन०ए० फिंगर प्रिंटिंग एंड डाइग्नोस्टिक्स (सी०डी०एफ०डी०), हैदराबाद को भेजा। गुमशुदा महिलाओं और बच्चों के माता-पिता के खून के नमूनों को भी डी०एन०ए० फिंगर प्रिंटिंग के लिए सी०डी०एफ०डी०, हैदराबाद भेजा गया है। सी०बी०आई० ने गुमशुदा व्यक्तियों के रिश्तेदारों और महत्वपूर्ण गवाहों के बयान भी दर्ज किए हैं।

(ख) और (ग) नौएडा के निठारी गांव में पड़े पैमाने पर यौन शोषण बलात्कार और बच्चों की हत्या के आरोपों की जांच-पड़ताल करने के लिए महिला और बाल विकास मंत्रालय ने एक समिति का गठन किया था। समिति ने सरकार को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है। चूंकि इन हत्याओं की जांच पड़ताल का काम सी०बी०आई० ने अपने हाथ में लिया है इसलिए इन हत्याओं के पीछे के उद्देश्य आदि के बारे में सी०बी०आई० जांच-पड़ताल पूरी होने के बाद ही जाना जा सकेगा।

(घ) अब तक 11 बच्चों और 7 महिलाओं/बच्चों की गुमशुदी से संबंधित 18 मामलों को पुलिस/सी०बी०आई० द्वारा दर्ज किया गया है।

(ङ) उत्तर प्रदेश सरकार ने अब तक इस मामले में ड्यूटी के प्रति लापरवाही बरतने के लिए तत्कालीन एस०एस०पी०, नौएडा सहित 4 राजपत्रित अधिकारियों को निलंबित किया है और 7 अराजपत्रित अधिकारियों को सेवा से हटा दिया है।

(च) उत्तर प्रदेश सरकार ने शिकार हुए 17 व्यक्तियों के प्रत्येक परिवार को 5 लाख रुपए के मुआवजे का भुगतान किया है और जमीन का एक प्लॉट प्रदान किया है।

(छ) भारत के संविधान की सातवीं अनुसूची के तहत "पुलिस" और "लोक व्यवस्था" राज्य के विषय हैं और इस प्रकार, महिलाओं और बच्चों के विरुद्ध अपराध निवारण के विभिन्न कानूनों के उपबंधों को प्रभावी ढंग से कार्यान्वित करने के लिए आवश्यक कदम उठाने की जिम्मेदारी, राज्य सरकारों और संघ शासित क्षेत्र प्रशासनों की है। तथापि, संघ सरकार ने सभी राज्यों और संघ शासित क्षेत्र प्रशासनों को समय-समय पर सलाह जारी की है जिनमें उनसे कहा गया है कि वे महिला और बच्चों के विरुद्ध अपराध निवारण और नियंत्रण पर विशेष ध्यान देते हुए दांडिक न्याय प्रणाली के प्रशासन पर और अधिक ध्यान केन्द्रित करें। वर्तमान मामले में पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश पुलिस ने दिनांक 10.1.2007 के अपने पत्र के तहत प्रत्येक एस०एस०पी०/एस०पी० को उचित निर्देश जारी किए हैं।

[अनुवाद]

खरीद नीति

234. श्री रायापति संबासिवा राव : क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने वस्त्र बनाने के लिए उपयोग किए जाने वाले उत्पादों के संबंध में कोई खरीद नीति तैयार की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) क्या सरकार का विचार वस्त्र उद्योग की समस्याओं की समीक्षा करने का है?

वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ई०वी०के०एस० इलेंगोवन) : (क) और (ख) जी, हां। कृषि लागत एवं मूल्य आयोग (सी०ए०सी०पी०) कपास और पटसन की उत्पादन लागत का आकलन करने के लिए विभिन्न इनपुट्स पर विचार करती है और कपास एवं पटसन जैसे प्राकृतिक रेशों के लिए उपयुक्त न्यूनतम समर्थन मूल्य (एम०एस०पी०) की सिफारिश करता है। सी०ए०सी०पी० की सिफारिशों के आधार पर, केन्द्र सरकार (कृषि मंत्रालय) प्रत्येक वर्ष कपास की मूल किस्मों (अर्थात एच-4 और एफ 414/एच-777/जे-34) और कच्ची पटसन (टी०डी०-5) का न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारित करती है। उसके बाद, वस्त्र आयुक्त, मुंबई और पटसन आयुक्त, कोलकाता स्थान और बाजार में कीमतों में अंतर आदि जैसे मानदंडों के आधार पर क्रमश: कपास और पटसन की विभिन्न अन्य श्रेणियों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य का निर्धारण करते हैं। कीमतों को सरकारी राजपत्र में अधिसूचित किया जाता है। भारत सरकार ने भारतीय कपास निगम लि० (सी०सी०आई०) और भारतीय पटसन निगम (जे०सी०आई०) को क्रमश: कपास और पटसन में न्यूनतम समर्थन मूल्य अभियान चलाने के लिए प्रमुख एजेंसियों के रूप में नामित किया है। भारत सरकार ने भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी संघ लि० (नेफैड) को भी कपास मौसम 2004-05 से कपास में न्यूनतम समर्थन मूल्य अभियान चलाने के लिए दूसरी एजेंसी के रूप में नामित किया था।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना (2007-2012) के लिए वस्त्र और पटसन संबंधी कार्यकारी समूह ने वस्त्र उद्योग के लिए अपनी योजना बनाते समय वस्त्र उद्योग की शक्ति, कमजोरी, अवसरों और चुनौतियों (स्वॉट) की बारीकी से जांच की है और वस्त्र क्षेत्र के सभी प्रमुख क्षेत्रों के साथ उनके विचार लेने के लिए व्यापक बातचीत की तथा योजना आयोग, भारत सरकार को इसके विचारार्थ दिसंबर, 2006 में रिपोर्ट प्रस्तुत की।

माध्यमिक विद्यालय में निजी भागीदारी

235. श्री पी० करुणाकर रेड्डी : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ग्रामीण क्षेत्रों में माध्यमिक विद्यालयों को चलाने में निजी भागीदारी बिल्कुल भी नहीं है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार ग्रामीण क्षेत्रों में माध्यमिक विद्यालयों में निजी भागीदारी बढ़ाने के लिए किसी नीति पर विचार कर रही है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी) : (क) राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद् द्वारा कराए गए 7वें अखिल भारतीय स्कूल शिक्षा सर्वेक्षण (30.09.2002 तक संदर्भ तिथि सहित) के अनुसार, ग्रामीण क्षेत्रों के कुल 63,576 माध्यमिक स्कूलों में से, 29,071 (45.72%) स्कूल का प्रबंधन निजी रूप से किया जा रहा था। इनमें से, 16,694 (26.25%) प्राइवेट सहायता प्राप्त स्कूल थे और 12,377 (19.47%) प्राइवेट और सहायता प्राप्त स्कूल थे।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) और (घ) शिक्षा विषय समवर्ती सूची में शामिल होने के कारण माध्यमिक शिक्षा का उत्तरदायित्व मुख्यत: राज्य सरकारों का है। आधे से अधिक प्राइवेट माध्यमिक स्कूल सहायता-प्राप्त स्कूल हैं और ये स्कूल शिक्षण-स्टाफ को दिए जाने वाले वेतन का अधिकांश भाग अपनी-अपनी राज्य सरकारों से प्राप्त करते हैं। केन्द्रीय सरकार भी सार्वजनिक निजी साझेदारी के महत्व को स्वीकार करती है और माध्यमिक शिक्षा में "विकलांग बच्चों के लिए समेकित शिक्षा" और "सुलभता और समानता (बालिकाओं के लिए छात्रावास)" जैसी केन्द्रीय प्रायोजित योजनाओं को कार्यान्वित कर रही है, जिनके अंतर्गत स्वैच्छिक संगठनों को सहायता सीधे या राज्य सरकारों के माध्यम से प्रदान की जाती है।

लिब्राहन आयोग की रिपोर्ट

236. श्री असादुद्दीन ओवेसी : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बाबरी मस्जिद गिराए जाने के मुद्दे पर गठित किए गए लिब्राहन आयोग ने अपनी रिपोर्ट सरकार को प्रस्तुत कर दी है;

(ख) यदि हां, तो ब्यौरा और सिफारिशें क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है तथा रिपोर्ट को कब तक प्रस्तुत किए जाने की संभावना है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीप्रकाश जायसवाल) : (क) जी नहीं, श्रीमान।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) सरकार ने आयोग का कार्यकाल 31 मार्च, 2007 तक बढ़ा दिया है। आयोग के बढ़े हुए कार्यकाल में सरकार को रिपोर्ट प्रस्तुत किए जाने की संभावना है।

खनिज प्रधान राज्यों का ज्ञापन

237. श्री भर्तृहरि महताब :
श्री जुएल ओराम :

क्या खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या खनिज सम्पदा सम्पन्न राज्यों ने केन्द्र सरकार को खनन मामलों से निपटने के लिए उन्हें शक्ति प्रत्यायोजित किए जाने हेतु एक संयुक्त ज्ञापन सौंपा है;

(ख) यदि हां, तो इन राज्यों से प्राप्त ज्ञापन की प्रमुख विशेषताएं क्या हैं; और

(ग) इस सम्बन्ध में केन्द्र सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ० टी० सुब्बारामी रेड्डी) : (क) मुख्यमंत्रियों ने अपने ज्ञापन में अन्य बातों के साथ-साथ खनिज रियायत मंजूर करने में मूल्यवर्धकों को प्राथमिकता देने, टोही तथा पूर्वेक्षण लाइसेंस के अंतर्गत वृहद क्षेत्र मंजूर करने, लौह अयस्क के निर्यात की चिंता, राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के लिए खनन क्षेत्रों का आरक्षण तथा खनिजों पर मूल्यानुसार आधार पर रायल्टी की दरों से संबंधित मुद्दे उठाए हैं।

(ख) और (ग) ज्ञापन में उठाए गए मुद्दे सरकार के विचाराधीन है।

रत्न/आभूषण का निर्यात

238. श्री दुष्यंत सिंह : क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अमरीका को रत्न और आभूषण के निर्यात में वृद्धि करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का विचार है;

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान इससे कितनी विदेशी मुद्रा अर्जित की गई है;

(ग) क्या अन्य देशों को रत्न और आभूषण के निर्यात को बढ़ाने के लिए और संभावना है; और

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में क्या संभावनाएं तलाशी गई है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के वाणिज्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री जयराम रमेश) : (क) विदेशी मुद्रा के अर्जन तथा रोजगार के सृजन की दृष्टि से रत्न एवं आभूषण निर्यात क्षेत्र एक प्रमुख निर्यात क्षेत्र है। अमेरिका भारतीय रत्न एवं आभूषण उत्पादों के लिए एक प्रमुख गंतव्य स्थल है। इस बात को ध्यान में रखते हुए विदेश व्यापार नीति (2004-09) में इस एक थ्रस्ट क्षेत्र के रूप में अभिज्ञात किया गया है। दिनांक 7 अप्रैल, 2006 को अद्यतन की गई विदेश व्यापार नीति में इस क्षेत्र को निम्नलिखित सुविधाएं प्रदान की गई है :—

(i) पुन: पूर्ति स्कीम के अंतर्गत 8 कैरेट या उससे अधिक के स्वर्ण के आयात की अनुमति दी गई है बशर्तें उक्त निर्यात के साथ शुद्धता, भार एवं मिश्रधातु की मात्रा को विनिर्दिष्ट करते हुए कसौटी प्रमाण-पत्र प्रस्तुत किया गया हो।

(ii) स्वर्ण, प्लैटिनम से इतर धातुओं के लिए खपत योग्य वस्तुओं की शुल्क मुक्त आयात हकदारी पिछले वित्त वर्ष के दौरान किए गए निर्यातों में एफ०ओ०बी० मूल्य के 2% की होगी।

(iii) वाणिज्यिक नमूनों की शुल्क मुक्त आयात हकदारी 300,000 रुपए की होगी।

(iv) अस्वीकृत आभूषणों के लिए शुल्क मुक्त पुन: आयात हकदारी निर्यातों के एफ०ओ०बी० मूल्य के 2% की होगी।

(v) आयकर अधिनियम की धारा 10क के अंतर्गत छूट के प्रयोजनार्थ रत्न एवं आभूषणों को तराशना एवं पॉलिश करना विनिर्माण माना जाएगा।

(vi) आभूषणों को गिलाने, परिष्करण तथा पुनर्निर्यात के लिए कीमती धातु स्क्रैप/प्रयुक्त आभूषण के आयात की अनुमति दी गई है। तथापि, हैंड बैगेज के जरिए ऐसे आयात की अनुमति नहीं दी जाएगी।

(vii) रत्न एवं आभूषण निर्यातकों को नियमानुसार खेप आधार पर आभूषणों के निर्यात की अनुमति दी गई है।

(viii) रत्न एवं आभूषण निर्यातकों को नियमानुसार परिष्करण एवं पुन: आयात हेतु तराशे एवं पॉलिश किए हुए बेशकीमती एवं कीमती नगीनों के निर्यात की अनुमति दी गई है।

(ix) रत्न एवं आभूषण उत्पादों की विभिन्न श्रेणियों के लिए मूल्यवर्धन संबंधी मानदण्डों में कमी की गई है।

रत्न एवं आभूषण निर्यात संवर्धन परिषद (जी०जे०ई०पी०सी०) जो व्यापार का प्रतिनिधिक निकाय है, विज्ञापनों, प्रचार तथा अंतर्राष्ट्रीय मेलों में भागीदारी, क्रेता-विक्रेता बैठकों के आयोजन आदि के जरिए भारतीय रत्न एवं आभूषण उत्पादों की छवि का संवर्धन कर रही है। वर्ष 2005-06 के दौरान जी०जे०ई०पी०सी० ने अमेरिका में जे०सी०के० लास वेगास शो, लास वेगास (3-7 जून, 2005), तथा जेए शो, न्यूयार्क (31 जुलाई-3 अगस्त, 2005) में भागीदारी की। सरकार द्वारा वाणिज्य विभाग की बाजार विकास सहायता (एम०डी०ए०) और बाजार पहुंच पहल (एम०ए०आई०) स्कीमों के तहत इन कार्यकलापों के लिए जी०जे०ई०पी०सी० को सहायता प्रदान की जाती है। सरकार इस क्षेत्र में प्रशिक्षण संबंधी बुनियादी सुविधाओं के सृजन को भी प्रोत्साहित करती है।

(ख) वर्ष 2003-04, 2004-05, 2005-06, 2006-07 (अक्तूबर, 2006 तक) की अवधि के दौरान अमेरिका को रत्न एवं आभूषणों के निर्यात से अर्जित विदेशी मुद्रा की राशि निम्नानुसार है :—

(मिलियन अम० डा० में)

वर्ष	निर्यात मूल्य
1	2
2003-2004	3,699.50
2004-2005	4,046.56
2005-2006	4,372.34
2006-2007 (अक्तूबर तक)	2,795.16

स्रोत: डी०जी०सी०आई० एण्ड एस०

(ग) जी, हां।

(घ) रत्न एवं आभूषण निर्यातों के संवर्धन के लिए विदेश व्यापार नीति 2004-09 के जरिए प्रदत्त नीतिगत ढांचे के अलावा सरकार जी०जे०ई०पी०सी० को खननकर्ता देशों से सीधे अपरिष्कृत हीरे प्राप्त करने के उनके प्रयासों में भी सहायता प्रदान करती है। जी०जे०ई० पी०सी० ने विभिन्न देशों को व्यापार प्रतिनिधिमंडल भेजे हैं।

वस्त्र उद्योग के लिए पैकेज

239. **श्री किसनभाई वी० पटेल :**
श्री सुग्रीव सिंह

क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार द्वारा गुजरात में बाढ़ से बुरी तरह प्रभावित वस्त्र उद्योग के लिए एक पैकेज देने की हाल ही में घोषणा की गई है अथवा घोषणा किए जाने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) उक्त पैकेज के लाभ पहुंचाने के लिए क्या मापदंड निर्धारित किये गये हैं;

(घ) गुजरात में बाढ़ से प्रभावित वस्त्र उद्योग को उक्त पैकेज से किस सीमा तक लाभ पहुंचने की संभवना है;

(ङ) क्या सरकार का विचार देश में विभिन्न प्रकार की आपदाओं से प्रभावित अन्य राज्यों को भी इसी प्रकार का पैकेज देने का है;

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(छ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ई०वी०के०एस० इलैंगोवन) : (क) जी, हां।

(ख) सूरत में बाढ़ प्रभावित वस्त्र उद्योग के लिए बाढ़ राहत के वास्ते अनुमानित पैकेज 77 करोड़ रु० का होगा जिसमें से 56 करोड़ रु० आपदा राहत पैकेज के लिए होंगे और 21 करोड़ रु० कार्यशील पूंजी ऋण के लिए ब्याज सब्सिडी होंगे।

(ग) प्रस्तावित आधारभूत मानदंड निम्नलिखितानुसार है :—

क्र० सं०	यूनिट ब्यौरा	राहत पैकेज आकलित वास्तविक क्षति की सीमा तक अथवा नीचे दी गई अधिकतम सीमा तक जो भी कम हो, होगी।
1.	सादे, अर्द्ध-स्वचालित और जक्वार्ड रहित स्वचालित करघे	6000/-रु० प्रति करघा
2.	सादे, अर्द्ध-स्वचालित और जक्वार्ड युक्त स्वचालित करघे	12000/-रु० प्रति करघा
3.	इलेक्ट्रोनिक डाबी युक्त वाटरजेट करघे	100000/-रु० प्रति करघा
4.	इलेक्ट्रोनिक डाबी के बिना वाटरजेट करघे	50000/-रु० प्रति करघा
5.	प्रसंस्करण, कशीदाकारी और विशेष परिष्करण मशीनें	150000/-रु० प्रति करघा
6.	अन्य वस्त्र	2500/-रु० प्रति एम०/सी०एस०

(घ) सूरत में और उसके आसपास के 5845 बाढ़ प्रभावित वस्त्र एककों के लाभान्वित होने की संभावना है।

(ङ) से (छ) विभिन्न राज्यों को आपदा राहत प्रदान करने के लिए गृह मंत्रालय में एक योजना पहले ही लागू है। तथापि, सरकार औचित्य के आधार पर और स्थिति की अनिवार्यता के अनुसार आपदा राहत के तौर-तरीके निर्धारित करती है।

मुक्त व्यापार क्षेत्र

240. श्री ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया : क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत सहित एक प्रमुख पूर्व एशिया आर्थिक दल के गठन के लिए 16 एशियाई और प्रशांत राष्ट्रों के एक मुक्त व्यापार क्षेत्र की स्थापना में अभी तक कितनी प्रगति हुई है; और

(ख) इस प्रक्रिया में भारत द्वारा क्या भूमिका निभाई गई है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के वाणिज्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री जयराम रमेश) : (क) और (ख) दिसम्बर, 2005 में आयोजित प्रथम पूर्वी एशियाई शिखर सम्मेलन में भारत ने पूर्वी एशियाई देशों के आर्थिक एकीकरण के लिए शुरूआती ब्लॉक के रूप में पैन एशियाई मुक्त व्यापार करार का प्रस्ताव किया था। इस प्रस्ताव में आसियान के दस देश बुर्नेई, कम्बोडिया, इंडोनेशिया, लाओ पी०डी०आर०, मलेशिया, म्यांमार, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड और वियतनाम तथा छह देश आस्ट्रेलिया, चीन, भारत, जापान, कोरिया और न्यूजीलैंड शामिल हैं और इसमें वस्तु व्यापार, उद्‌गम के सामान्य नियम, सेवाएं, निवेश, बौद्धिक सम्पदा आदि को शामिल किया गया है। पूर्वी एशिया में व्यापक आर्थिक सहभागिता (सी०ई०पी०ई०ए०) हेतु इसी तरह का प्रस्ताव जापान द्वारा वर्ष 2006 में शुरू किया गया था। जापान ने आसियान और पूर्वी एशिया (ई०आर०आई०ए०) हेतु एक आर्थिक अनुसंधान संस्थान की स्थापना का प्रस्ताव भी किया है। ई०आर०आई०ए० से नीति अभिमुखी अध्ययनों और अन्य कार्यकलापों के जरिए आर्थिक समुदाय का निर्माण सुकर होगा। भारत ने आसियान + 6 सी०ई०पी०ई०ए० और ई०आर०आई०ए० की पहल के लिए पूर्ण सहायता प्रदान की है।

[हिन्दी]

ग्रामीण विकास योजनाओं में पुलिस की भागीदारी

241. श्री कैलाश मेघवाल : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विभिन्न पुलिस अधिकारियों और केन्द्र सरकार के अधिकारियों के बीच हाल ही में हुई बैठक में ग्रामीण विकास योजनाओं में पुलिस की भागीदारी पर बल दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या उक्त बैठक में आतंकवाद प्रभावित राज्यों के लिए केन्द्रीय सहायता हेतु कोई संकल्प पारित किया गया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इस पर केन्द्र सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीप्रकाश जायसवाल) : (क) और (ख) विभिन्न सुरक्षा संबंधी समस्याओं पर चर्चा करने के लिए नवम्बर, 2006 में पुलिस महानिदेशकों/पुलिस महानिरीक्षकों का 41वां सम्मेलन नवम्बर में आयोजित किया गया था। हालांकि बैठक में ग्रामीण विकास स्कीमों में पुलिस भागीदारी के विषय पर चर्चा नहीं की गई थी लेकिन विकास के लिए आवश्यक सुरक्षित वातावरण को सुनिश्चित करने में पुलिस की भूमिका पर बल दिया गया।

(ग) से (ङ) केन्द्र सरकार द्वारा राज्यों को आवश्यकता के आधार पर केन्द्रीय अर्द्धसैनिक बल, भारतीय रिजर्व बटालियन, आसूचना जानकारी और उनके राज्य पुलिस के आधुनिकीकरण के लिए आवश्यक

धनराशि प्रदान की जाती है? तटीय सुरक्षा का सुदृढ़ीकरण और सीमा क्षेत्रों का विकास किया जाता है।

केंद्रीय विश्वविद्यालयों की स्थापना

242. प्रो० रासा सिंह रावत : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में इस समय राज्य-वार कितने केन्द्रीय विश्वविद्यालय मौजूद हैं;

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान राज्य सरकारों से राज्य में नए केंद्रीय विश्वविद्यालयों की स्थापना करने और उनके कुछेक पुराने और संबद्ध विश्वविद्यालयों को केंद्रीय विश्वविद्यालयों का दर्जा दिए जाने के लिए कितने प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं;

(ग) राज्य-वार तत्संबंधी ब्यौरा और स्थिति क्या है;

(घ) सरकार द्वारा उन प्रस्तावों पर विचार करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने की संभावना है; और

(ङ) इनकी कब तक स्थापना किए जाने की संभावना है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी० पुरन्देश्वरी) : (क) देश में केन्द्रीय विश्वविद्यालयों की राज्य/संघ राज्य क्षेत्रवार संख्या दर्शाने वाला एक विवरण संलग्न है।

(ख) से (ङ) पिछले तीन वर्षों के दौरान इस मंत्रालय के ध्यान में कुल मिलाकर ऐसे 18 प्रस्ताव आए हैं, जिनमें से कर्नाटक, मध्य प्रदेश और त्रिपुरा की राज्य सरकारों प्रत्येक से दो-दो प्रस्ताव और अरूणाचल प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, केरल, मणिपुर, उड़ीसा, सिक्किम, उत्तर प्रदेश, उत्तरांचल तथा पश्चिम बंगाल प्रत्येक राज्य सरकार से एक-एक प्रस्ताव शामिल है। संसाधनों की कमी के कारण केवल पांच प्रस्तावों का कार्यान्वयन किया गया है जिनमें से चार प्रस्ताव संपरिवर्तन द्वारा अरूणाचल प्रदेश, मणिपुर, त्रिपुरा और उत्तर प्रदेश प्रत्येक का एक-एक प्रस्ताव और एक प्रस्ताव सिक्किम राज्य में नए विश्वविद्यालय के लिए है।

विवरण

देश में केंद्रीय विश्वविद्यालयों की राज्य/संघ राज्य-वार संख्या

क्र० सं०	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	केंद्रीय विश्वविद्यालों की संख्या
1	2	3
1.	आंध्र प्रदेश	2+1*
2.	अरूणाचल प्रदेश	1*
3.	असम	2
4.	दिल्ली	4
5.	महाराष्ट्र	1
6.	मणिपुर	2
7.	मेघालय	1
8.	मिजोरम	1
9.	नागालैंड	1
10.	पांडिचेरी	1
11.	सिक्किम	1*
12.	त्रिपुरा	1*
13.	उत्तर प्रदेश	4
14.	पश्चिम बंगाल	1
	कुल	24

*केन्द्रीय विश्वविद्यालय के संबंध में विधान केवल दिसम्बर, 2006 में ही बनाया गया था।

सर्व शिक्षा अभियान

243. डा० लक्ष्मीनारायण पाण्डेय :
श्री बृज किशोर त्रिपाठी :
श्री नवीन जिन्दल :
श्री पी० राजेन्द्रन :

क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में प्राथमिक शिक्षा में नामांकन में बढ़ोतरी हुई है, जैसाकि दिनांक 10 जनवरी, 2007 के "द टाइम्स ऑफ इंडिया" में समाचार प्रकाशित हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष का राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार वर्ष 2007-2008 से सर्व शिक्षा अभियान (एस०एस०ए०) की वित्त पोषण प्रणाली में बदलाव लाने का है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या विभिन्न राज्यों ने उक्त प्रस्ताव का विरोध किया है;

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्यवार ब्यौरा क्या है;

(छ) क्या सर्व शिक्षा अभियान को अधिक लोकप्रिय बनाने के लिए सामुदायिक भागीदारों को बढ़ावा दिया जा रहा है;

(ज) यदि हां, तो उक्त कार्यक्रम में कितने समुदाय के नेता सम्मिलित हुए हैं; और

(झ) राज्यों को सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत अगली किस्त कब तक जारी की जाएगी?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी) : (क) और (ख) देश में प्राथमिक स्तर पर नामांकन में निरंतर वृद्धि हो रही है। वर्ष 2002-03, 2003-04 और 2004-05 के लिए चयनित शैक्षणिक आंकड़ों के अनुसार राज्य-वार ब्यौरा संलग्न विवरण-I में दिया गया है।

(ग) से (च) सर्व शिक्षा अभियान कार्यक्रम के लिए अनुमोदित केन्द्र-राज्य का निधियन पैटर्न वर्ष 2001 में अधिसूचित किया गया। यह पैटर्न नौवीं योजनावधि के लिए 85:15, दसवीं योजनावधि के लिए 75:25 और उसके बारद के लिए 50:50 है। अधिकांश राज्य सरकारों ने भारत सरकार से ग्यारहवीं योजना के लिए 75:25 निधियम पैटर्न को ही जारी रखने का अनुरोध किया है।

(छ) और (ज) इस कार्यक्रम के अंतर्गत ग्राम शिक्षा समितियों अथवा समान स्थानीय निकायों की स्थापना की गई है तथा उन्हें स्कूल/ग्राम स्तर पर सर्व शिक्षा अभियान के कार्यान्वयन पर नजर रखने के लिए अधिकार दिए गए हैं।

(झ) चालू वित्तीय वर्ष के दौरान 19.2.2007 तक सर्व शिक्षा अभियान कार्यक्रम के लिए राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों को जारी केंद्रीय अंशदान निधियों का ब्यौरा संलग्न विवरण-II में दिया गया है।

विवरण-I

नामांकन कक्षाएं I-V

क्र० सं०	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	2002-03	2003-04	2004-05
1	2	3	4	5
1.	आंध्र प्रदेश	8615608	7975659	7692411
2.	अरूणाचल प्रदेश	171792	180253	184673
3.	असम	3128986	3232547	3510665
4.	बिहार	9413646	9471186	10042119
5.	छत्तीसगढ़	2751573	3397795	3405502
6.	गोवा	111926	107875	106828
7.	गुजरात	6335398	6551770	6553022
8.	हरियाणा	2124184	2010659	2073939
9.	हिमाचल प्रदेश	720842	666938	670807
10.	जम्मू और कश्मीर	1090939	950296	969479
11.	झारखंड	2919790	3140252	3446984
12.	कर्नाटक	6286455	6267825	5883907
13.	केरल	2496100	2492430	2543422
14.	मध्य प्रदेश	7710358	8830733	11274071
15.	महाराष्ट्र	10900033	11175756	11385483
16.	मणिपुर	356799	339110	348897
17.	मेघालय	391730	360907	467955
18.	मिजोरम	134150	127057	123705
19.	नागालैंड	167972	210410	224246
20.	उड़ीसा	4509693	4918067	5218568
21.	पंजाब	1890013	1979294	1901408
22.	राजस्थान	7846501	9479755	9329792
23.	सिक्किम	79058	76799	86149
24.	तमिलनाडु	6468257	6591113	6403416
25.	त्रिपुरा	449465	451731	461209
26.	उत्तर प्रदेश	22712307	24080867	24579638
27.	उत्तरांचल	1155717	1164485	1191505
28.	पश्चिम बंगाल	9774543	10327725	9881352
29.	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	39625	40388	40274

1	2	3	4	5
30.	चंडीगढ़	65483	66034	62908
31.	दादरा और नगर हवेली	32476	32912	33624
32.	दमन और दीव	16258	16222	16321
33.	दिल्ली	1425508	1442259	1460714
34.	लक्षद्वीप	7353	7161	7053
35.	पांडिचेरी	971177	102021	103999
	सभी जिले	122397715	128266291	131686045*

स्रोत : चयनित शैक्षणिक आंकड़े 2002-03, 2003-04 और 2004-05

*अंतिम

विवरण-II

क्र० सं०	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	19.2.2007 तक जारी केंद्रीय निधियां (रु० लाख में)
1	2	3
1.	आंध्र प्रदेश	43245.56
2.	अरूणाचल प्रदेश	4109.32
3.	असम	36418.35
4.	बिहार	107744.39
5.	छत्तीसगढ़	50182.20
6.	गोवा	724.12
7.	गुजरात	14806.97
8.	हरियाणा	25647.12
9.	हिमाचल प्रदेश	6250.75
10.	जम्मू और कश्मीर	22083.37
11.	झारखंड	51515
12.	कर्नाटक	54206.98
13.	केरल	4382.00
14.	मध्य प्रदेश	110879.68
15.	महाराष्ट्र	52158.56
16.	मणिपुर	9.24
17.	मेघालय	4294
18.	मिजोरम	3441.69
19.	नागालैंड	2315.2
20.	उड़ीसा	44010.95
21.	पंजाब	12879.92
22.	राजस्थान	72231.91
23.	तमिलनाडु	36329.65
24.	त्रिपुरा	5330.01
25.	उत्तर प्रदेश	206654.00
26.	उत्तरांचल	16934.00
27.	पश्चिम बंगाल	61736.80
28.	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	419.62
29.	दिल्ली	2930.24
30.	लक्षद्वीप	87.47
	कुल	1053959.67

[अनुवाद]

पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए नई औद्योगिक नीति

244. श्री अनवर हुसैन : क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए नई औद्योगिक नीति की घोषणा करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसकी प्रमुख विशेषताएं क्या हैं;

(ग) क्या इस संबंध में राज्य सरकारों/फेडरेशन ऑफ इंडस्ट्रीज नार्थ ईस्ट रीजन (फाइनर) और पूर्वोत्तर परिषद (एन०ई०सी०) जैसे निकायों से कोई सुझाव प्राप्त हुए हैं;

(घ) यदि हां, तो इस पर सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है;

(ङ) गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष में पूर्वोत्तर क्षेत्र में कितनी औद्योगिक वृद्धि-दर दर्ज की गई है; और

(च) औद्योगिक नीति के अंतर्गत आगामी पांच वर्षों के दौरान कितनी औद्योगिक वृद्धि-दर दर्ज किए जाने का अनुमान है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग में राज्य मंत्री (श्री अश्विनी कुमार) : (क) से (घ) पूर्वोत्तर औद्योगिक नीति (एन०ई०आई०पी०), 1997 31 मार्च, 2007 तक वैध है। सरकार ने पूर्वोत्तर क्षेत्र हेतु एक नई औद्योगिक नीति तैयार करने के लिए प्रक्रिया शुरू की है। राज्य सरकारों/पूर्वोत्तर क्षेत्र के उद्योग परिसंघ (एफ०आई०एन०ई०आर०) जैसे निकायों से प्राप्त सुझावों को इस प्रक्रिया में विचारार्थ ध्यान में रखा जा रहा है।

(ङ) वर्ष 2000-01 से 2005-036 तक की अवधि के दौरान पूर्वोत्तर क्षेत्र में पंजीकृत औद्योगिक विकास दर संलग्न विवरण में दर्शायी गयी है।

(च) उक्त औद्योगिक नीति के अंतर्गत आगामी पांच वर्षों के दौरान औद्योगिक विकास की प्रक्षेपित दर अभी निर्धारित नहीं की गई है।

विवरण

उद्योग से उभरने वाली सकल राज्य घरेलू उत्पाद विकास दर

राज्य	2000-01	2001-02	2002-03	2003-04	2004-05	2005-06
अरुणाचल प्रदेश	0.91	15.70	11.34	16.69	3.71	–
असम	6.22	-0.67	5.61	7.87	9.33	8.74
मणिपुर	-12.57	16.69	11.69	2.91	13.61	–
नागालैंड	64.59	-19.56	14.86	–	–	–
मिजोरम	–	–	26.81	–	–	–
मेघालय	11.67	12.06	2.25	11.94	9.77	–
त्रिपुरा	84.86	-14.03	12.80	16.60	–	–
सिक्किम	21.34	15.75	4.09	8.47	11.39	8.79

(स्रोत : केन्द्रीय सांख्यिकी संगठन)

आतंकवाद पर म्यांमार के साथ चर्चा

245. **श्री बृज किशोर त्रिपाठी :**
श्री मिलिन्द देवरा :

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने म्यांमार के साथ बैठक की है जैसाकि दिनांक 25 दिसम्बर, 2006 के "द टाइम्स ऑफ इंडिया" में समाचार प्रकाशित हुआ है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने म्यांमार से अपनी सीमा के अंतर्गत आतंकवादी शिविरों को नष्ट करने के लिए कहा है;

(ग) यदि हां, तो उक्त बैठक के दौरान भारत द्वारा चर्चा के अन्य विषयों और उठाए गए मुद्दों का ब्यौरा क्या है; और

(घ) इस पर म्यांमार की क्या प्रतिक्रिया है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस० रघुपति) : (क) से (घ) केन्द्रीय गृह मंत्री के निमंत्रण पर म्यांमार संघीय सरकार के गृह मंत्री मेजन जन, मौंग ओऊ के साथ आए चार सदस्यीय प्रतिनिधि मंडल ने 21 दिसम्बर, 2006 को केन्द्रीय गृह मंत्री से भेंट की। इस बैठक में सुरक्षा, नशीले पदार्थों के अवैध व्यापार और कारगर सीमा प्रबंधन से संबंधित मुद्दों सहित एक-दूसरे से संबंधित कई मुद्दों पर चर्चा की गई। म्यांमार प्रतिनिधि मंडल ने अन्य बातों के साथ-साथ प्रशिक्षण के क्षेत्र और म्यांमार पुलिस बल के अधिकारियों की क्षमता निर्माण में सहायता करने और भाषा प्रशिक्षण के लिए मल्टी मीडिया प्रयोगशाला तथा डी०एन०ए० फिंगर प्रिंटिंग प्रयोगशाला स्थापित करने में सहायता देने का अनुरोध किया। म्यांमार के गृह मंत्री की यात्रा से भारत-म्यांमार संबंधों का विस्तार करने और उन्हें सुदृढ़ बनाने के लिए एक नई प्रेरक शक्ति मिली है।

[हिन्दी]

मध्याह्न भोजन योजना

246. श्री गिरिधारी यादव :
श्री जीवाभाई ए० पटेल :
श्री मो० ताहिर :

क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गैर-सरकारी संगठनों तथा ठेकेदारों द्वारा मध्याह्न भोजन की आपूर्ति की जा रही है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार का विचार आगामी वित्तीय वर्ष से उच्च प्राथमिक कक्षाओं के छात्रों को मध्याह्न भोजन योजना के अंतर्गत भोजन प्रदान करने का है जैसाकि दिनांक 22 जनवरी, 2007 के 'दैनिक जागरण' में समाचार प्रकाशित हुआ है;

(घ) यदि हां, तो उक्त योजना पर राज्य-वार कितनी धनराशि खर्च किए जाने का प्रस्ताव है;

(ङ) क्या गत तीन वर्षों में से प्रत्येक वर्ष के दौरान उच्च प्राथमिक स्तर की कक्षाओं से स्कूल छोड़ने वाले छात्रों की राज्यवार संख्या बढ़ी है; और

(च) यदि हां, तो उक्त अवधि के दौरान इस बढ़ोतरी का प्रतिशतवार ब्यौरा क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी) : (क) और (ख) प्राथमिक शिक्षा का राष्ट्रीय पोशाहार सहायता कार्यक्रम, 2006 (एन०पी०एन०-एस०पी०ई०, 2006) के दिशा-निर्देशों में इस बात का प्रावधान है कि भोजन पकाने की जिम्मेदारी यथासंभव निम्न में से एक को दी जानी चाहिए :–

(i) स्थानीय महिलाओं/माताओं के स्व-सहायता समूह,

(ii) नेहरू युवक केन्द्रों से संबद्ध स्थानीय युवा कलब,

(iii) कोई स्वैच्छिक संगठन, जो उपर्युक्त दिशा-निर्देशों में निर्धारित अपेक्षाओं को पूरा करता हो, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ बिना-लाभ आधार पर आपूर्ति के उत्तरदायित्व की वचनबद्धता भी शामिल है। इन दिशा-निर्देशों में विशेष रूप से यह भी प्रावधान किया गया है कि स्वैच्छिक एजेंसी इस कार्यक्रम को किसी अन्य संगठन अथवा एजेंसी को नहीं सौंपेगी/उप-ठेके पर नहीं देगी अथवा सहायता (खाद्यान्न/धन) के किसी भाग का अपवर्तन नहीं करेगी।

(iv) ग्राम शिक्षा समिति, स्कूल प्रबंधन-सह-विकास समिति, अभिभावक शिक्षक संघ, ग्राम पंचायत, नगर पालिका द्वारा सीधे नियुक्त व्यक्तियों द्वारा।

मध्याह्न भोजन योजना कार्यक्रम के कार्यान्वयन की समूची जिम्मेदारी राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों की है।

(ग) और (घ) यह मामला सरकार के विचाराधीन है।

(ङ) और (च) वर्ष 2003-04 और 2004-05 के चयनित शैक्षिक आंकड़ों के अनुसार उच्च प्राथमिक स्तर (कक्षा I-VIII) से संबंधित स्कूल बाह्य दर को दर्शाने वाला एक राज्य-वार विवरण संलग्न है।

विवरण

स्कूल बाह्य दर

क्र०	राज्य	उच्चतर प्राथमिक (I-VIII) में स्कूल बाह्य	
		2003-04	2004-05
1	2	3	4
1.	आंध्र प्रदेश	59.79	59.36
2.	अरुणाचल प्रदेश	63.52	62.63
3.	असम	70.81	73.38
4.	बिहार	78.03	82.07
5.	छत्तीसगढ़*	–	–
6.	गोवा	9.43	6.90
7.	गुजरात	46.94	46.34
8.	हरियाणा	21.26	24.51
9.	हिमाचल प्रदेश	14.28	15.89
10.	जम्मू और कश्मीर	36.36	38.57
11.	झारखंड*	–	–
12.	कर्नाटक	50.59	49.99
13.	केरल	-9.54	-12.24
14.	मध्य प्रदेश	46.81	52.36
15.	महाराष्ट्र	33.25	28.99
16.	मणिपुर	30.61	32.80

1	2	3	4
17.	मेघालय	71.13	64.21
18.	मिजोरम	64.19	66.84
19.	नागालैंड	44.83	42.49
20.	उड़ीसा	61.72	61.95
21.	पंजाब	35.19	33.67
22.	राजस्थान	68.50	65.34
23.	सिक्किम	73.29	71.22
24.	तमिलनाडु	25.15	23.96
25.	त्रिपुरा	64.29	64.15
26.	उत्तर प्रदेश	42.84	46.22
27.	उत्तराखंड*	—	—
28.	पश्चिम बंगाल	63.77	63.63

स्रोत: चयनित शैक्षिक आंकड़े वर्ष 2003-04 तथा 2004-05

*स्कूल-बाह्य दर को संगत मूल राज्यों के साथ मिलाकर दर्शाया गया है।

हौजरी इकाइयां

247. श्री हरिसिंह चावड़ा :
श्री सुनिल कुमार महतो :

क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में कई हौजरी इकाइयां या तो बंद हो चुकी है या बंद होने के कगार पर हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार को इन लघु औद्योगिक इकाइयों से कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है?

वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ई०वी०के०एस० इलैंगोवन) : (क) से (ङ) सरकार को हौजरी एककों के बंद किये जाने के संबंध में किसी भागीदार/हौजरी उद्योग संघ से कोई सूचना/अभ्यावेदन प्राप्त नहीं हुआ है।

वस्त्र उद्योग में अतिरिक्त रोजगार

248. श्री काशीराम राणा :
श्री हरिकेवल प्रसाद :

क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार ग्रामीण क्षेत्रों में वस्त्र उद्योग में पांच लाख अतिरिक्त रोजगार सृजित करने हेतु कोई कार्यक्रम शुरू करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस कार्यक्रम के अंतर्गत कितनी धनराशि जारी की गई है तथा अब तक कितने लोगों को रोजगार दिया गया; और

(घ) उक्त कार्यक्रमों का विश्लेषणात्मक ब्यौरा क्या है?

वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ई०वी०के०एस० इलैंगोवन) : (क) जी, नहीं।

(ख) से (घ) उपर्युक्त (क) को देखते हुए प्रश्न नहीं उठते।

दिल्ली पुलिस के लिए भूमिगत नियंत्रण कक्ष

249. श्री रशीद मसूद : क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का निगरानी तथा सुरक्षा सुनिश्चित करने हेतु दिल्ली पुलिस के लिए एक भूमिगत नियंत्रण कक्ष स्थापित करने का कोई प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसे कब तक स्थापित कर दिए जाने की संभावना है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस० रघुपति) : (क) और (ख) दिल्ली पुलिस ने हानिकर विद्रोही कार्रवाईयों, भूकंप आपदा आदि का सामना कर सकने योग्य वैकल्पिक भूमिगत नियंत्रण कक्ष के निर्माण की आवश्यकता महसूस की है। तथापि, भारत सरकार को इस संबंध में इस प्रकार का प्रस्ताव दिल्ली पुलिस से प्राप्त होना है।

[अनुवाद]

बंद वस्त्र मिलें

250. श्री एम० अप्पादुरई : क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आज की तारीख एक तमिलनाडु सहित पूरे देश में बंद पड़ी वस्त्र मिलों के राज्य-वार तथा संघ राज्य क्षेत्र-वार नाम क्या हैं तथा इनकी संख्या कितनी है;

(ख) इसके क्या कारण हैं;

(ग) प्रत्येक बंद मिल की परिसंपत्तियां तथा देयताएं कितनी है;

(घ) क्या इन मिलों की बिक्री का कोई प्रस्ताव है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी मिल-वार ब्यौरा क्या है?

वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ई०वी०के०एस० इलेंगोवन) : (क) से (ङ) सूचना एकत्र की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

इंजीनियरी कालेजों की स्थापना

251. श्री विक्रमभाई अर्जनभाई माडम :
श्री हरिकेवल प्रसाद :

क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आज की तारीख तक देश में चल रहे इंजीनियरी कालेजों की राज्य-वार संख्या कितनी है;

(ख) एक विशिष्ट क्षेत्र में इंजीनियरी कॉलेज स्थापित करने के लिए सरकार/ए०आई०सी०टी०ई० द्वारा क्या मानदण्ड अपनाए जाते हैं;

(ग) क्या सरकार चालू वर्ष के दौरान देश में विशेष रूप से उत्तर प्रदेश में और अधिक इंजीनियरी कॉलेज स्थापित करने पर विचार कर रही हैं;

(घ) यदि हां, तो इस प्रयोजनार्थ चुने गए स्थानों का राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(च) गत तीन वर्षों के दौरान नए इंजीनियरी कालेज स्थापित करने के लिए राज्य सरकारों से प्राप्त अवेदनों की संख्या कितनी है तथा इनकी वर्तमान स्थिति क्या है;

(छ) आज की तारीख एक लम्बित/संस्वीकृत आवेदनों की संख्या कितनी है; और

(ज) लम्बित आवेदनों को कब तक संस्वीकृत किए जाने की संभावना है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी० पुरन्देश्वरी) : (क) अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद द्वारा अनुमोदित देश में कार्य कर रहे इंजीनियरी कॉलेजों की राज्यवार सूची विवरण के रूप में संलग्न है।

(ख) से (ङ) परिषद की एक सुपरिभाषित स्पष्ट अनुमोदन प्रक्रिया है। परिषद नई तकनीकी संस्थाओं की स्थापना हेतु प्रति वर्ष सोसाइटी/न्यास/केन्द्र सरकार/राज्य सरकार/विश्वविद्यालय/विश्वविद्यालय विभाग से प्रस्ताव मंगवाती है। परिषद उन आवेदकों को अनुमोदन प्रदान करती है जो परिषद के मानदंडों और दिशा-निर्देशों का अनुपालन करते हैं। अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद द्वारा विभिन्न प्रकाशनों के माध्यम से इंजीनियरी कालेजों सहित नई तकनीकी संस्थाओं की स्थापना के विस्तृत मानदंड और दिशानिर्देश जनता को अवगत कराए जाते हैं और ये अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद की वेबसाइट www.aicte.emet.in पर उपलब्ध हैं।

(च) से (ज) परिषद को पिछले तीन वर्षों के दौरान नए इंजीनियरी कॉलेजों की स्थापना हेतु राज्य सरकारों से 17 आवेदन प्राप्त हुए थे। परिषद ने 16 आवेदकों को अनुमोदन प्रदान किया है और पश्चिम बंगाल के एक आवेदक को उक्त अवधि के दौरान 18 मई, 2005 को (दो शैक्षिक सत्र अर्थात 2005-2006 और 2006-2007 के लिए) एक आशय पत्र प्रदान किया गया। अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद के पास राज्य सरकारों का कोई भी आवेदन लम्बित नहीं है।

विवरण

वर्ष 2006-07 के लिए अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद द्वारा अनुमोदित इंजीनियरी कॉलेजों की संख्या

क्षेत्र	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	निजी संस्थाएं	राजकीय संस्थाएं	कुल
1	2	3	4	5
केन्द्रीय	मध्य प्रदेश	72	15	87
	छत्तीसगढ़	9	6	15
	गुजरात	25	19	44
पूर्वी	अरूणाचल प्रदेश	–	1	1
	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	–	–	–
	असम	1	4	5
	झारखंड	4	5	9
	मेघालय	–	–	–
	मणिपुर	–	1	1

1	2	3	4	5
	मिजोरम	–	–	–
	नागालैंड	–	–	–
	उड़ीसा	38	6	44
	सिक्किम	–	1	1
	त्रिपुरा	–	2	2
	पश्चिम बंगाल	41	20	61
उत्तर	बिहार	4	5	9
	उत्तर प्रदेश	94	24	118
	उत्तराखंड	7	7	14
	चंडीगढ़	–	6	6
	हरियाणा	46	7	53
	जम्मू और कश्मीर	3	3	6
उत्तर-पश्चिम	नई दिल्ली	10	6	16
	पंजाब	37	10	47
	राजस्थान	43	6	49
	हिमाचल प्रदेश	3	3	6
दक्षिण	आन्ध्र प्रदेश	272	10	282
	तमिलनाडु	241	6	247
	पांडिचेरी	4	1	5
दक्षिण-पश्चिम	कर्नाटक	120	7	127
	केरल	56	38	94
पश्चिमी	महाराष्ट्र	154	16	170
	गोवा	2	1	3
	दमन और दीव, दादरा और नगर हवेली	–	–	–
	कुल योग	1286	236	1522

[हिन्दी]

अर्द्ध सैनिक बलों में आदिवासी, ग्रामीण तथा पर्वतीय क्षेत्रों के लिए कोटा

252. **श्री सुभाष सुरेशचंद्र देशमुख :** क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार द्वारा अर्द्ध सैनिक बलों में भर्ती हेतु विभिन्न राज्यों में ग्रामीण आदिवासी, तथा पर्वतीय क्षेत्रों के लिए बल-वार तथा राज्य-वार कितना कोटा निर्धारित किया गया है;

(ख) क्या देश के ग्रामीण, आदिवासी तथा पर्वतीय क्षेत्रों में रोजगार के अवसर इस संबंध में निर्धारित कोटे के अनुसार प्रदान किए गए हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ङ) क्या सरकार का देश के ऐसे क्षेत्रों में अर्द्ध सैनिक बलों की भर्ती हेतु विशेष भर्ती अभियान चलाने का कोई प्रस्ताव है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीप्रकाश जायसवाल) : (क) कांस्टेबल (जी०डी०) रैंक में केन्द्रीय, अर्ध सैनिक बलों की 60% रिक्तियां जनसंख्या अनुपात के आधार पर राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों को संवितरित की जाती है। सीमा रक्षक बल में 20% रिक्तियां उनके दायित्व वाले क्षेत्र के सीमावर्ती जिलों को आवंटित की जाती है। सीमा रक्षक बल की शेष 20% और अन्य केन्द्रीय अर्ध सैनिक बलों की 40% रिक्तियां सरकार द्वारा अधिसूचित उग्रवाद और नक्सलवाद प्रभावित जिलों के लिए आवंटित की जाती है। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जन जाति और अन्य पिछड़ा वर्ग तथा भूतपूर्व सैनिक आदि के उम्मीदवारों को आरक्षण और कोटा भारत सरकार की नीति के अनुरूप प्रदान किया जाता है।

(ख) इस आधार पर कोई कोटा नियत नहीं है।

(ग) से (च) प्रश्न पैदा नहीं होता।

[अनुवाद]

असम में उग्रवादी गतिविधियां

253. **श्री मणी कुमार सुब्बा :** क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने असम में गैर-असमियों के विरुद्ध निरन्तर जारी उग्रवादी गतिविधियों को देखते हुए असम सरकार की मेजबानी में होने वाले 33वें राष्ट्रीय खेलों के लिए सुरक्षा प्रदान करने हेतु विशेष कदम उठाए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) केन्द्र तथा राज्य सरकारों द्वारा इस पर कितना व्यय किया गया है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस० रघुपति) : (क) और (ख) सरकार ने 9-18 फरवरी, 2007 के दौरान गुवाहाटी में असम सरकार द्वारा आयोजित 33वें राष्ट्रीय खेलों के दौरान सुरक्षा के लिए अतिरिक्त बलों की तैनाती सहित सभी संभव उपाय किए थे। राष्ट्रीय खेल शांतिपूर्वक सम्पन्न हो गए।

(ग) राष्ट्रीय खेलों के संबंध में केन्द्र सरकार और असम सरकार द्वारा किया गया व्यय क्रमश: 78.10 करोड़ रु० और 3.65 करोड़ रु० है।

हस्तशिल्प निर्यातकों की मांग

254. श्री ई०जी० सुगावनम : क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को हस्तशिल्प निर्यातकों के समक्ष आ रही समस्याओं की तथा उन्हें निर्यातोन्मुख इकाइयों (ई०ओ०यू०) के समकक्ष दर्जा देने संबंधी उनकी मांग की जानकारी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस पर सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है;

(ग) क्या सरकार का उनकी समस्याओं पर विचार करने के लिए एक समिति गठित करने का कोई प्रस्ताव है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इसकी रिपोर्ट कब तक प्रस्तुत कर दिए जाने की संभावना है?

वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ई०वी०के०एस० इलेंगोवन) : (क) और (ख) जी, हां। 100 प्रतिशत निर्यात कारोबार करने वाले हस्तशिल्प निर्यातकों को निर्यातोन्मुख इकाइयों के समकक्ष दर्जा देने संबंधी प्रस्ताव की जांच की जा रही है।

(ग) जी, नहीं।

(घ) और (ङ) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

मानव कंकालों का मिलना

255. श्री हेमलाल मुर्मू : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पिछले कुछ समय में मानव कंकालों के मिलने के मामलों में बढ़ोत्तरी हुई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इसके लिए जिम्मेदार पाए गए व्यक्तियों के विरुद्ध सरकार द्वारा की गई कार्यवाही का ब्यौरा क्या हैं; और

(घ) देश में ऐसी गतिविधियां रोकने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री माणिकराव होडल्या गावित) : (क) से (घ) राज्य सरकारों/संघ शासित क्षेत्र प्रशासनों से अपेक्षित सूचना एकत्र की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

[अनुवाद]

लापता बच्चे

256. श्री आनंदराव विठोबा अडसूल :
श्री रवि प्रकाश वर्मा :
डा० चिन्ता मोहन :
श्रीमती सी०एस० सुजाता :
श्री अधलराव पाटील शिवाजीराव :
श्री राजीव रंजन सिंह "ललन" :
श्री रामदास आठवले :
श्री रशीद मसूद :
श्रीमती निवेदिता माने :
श्री एकनाथ महादेव गायकवाड़ :
श्री रघुनाथ झा :
श्री अबू अयीश मंडल :
श्री कीर्ति वर्धन सिंह :
श्री पी० राजेन्द्रन :
श्री मो० ताहिर :

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एक अध्ययन के अनुसार देश में प्रतिवर्ष लगभग 45,000 बच्चों को लापता होने के समाचार मिलते हैं जिनमें से 11,000 बच्चों, का पता ही नहीं चल पाता है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में तथ्य और सरकार की प्रतिक्रिया क्या है;

(ग) क्या केन्द्र सरकार ने राज्य/संघ राज्य सरकारों से लापता बच्चों का ब्यौरा भेजने का अनुरोध किया हैं;

(घ) यदि हां, तो राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से अब तक प्राप्त सूचना का ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या सरकार ने ऐसे बच्चों का पता लगाने में असफल रहने के कारणों को जानने के लिए कोई जांच कराई है;

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(छ) इस स्थिति से शीघ्र निपटने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री माणिकराव होडल्या गावित) : (क) से (घ) राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने यूनिफेम और राष्ट्रीय सामाजिक विज्ञान संस्थान, नई दिल्ली के सहयोग से भारत में महिलाओं और बच्चों के अवैध व्यापार पर अनुसंधान कार्रवाई करवाई थी। 24.8.2004 को प्रकाशित रिपोर्ट के "गुमशुदा व्यक्ति और अवैध व्यापार" नामक अध्याय में दर्शाया गया है कि राज्यों/संघ शासित प्रदेशों से 1996 से 2001 (छः वर्षों) के दौरान सूचित गुमशुदा बच्चों की संख्या 44,476 बच्चे हैं। तथापि, गुमशुदा बच्चों के संबंध में आंकड़े केन्द्रीय रूप से नहीं रखे जाते।

रिपोर्ट में गुमशुदा बच्चों का उल्लेख "मानवों में गुमशुदा व्यक्तियों और अवैध व्यापार" के संदर्भ में था। रिपोर्ट में उल्लिखित निष्कर्षों के अनुसरण में संबंधित राज्य सरकारों को अवैध व्यापार की रोकथाम, बचाव और पीड़ितों का पुनर्वास करके समग्र दृष्टिकोण अपनाने और समस्या से प्रभावपूर्ण ढंग से निपटने के लिए व्यापक रणनीति अपनाने की सलाह दी गई है। सभी स्तरों पर पुलिस अधिकारियों को सुग्राही बनाने और प्रशिक्षित करने की आवश्यकता पर बल दिया गया तथा राज्य सरकारों ने सलाह दी कि पुलिस को अत्यधिक संवेदनशील क्षेत्रों में विशेष अभियान चलाने के लिए कहा जाए।

(ङ) से (छ) भारत के संविधान की सातवीं अनुसूची के अनुसार "पुलिस" और "लोक व्यवस्था" राज्य के विषय हैं और ऐसे में अपराध की रोकथाम, पता लगाने, पंजीकरण करने, जांच करने और अभियोजन चलाने का प्राथमिक दायित्व राज्य सरकारों का है। तथापि, केन्द्र सरकार अपराध की रोकथाम के मामले को उच्चतम महत्व प्रदान करती है, इसलिए बच्चों सहित समाज के संवेदनशील वर्गों के प्रति अपराध की रोकथाम पर विशेष बल देते हुए उनके अधिकार क्षेत्रों में अपराधों की रोकथाम और नियंत्रण पर अधिक ध्यान केन्द्रित करने के लिए राज्य सरकारों तथा संघ शासित प्रशासनों को समय-समय पर सलाह जारी करती है।

वस्त्र मिलों के लिए पुरानी मशीनरी

257. **श्री दुष्यंत सिंह :** क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार देश की वस्त्र मिलों के लिए पुरानी मशीनरी खरीदने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) इन मशीनरियों की अनुमानित लागत कितनी है;

(घ) इसके लिए कितनी वित्तीय सहायता मांगी गई है; और

(ङ) इस मामले में तीव्रता लाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ई०वी०के०एस० इलैंगोवन) : (क) जी, नहीं।

(ख) से (ङ) प्रश्न नहीं उठते।

खादी एवं ग्रामोद्योग के लिए बजट

258. **श्री अनवर हुसैन :** क्या कृषि एवं ग्रामीण उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चालू वित्तीय वर्ष के लिए खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग (के०वी०आई०सी०) के लिए कुल कितना बजट है;

(ख) उक्त में से उत्तर-पूर्व क्षेत्र के लिए कितनी धनराशि का आवंटन निर्धारित किया गया है;

(ग) आयोग उत्तर-पूर्व क्षेत्र में किस प्रकार अपने क्रिया-कलाप बढ़ा रहा है; और

(घ) उत्तर-पूर्व क्षेत्र की अब तक क्या उपलब्धियां रही हैं?

लघु उद्योग मंत्री तथा कृषि एवं ग्रामीण उद्योग मंत्री (श्री महावीर प्रसाद) : (क) सरकार ने, खादी और ग्रामोद्योग आयोग (के०वी०आई०सी०) को, वर्ष 2006-07 के लिए ग्रामीण रोजगार सृजन कार्यक्रम (आर०ई०जी०पी०) के कार्यान्वयन के लिए 372.63 करोड़ रु० सहित, खादी और ग्रामोद्योग (के०वी०आई०) क्षेत्र के विकास के लिए विभिन्न योजनाओं/कार्यक्रमों के कार्यान्वयन के लिए, योजना शीर्ष के तहत 592.93 करोड़ रु० का आबंटन किया

गया है। इसके अलावा, वर्ष 2006-07 के दौरान परम्परागत उद्योगों के पुनर्सृजन के लिए निधि संबंधी योजना (स्फूर्ति) के तहत के०वी०आई० तथा कॉयर क्लस्टरों के विकास के लिए 25.97 करोड़ रु० का आबंटन भी किया गया है।

(ख) के०वी०आई० क्षेत्र के विकास के लिए 592.93 करोड़ रु० के आबंटन में से आर०ई०जी०पी० के कार्यान्वयन के लिए 38.15 करोड़ रु० सहित, पूर्वोत्तर क्षेत्र (एन०ई०आर०) के लिए 60.60 करोड़ रु० निर्धारित किए गए हैं। इसी प्रकार से एस०एफ०यू०आर०टी०आई० के तहत के०वी०आई०सी० को आबंटित 25.97 करोड़ रु० के आबंटन में से, एन०ई०आर० के लिए 2.60 करोड़ रु० निर्धारित किए गए हैं।

(ग) के०वी०आई०सी०, जागरूकता के सृजन, निपुणता तथा उद्यमिता में सुधार लने के लिए प्रशिक्षण प्रदान करके, ग्रामीण रोजगार सृजन कार्यक्रम (आर०ई०जी०पी०) परियोजनाओं के संवर्धन द्वारा स्वरोजगार अवसरों के सृजन तथा मुख्यत: प्रदर्शनियों के आयोजन द्वारा विपणन सहायता प्रदान करने के माध्यम से एन०ई०आर० में के०वी०आई० कार्यकलापों के संवर्धन द्वारा अपने कार्यकलापों का विस्तार कर रहा है। इसने क्षेत्र के विशिष्ट हितलाभ के लिए अपने योजना बजट में राशि निर्धारित की है, जो 10 प्रतिशत से कम नहीं हो सकती। नए संस्थानों के पंजीकरण को प्रोत्साहित करने के लिए नए खादी संस्थानों के पंजीकरण प्रतिबंध में ढील दी गई है। खादी के तहत वित्तीय सहायता में कच्चे माल बैंकों को बढ़ावा देने के लिए निधियां सम्मिलित हैं। के०वी०आई० कार्यकलापों के तहत अनुसंधान और विकास को सुगम बनाने के लिए एन०ई०आर० में तकनीकी इन्टरफेस इकाइयों का संवर्धन किया गया है। उत्पाद विकास, अभिकल्प इन्टरवेंशन तथा पैकजिंग (पी०आर०ओ०डी०आई०पी०) कार्यक्रम के तहत कार्यक्रमों को स्वीकृति प्रदान की गई है। इसी प्रकार से निपुणता सुधार के लिए गैर-सरकारी संगठनों तथा एन०ई०आर० में राज्यों के खादी और ग्रामोद्योग बोर्डों के निकट सहयोग से प्रशिक्षण की बुनियादी संरचना का सृजन किया गया है।

(घ) वर्ष 2005-06 के दौरान एन०ई० क्षेत्र में 6.82 करोड़ रु० मूल्य की खादी का उत्पादन किया गया था, जिससे 12,903 व्यक्तियों को रोजगार के अवसर प्राप्त हुए तथा ग्रामोद्योग ने 565.17 करोड़ रु० मूल्य के उत्पादों का उत्पादन किया था जिससे 4.49 लाख व्यक्तियों को रोजगार प्राप्त हुआ। वर्ष 2006-07 के दौरान, अब तक एन०ई० क्षेत्र में 6.50 करोड़ रु० के लक्ष्य के मुकाबले 5.40 करोड़ रु० की खादी उत्पादित होने की आशा है जिससे 13,000 व्यक्तियों को रोजगार के लक्ष्य के मुकाबले 10,600 व्यक्तियों के लिए रोजगार के अवसर सृजित हुए हैं तथा 2032 ग्रामोद्योगों इकाइयों के लिए 23.48 करोड़ रु० की सहायता मार्जिन मनी के रूप में प्रदान की गई जिससे 34.12 करोड़ रु० की मार्जिन मनी के आबंटन सहित 3073 इकाइयों को सहायता लक्ष्य के मुकाबले 37,463 व्यक्तियों को रोजगार के अवसर प्राप्त हुए हैं।

के०वी०एस० में छात्रावास की सुविधाएं

259. श्री विक्रमभाई अर्जनभाई माडम : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने सभी केन्द्रीय विद्यालयों के छात्रावासों में तीन वर्षों में छात्रों की संख्या दुगुनी करने के लिए कोई योजना तैयार की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) वर्तमान छात्रावास की क्षमता का पूर्ण रूप से उपयोग नहीं किया जाता है और कोई अत्यधिक मांग प्रतीत नहीं होती है क्योंकि केन्द्रीय विद्यालय मुख्यतया स्थानान्तरीय केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों के बच्चों की मांग को पूरा करते हैं।

[हिन्दी]

वस्त्र इकाइयां

260. श्री सुभाष सुरेशचंद्र देशमुख : क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि देश भर में विशेष पिछड़े और ग्रामीण क्षेत्रों में आज की तिथि तक राज्य-वार और संघ राज्य क्षेत्र-वार हेण्डलूम, पावरलूम सिंथेटिक यार्न, सिलेसिलाये वस्त्र और होजरी चीजों की कितनी विनिर्माण इकाइयां हैं?

वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ई०वी०के०एस० इलैंगोवन) : राज्य-वार और संघ शासित क्षेत्रवार हथकरघा विद्युतकरघा, सिंथेटिक यार्न और सिले सिलाए परिधान तथा हौजरी विनिर्माण एककों की, संख्या विवरण के रूप में संलग्न है। देश के पिछड़े एवं ग्रामीण क्षेत्रों में स्थित एककों के संबंध में कोई आंकड़े अलग से नहीं रखे जाते हैं।

विवरण

क्र० सं०	राज्य	हथकरघा एकक	विद्युतकरघा एकक (अक्तू०, 2006 की स्थिति के अनुसार)	सिंथेटिक यार्न एकक	सिले सिलाए परिधान एवं हौजरी एककें
1	2	3	4	5	6
1.	आंध्र प्रदेश	145,335	9822	1	30
2.	अरूणाचल प्रदेश	23335	–	–	–
3.	असम	1096864	261	1	05
4.	बिहार	35147	1443	–	02
5.	दिल्ली	3418	124	–	1413
6.	चंडीगढ़	–	11	–	–
7.	छत्तीसगढ़	6995	–	–	–
8.	दादर नगर हवेली	–	38	07	–
9.	दमन व दीव	–	–	–	–
10.	गोवा	9	18	–	–
11.	गुजरात	16621	32207	15	278
12.	हरियाणा	5173	2657	02	87
13.	हिमाचल प्रदेश	40314	182	–	–
14.	जम्मू व कश्मीर	15954	56	–	01
15.	झारखंड	17334	–	–	–
16.	कर्नाटक	50741	24579	–	614
17.	केरल	25830	670	01	39
18.	मध्य प्रदेश	10859	38360	02	39
19.	महाराष्ट्र	31135	218442	09	1685
20.	मणिपुर	215894	–	–	–
21.	नागालैंड	41731	–	–	–
22.	उड़ीसा	71924	792	01	03
23.	पांडिचेरी	2721	117	–	–
24.	पंजाब	4629	3661	02	659

1	2	3	4	5	6
25.	राजस्थान	28275	4027	05	355
26.	तमिलनाडु	201909	74199	02	4126
27.	त्रिपुरा	86010	—	—	—
28.	उत्तर प्रदेश	137175	25132	06	208
29.	उत्तराखंड	4810	—	—	—
30.	पश्चिम बंगाल	221900	922	01	168
31.	अन्य राज्य	21	—	—	12
	कुल	2542063*	437720	55**	9724***

* 1995-96 के हथकरघा एककों की गणना के अनुसार।

** विनिर्माताओं से प्राप्त रिपोर्टों के आधार पर।

*** सर्वेक्षण रिपोर्ट 2005 के आधार पर।

टैक्सटाइल पार्क

261. श्री हेमलाल मुर्मू :
श्री के०सी० पल्लानी शामी :
श्री विक्रमभाई अर्जनभाई माडम :

क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को टेक्सटाइल पार्कों की स्थापना के लिए विभिन्न राज्यों विशेषकर झारखंड से प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और राज्य-वार कितने टेक्सटाइल पार्कों की स्थापना किये जाने की संभावना है;

(ग) इस बारे में सरकार द्वारा राज्य-वार स्वीकृत/अस्वीकृत प्रस्तावों का ब्यौरा क्या है; और

(घ) इन प्रस्तावों को स्वीकृति देने के लिए क्या मानदंड निर्धारित किये गए हैं और राज्य-वार इन्हें स्वीकृत न करने के क्या कारण हैं?

वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ई०वी०के०एस० इलैंगोवन) : (क) एकीकृत वस्त्र पार्क योजना (एस०आई०टी०पी०) के तहत उद्योग संघ/उद्यमी समूह वस्त्र पार्क के मुख्य संवर्धक है। झारखंड में वस्त्र पार्क की स्थापना के लिए अभी तक कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

(ख) एस०आई०टी०पी० में 10वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान 30 वस्त्र पार्क परियोजनाओं की स्वीकृति की परिकल्पना है।

(ग) अभी तक, एस०आई०टी०पी० के तहत 26 परियोजनाएं मंजूर की गई हैं। राज्य ब्यौरा इस प्रकार है— आंध्र प्रदेश (4), गुजरात (6), कर्नाटक (1), महाराष्ट्र (6), राजस्थान (2), तमिलनाडु (5), उत्तर प्रदेश (1) और पश्चिम बंगाल (1)।

(घ) परियोजनाओं की मंजूरी के लिए मानदंड में अन्य बातों के साथ-साथ संभावित निवेश, रोजगार सृजन और परियोजनाओं की अर्थक्षमता शामिल है।

[अनुवाद]

असम में रेशम को बढ़ावा

262. श्री अनवर हुसैन : क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या असम सरकार ने केंद्र सरकार को रेशम को बढ़ावा देने संबंधी कोई प्रस्ताव प्रस्तुत किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है और इस पर क्या कार्यवाही की गई है;

(ग) इसे कब तक मंजूरी दिए जाने की संभावना है; और

(घ) सरकार का विदेशों में इसका किस प्रकार विपणन करने का विचार है?

वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ई०वी०के०एस० इलैंगोवन) : (क) से (ग) जी, हां। रेशम उत्पादन विभाग, असम सरकार ने चालू

वित्तीय वर्ष 2006-07 के लिए उत्प्रेरक विकास कार्यक्रम के तहत 356.62 लाख रु० की कुल लागत से प्रस्ताव भेजे हैं। इन प्रस्तावों पर विचार नहीं किया जा सका क्योंकि राज्य ने वर्ष 2005-06 के दौरान केन्द्रीय रेशम बोर्ड द्वारा जारी निधि के संबंध में उपयोग संबंधी प्रगति एवं प्रमाण पत्र नहीं दिये हैं।

उपरोक्त के अलावा, केन्द्रीय रेशम बोर्ड असम राज्य के दो समूहों अर्थात उदलगुरी (एरी रेशम उत्पादन विकास के लिए) तथा गोलपारा (मूगा रेशम उत्पादन विकास के लिए) में मूगा और एरी रेशम के विकास के लिए 2005-06 से समूह विकास परियोजना कार्यान्वित कर रहा है। रेशम उत्पादन बोडोलैंड प्रादेशिक परिषद (बी०टी०सी०) कोकराझार, असम के निदेशक ने भी बोडोलैंड प्रादेशिक स्वायत्तशासी जिले (बी०टी०ए०डी०) में मूगा और एरी रेशम उद्योग के विकास के लिए वर्ष 2006-07 से 2007-08 के दौरान कार्यान्वयन के लिए 2750.10 लाख रु० की कुल लागत से एक परियोजना का प्रस्ताव किया है। इनमें से उत्प्रेरक विकास कार्यक्रम के तहत असम के कोकराझाड़ में टी०सी०आई०डी०एस० की स्थापना के लिए केन्द्रीय रेशम बोर्ड की सहायता 366.47 लाख रु० है। यह परियोजना सितम्बर 2005 के दौरान शुरू की गई थी तथा केन्द्रीय रेशम बोर्ड ने एरी क्षेत्र के तहत 1000 लाभार्थियों को तथा मूगा क्षेत्र के तहत 500 लाभार्थियों को शामिल करने के लिए वर्ष 2005-06 के दौरान 197.81 लाख रु० की अपने हिस्से की राशि जारी कर दी थी। इस समय, यह परियोजना चल रही है।

(घ) असम राज्य मुख्यत: मूगा एवं एरी रेशम का उत्पादन करता है। इन रेशमों का विपणन मुख्यत: घरेलू बाजारों में होता है। देश से निर्यातित मूगा और एरी रेशम (मिश्रित) की मात्रा (अनंतिम) वर्ष 2004-05 के दौरान 219.719 मी०टन तथा 2005-06 के दौरान 357.734 मी०टन है।

सीमा विवाद

263. **श्री मणी कुमार सुब्बा :** क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या असम और नागालैंड के बीच कोई सीमा विवाद है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या नागालैंड ने असम की भूमि पर किसी सिविल सब-डिविजन की स्थापना की है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या असम के छात्रों के प्रतिनिधिमंडल ने असम और नागालैंड सीमा विवाद का समाधान करने हेतु अपनी मांग पर जोर देने के लिए हाल ही में केन्द्रीय गृह मंत्री से भेंट की थी; और

(च) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस० रघुपति) : (क) असम और नागालैंड राज्यों के भू-भाग, भारत के संविधान की पहली अनुसूची में परिभाषित किए गए हैं।

(ख) से (घ) असम सरकार ने सूचित किया है कि नागालैंड सरकार ने असम और नागालैंड राज्य के विवादित क्षेत्र में 1980 के दशक में और 1990 के शुरू में तीन सब-डिविजन/सिविल सब-डिविजन स्थापित किए हैं। तथापि, नागालैंड सरकार ने सूचित किया है कि असम और नागालैंड की सीमा, भूमि पर निर्धारित और सीमांकित नहीं की गई है। और इस प्रकार असम के भू-भाग में किसी सिविल सब-डिविजन की स्थापना करने का प्रश्न नहीं उठता है।

(ङ) असम का विद्यार्थी संघ और एक संसद सदस्य का प्रतिनिधि मंडल, 27.10.2006 को नई दिल्ली में केन्द्रीय गृह मंत्री से मिला था और उन्होंने उल्फा से पुन: वार्ता शुरू करने की मांग की थी।

(च) भारत के माननीय उच्चतम न्यायालय ने दिनांक 25.9.2006 के अपने निर्णय के तहत असम-नागालैंड और असम-अरूणाचल प्रदेश राज्यों की सीमाओं की पहचान करने के लिए एक स्थानीय आयोग की नियुक्ति की है।

अध्यक्ष महोदय : अब सभा बारह बजे तक के लिए स्थगित होती है।

पूर्वाह्न 11.04 बजे

तत्पश्चात् लोक सभा मध्याह्न बारह बजे के लिए स्थगित हुई।

मध्याह्न 12.00 बजे

(लोकसभा मध्याह्न बारह बजे पुन: समवेत हुई)

(व्यवधान)

सभा पटल पर रखे गए पत्र

[अनुवाद]

वित्त मंत्री (श्री पी० चिदम्बरम) : मैं आर्थिक सर्वेक्षण 2006-2007 की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभापटल पर रखता हूं।

[सभापटल पर रखी गयी, देखिए संख्या एल०टी० 5797/07]

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग में राज्य मंत्री (श्री अश्विनी कुमार) : महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :

(1) भारतीय बॉयलर अधिनियम, 1923 की धारा 28 की उपधारा (2) के अंतर्गत भारतीय बॉयलर (तीसरा संशोधन) विनियमन, 2006 जो 18 नवम्बर, 2006 को भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा०का०नि० 280 में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1951 की धारा 29ख की उपधारा (2ज) के अंतर्गत जारी अधिसूचना संख्या का०आ० 62(अ), जो 22 जनवरी, 2007 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा 25 जुलाई, 1991 की अधिसूचना संख्या सा०का०नि० 477(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये, देखिए संख्या एल०टी० 5798/07]

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी० पुरन्देश्वरी) : मैं श्री जयराम रमेश की ओर से निम्नलिखि पत्र सभापटल पर रखती हूं :

(1) (एक) प्रोजेक्ट एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल ऑफ इंडिया, मुंबई के वर्ष 20025-2006 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) प्रोजेक्ट एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल ऑफ इंडिया, मुंबई के वर्ष 2005-2006 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये, देखिए संख्या एल०टी० 5799/07]

अपराह्न 12.0¼ बजे

रसायन और उर्वरक संबंधी स्थायी समिति

पन्द्रहवां प्रतिवेदन

[अनुवाद]

श्री नरसिंगराव एच० सूर्यवंशी (बीदर) : महोदय, मैं रसायन और उर्वरक मंत्रालय (उर्वरक विभाग) की अनुदानों की मांगों (2006-2007) के बारे में रसायन और उर्वरक संबंधी स्थायी समिति (2006-07) के 12वें प्रतिवेदन (14वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही संबंधी 15वें प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करता हूं।

अपराह्न 12.0½ बजे

गृहकार्य संबंधी स्थायी समिति

123वां प्रतिवेदन

[हिन्दी]

श्री मोहन सिंह (देवरिया) : मैं सशस्त्र सीमा बल विधेयक, 2006 के बारे में गृह कार्य संबंधी स्थायी समिति के 123वें प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं। ...*(व्यवधान)*

अपराह्न 12.0¾ बजे

मंत्रियों द्वारा वक्तव्य

(एक) सूक्ष्म और लघु उद्यमों के संवर्धन के लिए पैकेज

[हिन्दी]

***लघु उद्योग मंत्री तथा कृषि एवं ग्रामीण उद्योग मंत्री (श्री महावीर प्रसाद)** : मैं सूक्ष्म और लघु उद्यमों के संवर्धन के लिए पैकेज के बारे में एक वक्तव्य सभा पटल पर रखता हूं। ...*(व्यवधान)*

<u>प्रस्तावना</u>

सरकार के राष्ट्रीय न्यूनतम साझा कार्यक्रम (एन०सी०एम०पी०) में अंतर्निहित शासन के छः मौलिक सिद्धान्तों में निरंतर "आर्थिक विकास को इस ढंग से बनाए रखा जाना कि वह रोजगार का सृजन करे" — को गर्व का स्थान प्राप्त है। एन०सी०एम०पी० में भी लघु उद्योगों को "सबसे अधिक रोजगार गहन क्षेत्र" के रूप में वर्णित किया गया है।

यह वास्तव में ऐसा ही है। भारत में स्थापित लघु उद्योगों (जिनमें सूक्ष्म व लघु सेवा तथा व्यवसाय उद्यम भी शामिल हैं) द्वारा रोजगारोन्मुखी व सम्पूर्ण देश में फैलाव के कारण (जनसंख्या के सभी वर्गों का) समावेश करने वाले आर्थिक विकास के संवर्धन का लम्बा इतिहास है। दसवीं योजना (2002-03) की शुरूआत में इस क्षेत्र ने व्यापक विविधता की वस्तुओं के विनिर्माण और सेवाएं प्रदान करने वाली 10.5 मिलियन इकाइयों के माध्यम से देश के ग्रामीण तथा शहरी क्षेत्रों में 24.9 मिलियन लोगों को लाभप्रद रोजगार प्रदान किया है। अगले,

*सभापटल पर रखा गया तथा ग्रंथालय में भी रखा गया। देखिए संख्या एल०टी० 5800/07

[श्री महावीर प्रसाद]

चार वर्षों में (2005-06 तक), वे बढ़कर 12.3 मिलियन इकाइयां हो गई हैं जिनसे 29.5 मिलियन लोगों को रोजगार प्राप्त हुआ है। यह इन इकाइयों की संख्या में 4.33 प्रतिशत की औसतन वार्षिक वृद्धि दर तथा, इससे बढ़कर महत्वपूर्ण, रोजगार में 4.57 प्रतिशत की वार्षिक वृद्धि को दर्शाता है। यदि खादी, ग्रामोद्योग तथा कॉयर उद्योग की इकाईयों को भी गिन लिया जाए तो रोजगार 332 मिलियन से अधिक हो जाता है। अत: यह ठीक ही कहा गया है कि कृषि के उपरान्त यही क्षेत्र है जो सर्वाधिक रोजगार प्रदान करता है। सामान्य विश्लेषण दर्शाता है कि इस क्षेत्र (पंजीकृत भाग) की रोजगार गहनता नियत परिसम्पत्तियों में प्रत्येक 1.49 लाख रुपये के निवेश पर 1 व्यक्ति है जबकि इसकी तुलना में बड़े संगठित क्षेत्र में यह प्रति 5.56 लाख रुपये पर 1 व्यक्ति है। साथ ही उस क्षेत्र की रोजगार वृद्धि दर भारत की जनसंख्या (1.5 प्रतिशत) से या बड़े उद्योग क्षेत्र (0.85 प्रतिशत) से कहीं अधिक है।

देश के आर्थिक विकास में इस क्षेत्र का योगदान कम महत्वपूर्ण नहीं है। सकल विनिर्माण उत्पादन का लगभग 39 प्रतिशत तथा भारत के निर्यातों का 34 प्रतिशत इन उद्यमों से प्राप्त होता है। दसवीं योजना के पहले चार वर्षों के दौरान इस क्षेत्र के उत्पादन में 8.87 प्रतिशत वास्तविक वार्षिक वृद्धि दर दर्ज की गई है। इनके द्वारा विनिर्मित छह हजार से अधिक उत्पादों में अनेक परिष्कृत मदें हैं जिनका प्रयोग उच्च प्रौद्योगिकी क्षेत्रों जैसे कि परमाणु ऊर्जा, मिसाईल तथा अन्तरिक्ष कार्यक्रमों, सूचना प्रौद्योगिकी, बायोटेक्नालाजी, इत्यादि में होता है। इस क्षेत्र का निर्यात स्तर भी विश्व बाजार में इसकी समग्र प्रतिस्पर्धात्मकता को प्रमाणित करता है।

फिर भी, यह क्षेत्र एकरूप नहीं है तथा बहुसंख्यक इकाइयों को अनेक चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। व्यापार उदारीकरण से सृजित बढ़े हुए सुअवसरों का लाभ उठाते हुए उनकी क्षमता का पूरा उपयोग करने में उनकी सहायता करने के उद्देश्य से, न केवल एक उपयुक्त नीति वातावरण तैयार करना, बल्कि निरंतर चुनौतियों का सामना करने के लिए विशिष्ट उपायों से इनको अनुपूरित करना भी आवश्यक है। अत: एन०सी०एम०पी० में घोषणा की गई है कि इस क्षेत्र के लिए एक ''बड़े संवर्धनात्मक पैकेज'' की घोषणा की जाएगी ताकि इसे ऋण, प्रौद्योगिकी उन्नयन, विपणन तथा प्रमुख औद्योगिक समूहों में आधारभूत ढांचे के सुदृढ़ीकरण जैसे क्षेत्रों में पूर्ण सहायता प्रदान की जा सके।

<u>हाल ही की पहलें</u>

सूक्ष्म, लघु तथा मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006 के अधिनियमन से, सरकार ने हाल ही में इस क्षेत्र द्वारा लम्बे अर्से से महसूस तथा स्पष्ट बताई जा रही आवश्यकताओं में से एक की पूर्ति कर दी है। यह अधिनियम इन उद्यमों के संवर्धन तथा विकास और प्रतिस्पर्धात्मकता वृद्धि में मदद करना चाहता है। यह ''उद्यम'' (विनिर्माण तथा सेवाएं दोनों सहित) की अवधारणा की मान्यता तथा इन उद्यमों की तीनों श्रेणियों यानि, सूक्ष्म, लघु तथा मध्यम के एकीकरण के संबंध में पहली बार एक विधिक ढांचा प्रदान करता है। प्रत्येक श्रेणी के उद्यमों की, विशेष तौर से लघु उद्यम के स्पष्ट तथा अधिक प्रगतिशील वर्गीकरण के अलावा इस अधिनियम में राष्ट्रीय स्तर पर सांविधिक परामर्शी तंत्र, जिसमें स्टेकहोल्डर्स के सभी वर्गों को विशेष तौर पर उद्यमों की तीनों श्रेणियों को प्रतिनिधित्व प्रदान किया गया है तथा व्यापक परामर्शी कार्य श्रृंखला का प्रावधान है। इन उद्यमों के संवर्धन, विकास तथा प्रतिस्पर्धात्मकता में वृद्धि करने के लिए विशिष्ट निधियों की स्थापना, इस प्रयोजन के लिए स्कीमों/कार्यक्रमों की अधिसूचना, प्रगतिशील क्रेडिट नीतियां, सूक्ष्म तथा लघु उद्यमों से उत्पादों तथा सेवाओं के संबंध में सरकारी अधिप्राप्ति में वरीयता, सूक्ष्म तथा लघु उद्यमों की विलम्बित अदायगियों की समस्या को कम करने के लिए अधिक प्रभावी तंत्र तथा सभी तीन श्रेणियों के उद्यमों द्वारा व्यापार को बंद करने के लिए प्रक्रिया का सरलीकरण इस विधान की कुछ अन्य विशेषताएं हैं।

सरकार ने लघु तथा मध्यम उद्यमों को ऋण के बढ़ाने के लिए नीति पैकेज की घोषणा की है जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ ऋण प्रवाह में वर्ष दर वर्ष 20 प्रतिशत की वृद्धि को सुनिश्चित किया गया है।

प्रौद्योगिकी उन्नयन के लिए क्रेडिट लिंक्ड कैपिटल सब्सिडी स्कीम में भी महत्वपूर्ण सुधार किए गए हैं जिससे इससे लाभ प्राप्त करने वाली इकाईयों की संख्या में वृद्धि हुई है।

<u>संवर्धनात्मक पैकेज</u>

एन०सी०एम०पी० में आश्वासन की पूर्ति के संबंध में निम्नोक्त पैकेज अब घोषित किया जाता है।

<u>विधान</u>

सूक्ष्म, लघु तथा मध्यम उद्यमों के संवर्धन तथा विकास तथा प्रति-स्पर्धात्मकता में वृद्धि में सहायता की दृष्टि से सूक्ष्म, लघु तथा मध्यम उद्यम विकास विधेयक, 2006 हाल ही में पारित किया गया है। सरकार सभी स्टेकहोल्डर्स के गहन सहयोग से इस विधान को प्रभावी रूप से तथा शीघ्रता से कार्यान्वित करेगी।

सरकार शीघ्र ही सीमित दायित्व भागीदारी के संबंध में एक कानून लागू करेगी जिसमें अन्यों के साथ-साथ सूक्ष्म, लघु तथा मध्यम उद्यम भी शामिल होंगे ताकि अन्य बातों के साथ-साथ इन उद्यमों में इक्विटी के समावेश तथा जोखिम पूंजी निधिकरण में मदद की जा सके।

ऋण सहायता

लघु तथा मध्यम उद्यमों के लिए ऋण बढ़ाने हेतु नीतिगत पैकेज के अनुरूप भारतीय रिजर्व बैंक ने पहले ही सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों को मार्गदर्शी सिद्धान्त जारी किए हैं ताकि एस०एम०ई को ऋण में वर्ष दर वर्ष 20 प्रतिशत की वृद्धि सुनिचित की जा सके। उक्त नीतिगत पैकेज के अन्य तत्वों के प्रचालन के संबंध में कार्रवाई भी शुरू की जा चुकी है। इन उपायों के कार्यान्वयन की निगरानी आर०बी०आई० तथा सरकार द्वारा की जाएगी।

भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक (सिडबी) सूक्ष्म उद्यमों के लिए ऋण प्रचालनों को बढ़ाएगा तथा सुदृढ़ करेगा और वर्ष 2006-07 से शुरू करके पांच वर्षों में 50 लाख अतिरिक्त हितग्राहियों को कवर करेगा। सरकार इस प्रयोजन हेतु सिडबी को अनुदान प्रदान करेगी ताकि सिडबी के पोर्टफोलियो जोखिम निधि को बढ़ाया जा सके।

सरकार सिडबी को अनुदान भी प्रदान करेगी ताकि वह जोखिम पूंजी निधि (वर्ष 2006-07 के लिए पायलट सीमा के रूप में) का सृजन करने में सक्षम हो सके और वह सूक्ष्म उद्यमों को प्रत्यक्ष अथवा मध्यस्थों के माध्यम से, मांग आधारित लघु ऋण प्रदान कर सके।

सूक्ष्म और लघु उद्योगों (एम०एस०ई०) के और अधिक क्लस्टरों की ऋण आवश्यकताओं को पूरा करने की दृष्टि से 2006-07 से आरंभ करके 2 वर्षों में शाखाओं की संख्या 56 से बढ़ाकर 100 करके सिडबी के प्रत्यक्ष निधिकरण प्रचालनों का विस्तार किया जाएगा।

क्रेडिट गारंटी फण्ड स्कीम के तहत पात्र ऋण सीमा को 50 लाख रुपये तक बढ़ाया जाएगा। 5 लाख रुपये तक के ऋणों के लिए सूक्ष्म उद्यमों के लिए क्रेडिट गारंटी कवर को 75% से बढ़ाकर 80% किया जाएगा। तद्नुसार, क्रेडिट गारंटी फंड को सुदृढ़ करने के लिए फण्ड के कोपर्स को, जोकि 1 अप्रैल, 2006 की स्थिति के अनुसार 1189 करोड़ रुपये है, को पांच वर्षों की अवधि में 2500 करोड़ रुपये किया जाएगा (सरकार तथा सिडबी के मौजूदा 4:1 के अनुपात में अंशदान द्वारा)।

इसके अतिरिक्त, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों तथा सार्वजनिक वित्तीय संस्थानों को फंड की समग्र निधि में योगदान करने हेतु प्रोत्साहित करने के लिए, निधि में उनके योगदानों को आय कर उद्देश्यों हेतु घटाने की अनुमति देने की व्यवहार्यता की जांच की जाएगी।

फण्ड का अनुरक्षण तथा प्रबंधन लघु उद्योगों के लिए क्रेडिट गारंटी फण्ड ट्रस्ट (सी०जी०टी०एस०आई०) द्वारा जारी रखा जाएगा। ट्रस्ट को "सूक्ष्म तथा लघु उद्योगों के लिए क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट" के रूप में पुनः नामित किया जाएगा।

राजकोषीय सहायता

भारत सरकार सभी संगत तथ्यों पर विचार करते हुए, जिसमें सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विकास (एम०एस०एम०ई०डी०) अधिनियम, 2006 के तहत लघु विनिर्माण उद्यमों की नई परिभाषा शामिल हैं, निम्नोक्त संभावनाओं की जांच करेगी :

सामान्य उत्पाद शुल्क (जी०ई०ई०) सीमा एवं जी०ई०ई० के लिए विद्यमान पात्रता सीमा को बढ़ाना;

सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों द्वारा उत्पाद शुल्क के भुगतान के लिए समय सीमा बढ़ाना;

लघु उद्योगों के मध्यम उद्यमों में क्रमिक विकास के लिए एक सीमित अवधि के लिए जी०ई०ई० लाभों को बढ़ाना।

क्लस्टर आधारित विकास के लिए सहायता

सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों के क्लस्टरों के व्यापक एवं तीव्र विकास के लिए लघु उद्योग क्लस्टर विकास कार्यक्रम के विद्यमान मार्गनिर्देशों (एस०आई०सी०डी०पी० — सिजे "माइक्रो एवं लघु उद्यम क्लस्टर विकास कार्यक्रम" का नया नाम दिया जाना है) की 2006-07 के दौरान समीक्षा की जाएगी ताकि सामान्य सुविधा केन्द्रों, उद्यमों के लिए विकसित स्थलों, विद्यमान औद्योगिक अवसंरचना के उन्नयनीकरण तथा प्रदर्शनी स्थलों/हाल के प्रावधान तथा सार्वजनिक-निजी भागीदारी ढंग में अवसंरचना संबंधी परिसम्पत्तियों के सृजन एवं प्रबंध के प्रावधान सहित क्लस्टरों के सर्वांगीण विकास को गति दिए जाने की समीक्षा की जा सके। परियोजना लागत पर सीमा को बढ़ाकर 10 करोड़ रुपये किया जाएगा।

प्रौद्योगिकी एवं गुणवत्ता उन्नयन सहायता

खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र में सूक्ष्म तथा लघु उद्यमों के संवर्धन व विकास के लिए पहचाने गए (विद्यमान) लघु उद्योग सेवा संस्थानों में कृषि एवं खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों के लिए चार प्रशिक्षण व उत्पाद विकास केन्द्र (टी०पी०डी०सी०) स्थापित किए जायेंगे।

विद्यमान केन्द्रीय पादुका प्रशिक्षण संस्थानों (सी०एफ०टी०आई०) (चेन्नई एवं आगरा में) को अपनी पहुंच का विस्तार करने में सहायता देकर सुदृढ़ किया जाएगा।

वर्टिकल शैफ्ट ब्रिक किल्न (वी०एस०बी०के०) प्रौद्योगिकी का संवर्धन किया जाएगा, ताकि ब्रिक्स के विनिर्माण में लगी हुई एम०एस०ई० द्वारा इन्हें अपनाया जा सके और वे ऊर्जा कुशल एवं पर्यावरण अनुकूल बन सकें। इसके लिए ब्रिक विनिर्माण करने वाले सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों, को एक बार की पूंजीगत सब्सिडी (लागत के 30 प्रतिशत अथवा 2 लाख रुपये तक, इसमें जो भी कम हो, सीमित होगी) प्रदान की जाएगी।

[श्री महावीर प्रसाद]

एम०एस०ई० द्वारा विनिर्मित बिजली के पम्पों एवं मोटरों में ऊर्जा कुशलता का संवर्धन किए जाने की दृष्टि से विस्तृत तकनीकी अध्ययन के बाद सहायता का एक विशेष कार्यक्रम शुरू किया जाएगा।

आई०एस०ओ० 9000 और 14001 मानकों की प्राप्ति में सहायता करने की विद्यमान योजना को 11वीं पंचवर्षीय योजना के लिए एक जारी योजना के रूप में संचालित किया जाएगा।

एम०एस०ई० द्वारा प्राप्त "आपदा विश्लेषण और नाजुक नियंत्रण बिन्दु" (एच०ए०सी०सी०पी०) प्रमाणन को कवर करने के लिए उपर्युक्त योजना का कार्यक्षेत्र विस्तृत किया जाएगा।

प्रौद्योगिकी उन्नयन, ऊर्जा संरक्षण और प्रदूषण शमन में सूक्ष्म, लघु तथा मध्यम उद्यमों (एम०एस०एम०ई०) की सहायता करने के उद्देश्य से एक प्रौद्योगिकी मिशन की स्थापना की जाएगी।

विपणन सहायता

वर्ष 2006-07 के बजट भाषण में घोषित राष्ट्रीय विनिर्माण प्रति-स्पर्धात्मकता कार्यक्रम (एन०एम०सी०पी०) में एम०एस०ई० के विपणन समर्थन से संबंधित घटक शामिल होंगे। एन०एम०सी०पी० का कार्यान्वयन 2006-07 से किया जाएगा।

उद्यमिता एवं प्रबंधकीय विकास के लिए सहायता

अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति, महिलाओं एवं शारीरिक रूप से अक्षम व्यक्तियों के लिए प्रशिक्षण की अवधि के दौरान प्रति माह प्रति व्यक्ति 500 रुपये के वजीफे के साथ कुल उद्यमिता विकास कार्यक्रमों (ई०डी०पी०) के 20 प्रतिशत कार्यक्रम आयोजित किए जायेंगे।

11वीं योजना की अवधि में लघु उद्योग सेवा संस्थानों द्वारा चलाए जा रहे विशिष्ट पाठ्यक्रमों के माध्यम से सूचना प्रौद्योगिकी, केटरिंग, कृषि एवं खाद्य प्रसंस्करण, फार्मास्यूटिकल्स, जैव-प्रौद्योगिकी इत्यादि में 50,000 उद्यमियों को प्रशिक्षित किया जाएगा।

नए उद्यमियों के साथ-साथ विद्यमान सूक्ष्म एवं लघु उद्यमियों के लिए विशेष रूप से तैयार किए गए पाठ्यक्रम आयोजित करने के लिए चयनित प्रबंध/व्यावसायिक विद्यालयों एवं तकनीकी संस्थानों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए एक नई योजना तैयार की जाएगी।

1200 उद्यमिता क्लब चलाने के लिए पांच चयनित विश्वविद्यालयों/महाविद्यालयों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए भी एक नई योजना तैयार की जाएगी।

संघों एवं राज्यों से परामर्श करने के पश्चात् उद्योग/उद्यम संघों के क्षमता निर्माण, डाटाबेस एवं एडेवोकेसी के सुदृढ़ीकरण के लिए एक नई योजना शुरू की जाएगी।

सेवा/कारोबार क्षेत्र में माइक्रो एवं लघु उद्यमों की प्रतिस्पर्धात्मकता में वृद्धि करने के लिए अपेक्षित सरकारी हस्तक्षेप की आवश्यकता एवं क्षेत्र के मूल्यांकन के लिए एक व्यापक अध्ययन आयोजित किया जाएगा।

महिला स्वामित्व वाले उद्यमों का सशक्तीकरण

क्रेडिट गारंटी फंड योजना के अंतर्गत महिलाओं द्वारा चलाए जा रहे और/अथवा उनके स्वामित्व वाले सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों को 80 प्रतिशत गारंटी कवर प्रदान किया जाएगा।

एस०आई०एस०डी०पी० के अंतर्गत केवल महिलाओं द्वारा चलाए जा रहे/उनके स्वामित्व वाले सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों के क्लस्टर विकास हेतु खर्चे के 90 प्रतिशत तक की वित्तीय सहायता, जिसकी ऊपरी सीमा 9 करोड़ रुपये तक हो सकती है, प्रदान की जाएगी।

महिला स्वामित्व वाले सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों के उत्पादों के प्रदर्शन एवं बिक्री के लिए केन्द्रीय स्थानों पर प्रदर्शनी केन्द्रों की स्थापना में एस०आई०सी०डी०पी० के जरिए महिला उद्यमियों के संघों को सहायता दी जाएगी।

लघु उद्योग सेवा संस्थानों द्वारा आयोजित उद्यमिता/प्रबंध विकास कार्यक्रमों में महिलाओं में उद्यमिता को प्रोत्साहन देने के लिए शुल्क में 50 प्रतिशत की रियायत दी जाएगी।

महिला उद्यमियों द्वारा निर्यात की सुविधा के लिए राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम (एन०एस०आई०सी०) 11वीं योजना के साथ समाप्त होने वाली अवधि के दौरान उन्हें 25 प्रदर्शनियों में भाग लेने में सहयोग करेगा।

प्रधानमंत्री रोजगार योजना (पी०एम०आर०वाई०) का सुदृढ़ीकरण

प्रधानमंत्री रोजगार योजना वर्ष 1993 में शुरू की गई और यह शिक्षित युवाओं को जीवनक्षम सूक्ष्म उद्यमों की स्थापना में उन्हें सहायता देकर स्व-रोजगार अवसरों के सृजन के लिए एक प्रमुख क्रेडिट-लिंक्ड सब्सिडी योजना है। वर्ष 2005-06 के अंत तक इस योजना ने 38.09 लाख व्यक्तियों को स्व-रोजगार के अवसर प्रदान किए हैं। तथापि, हाल ही की एक समीक्षा में इस ढंग के माध्यम से स्व-रोजगार के लिए उपायों की प्रभाविकता में सुधार किए जाने की आवश्यकता अनुभव की गई है।

पी०एम०आर०वाई० के डिजाइन मानदंडों में पात्रता के लिए पारिवारिक आय सीमा, परियोजना लागत सीमा, सब्सिडी की तद्नुरूपी सीमा, लाभार्थियों का चयन किए जाने से पूर्व एवं उसके पश्चात् उनके प्रशिक्षण के लिए राज्यों की सहायता की दरों, इत्यादि में समीक्षा के निष्कर्षों को दृष्टि में रखते हुए वर्ष 2007-08 से सुधार आएगा।

एम०एस०एम०ई० क्षेत्र के लिए डाटाबेस का सुदृढ़ीकरण

एम०एस०एम०ई० क्षेत्र के लिए डाटा बेस के सुदृढ़ीकरण के लिए इकाईयों की संख्या, रोजगार, वृद्धि की दर, सकल घरेलू उत्पाद का भाग, उत्पादन के मूल्य, रूग्णता/बंद होने की सीमा तथा खादी इकाइयों, ग्रामीण रोजगार सृजन कार्यक्रम तथा प्रधानमंत्री रोजगार योजना के अंतर्गत स्थापित ग्रामोद्योग इकाइयों सहित सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों के अन्य सभी संगत मानदंडों एवं कॅयर इकाइयों के बारे में वार्षिक नमूना सर्वेक्षण एवं पंचवर्षीय गणना के माध्यम से सूचना एकत्र की जाएगी।

एम०एस०एम०ई० की पंचवर्षीय गणना एवं वार्षिक नमूना सर्वेक्षणों में महिला स्वामित्व और/अथवा उनके प्रबंध वाले उद्यमों के संबंध में भी आंकड़े एकत्र किए जाएंगे।

खादी एवं ग्रामोद्योगों सहित सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों द्वारा विनिर्मित उत्पादों/प्रदन की गई सेवाओं के निर्यात के नियमित रूप से आंकड़े एकत्रित करने के लिए एक योजना भी तैयार व कार्यान्वित की जाएगी। *(व्यवधान)*

अपराह्न 12.01 बजे

(दो) ओत्तावियो क्वात्रोची की अर्जेन्टीना में निवारक नजरबंदी

[अनुवाद]

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुरेश पचौरी) : महोदय, आपकी अनुमति से मैं यह वक्तव्य सभापटल पर रखता हूं।

*अध्यक्ष महोदय, केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो से प्राप्त सूचना के अनुसार दिनांक 07 फरवरी, 2007 को इंटरपोल ब्यूनस आयर्स से एक संदेश इस आशय का प्राप्त हुआ था कि ओत्तावियों क्वात्रोकी को 6 फरवरी, 2007 को इगुआजू इंटरनेशनल एअरपोर्ट, प्रोविंस ऑफ मिशन्स, अर्जेंटीना में प्रिवेंटिव डिटेन्शन में लिया गया था।

इंटरपोल, नई दिल्ली ने दिनांक 7 फरवरी, 2007 को ही इंटरपोल ब्यूनस आयर्स को एक संदेश भेजकर ओत्तावियों क्वात्रोकी के प्रिवेंटिव डिटेन्शन संबंधी संदेश की सत्यता की पुष्टि करने का अनुरोध किया था और ओत्तावियो क्वात्रोकी की फ्लाइट का विवरण क्या है अर्थात् ओत्तावियो क्वात्रोकी किस स्थान से आए थे और उन्हें कहां तक जाना था, आदि के बारे में जानकारी भी मांगी थी।

*सभापटल पर रखा गया तथा ग्रंथालय में भी रखा गया। *देखिए* संख्या एल०टी० 5801/07.

इंटरपोल ब्यूनस आयर्स ने दिनांक 8 फरवरी, 2007 के अपने संदेश द्वारा ओत्तावियो क्वात्रोकी के डिटेन्शन की पुष्टि की और जानना चाहा कि क्या भारतीय प्राधिकारी ओत्तावियो क्वात्रोकी की गिरफ्तारी में रूचि रखते हैं और क्या भारत राजनयिक माध्यमों के जरिए उसके प्रत्यपंण के लिए औपचारिक अनुरोध भेजेगा। इंटरपोल ब्यूनस आयर्स ने यह भी उल्लेख किया कि स्पेनिश अनुवाद सहित प्रत्यर्पण अनुरोध अर्जेंटीना प्रत्यर्पण अधिनियम के अनुवसार ही होना चाहिए और ओत्तावियो क्वात्रोकी के डिटेन्शन की तारीख से 30 दिन के भीतर अर्जेंटीना सरकार को अवश्य पहुंच जाना चाहिए।

केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो ने उसी दिन तत्काल इसकी पुष्टि कर दी। केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो ने इंटरपोल ब्यूनस आयर्स को भारत तथा अर्जेंटीना के बीच औपचारिक प्रत्यर्पण संधि के अभाव में प्रत्यर्पण के लिए कानूनी कार्रवाई से अवगत कराने का अनुरोध भी किया।

उसके बाद केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो ने प्रत्यर्पण अनुरोध करने की कार्रवाई तत्काल शुरू कर दी। केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो ने प्रत्यर्पण अनुरोध के लिए अपेक्षित विवरण/दस्तावेजों के अनुवाद के लिए स्कूल ऑफ फॉरेन लैंग्वेजिज, जे०एन०यू०, नई दिल्ली सहित अनुवादकों की सेवाएं भी प्राप्त की।

दिनांक 12 फरवरी, 2007 को राजनयिक माध्यमों के जरिए ओत्तावियो क्वात्रोकी के अर्जेंटीना में डिटेन्शन की पुष्टि प्राप्त हुई।

दिनांक 13 फरवरी, 2007 को केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो ने विदेश मंत्रालय को अर्जेंटीना प्रत्यर्पण संधि के अंग्रेजी अनुवाद सहित एक प्रति और प्रत्यर्पण अनुरोध के लिए अपेक्षित दस्तावेजों की सूची उपलब्ध कराने के लिए पत्र लिखा। भारत और अर्जेंटीना के बीच क्योंकि कोई प्रत्यर्पण संधि नहीं है, इसलिए केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो ने अर्जेंटीना प्रत्यर्पण कानून के अनुसार विधि के अंतर्गत इस समस्या के समाधान के लिए विदेश मंत्रालय से सलाह मांगी। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो ने विदेश मंत्रालय से इस संबंध में सी०बी०आई० टीम के दौरे के लिए अर्जेंटीना प्राधिकारियों की सुविधा का पता लगाने का भी अनुरोध किया।

दिनांक 13 फरवरी, 2007 को केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो ने कुछ सूचनाएं/दस्तावेज अर्थात् अर्जेंटीना प्रत्यर्पण अधिनियम की एक प्रति अंग्रेजी अनुवाद सहित, प्रत्यर्पण अनुरोध में शामिल किए जाने वाले दस्तावेजों की सूची, क्योंकि भारत और अर्जेंटीना के बीच प्रत्यर्पण संधि नहीं है, इसलिए प्रत्यर्पण संधि के अभाव में अपनायी जाने वाली प्रक्रिया की जानकारी प्रत्यर्पण अनुरोध तैयार करने के लिए भेजने का अनुरोध इंटरपोल ब्यूनस आयर्स से किया। केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो ने यह भी पूछा कि क्या केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो को अपनी टीम अर्जेंटीना भेजनी चाहिए और, यदि हां, तो किस तारीख को।

[श्री सुरेश पचौरी]

दिनांक 13 फरवरी, 2007 को इंटरपोल ब्यूनस अयर्स ने केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो को सूचित किया कि ओत्तावियो क्वात्रोकी को प्रोविंस ऑफ मिशनस में डिटेन किया हुआ है और अर्जेंटीना प्रत्यर्पण विधि की अपेक्षाओं के संबंध में जानकारी दी।

दिनांक 16 फरवरी, 2007 को केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो को राजनयिक माध्यमों के जरिए अन्य बातों के साथ-साथ यह जानकारी प्राप्त हुई कि यद्यपि भारत और अर्जेंटीना के बीच प्रत्यर्पण संधि नहीं है तो भी भारत अर्जेंटीना प्रत्यर्पण कानून के अंतर्गत ओत्तावियो क्वात्रोकी के प्रत्यर्पण का अनुरोध कर सकता है; कि इस समय यह मामला मिशन्स प्रोविंस के एक कोर्ट में लंबित है; कि कोर्ट ने भारत की ओर से लोक अभियोजक डॉ० कार्लोस गयिल्लेरेमो डेनेरी को नियुक्त किया है और यह कि भारत को ओत्ताविओ क्वात्रोकी का प्रत्यर्पण करने के लिए पारस्परिकता की पेशकश करनी होगी। प्रत्यर्पण अनुरोध तैयार करने के बाद केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो ने दिनांक 22 फरवरी, 2007 को विदेश मंत्रालय के विधि और संधि प्रभाग के अधीकारियों के साथ एक बैठक की और प्रत्यर्पण अनुरोध मसौदे की विधीक्षा करवायी।

यह उल्लेखनीय है कि भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम सहित विधि के विभिन्न उपबंधों के अंतर्गत विशेष जज की अदालत, दिल्ली द्वारा दिनांक 6 फरवरी, 1997 को गैर-जमानती वारंट जारी किया गया था। तथापि, माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 4 फरवरी, 2004 और 31 मई, 2005 को पारित आदेशों को ध्यान में रखकर लोक सेवकों तथा कुछेक अन्य अभियुक्त व्यक्तियों के विरुद्ध कार्रवाई रद्द कर दी गई थी। ओत्तावियो क्वात्रोकी के प्रभावी प्रत्यर्पण को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से सी०एम०एस०, दिल्ली के न्यायालय से ओत्ताविओ क्वात्रोकी के विरुद्ध नया गिरफ्तारी वारंट प्राप्त करना आवश्यक समझा गया था। अर्जेंटीना प्रत्यर्पण कानून की अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए भी यह आवश्यक था। दिनांक 24 फरवरी, 2007 को सी०एम०एम०, दिल्ली ने नया गिरफ्तारी वारंट जारी कर दिया।

केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो ने अपेक्षित राजनयिक तथा कानूनी औपचारिकताओं को पूरा करने के लिए दिनांक 24 फरवरी, 2007 को सरकार के पास प्रत्यर्पण अनुरोध भेजा था।

अध्यक्ष महोदय, केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो द्वारा उपलब्ध उक्त सूचना से यह स्पष्ट है कि केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो अर्जेंटीना विधि के उपबंधों के अनुसार और अनुरोध की 30 दिन की निर्धारित अवधि में अनुरोध करने के लिए प्रत्यर्पण अनुरोध तैयार करने में पूरी तरह प्रयासरत रहा है। इस तथ्य से कि प्रक्रियात्मक और अर्जेंटीना प्रत्यर्पण विधि के मूल उपबंधों के अनुसार केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो द्वारा तैयार प्रत्यर्पण अनुरोध लगभग 300 पृष्ठों का है, यह पता चलता है कि इन दस्तावेजों को यथासंभव कम-से-कम समय में तैयार किया गया है। इसके अलावा, जैसाकि अर्जेंटीना प्राधिकारियों ने सूचित किया था कि प्रत्यर्पण अनुरोध और संलग्न दस्तावेज स्पेनिश भाषा में होने चाहिए, इसलिए अपने अग्रणी विश्वविद्यालयों मे से एक सहित दिल्ली में उपलब्ध स्पेनिश अनुवादकों की सेवाएं प्राप्त की गई। अनुवाद कार्य क्योंकि तकनीकी प्रकृति का था, इसलिए ज्यादा समय लगा। तथापि, अनुवाद कार्य यथासंभव अतिशीघ्र पूरा कराया गया है।

हमें 26 फरवरी, 2007 को सायं 7.43 बजे सूचित किया गया है कि फेडरेल कोर्ट इन अर्जेंटीना द्वारा ओत्ताविओ क्वात्रोकी को प्रिवेंटिव डिटेन्शन से जमानत पर इस शर्त पर रिहा कर दिया गया है कि वह अर्जेंटीना नहीं छोड़ेगा। इससे हमारी सरकार द्वारा की जा रही प्रत्यर्पण संबंधी कार्रवाइयों पर कोई असर नहीं पड़ेगा।

सरकार प्रत्यर्वतन के अनुरोध पर अति-तत्काल आधार पर कार्रवाई कर रही है और सी०बी०आई० की एक टीम तीस दिनों के निर्धारित अवधि की समाप्ति से काफी पहले ब्यूनस आयर्स पहुंच रही है।

यू०पी०ए० सरकार केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो की स्वायतत्ता के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है और इसके कार्य निष्पादन में यथासंभव पूर्ण सहयोग प्रदान करेगी।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : अब सभा कल 28 फरवरी, 2007 के पूर्वाह्न ग्यारह बजे तक के लिए स्थगित होती है।

अपराह्न 12.02 बजे

तत्पश्चात् लोकसभा बुधवार, 28 फरवरी, 2007/ 9 फाल्गुन, 1928 (शक) के पूर्वाह्न ग्यारह बजे तक के लिए स्थगित हुई

अनुबंध-I

तारांकित प्रश्नों की सदस्य-वार अनुक्रमणिका

क्र० सं०	सदस्य का नाम	तारांकित प्रश्नों की संख्या
1	2	3
1.	श्री पुन्नूलाल मोहले श्री कैलाश मेघवाल	21
2.	श्री हेमलाल मुर्मू श्री प्रहलाद जोशी	22
3.	श्री रायापति सांबासिवा राव श्री हंसराज ग० अहीर	23
4.	श्री चंद्रकांत खैरे	24
5.	श्री प्रबोध पाण्डा श्री रामदास आठवले	25
6.	प्रो० महादेवराव शिवनकर डा० राजेश मिश्रा	26
7.	श्री सर्वे सत्यनारायण	27
8.	श्री जी० करूणाकर रेड्डी	28
9.	श्री एन०एस०वी० चित्तन	29
10.	श्री जसुभाई धानाभाई बारड़ श्री निखिल कुमार	30
11.	श्री शिशुपाल एन० पटले	31
12.	श्री आनन्दराव विठोबा अडसूल श्री गुरूदास दासगुप्त	32
13.	श्री भतृहरि महताब	33
14.	श्री एस०के० खारवेनथन	34
15.	श्री रवि प्रकाश वर्मा श्री किसनभाई वी० पटेल	35
16.	श्री गणेश सिंह	36
17.	श्री सुखदेव सिंह ढींडसा डा० चिन्ता मोहन	37
18.	श्री स्वदेश चक्रवर्ती श्री इकबाल अहमद सरडगी	38
19.	श्री दुष्यंत सिंह	39
20.	श्रीमती सुमित्रा महाजन	40

अतारांकित प्रश्नों की सदस्य-वार अनुक्रमणिका

क्र० सं०	सदस्य का नाम	प्रश्न संख्या
1	2	3
1.	आरुन रशीद, श्री जे०एम०	193, 233
2.	अडसूल, श्री आनंदराव विठोबा	164, 179, 196, 256
3.	अग्रवाल, डा० धीरेन्द्र	170, 171, 173, 174, 215
4.	अहीर, श्री हंसराज गं०	149, 188, 193
5.	अप्पादुराई, श्री एम०	182, 226, 250
6.	आठवले, श्री रामदास	216, 221, 233, 256
7.	'बचदा', श्री बची सिंह रावत	233
8.	बारड़, श्री जसुभाई धानाभाई	193, 233
9.	भडाना, श्री अवतार सिंह	193
10.	भगोरा, श्री महावीर	159, 195
11.	भक्त, श्री मनोरंजन	157
12.	चन्द्रप्पन, श्री सी०के०	149
13.	चावड़ा, श्री हरिसिंह	172, 218, 247
14.	चिन्ता मोहन, डा०	193, 203, 256
15.	चौधरी, श्री अधीर	151, 204
16.	दासगुप्त, श्री गुरूदास	193
17.	देवरा, श्री मिलिन्द	144, 192, 245
18.	देशमुख, श्री सुभाष सुरेशचंद	180, 221, 229, 252, 260
19.	फैन्थम, श्री फ्रांसिस	177, 193, 205, 233
20.	गायकवाड, श्री एकनाथ महादेव	220, 256

1	2	3
21.	गंगवार, श्री संतोष	145, 193, 222, 233
22.	गेहलोत, श्री थावरचन्द	141
23.	हुसैन, श्री अनवर	127, 212, 244, 258, 262
24.	झा, श्री रघुनाथ	136, 204, 233, 256
25.	जिन्दल, श्री नवीन	126, 187, 230, 243
26.	खारवेनथन, श्री एस०के०	193
27.	कौशल, श्री रघुवीर सिंह	153
28.	कृष्णदास, श्री एन०एन०	156
29.	'ललन', श्री राजीव रंजन सिंह	193, 256
30.	माडम, श्री विक्रमभाई अर्जनभाई	185, 228, 251, 259, 261
31.	महतो, श्री सुनिल कुमार	171, 174, 217, 218, 247
32.	महताब, श्री भर्तृहरि	197, 237
33.	महतो, श्री टेक लाल	153
34.	माझी, श्री परसुराम	147
35.	मल्होत्रा, प्रो० विजय कुमार	131, 193, 206, 208
36.	माने, श्रीमती निवेदिता	183, 220, 256
37.	मसूद, श्री रशीद	178, 193, 223, 249, 256
38.	मेघवाल, श्री कैलाश	152, 155, 227, 241
39.	मेहता, श्री भुवनेश्वर प्रसाद	154
40.	मिश्रा, डा० राजेश	193, 233
41.	मिस्त्री, श्री मधुसूदन	148
42.	मो० ताहिर, श्री	176, 246, 256
43.	मंडल, श्री अबु अयीश	160, 207, 256
44.	मुर्मु, श्री हेमलाल	193, 233, 255, 261
45.	नायक, श्री अनन्त	142, 197, 224
46.	निखिल कुमार, श्री	193
47.	ओराम, श्री जुएल	152, 193, 237

1	2	3
48.	ओवेसी, श्री असादुद्दीन	161, 193, 233, 236
49.	पल्लानी शामी, श्री के०सी०	143, 225, 232, 261
50.	पाण्डा, श्री प्रबोध	233
51.	पाण्डेय, डा० लक्ष्मीनारायण	131, 134, 206, 243
52.	परस्ते, श्री दलपत सिंह	138, 159
53.	पटेल, श्री जीवाभाई ए०	171, 217, 246
54.	पटेल, श्री किसनभाई वी०	198, 201, 239
55.	पटले, श्री शिशुपाल एन०	162, 193, 195, 198
56.	पोन्नुस्वामी, श्री ई०	155
57.	प्रभु, श्री सुरेश प्रभाकर	193, 233
58.	प्रसाद, श्री हरिकेवल	168, 248, 251,
59.	राजेन्द्रन, श्री पी०	243, 256
60.	रामकृष्णा, श्री बाडिगा	132, 210
61.	राणा, श्री काशीराम	167, 172, 208, 214, 248
62.	राव, श्री के०एस०	163, 211
63.	राव, श्री रायापति सांबासिवा	194, 234
64.	राठौड़, श्री हरिभाऊ	175, 220
65.	रावले, श्री मोहन	164
66.	रावत, प्रो० रासा सिंह	130, 205, 242
67.	रेड्डी, श्री जी० करूणाकर	189, 235
68.	रेड्डी, श्री एम० राजा मोहन	133
69.	रेड्डी, श्री सुरवरम सुधाकर	149, 193
70.	साई प्रताप, श्री ए०	156
71.	सज्जन कुमार, श्री	193
72.	सरडगी, श्री इकबाल अहमद	209, 223, 233
73.	सतीदेवी, श्रीमती पी०	233
74.	सत्यनारायण, श्री सर्वे	194

1	2	3
75.	सिंधिया, श्री ज्योतिरादित्य माधवराव	150, 202, 233, 240
76.	शैलेन्द्र कुमार, श्री	220
77.	शाक्य, श्री रघुराज सिंह	233
78.	शिवाजीराव, श्री अधलराव पाटील	164, 179, 193, 196, 256
79.	शिवनकर, प्रो० महादेवराव	162, 176, 193, 195
80.	शुक्ला, श्रीमती करुणा	129, 156, 167
81.	सिद्दीश्वर, श्री जी०एम०	165
82.	सिंह देव, श्रीमती संगीता कुमारी	139, 171, 205, 208, 223
83.	सिंह, श्री दुष्यंत	200, 238, 257
84.	सिंह, श्री गणेश	133, 199
85.	सिंह, श्री कीर्ति वर्धन	183, 184, 220, 256
86.	सिंह, श्री प्रभुनाथ	169
87.	सिंह, श्रीमती प्रतिभा	186
88.	सिंह, श्री सुग्रीव	198, 201, 239
89.	सिंह, श्री उदय	151, 158, 204, 233

1	2	3
90.	सुब्बा, श्री मणी कुमार	135, 190, 231, 253, 263
91.	सुगावनम, श्री ई०जी०	140, 191, 232, 254
92.	सुजाता, श्रीमती सी०एस०	128, 256
93.	सुमन, श्री रामजीलाल	203
94.	ठक्कर, श्रीमती जयाबहन बी०	233
95.	थामस, श्री पी०सी०	146, 205
96.	तुम्मर, श्री वी०के०	170
97.	तोपदार, श्री तरित बरण	181
98.	त्रिपाठी, श्री बृज किशोर	149, 166, 213, 243, 245
99.	वल्लभनेनी, श्री बालासोवरी	203, 233
100.	वसावा, श्री मनसुखभाई डी०	173, 216, 219
101.	वर्मा, श्री रवि प्रकाश	164, 198, 256
102.	यादव, श्री एम० अंजनकुमार	168, 205, 215
103.	यादव, श्री गिरिधारी	317, 216, 246
104.	यादव, श्री कैलाश नाथ सिंह	162

अनुबंध-II

तारांकित प्रश्नों की मंत्रालय-वार अनुक्रमणिका

कृषि एवं ग्रामीण उद्योग	:	29
वाणिज्य और उद्योग	:	25, 28, 36, 37
गृह	:	22, 23, 24, 27, 30, 32, 34, 40
मानव संसाधन विकास	:	26, 31, 33, 35, 39
खान	:	21
लघु उद्योग	:	
वस्त्र	:	
जनजातीय कार्य	:	
महिला और बाल विकास	:	38.

अतारांकित प्रश्नों की मंत्रालय-वार अनुक्रमणिका

कृषि एवं ग्रामीण उद्योग	:	169, 170, 197, 258
वाणिज्य और उद्योग	:	127, 128, 129, 137, 138, 140, 141, 146, 150, 156, 163, 164, 165, 166, 168, 171, 178, 182, 190, 195, 196, 199, 201, 207, 211, 212, 218, 222, 225, 230, 238, 240, 244
गृह	:	131, 134, 135, 136, 144, 153, 154, 162, 179, 180, 192, 193, 194, 198, 200, 203, 204, 206, 208, 213, 216, 219, 220, 223, 228, 231, 233, 236, 241, 245, 249, 252, 253, 255, 256, 259
मानव संसाधन विकास	:	147, 149, 151, 152, 155, 158, 159, 161, 172, 183, 185, 186, 202, 205, 217, 221, 226, 227, 235, 242, 243, 246, 251
खान	:	126, 148, 160, 174, 224, 229, 237
लघु उद्योग	:	130, 157, 210, 215
वस्त्र	:	132, 139, 145, 167, 175, 177, 187, 191, 209, 214, 232, 234, 239, 247, 248, 250, 254, 257, 260, 261, 262
जनजातीय कार्य	:	142, 173, 188, 189
महिला और बाल विकास	:	133, 143, 176, 181, 184

इंटरनेट

लोक सभा की सत्रावधि के प्रत्येक दिन के वाद-विवाद का मूल संस्करण भारतीय संसद की निम्नलिखित वेबसाइट पर उपलब्ध है:

http://www.parliamentofindia.nic.in

लोक सभा की कार्यवाही का दूरदर्शन पर सीधा प्रसारण

लोक सभा की संपूर्ण कार्यवाही का दूरदर्शन के विशेष चैनल "डीडी-लोकसभा" पर सीधा प्रसारण किया जाता है। यह प्रसारण सत्रावधि में प्रतिदिन प्रातः 11.00 बजे लोक सभा की कार्यवाही शुरू होने से लेकर उस दिन की सभा समाप्त होने तक होता है।

लोक सभा वाद-विवाद बिक्री के लिए उपलब्ध

लोक सभा वाद-विवाद के हिन्दी संस्करण और अंग्रेजी संस्करण की प्रतियां तथा संसद के अन्य प्रकाशन, विक्रय फलक, संसद भवन, नई दिल्ली-110001 पर बिक्री हेतु उपलब्ध हैं।

पी०एल०एस०-48/25/3/2007 (एन०)
232

© 2007 प्रतिलिप्यधिकार लोक सभा सचिवालय

लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमों (ग्यारहवां संस्करण) के नियम 379 और 382 के अंतर्गत प्रकाशित और इंडियन प्रेस, नई दिल्ली-110033 द्वारा मुद्रित।